Wednesday, 18 March, 1970

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

सत्यमेव जयते

Preservation ... Parliament Library

[खण्ड 37 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया   Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक—20, बुद्धवार, 18 मार्च, 1970/फाल्गुन 27, 1891 (शक)
No.—20, Wednesday March 18, 1970/Phalguna 27, 1891 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. No.	विषय	Subject	
511.	तेल वाहक जहाजों की खरीद के बारे में भारत तथा युगोस्लाविया में गतिरोध	Deadlock between India and Yugoslavia over the purchase of Tankers	1—4
512.	पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को भारत आने के लिये परमिट देने की नीति का पुनर्विलोकन	Review of Policy to Permit Pakistani Pilgrims to Visit India	4—10
513.	भारत में लड़ाकू विमानों का निर्माण	Manufacture of Fighting Planes in India	10—13
514.	पाकिस्तान के साथ नहरी जल करार की समाप्ति पर जल का उपयोग	Utilisation of Water on Expiry of Canal Water Agreement with Pakistan	13—14
515.	वेतरणी बांध का निर्माण	Construction of Baitarani Barrage	14—16

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या

S. N. Q. Nos.

7.	फरक्का बांध परियोजना में श्रमिकों में अशान्ति	Labour Problem in Farakka Barrage Project	17—23

*किसी नाम पर अंकित यह+इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तक में पूछा था ।

*The Sign+marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages

प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
516.	भारतीय रूई मिल संघ द्वारा रूई के आयात पर 'प्रीमियम' की उगाही	Collection of Premium by ICMF on Import of Cotton	23
517.	भारत ब्रिटेन व्यापार वार्ता	Indo British Trade Talks	24
518.	समाचार पत्रों का राष्ट्रीय-करण	Nationalisation of Press	24—25
519.	जापान में हो रही एक्सपो 70 प्रदर्शनी पर व्यय	Expenditure on EXPO—70 to be held in Japan	25
520.	अपने-अपने राज्यों के लिये नियत की गई धनराशि के बारे में मुख्य मंत्रियों द्वारा असंतोष का व्यक्त किया जाना	Dissatisfaction Expressed by Chief Ministers about Allotment of Funds for their States	25—26
521.	पाकिस्तान के प्रति अमरीका की राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नीति	USA's National Arms Policy Towards Pakistan	26
522.	भारत बर्मा करार	Indo Burma Agreement	26—27
523.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पाकिस्तानी पारपत्रों पर लगे प्रतिबन्धों में छूट दी जाना	Relaxation of Restrictions by West Bengal Government on Pakistan Passports	27
524.	राजकीय व्यापार निगम द्वारा निर्यात व्यापार में वृद्धि	Increase in Export Trade through S. T. C	27
525.	स्थल सेना, वायु सेना तथा नौ सेना अधिनियम के अन्तर्गत की गई अपीलों का स्वतन्त्र प्रचार से न्यायिक पुनर्विलोकन	Independent Judicial Review of Appeals made under Army, Air Force and Navy Acts	28
526.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिये मंत्रियों की समिति की नियुक्ति	Appointment of Ministerial Committee for Development of Andaman and Nicobar Islands	28

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
527.	सशस्त्र सेनाओं के लिये न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता	Need for Improvement of Judicial Machinery for Armed Forces	28—29
528.	बिड़ला बन्धुओं को रिहण्ड बांध से विद्युत की सप्लाई	Supply of Electricity to Birlas from Rihand Dam	29
529.	बछिया बछड़े के चमड़े के निर्यात पर प्रतिबन्ध	Ban on the Export of Calf Leather	29—30
530.	पी०एल० 480 के अधीन सिंचाई योजनाओं के लिये सहायता का दिया जाना	Grant of Aid for Irrigation Schemes under PL 480	30
531.	असैनिक दंगों को दबाने के लिये सेना का बार-बार बुलाया जाना	Frequent Calling of Army Personnel for Quelling Civil Disturbances	30—31
532.	मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जापान तथा दक्षिण कोरिया को व्यापार प्रतिनिधिमंडल का भेजना	Trade Delegation to Japan and South Korea Sponsored by Metal Scrap Trade Corporation Ltd.	31
533.	राज्य व्यापार निगम, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय तथा केन्द्रीय आयुद्ध डिपो, मलाड के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की केन्द्रीय जांच ब्यूरो की सिफारिश	Action Recommended by CBI against Officers of STC, DGS and D, and Central Ordnance Depot, Malad	31—33
534.	राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा प्रतिनिधिमंडल का वीजा	Visa to National Liberation Front Delegation	33
535.	चीन के परमाणु शक्ति के खतरे का मुकाबला करने के लिए एशियाई देशों की बैठक	Asian Meet to Counter Chinese Nuclear Threat	33—34
536.	कृष्णा गोदावरी नदी जल-विवा	Krishna Godavari Waters Dispute	34

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
537.	दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में बार-बार पावर शेडिंग के सम्बन्ध में जांच समिति की नियुक्ति	Appointment of Enquiry Committee on Frequent Power Shedding in DVC Area	34—36
538.	विदेशों से निकाले गये भारतीयों को मुआवजा देने की योजना	Compensation Scheme for Indians Evicted from Foreign Countries	36—37
539.	आयात लाइसेंस का जारी किया जाना	Issue of Import Licence	37
540.	मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा राज्य में प्रति व्यक्ति कम आय होने के आधार पर वित्तीय सहायता की मांग	Demand by Madhya Pradesh Chief Minister for Financial Aid on the Basis of Low per Capita Income in the State	37

अतारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. No.

3395.	विदेशों में भारतीय समवाय	Indian Companies in Foreign Countries	38
3396.	पाकिस्तान द्वारा फ्रांस से मिराज फाइटर विमान खरीदा जाना	Mirage Fighter Aircraft purchased by Pakistan from France	38
3397.	मध्य प्रदेश द्वारा प्रस्तुत सिंचाई योजना	Irrigation Schemes Submitted by Madhya Pradesh	39
3399.	अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, ओखला, नई दिल्ली के दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों की सेवा नियमित करना	Regulation of Services of Daily Wages Employees in All India Handicrafts Board, Okhla, New Delhi	39
3401.	तेजाब का आयात	Import of Acids	39—40
3402.	सेना मुख्यालय के सी०सी० ओ० के संगठन के व्यापक विवेकाधिकार	Wide Discretionary Powers of CCO's Organisation in AHQ	40
3403.	मुख्य जलपान गृह अधिकारी संघ के कार्य	Functions of the Chief Canteen Officers' Organisation	41

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3404.	कैंटीन भंडार विभाग (भारत) के जयपुर डिपो में कार्य करने वाले कर्मचारियों को सुविधाओं का अभाव	Lack of Facilities to Staff Working in Jaipur Depot of Canteen Stores Department (India)	41—42
3406.	राज्यों सरकारी उपक्रम स्थापित करना	Setting up of Public Sector Undertakings in States	42—43
3407.	ईरान के साथ औद्योगिक सहयोग	Industrial Colloboration with Iran	43
3408.	विशेषज्ञ दल का जापान का दौरा	Expert Team to Japan	43—44
3409.	पूर्व यूरोपीय देशों को निर्यात	Export to East European Countries	44—45
3410.	भारत बर्मा का चावल सम्बन्धी करार	Indo Burma Rice Agreement	45
3411.	ताशकन्द समझौते के दो पक्षीय क्रियान्यवन में रूस को सहायता	USSR Help in Bilateral Implementation of Tashkent Agreement	45
3412.	भारत पाकिस्तान सम्बन्धों में सुधार करने के लिये कार्यवाही	Steps to Improve Indo Pak Relations	45—46
3413.	ऐमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की सेवा मुक्त करना	Release of Emergency Commissioned Officers	46
3414.	पेकिंग रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रसारण	Anti India Broadcasts by Radio Peking	46—47
3415.	रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस रेडियो मास्को और पेकिंग रेडियो द्वारा 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के समय आलोचना	Radio Peace and Progress Radio Moscow and Radio Peking Criticism during Presidential Election 1969	47
3416.	टेलीविजन सेटों का आयात करने से टेलीविजन विस्तार कार्यक्रम में बाधा	Import of T. V. Receivers proving a Hindrance in the Way of T. V. Expansion Programme	48—49
3417.	फलों के निर्यात में कमी	Fall in Export of Fruit	49

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3418.	राज्य सरकारों द्वारा आयात निर्यात के लिये सीधी बातचीत	Direct Negotiations for Imports/Exports by State Governments	49—50
3419.	कांडला के निर्बाध व्यापार क्षेत्र को निःशुल्क पत्तन के रूप में बदलने का प्रस्ताव	Proposal to Convert Free Trade Zone at Kandla into Free Port	50
3420.	वर्ष 1965 के संघर्ष के दौरान सक्रिय सेवा के लिये बुलाये गये रक्षित रिजर्विस्ट सैनिकों को सेवा मुक्ति छुट्टी देना	Grant of Release Leave to Reservists Called for Active Service during 1965 Conflict	50—51
3421.	विद्रोही नागाओं की गतिविधियों का दबाया जाना	Curbing of Hostile Naga Activities	51
3422.	राज्यों को सहायता	Assistance to States	51—52
3423.	पश्चिम यूरोपीय देशों को मैंगनीज अयस्क की बिक्री	Export of Managanese ore to West European Countries	52
3424.	निचले पदों से लिये गये एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को सेवा के अनुपात में पेंशन	Proportionate Pension to Emergency Commissioned Officers who had been Commissioned Junior Ranks	52—53
3425.	लौह अयस्क के निर्यात की वांछनीयता	Desirability of Export of Iron Ore	53—54
3426.	चाय बगान में उत्पादन का बन्द होना	Closure of Tea Gardens	54—55
3427.	निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना	Abolition of Export Duty	55
3428.	उड़ीसा के फुलबनी जिले का विकास	Development of Phulbhani Districts of Orissa	55
3429.	प्रति व्यक्ति आय	Per Capita Income	55—56
3430.	ऊन उद्योग का आधुनिकीकरण	Modernisation of Woollen Industry	56—57
3431.	सूती कपड़ा उद्योग में संकट	Crises in Cotton Textile Industry	57—58

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3432.	ईरान द्वारा रेलवे माल डिब्बों की खरीद	Purchase of Wagons by Iran	58
3433.	पटसन तथा सूती कपड़े की उत्पादन दर	Rate of Growth of Production of Jute and Cotton Textiles	58
3434.	मैसर्ज तिलक सन्स द्वारा 18 पंजाब रेजिमेंट के अफिसर कमांडिंग को रजत ट्राफी भेंट करना	Silver Trophy presented by M/s Tilak Sons to the Officer Commanding 18 Punjab Regiment	58 - 59
3435.	रेल डिब्बों के निर्यात का लक्ष्य	Target for the Export of Railway Wagons	59
3436.	उत्तर प्रदेश छावनी (रिकया नियंत्रण तथा वेदखली) अधिनियम, 1952	U. P. Cantonments (Control of Rent and Eviction) Act, 1952	59—60
3437.	प्रधान मंत्री की शेख मुहम्मद अब्दुल्ला से भेंट	P. M's Meeting with Sheikh Mohd. Abdullah	60
3438.	व्यापारिक आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिये संगणक का प्रयोग	Use of Computer for the Publication of Trade Data	60—61
3439.	भाखड़ा बांध, सतलुज व्यास सम्पर्क नहर तथा पोंग बांध के निर्माण के लिये भूमि का अधिग्रहण	Acquisition of Land for Construction of Bhakra Dam, Sutlej Beas Link and Pong Dam	61
3440.	भारत में बनने वाली वस्तुओं का आयात	Import of Items which are Manufacture in India	62
3441.	उत्तर प्रदेश में कृषि औद्योगिक संयंत्र समूह	Agro Industrial Complex in U. P.	63
3442.	लन्दन में साउथ हाल में भारतीय कर्मचारियों का संघर्षपूर्ण रवैया	Militant Attitude of South Hall India Workers Association in London	63
3443.	वर्ष 1970 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रतिमाओं पर बिजली की रोशनी करना	Illumination of Statues on Republic Day, 1970	64

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3444.	भारतीय बाजारों में भारतीय फर्मों द्वारा प्रकाशित हिटलर की मेन कैम्पक पुस्तक की प्रतियों को भरमार पर इसरायल का विरोध	Israeli Protest at Flooding of Indian Market with Copies of Hitler's Mein Kampf Published by Indian Concerns	64–65
3445.	एव्रो 748 विमान का निर्माण	Production of AVRO-748	65
3447.	परमानेन्ट मेगनेट्स कम्पनी के निर्यात में वृद्धि	Increase in the Export of Permanent Megnets Co.	65
3448.	इंजीनियरी सामान का निर्यात	Engineering Goods Exports	66
3449.	फरक्का बांध के अधिकारियों द्वारा सामग्री की चोरी	Materials Pilferred by Officials of Farrakka Barrage	66—67
3450.	जोशमठ वासियों द्वारा भूतपूर्व प्रतिरक्षा मंत्री तथा प्रधान मन्त्री को दिया गया ज्ञापन	Memorandum given by Residents of Joshinath to the Ex-Defence Minister and Prime Minister	67—68
3451.	कैंटीन भंडार विभाग (भारत)	Canteen Stores Department (India)	68—69
3452.	निर्यात सम्बन्धी निष्पादित कार्य के पुनरीक्षण के लिये व्यवस्था	Machinery to review the Export Performance	69
3453.	गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इंजीनियर समिति द्वारा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना	Submission of Report by Expert Committee of Engineers of Ganga River Commission	69
3454.	बालासौर स्थिति प्रूफ एण्ड एक्सपैरिमेंटल सेन्टर का विकास तथा प्रसार	Development and Expansion of Proof and Experimental Centre at Balasore	70
3455.	स्थल सेना तथा वायु सेना के न्यायाधीश महाधिवक्ता मुख्य कानूनी सलाहकार की नियुक्ति	Appointment of Judge Advocate General/ Chief Legal Adviser of the the Army and Air Force	71

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3456.	निर्यात व्यापार	Export Trade	71
3457.	तिब्बत के बारे में भारत नेपाल वार्ता	Indo-Nepal Talks on Tibet	71—72
3458.	पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का पलायन	Hindus Fleeing from East Pakistan	72
3459.	राज्य व्यापार निगम द्वारा गुलाब के फूलों का निर्यात	Export of Roses through STC	72—73
3460.	कलपक्कम में परमाणु भट्टी	Atomic Reactor at Kalpakkam	73
3461.	यूरोप के देशों में भारत का सम्मान	India's Image in European Countries	73—74
3462.	सेवामुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को नौकरियां देना	Rehabilitation of Released Emergency Commissioned Officers	74—75
3463.	विश्व बाजार में काली मिर्च की मांग	Demand of Pepper in World Market	75
3464.	बेल्जियम द्वारा पाकिस्तान में आणविक बिजली घर की स्थापना	Setting up of an Atomic Power House by Belgium in Pakistan	75
3465.	विदेशों में भारतीय राजनयिकों द्वारा अपने सेवा काल में ही रोजगार के लिये बातचीत	Indian Diplomats Negotiating for Jobs in Foreign Countries while in Service	76
3467.	भारत ब्रिटेन वार्ता में समस्याओं पर चर्चा	Problems Discussed at Indo-U. K. Talks	76
3468.	विदेशों में स्थित दूतावासों के कार्यालयों में भारतीय नेताओं के चित्रों का प्रदर्शन	Display of Portraits of Indian Leaders in Embassies Abroad	76—77
3469.	इंगलैंड को कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to U. K.	77
3470.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष द्वारा जापान का दौरा	Visit by the Chairman of MMTC to Japan	77
3471.	रूस के साथ माल डिब्बा व्यापार	Wagon deal with Russia	78

अता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	Subjects
3472.	प्रतिरक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिये परियोजनाएं स्थापित करना	Setting up of Projects for the Production of Defence equipment
3473.	अफगानिस्तान के प्रधान मंत्री के साथ बातचीत	Talks with Afghan Prime Minister
3474.	राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को दान में दी गई राशी का विदेशी मुद्रा में बदलना	Conversion of Donations to NLF into Foreign Exchange
3475.	असंवैधानिक समानान्तर सरकारों के प्रतिनिधिओं की यात्रा	Visit by Representatives of Unconstitutional Parallel Governments
3478.	वायु सेना के विधि विभागों में कानून के डिग्री धारी व्यक्तियों की नियुक्ति	Appointment of Persons Holding Degrees in Law in Legal Departments in Air Force
3479.	केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में व्यय की गई धनराशी	Amount Spent by Central Irrigation and Power Ministry in Each State
3480.	मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना को कार्यान्वित न किया जाना	Non-Implementation of Narmada Project in Madhya Pradesh
3481.	मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना का सर्वेक्षण	Survey of Narmada Valley Project of Madhya Pradesh
3482.	विश्व बैंक दल के सामने रखने के लिये परियोजनाओं का चयन	Selection of Projects for being Placed before the World Bank Team
3483.	आणविक भारत (न्यूक्लियर इंडिया) के हिन्दी संस्करण का प्रकाशन	Publication of Hindi Edition of Nuclear India
3484.	उत्तर प्रदेश में बिजली का प्रति व्यक्ति उपयोग	Per Capita Consumption of Electricity in Uttar Pradesh
3485.	उत्तर प्रदेश अथवा हरियाणा में एक आणिविक संयंत्र की स्थापना	Setting up of an Atomic Plant in U. P. or Haryana

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3486.	दूतावासों में सरकारी कामकाज के लिये हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi for Official Work in Embassies	84
3487.	बिजली की प्रति यूनिट उत्पादन लागत	Production cost of Electricity Per Unit	84--85
3488.	ज्वायंट साईफर ब्यूरो में तकनीकी सहायकों की श्रेणी—2 के पदों पर पदोन्नति	Promotion of Technical Assistants to Class II Posts in Joint Cypher Bureau	85
3489.	अफ्रीका में एशियाई व्यापार का अफ्रीकीकरण करने सम्बन्धी राष्ट्रमंडलीय समिति	Commonwealth Committee on Africanisation of Trade in Africa	85--86
3490.	कच्चे माल का आयात	Imports of Raw Materials	86
3491.	इंजीनियरिंग उद्योग को दिये गये प्रतिरक्षा सामग्री सम्बन्धी क्रियादेश	Defence Orders placed on Engineering Industry	87
3492.	अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार संतुलन	Balance of Trade with USA and Federal Republic of Germany	87
3493.	मैसूर में हिरेनला परियोजना सम्बन्धी प्रगति	Progress of Hirenala Project in Mysore	88
3494.	केरल राज्य योजना परिव्यय में वृद्धि	Increase in Kerala State Plan Outlay	88
3496.	भारतीय वायुसेना के विमानों में प्रधान मंत्री द्वारा किये गये दौरों पर किया गया खर्च	Expenditure Incurred on P. M.'s Tours in I. A. F. Planes	88—89
3497.	श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा प्रधान मंत्री को लिखा गया पत्र	Letter Written by Shrimati Tarkeshwari Sinha to the Prime Minister	89
3498.	अन्य देशों के साथ व्यापार करार	Trade Agreements with otper Countries	89
3499.	शक्ति-चालित करघा उद्योग संकट	Crisis in Powerloom Industry	89—90

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3500.	मूंगफली तथा विनौलों का निर्यात	Export of Groundnuts and Cotton Seeds	90
3501.	राज्यों को योजनाओं के लिये नियत धनराशि में वृद्धि	Increase in Allocations for State Plans	90—91
3502.	त्रिनिडाड दूतावास में एक भारतीय अधिकारी की मृत्यु	Death of an Indian Official in Trinidad Embassy	91—92
3503.	आप्रवास सम्बन्धी ब्रिटिश प्रवर समिति के सदस्यों के साथ वार्ता	Talks with the Members of British Select Committee on Immigration	92
3504.	स्वायत्तशासी परमाणु शक्ति प्रधिकार का गठन	Constitution of an Autonomous Atomic Power Authority	92
3505.	आणविक विस्फोट का पता लगाने का तरीका	Method of detection of Nuclear Explosions	93
3506.	रासायनिक युद्ध पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का दृष्टिकोण	India's Stand on Chemical Warefare in U. N.	93
3507.	मोतीपुर, बिहार में पन बिजली केन्द्र का निर्माण	Construction of Hydel Power Station in Motipur, Bihar	93—94
3508.	भारत में ब्रिटिश पूंजी तथा हितों के संरक्षण के बारे में भारत ब्रिटेन वार्ता	Indo U. K. Talks regarding Safaguarding of British Capital and Interest in India	94
3509.	हिन्द महासागर को परमाणु शस्त्र रहित क्षेत्र बनाने के लिये अफ्रीकी देशों से सहायता लेना	Approach to African Countries to Keep Indian Ocean a Nuclear Free Zones	94
3510.	सीरिया की पाठ्य पुस्तकों में भारत के कुछ भागों को इस्लामी प्रदेश के रूप में दिखाना	Parts of India shown as Parts of Islamic World in Syrian Text Book	95
3511.	तारापुर आणविक शक्ति परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के कारण हानि	Losses due to Delay in the Completion of Tarapore Atomic Project	95-96

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3512.	राजस्थान और मद्रास परियोजनाओं के लिये भारी पानी की आवश्यकता	Requirement of Heavy Water for Rajasthan and Madras Project	96—97
3513.	ब्रीडर रिऐक्टरों का विकास	Development of Breeder Reactors	97—98
3514.	नेपाल से सिले सिलाये कपड़ों का आयात	Import of Ready-Made Garments from Nepal	98
3515.	नायलोन के धागे का मूल्य	Price of Nylon Yarn	99
3516.	राज्य व्यापार निगम द्वारा संश्लिष्ट धागे का आयात	Impart of Synthetic Yarn by STC	99—100
3518.	नेफा में एक पन बिजली परियोजना की स्थापना	Setting up of a Hydro Electric Project in NEFA	100
3519.	भारत तथा अन्य विकसीत देशों में रक्षा व्यय का अनुपात	Ratio of Defence Expenditure in India and other Advanced Countries	100—101
3521.	आयात लाइसेंसों की अवधि का बढ़ाया जाना	Extension of the Period of Import Licences	101
3522.	फ्रांस के सहयोग से भारत में हैलीकाप्टरों का निर्माण	Production of Helicopters in India with French Collaboration	101—102
3524.	विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई	Supply of Arms by various Countries in Pakistan	102
3525.	समाचार पत्रों तथा जनता को पूर्व सूचना दिये बिना गणतंत्र दिवस परेड का पुर्वाभ्यास	Rehearsal of Republic Day Parade without Prior information to Press and Public	102—103
3526.	बीडियों का निर्यात	Export of Bidis	103
3527.	मृतक आर०के० एबोचोबी सिंह के आश्रितों को क्षतिपूर्ति देना	Payment of Compensation to Dependents of Deceased R. K. Ibochoubi Singh	104
3528.	बिहार राज्य के लिये चौथी योजना का आकार बड़ा करना	Augmentation of Size of Fourth Plan for Bihar State	104

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3529.	पश्चिम एशिया की स्थिति पर नासिर का प्रधान मंत्री को सन्देश	President Nasser's Message to Prime Minister on West Asia Situation	104
3530.	दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित भवनों के नक्शे	Building Plans Approved by Danapur Cantonment Board	104–105
3931.	ओल्ड ग्रान्ट स्थानों पर निर्मित भवनों को किराये से हटाना	Dehiring of Buildings Constructed on Old Grant Sites	105—106
3532.	लातानी अमरीकी देशों के साथ व्यापार	Trade with Latin American Countries	106—107
3533.	सशस्त्र सेना अधिकारियों के मकान सरकार द्वारा किराये पर लिये जाना	Houses Belonging to Armed Forces Officers Hired by Government	107—108
3534.	नौसेना अधिनियम, 1957	Navy Act, 1957	108
3535.	विश्व व्यापार में भारत का भाग	India's Share in World Trade	108—110
3536.	काश्मीर विवाद पर द्विपक्षीय समझौता	Bilateral Settlement of Kashmir Dispute	110—111
3537.	चोथी योजना के समूचे परिव्यय में वृद्धि	Increase in Overall Outlay for Fourth Plan	111
3538.	भारत लंका आर्थिक सहयोग	Indo-Ceylon Economic Collaboration	111—112
3539.	दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा के लिये पांच राष्ट्रों का सहयोग संगठन	Five Power South East Asia Defence Co-operation	112
3540.	उड़ीसा में दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के शिष्टमंडल का स्वागत	Reception to Provisional Revolutionary Government Delegation of South-Vietnam in Orissa	112—113
3541.	भारतीय दूतावासों को नया रूप देना	Reorientation of Indian Embassies	113
3542.	लघु उद्योगों द्वारा निर्यात आयात	Export/Imports by the Small Scale Industries	113—114

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subjects	पृष्ठ Pages
3543.	गोआ में नदियों के जल को सिंचाई तथा बिजली के लिये काम में लाना	Harnessing of River's Water in Goa for Irrigation and Power	114 - 115
3544.	लातीनी अमरीकी देशों से सम्बन्ध	Relations with Latin American Countries	115—116
3545.	प्रतिरक्षा कार्यों के लिये गैर सरकारी सम्पत्ति का अधिग्रहण	Requisition of Private Property for Defence purposes in Goa	116—117
3546.	तैयार सूती माल के निर्यात में कमी	Decline in the Export of Cotton Manufactured Goods	117
3547.	सांस्कृतिक केन्द्रों पर प्रतिबन्ध के विरुद्ध विदेशी दूतावासों का अभ्यावेदन	Representation from Foreign Embassies against Ban on Cultural Centres	117—118
3548.	बेरोजगारी के बारे में दंतवाला समिति का प्रतिवेदन	Dantwala Committee Report on Unemployment	118
3549.	दिल्ली राज्य उद्योग एम्पोरियम	Delhi State Industries Emporium	118—119
3550.	चमड़े के निर्यात के सम्बन्ध में प्रतिवेदन	Report on the Export of Leather	119
3551.	मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर पुनाशा बांध का निर्माण	Construction of Punasha Dam on River Narvada in Madhya Pradesh	120
3552.	छावनी बोर्ड फैडरेशन के प्रतिनिधिमंडल की प्रतिरक्षा मंत्री से मुलाकात	Meeting of a Delegation of Cantonment Board Federation with Defence Minister	120—121
3553.	छावनी क्षेत्रों में असैनिकों के कब्जे में सरकारी सम्पत्ति	Government Property in Possession of Civilians in Cantonment Areas	121
3554.	जर्मन लोकतंत्रात्मक गणराज्य को मान्यता देने के बारे में संसद् सदस्यों का ज्ञापन	M. P's Memorandum on Recognition of German Democratic Republic	121
3555.	रबात में राजदूत की पुन: नियुक्ति	Reposting of Ambassador to Rabat	122

U. S. Q. Nos.		Subject	Pages
3556.	प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक, इलाहाबाद, के कार्यालय में परिवार पेंशन के अनिपटाये मामले	Family Pension Cases Lying Pending in the Office of Controller of Defence Accounts, Allahabad	122—123
3557.	पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तान द्वारा हथियारों का वितरण	Distribution of Arms by Pakistan in Border Village of Pakistan Occupied Kashmir	123
3558.	पूर्वी पाकिस्तान की जेलों में भारतीय राजनैनिक बन्दियों की संख्या	Number of Indian Political Prisoners in East Pak. Jails	123—124
3559.	इड्डकी अलवाय डी०सी० ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण	Construction of Iddiki Always D/C Transmission Line	124
3561.	पाकिस्तान द्वारा टैंक तोड़ फोड़ नियंत्रित मिसाइलों का निर्माण	Manufacture of Anti Tank Guided Misslies by Pakistan	124
3562.	वियतनाम की अस्थाथी क्रान्तिकारी सरकारी का मैडम बिन्ह को निमंत्रण	Invitation to Madam Binh of Provisional Revolutionary Government of Vietnam	125
3565.	पारादीप में पटसन मिल की स्थापना	Setting up of a Jute Mill at Paradeep	125
3566.	बिहार में यूरेनियम के निक्षेप	Uranium Deposits in Bihar	125—126
3567.	महाराष्ट्र के हथकरघा बुनकरों को विद्युत चालित करघे के लिये सहायता	Assistance to Handloom Weavers of Maharashtra to Change over to Power Loom	126—127
3568.	छावनी बोर्ड काम्पटी के एक-एक सदस्य द्वारा सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध अभ्यावेदन	Representation by a Member of Cantonment Board, Kamptee against the Military Officials	127
3569.	1968-69 में राष्ट्रीय आय	National Income for 1968-69	127—128
3570.	कमला तटबन्ध का सीसपानी तक विस्तार	Extension of Kamala Embankment upto Sisapani	128

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3571.	कच्छ के निकट पाकिस्तानी विमानों द्वारा वायुसीमा का अतिक्रमण	Violation of Air Space by Pakistani, Planes near Kutch	128—129
3572.	तमिलनाडु सरकार को विदेशी मुद्रा तथा आयात लाइसेंस देना	Grant of Foreign Exchange or Import Licence to Tamil Nadu Government	129
3573.	गोआ की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान	Assessment of Requirements of Power Supply to Goa	129—130
3574.	गणतंत्र दिवस समारोह के लिये पास	Republic Day Passes	130
3575.	प्रतिरक्षा सेवाओं में काम पर लगे असैनिक स्कूल अध्यापकों को स्थायी करना	Confirmation of Civilian School Teachers Employed in Defence Services	130—131
3576.	ऋणों के लिये गांरटी देने के लिये मनुभाई शाह समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of the Recommendations of the Manubhai Shah Committee to give Guarantee for Loans	131
3577.	पाकिस्तान को रूसी माल की सप्लाई	Supply of Soviet Goods to Pakistan	131—132
3578.	चीन द्वारा विद्रोही नागाओं को छापामार युद्ध का प्रशिक्षण	Training of Rebel Nagas in Gurrilla Ware-fare by China	132
3579.	काठमंडु में चीनी नेताओं से भेंट	Meeting with the Chinese Leaders at Kathmandu	132
3580.	नेपाल को चावल की तस्करी	Smuggling of Rice into Nepal	132—133
3581.	संयुक्त राष्ट्र विश्व युवक सभा	U. N. World Youth Assembly	133
3582.	बाढ़ नियंत्रण के लिये पाकिस्तान को सहयोग	Co-operation to Pakistan for Flood Control	133
3583.	एशिया के गुट निर्पेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन बुलाने का लंका का प्रस्ताव	Asian Non-aligned Summit Move by Ceylon	134

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
3584.	उड़ीसा राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में उड़ीसा सरकार का टिप्पण	Orissa Government's Note on State's Draft Fourth Plan	134
3586.	चीन द्वारा दूर तक मार करने वाले प्रक्षेपणस्त्रों का निर्माण	Manufacture of Long Range Missiles by China	134—135
3588.	आसाम में हवाई अड्डा क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों का अनधिकृत निवास	Unauthorised Residence of Families of Air Force Officers and Staff in Air Field Area in Assam	135
3589.	शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष पद से त्यागपत्र	Resignation by Minister of Education and Youth Services from Vice President ship of CSIR	135—136
3590.	चीन द्वारा युद्ध की तैयारियां	War Preparations by China	136
3591.	कांग्रेस के अधिवेशनों के बारे में रूसी रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस का प्रसारण	USSR Radio Peace and Progress Broadcasts about Congress Session	136
3592.	रबात में मुस्लिम सम्मेलन	Muslims Conference at Rabat	136
3593.	हिन्द महासागर में विदेशी नौसेनायें	Foreign Navies in Indian Ocean	137
3594.	राजकीय व्यापार निगम के लाभ की अधिकतम सीमा निर्धारित करना	Ceilings on Profits of STC	137
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	137
	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का बन्द किया जाना	Closure of Banaras Hindu University	137—145
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	145—146
	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	Committee on Private Members Bills and Resolutions	146
	59 वां प्रतिवेदन	Fifty-Ninty Report	146

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	147
113 वां प्रतिवेदन	Hundred and Thirteenth Report	147
नियम 377 के अन्तर्गत मामला	Matter Under Rule 377	147—152
औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति के बारे में	Reg. Industrial Licensing Policy	147—152
लेखानुदानों की मांगें 1970-71	Demands for Grants on Account 1970-71	152—159
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1970	Appropriation (Vote on Account) Bill, 1970	159—163
पुरःस्थापित और पारित किया गया	Introduced and Passed	159
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प और	Statutory Resolution Re. Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Ordinance and	163
बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक	Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertaking) Bill	163—186
विचार के लिये प्रस्ताव	Motion to Consider	163
श्री वेणी शंकर शर्मा	Shri Beni Shanker Sharma	163—166
श्री पी० गोविन्द मेनन	Shri P. Govinda Menon	167—171
श्री अशोक मेहता	Shri Asoka Mehta	172—176
श्री अ० कु० सेन	Shri A. K. Sen	176—177
श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani	177—180
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	180—182
श्री रवि राय	Shri Rabi Ray	183
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi	183—186
आधे घंटे की चर्चा	Half-an-hour Discussion	186
दक्षिण वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार के प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा के बारे में	Visit by Delegation of Provisional Revolutionary Government of South Vietnam to India	186—190
श्री ई० के० नायनार	Shri E. K. Nayanar	186—187
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	188—190

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

18 मार्च, 1970 । 27 फाल्गुन, 1891 (शक) का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
146	पंक्ति 11, `जी एस.आर.392 `के स्थान पर ` जी.एस.836 `पढ़िये ।
147	पंक्ति 8, 10 `को पृष्ठ संख्या 148 की पंक्ति 1 से पहले पढ़ा जाये ।
148	पंक्ति 20 और 21 के नियम 377 के अन्तर्गत मामला,Matter under Rule377' के स्थान पर क्रमश: `नियम 377 के अन्तर्गत मामला जारी Matter under Rule 377 contd.' पढ़ा जाये ।
156	क्रम संख्या 72 कालम 3, `15,98,0000`के स्थान पर `15,98,000`पढ़िये ।
162	पंक्ति 9, `विक्रीयवर्ष ` के स्थान पर `वित्तीय वर्ष `पढ़ाजाये ।

पृष्ठ संख्या 161 के पश्चात् पृष्ठ संख्या 152 के स्थान पर `162 `पढ़िये ।

163	पंक्ति 4 के पश्चात शीर्षक को इस प्रकार पढ़ा जाये : `बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प 1970 और बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) विधेयक 1970 ` 'Statutory Resolution Re. Banking companies(acquisitioned and transfer undertaking ordinance 1970 and Banking Companies(acquisition and Transfer -undertakings) Bill 1970 '
172	नीचे से पंक्ति 2 के पहले निम्नलिखित पढ़िये : `श्री क.ना.तिवारी पीठासीन हुए Shri K.N. Tiwari in the Chair

लोक-सभा
LOK-SABHA

बुधवार, 18 मार्च, 1970/27 फाल्गुन, 1891 (शक)
Wednesday, March 18, 1970/Phalguna 27, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।
The Lok-Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker ***in the Chair***]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

तेल वाहक जहाजों की खरीद के बारे में भारत तथा युगोस्लाविया में गतिरोध

+

*511. **श्री रा० वें० नायक :** **श्री धी० ना० देव :**
श्री महेन्द्र माझी : **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम :

क्या **विदेशी व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल वाहक ज़हाजों की खरीद के मामले में भारत तथा युगोस्लाविया में गतिरोध उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस बारे में 13 दिसम्बर, 1969 को "इक्नामिक टाइम्स" में छपे समाचार की ओर दिलाया गया है और यदि हां, तो इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। भारतीय जहाजरानी निगम के समक्ष कुछ शर्तें पेश की गई हैं जिन पर अब भारत सरकार विचार कर रही है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां । परन्तु क्योंकि यह मामला अभी सरकार के विचाराधीन है, अतः प्रैस समाचार पर सरकार की प्रतिक्रिया का प्रश्न इस अवस्था में नहीं उठता ।

श्री रा० वें० नायक : महोदय, पुराने करार के अन्तर्गत भारत सरकार यूगोस्लाविया से मिलने वाली सहायता का 50 प्रतिशत भाग जहाज खरीदने में तथा बाकी 50 प्रतिशत भाग का उपयोग मशीनरी तथा अन्य उपकरण खरीदने में कर सकती थी और इसकी अदायगी 10 वर्षों में 2 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रुपयों में करनी थी। किन्तु दिसम्बर 1969 में हुए नये करार के अनुसार भारत सरकार सहायता के 75 प्रतिशत भाग का उपयोग जहाज खरीदने में तथा 25 प्रतिशत भाग का मशीनरी तथा अन्य उपकरण खरीदने में कर सकती है। किन्तु इस सम्बन्ध में मुख्य विचारणीय बात यह है कि हमें 70 प्रतिशत राशि का भुगतान दुर्लभ मुद्रा में तथा बाकी 30 प्रतिशत का 8 वर्षों में 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से रुपयों में करना है, जिसका परिणाम यह है कि हमें बराबर हानि होगी। इस सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है?

वैदेशिक व्यापार मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : यह सच है कि युगोस्लाविया ने जहाजों के नये करार में 70 प्रतिशत राशि का भुगतान अमरीकी डालरों में तथा 30 प्रतिशत का भुगतान रुपयों में करने के लिए कहा है और पिछले करार में ऐसा नहीं था, किन्तु यह बात गलत है कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। यह प्रस्ताव उनकी ओर से है पर हमने अभी इस पर विचार विमर्श करना है। अतः इस समय उनकी शर्तों पर सहमत होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री रा० वें० नायक : क्या यह ठीक है कि पिछले दो वर्षों से युगोस्लाविया अपनी मुद्रा स्थिति को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत सरकार को व्यापार तथा उधार की अदायगी के लिये रुपयों में भुगतान न करने पर दबाव डाल रहा है। यदि यह सच है तो सरकार का इस विषय में क्या रवैया है?

श्री ब० रा० भगत : किसी प्रकार के दबाव डालने का प्रश्न ही नहीं उठता। युगोस्लाविया के व्यापार मन्त्री पिछले वर्ष यहां आये थे, और पिछले दिसम्बर में मैं भी वहां गया था। हमारी इस विषय पर बातचीत हुई थी उन्होंने भुगतान के तरीके को बदलने का प्रश्न उठाया था किन्तु तभी दोनों सरकारें इस बात पर सहमत हो गई थीं कि मार्च, 1972 तक भुगतान का तरीका यही रहेगा और यदि इसके पश्चात् परिवर्तन करना हुआ तो दोनों सरकारें इस पर चर्चा करेंगी और परिवर्तन भी उसी दशा में सम्भव होगा जब दोनों इसके लिए सहमत हो जायेंगी।

श्री रा० वें० नायक : युगोस्लाविया के व्यापार मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा है कि भारत सरकार रुपयों में भुगतान करने के तरीके को समाप्त करने के लिए राजी हो गई है। समाचार पत्रों में आये इस वक्तव्य का क्या मंत्री महोदय ने खंडन किया है? मैं यह नहीं कहता कि यह भारत सरकार का वक्तव्य है किन्तु युगोस्लाविया के मंत्री तो यही कहते हैं कि इस भुगतान के तरीके को समाप्त किया जा रहा है। सही स्थिति क्या है?

श्री ब० रा० भगत : हम इसे समाप्त करने पर सहमत नहीं हैं। हमने केवल इस बात पर सहमत हुए हैं कि मार्च, 1972 तक भुगतान का यही तरीका रहेगा और यदि इसके पश्चात् भुगतान के तरीके में परिवर्तन करना पड़ा तो दोनों सरकारें इस पर चर्चा करेंगी। दोनों ही सरकारें इस बात पर एकमत हैं कि भुगतान का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे दोनों देशों के व्यापारिक सम्बन्धों में विस्तार तथा विकास हो। दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी परिवर्तन चर्चा के उपरान्त ही सम्भव है।

श्री महेन्द्र माझी : क्या माननीय मन्त्री बता सकते हैं कि युगोस्लाविया के मन्त्री का यह वक्तव्य, कि मार्च, 1972 के बाद भारत रुपयों में भुगतान के तरीके को समाप्त करने पर राजी हो गया है, ठीक है अथवा नहीं। इस बारे में सही स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न श्री नायक द्वारा पूछे गये प्रश्न के सामान ही है और मन्त्री महोदय इसका उत्तर दे चुके हैं।

श्री महेन्द्र माझी : युगोस्लाविया के व्यापार मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा है, कि पहले किये हुये करार, जिनका निष्पादन 1972 में होना है उनका भुगतान रुपयों में होगा। समझौते की इन शर्तों का, दीर्घकाल के लिए आस्थगित भुगतान पर युगोस्लाविया द्वारा आयात किये जाने वाले माल-डिब्बों पर, क्या प्रभाव पड़ेगा ?

श्री राम सेवक : इस प्रश्न का उत्तर भी मन्त्री महोदय दे चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर उन्होंने पहले पूछे गये प्रश्न पर दे दिया है।

श्री रा० वें० नायक : दोनों प्रश्नों में थोड़ा अन्तर है। माननीय सदस्य युगोस्लाविया द्वारा भारत से आयात किये जाने वाले 3600 माल डिब्बों के विषय में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह वैसा ही प्रश्न है।

श्री सु० कु० तापड़िया : वे माल डिब्बों के बारे में प्रश्न कर रहे हैं।

श्री लोबो प्रभु : हमें प्रश्न पूछने का अधिकार है। मन्त्री महोदय दुबारा इसका स्पष्टीकरण कर सकते हैं।

श्री चेंगलराया नायडू : उनका प्रश्न अलग है। वे माल डिब्बों के बारे में पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मन्त्री महोदय को और कुछ कहना है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि दोनों सरकारें मार्च 1972 के बाद भुगतान के तरीके में परिवर्तन करने पर सहमत हो गईं तो समूचे व्यापार में वही तरीका अपनाया जायेगा।

श्री धी० ना० देब : मन्त्री महोदय, क्या यह सच है कि अनैतिक व्यापार-प्रथाओं और अन्तर्राष्ट्रीय-मण्डी की तुलना में घटिया वस्तुओं तथा यूरोपीय देशों की ऊंची कीमतों को देखते हुए भारत ने रुपयों में भुगतान करने पर बल दिया है ? यदि युगोस्लाविया की सरकार रुपयों में भुगतान के तरीके को समाप्त करना चाहती है तो क्या सरकार पूर्वी-यूरोपीय देशों के साथ अपनाई जाने वाली आयात-निर्यात की नीति पर पुर्नविचार करेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह वही प्रश्न है मन्त्री महोदय इस विषय में नई बात क्या कह सकते हैं।

श्री धी० ना० देब : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या व्यापारिक ढांचे को बदला जा रहा है और क्या पूर्वी-यूरोपीय देशों, यथा युगोस्लाविया आदि के सम्बन्ध में अपनी आयात-निर्यात की नीति पर पुनः विचार किया जा रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : प्रति वर्ष नई नीतियों का निर्धारण होता है। नए-नए करार किये जाते हैं और व्यापारिक योजनाओं पर पुनर्विचार, परीक्षण और निर्धारण की प्रक्रिया तो निरन्तर चलती ही रहती है।

श्री एस० कन्डप्पन : दुर्भाग्य से भारत और युगोस्लाविया में व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाने की ओर अधिक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। युगोस्लाविया की सरकार ने कुछ ऐसी कड़ी शर्तें रखी हैं जिन्हें भारत सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। टैंकरों की देश में बहुत आवश्यकता है मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या भारत सरकार किन्हीं अन्य स्रोतों से अपेक्षतया कम दर पर टैंकर प्राप्त करने का यत्न कर रही है ?

श्री ब० रा० भगत : हम अन्य विदेशी मण्डियों जैसे जापान तथा स्पेन आदि की भी खोज कर रहे हैं। इन्हीं दो देशों को हमने टैंकरों की पूर्ति के लिए कहा है।

पाकिस्तानी ती र्थ-यात्रियों को भारत आने के लिए परमिट देने की नीति का पुनर्विलोकन

*512. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या वैदेशिक कार्य मन्त्री 25 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 591 के उत्तर के सम्बन्ध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भारत आने वाले पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को अनुमति देने की अपनी नीति पर पुनः विचार करेंगी ; और

(ख) यदि नहां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को भारत आने की अनुमति देते समय-सरकार अपनी नीति को ध्यान में रखती है और पाकिस्तान की यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों की सुविधाओं के लिए पाकिस्तान सरकार पर बराबर दबाव डालती रहती है।

श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या पाकिस्तान जाने वाले भारतीयों को पाकिस्तान सरकार वही सुविधायें देती है ? यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : पाकिस्तान सरकार प्रति वर्ष पांच अवसरों पर तीर्थयात्री दलों को पाकिस्तान जाने की इजाजत देती है। दूसरे कुछ ऐसे भी यात्री हैं जो अन्य पवित्र स्थानों को भी देखना चाहते हैं। परन्तु उनको वहां पर जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। इस बारे में बहुत बार पाकिस्तान सरकार से कहा गया है। हमें आशा है कि पाकिस्तान सरकार इससे सम्बन्धित करार की शर्तों के अनुसार ऐसा करने के लिए सहमत हो जायेगी।

श्री वि० नरसिम्हा राव : क्या सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि पाकिस्तानियों को भारत-विरोधी और तोड़-फोड़ की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने से रोका जाये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह प्रश्न कैसे उठेगा ?

श्री लोबो प्रभु : क्योंकि वे साम्यवादी हैं।

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : यह स्वाभाविक ही है कि सरकार भारत आने वाले विदेशी लोगों के सम्बन्ध में सुरक्षा सम्बन्धी सावधानी बरते। हम उनपर कोई नियन्त्रण नहीं रखते हैं, परन्तु स्वाभाविक रूप से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके द्वारा कोई राष्ट्र विरोधी कार्रवाई नहीं की जाये।

Shri Janeshwar Misra : Mr. Speaker, I will ask two questions regarding this matter. Firstly, are the Government aware of the number of the places of Hindu pilgrimage in Pakistan and the number of the places of Muslim pilgrimage in India ?

Secondly, as there is no ban on visting the places of pilgrimage in Nepal, similarly would he take necessary steps to allow the Hindu-pilgrims to go to the places of pilgrimage situated in Pakistan and the Muslim pilgrims to visit the places of pilgrimage situated in India, so that India and Pakistan could unite in future ? The proposal of Government thereto ?

Shri Dinesh Singh : So far as the second question of the hon. Member is concerned, that is a suggestion. Obviously we are trying to remove the hinderances between India and Pakistan, so that people from both the countries may easily come and go to their places of pilgrimage situated in both the countries.

We are trying to ensure that people may easily come and go to these places in India and Pakistan but at present no such facilities are available. Pakistan has given no facilities to the people wishing to go the places of Hindu-pilgrimage inspite of our efforts. As my hon. friend has said they put so many hinderances for the people going to the places pilgrimage situated in Pakistan.

So far as the number of the places of pilgrimage in Pakistan is concerned, we have an estimate of the important place of pilgrimage but we have got no information regarding the small temples and Gurudwaras.

Shri Janeshwar Misra : As there is Ajmer Sharif here, which are the places of pilgrimage in Pakistan ? Does the hon. Minister know this ? If not, how will the people be allowed to go there ?

Shri Dinesh Singh : If the hon. Minister takes a little trouble of listening to me, he understand the whole matter. I said that we had got an estimate of the number of such important places and at the same time I said that besides these important places there are so many small temples and Gurudwaras in the countryside, but almost all the followers of other religions in West Pakistan have come over to this side, and that is why we have got no information about their maintenance and present condition. About the 225 or 250 important places of pilgrimage we try to know from Pakistan so that arrangements could be made for their maintenance.

So far as India is concerned, there are so many places of Muslim pilgrimage but as there is a considerrable number of Muslims in our country, those places of pilgrimage are well attended to and we need not take any steps regarding them.

श्री मनुभाई पटेल : जो कुछ हम देखते हैं, वह यह है कि कभी-कभी हमारी रोक-थाम की व्यवस्था में अदक्षता आ जाने से अवांछनीय लोग यात्रियों के भेस में हमारे देश में प्रवेश करते हैं और फिर वे गड़बड़ पैदा करते हैं। यहां तक कि गत वर्ष श्री जय प्रकाश नारायण तथा गृह-मंत्री दोनों ही ने अहमदाबाद के उपद्रवों में बाहर के व्यक्तियों का हाथ होना बताया जिन्होंने गड़बड़ उत्पन्न करने का प्रयास किया। (व्यवधान) इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान

सकता हूँ कि क्या सरकार ने ऐसे अवांछनीय तत्वों जो तीर्थयात्रियों के साथ आते हैं, पर नियंत्रण रखने के लिए व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कोई कदम उठाये हैं ?

श्री दिनेश सिंह : गृह-मन्त्री इस विषय पर सदन में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। **(व्यवधान)**

श्री मनुभाई पटेल : मन्त्री जी ने जो कहा है उसे मैं सुन नहीं सका ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप कृपया इसे दोबारा बोलेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : गृह-मन्त्री इस विषय पर सदन में पहले ही चर्चा कर चुके हैं।

श्री मनुभाई पटेल : श्रीमान् जी, मैंने अहमदाबाद की घटना का उदाहरण स्वरूप उल्लेख किया था और मैंने यह जानना चाहा था कि क्या सरकार ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए व्यवस्था को मजबूत बनाया है । यही मेरा प्रश्न था ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने स्वतंत्र दल के सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर पहले ही दे दिया है । जब विदेशी आते हैं तो स्वभावतः हम यह सावधानी बरतते हैं कि वे राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां न करें । यह असंभव है कि प्रत्येक व्यक्ति पर निगरानी रखी जाये, परन्तु हम ऐसा प्रयत्न करते हैं कि वे राष्ट्र-विरोधी कार्यवाहियां न करें ।

श्री चपलाकाँत-भट्टाचार्य : कुछ समय से ऐसा जोर-शोर से समाचार है कि पाकिस्तानी सैनिक दल पूर्वी बंगाल में चित्तागांव के निकट चन्द्रनाथ पहाड़ी में पड़ाव डाले हुए हैं । यह पाकिस्तान में हिन्दु तीर्थ यात्रियों के लिए एक बहुत पवित्र स्थल है और सम्भवतः देश के पूर्वी भागों के बहुत पवित्र स्थलों में से एक है । परन्तु अब तक लगभग सभी तीर्थ यात्रियों का अनुरोध, जो उन स्थानों पर जाना चाहते हैं, पाकिस्तान द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है और यहां तक कि वैदेशिक कार्य मन्त्री उनकी सहायता करने में असमर्थ हैं, समाचार पत्रों में ऐसे समाचार छपे हैं कि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय उन तीर्थ यात्रियों की सहायता करने में असमर्थ रहा है जो कि इस पवित्र स्थान की यात्रा करना चाहते हैं जो कि वहां सेना को नियुक्त करके उसका उल्लंघन किया जा रहा है । क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि ऐसे कौन से अवरोध हैं जिनके कारण मन्त्री महोदय चन्द्रनाथ मन्दिर में हिन्दु तीर्थ यात्रियों को जाने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों से अनुमति प्राप्त करने में असमर्थ हो रहे हैं अथवा वे उनकी सहायता करने के लिए कुछ करेंगे ?

श्री दिनेश सिंह : हाल ही में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत इस मामले पर विचार हुआ था और हमने यह बताया था कि पाकिस्तान ने वहां तीर्थ यात्रियों को जाने की अनुमति नहीं दी थी । हमारे मार्ग में कोई रुकावट नहीं है परन्तु पाकिस्तान उनको अनुमति नहीं देता है ।

श्री चपलाकान्त भट्टाचार्य : हम पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों को यहां आने की अनुमति देते हैं परन्तु हमारा मंत्रालय पाकिस्तानी अधिकारियों को इस बात के लिये विवश नहीं कर सकता कि वे हिन्दु तीर्थ यात्रियों को वहां जाने की अनुमति दे । यही समूचे समस्या की कठिनाई है ।

Shri A. S. Saigal : May I know whether it is not a fact that those pilgrims, who visit here especially to have darshan of Shri Mehar Baba, are given 'C' class visa and they have to go back after completing the pilgrimage within 15 days ? Will he take a decision that Pakistan pilgrims will be given the same treatment as is meted out by Pakistan to our pilgrims in that country ?

Shri Surendra Pal Singh : It is our policy to provide all facilities to those pilgrims who come from Pakistan to India. The Hon. Member raised the matter of Visa. If there is any difficulty then he may write to us and we will try in future to provide visa for such a period in which they may able to complete their pilgrimage conveniently.

Shri Ram Gopal Shalwale : How may Pakistani pilgrims visit India annually and how many Indian Pilgrims go to Pakistan ?

May I know whether it is fact that some pilgrims remain here after the expiry of their Passports and indulge in riots as Shri Patel gave instances of Ahemdabad and other places. I want to know how they keep vigilance on foreigners when they are here ? Do C. I. D. inform them to keep tract on so and so who are creating trouble ? These three question may be replied to.

Shri Surendra Pal Singh : So far as the number is concerned, 4018 and 6746 Indian pilgrims visited West Pakistan in the year 1968 and 1969 respectively. In 1968 and 1969 the number of Pakistani pilgrims were 1035 and 532 respectively. So far as this point is concerned whether they remain here and go back ofter the completion of their pilgrimage, we are informed that all go back after having done pilgrimage.

श्री बलराज मधोक : वे सभा को गुमराह कर रहे है। गृह-कार्य मन्त्री की यह स्वीकृति पहले ही रिकार्ड में है कि 4000 पाकिस्तानी भारत में अपनी वीसा अवधि की समाप्ति के उपरान्त रुक गये थे और उनका अता-पता मालूम नहीं हो सका है।

श्री दिनेश सिंह : यह प्रश्न उन तीर्थ यात्रियों का हैं जो यहां आए थे। परन्तु मेरे माननीय मित्र सामान्यतः सभी आने वालों के बारे में कह रहे हैं।

श्री समर गुह : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि गत तीन महीनों में पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले किसी भी हिन्दु अथवा बौद्ध नागरिक को पारपत्र देना पूर्णतया बन्द कर दिया गया है परन्तु इसके विपरीत पाकिस्तान सरकार ने सैकड़ों पारपत्र जारी किये हैं और तदनुसार भारत सरकार ने वीसा जारी किये हैं और यदि हां, तो सरकार यह देखने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है कि हिन्दु और बौद्ध नागरिक पाकिस्तान में तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकें ? मैं मन्त्री महोदय से एक बात और जानना चाहता हूँ : गत तीन वर्षों से बहुत से संसद-सदस्य और स्वयं मैने प्रधान मंत्री और वैदेशिक कार्य मन्त्री को ज्ञापन भेजा था तथा उनसे व्यक्तिगत तौर पर भी मिले हैं और एक महानुभाव जिनका नाम महाराजा त्रिलोक चक्रवर्ती है तथा जिनकी आयु 82 वर्ष की है, के बारे में बात की थी। ये भारत के बहुत ही पुराने क्रान्तिकारियों में से हैं और गत 30 वर्षों से जेल में है और दक्षिणेश्वर की यात्रा करने के लिए भारत आने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं जो कि उनकी अन्तिम इच्छा है तथा वे अपने निकट सम्बंधी तथा मित्रों विशेषकर पुराने क्रन्तिकारी मित्र से भेंट करके वापिस चले जाना चाहते हैं। परन्तु गत तीन वर्षों से इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे कि यह वृद्ध क्रांतिकारी अपनी अन्तिम इच्छा पूरी कर सके। मैं जानना चाहता हूं कि क्या प्रधान मन्त्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति याहया खान को सीधे पत्र लिखेंगी जिससे महाराज त्रिलोक चक्रवर्ती का भारत आकर दक्षिणेश्वर मन्दिर का दर्शन करना सम्भव हो सके ?

एक माननीय सदस्य : और यहां के नए क्रान्तिकारियों के दर्शन कर सकें।

श्री दिनेश सिंह : इस सभा को पाकिस्तान में अल्प समुदायों के व्यक्तियों की कठिनाइयों का पता है और हमने उनसे कई बार बात की है। यह सर्वविदित है कि पाकिस्तान हिन्दुओं के साथ भेदभाव कर रहा है परन्तु हम पाकिस्तान के ध्यान में यह बात लाने का भरसक प्रयत्न करते हैं कि नेहरू-लियाकत संधी के अन्तर्गत उन्हें भारत आने वाले व्यक्तियों को सुविधाएं देनी चाहिए। परन्तु सभा को सामान्य कठिनाईयों का पता है और हम पाकिस्तान को केवल बार-बार कहने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री समर गुह : उन्होंने मेरे महाराज त्रिलोक चक्रवर्ती के बारे में दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है, गत तीन वर्षों से संसद सदस्यों ने दर्जनों पत्र लिखे हैं और हम प्रधान मन्त्री और वैदेशिक कार्य मन्त्री से भी मिल चुके हैं परन्तु कुछ नहीं किया जा सका है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य एक विशिष्ट प्रश्न पूछ रहे हैं जो सम्भवतः सुसंगत न होगा परन्तु यदि मन्त्री महोदय उत्तर देना चाहें तो वे दे सकते हैं।

श्री बलराज मधोक : वे कह सकते कि इस बारे में प्रयत्न किया जायेगा।

Shri Rabi Ray : A reply about Shri Trilokya Chakravarti must come. He was a great revolutionary. We should not forget the days of Independence struggle.

श्री दिनेश सिंह : हम पाकिस्तान को मनाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु ऐसा कोई मार्ग नहीं है जिससे हम पाकिस्तान को इस बारे में विवश कर सकें।

श्री समर गुह : क्या प्रधान मन्त्री याह्या को नहीं लिख सकते हैं ? यह एक अपवाद का मामला है। मन्त्री महोदय को इसका उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य बैठ जायेंगे ?

श्री समर गुह : मेरा उस वृद्ध क्रान्ति के प्रति, जिनकी आयु 82 वर्ष है, कुछ दायित्व है और जो कि भारत में पुराने क्रान्तिकारियों में से हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न के क्षेत्र में नहीं आता है और फिर भी मैंने इस प्रश्न का उत्तर देने की अनुमति दी है।

श्री समर गुह : हम गत तीन वर्षों से पत्र लिख रहे हैं और हम प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक कार्य मन्त्री से भी मिले हैं।

श्री हेम बरुआ : यह एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्न है यथा कि क्या प्रधान मंत्री पाकिस्तान के राष्ट्रपति को महाराज त्रिलोक चक्रवर्ती के बारे में पत्र लिखेंगी ताकि उनको यहां आने की अनुमति मिल सके।

Shri Ram Charan : How many pilgrims came to India from Pakistan last year ? May I know whether the Government have given any instruction to their Ambassador to take care of the places of pilgrimage of Hindus to West Pakistan and whether the Government have written them to make arrangements for their maintenance in order to preserve their sanctity.

Shri Dinesh Singh : Its reply has just been given.

श्री समर गुह : मुझे मेरे विशिष्ट प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है...

अध्यक्ष महोदय : यह मुख्य प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था ?

श्री समर गुह : निश्चय ही यह इससे सम्बन्धित है। आप कैसे कह सकते है कि यह इससे संबंधित नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे दुःख है कि यह इससे संबंधित नहीं है। फिर भी मैंने अनुमति दी थी।

श्री समर गुह : वे इसे जानते हैं। हम मन्त्री महोदय से कई अवसर पर मिले हैं। संसद क दोनों सदनों के समस्य उनसे मिले हैं...

अध्यक्ष महोदय : कृपया माननीय सदस्य बैठ जायें।

श्री समर गुह : मैं इसका विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : जब वे कभी कुछ कहने के लिए उठते हैं तो उन पर नियन्त्रण करना बहुत कठिन हो जाता है।

श्री समर गुह : मेरा उनके साथ गत तीन वर्षों से पत्र व्यवहार चलता रहा है ।

श्री दिनेश सिंह : मैंने कहा है कि हम इसके लिये प्रयत्न कर रहे थे और करते रहेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या यह सच नहीं है कि पाकिस्तान सरकार ने अतीत में कई सिख तीर्थ यात्रियों के दलों को वहां जाने दिया और अभी हाल में भी उन्होंने सिख तीर्थ यात्रियों के दल को यात्रा करने की अनुमति दी थी और यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूँ कि उन्होंने उन को सभी संभावित सुविधाएं और सहायता नहीं दी हैं, और क्या भारत सरकार हमारे देश में आने वाले पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों का सभी सम्भव तरीकों से स्वागत करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने अभी पाकिस्तान से भारत आने वाले और भारत से पाकिस्तान गये तीर्थ यात्रियों के आंकड़े दिये हैं जहां तक हमारा सम्बन्ध है, हम भारत आने वाले पाकिस्तानी तीर्थ यात्रियों को सम्भव सुविधाएँ देते हैं। पाकिस्तान में गये हमारे तीर्थ यात्रियों को कभी-कभी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

श्री बलराज मधोक : उनके साथ बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया गया है।

श्री दिनेश सिंह : और उनको पाकिस्तान के ध्यान में लाया गया है। परन्तु पाकिस्तान ने उन सभी तीर्थ यात्रियों को अनुमति नहीं दी जो भारत से पाकिस्तान जाना चाहते थे।

Shri Rabi Ray : In reply to the question of Shri Samar Guha, the Hon. Minister has stated that he has taken some action to bring Shri Trilokya Chakravarti to India for treatment. His condition is very serious. I want to know the steps taken by the Government in this respect. May I know whether the Prime Minister has written any letter to the President of Pakistan in this connection ? If so, then what is the reply ? Will the Hon. Minister submit full details in this connection of the House ?

Shri Dinesh Singh : The question of treatment is something else. The Hon. Member had asked about his visit here for pilgrimage. We stated that we have made efforts in this connection and asked Pakistan to give him facility if he wants to visit this country. The Hon. Member is raising a new question of treatment.

श्री सोमचन्द सोलंकी : कुछ पाकिस्तानी तीर्थ यात्री भारत आते हैं और फकीर तथा अन्धे व्यक्तियों के भेश में यहां ठहरते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रकार हमारे देश में कितने वास्तविक फ़कीर रह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तीर्थ यात्रियों के बारे में हैं।

श्री दिनेश सिंह : मैं वास्तविक तथा नकली फकीरों के बारे में पूर्णतया स्पष्ट नहीं हूँ।

श्री मु० कु० तापड़िया : यह राजनीतिक फकीरों के बारे में है।

श्री दिनेश सिंह : ऐसे बहुत से राजनीतिक फकीर भी हैं।

भारत में लड़ाकू विमानों का निर्माण

*513. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लड़ाकू विमानों के निर्माण के बारे में और कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड बंगलौर में निर्मित लड़ाकू विमान किसी अन्य देश में निर्मित इसी तरह के विमानों के मुकाबले के हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) भारतीय वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इस समय एच० एफ०—24, एम० के० I, नेट तथा मिग—21 विमानों का निर्माण किया जा रहा है।

(ख) जी हाँ, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित विमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के अनुसार हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इन लड़ाकू विमानों के निर्माण के अतिरिक्त क्या सरकार कुछ नये प्रकार के अन्य विमान बनाने पर विचार कर रही है ? मैं जानता हूं कि हमारे कुछ विमान बहुत अच्छे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको मान्यता प्राप्त है परन्तु फिर भी रूस तथा अन्य कुछ देशों के पास मिग – 21 से भी अच्छे विमान हैं। क्या ऐसे विमानों को हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड तथा अन्य कारखानों में बनाने का प्रस्ताव है ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह तो मैंने बता दिया है कि हम ये विमान बना रहे हैं। हम मिग—21 में सुधार करके मिग—21 एम विमान भी बनाने वाले हैं। फिर हम एक नये प्रकार के विमान के डिजाइन तैयार करने के बारे में अनुसंधान कर रहे हैं। उसकी भूमि पर आक्रमण करने की क्षमता कहीं अधिक होगी।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि चौथी योजना की अवधि में प्रतिरक्षा मंत्रालय लड़ाकू विमान बनाने के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यदि हां, तो कब तक ?

श्री ल० ना० मिश्र : आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तो कठिन है। हां, हम लड़ाकू विमानों के मामले में आत्मनिर्भरता के निकट पहुंच जायेंगे।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : हमें बताया गया है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड और अधिक संख्या में विमान बनाने की स्थिति में है। तो क्या सरकार इसकी पूरी क्षमता का लाभ उठायेगी ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह ठीक है कि मिग कारखाने की पूरी क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। उचित समय पर हम पूरी क्षमता से लाभ उठायेंगे।

श्री बलराज मघोक : क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड में हमने विमान का एक ऐसा नया फ्रेम बनाया है जो ध्वनि से तेज चलने वाले विमान के लिये प्रयोग में लाया जा सकता है परन्तु हमारे पास इसके लिए इन्जिन नहीं है। हम अभी भी नैट विमान के इंजिन का प्रयोग कर रहे हैं और नया इन्जिन हम इस कारण बना नहीं पाये हैं कि मिस्र के साथ हमारा सहयोग असफल हो गया है। उस फ्रेम के लिये कब तक इंजिन तैयार कर लिया जायेगा ? ताकि आधुनिक विमानों के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकें।

श्री ल० ना० मिश्र : संयुक्त अरब गणराज्य के साथ समझौता एक अलग मामला है। यह सच है एच० एफ० 24 विमान के लिये हमारे पास अच्छा फ्रेम है और हमें एक नया इंजिन चाहिये। एक परीक्षण किया गया था और जैसे माननीय सदस्य जानते हैं कि वह दुर्भाग्य से लगभग दो महीने पहले दुर्घटना ग्रस्त हो गया था।

श्री बलराज मधोक : वह सभा को गुमराह कर रहे हैं। वह इंजिन आयात किया गया था और उसका ठीक प्रकार से परीक्षण नहीं हुआ था। अतः वह असफल रहा। क्या आपने एक नया इंजिन तैयार करने की कोशिश की है ? यह तो आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि संयुक्त अरब गणराज्य के सहयोग से बनाये जाने वाले इंजिन का क्या हुआ था। मैं तो यह जानना चाहता हूं कि फ्रेम में फिट करने के लिये कब तक नया इंजिन बन जायेगा ?

श्री ल० ना० मिश्र : यह नया फ्रेम नहीं है। यह एच० एफ० 24 विमान के लिए है हम इंजिन की वर्तमान क्षमता बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हम री-हीट प्रणाली चाहते हैं। हम इसे तैयार कर रहे हैं, परन्तु इसमें समय लगेगा।

श्री प्र० के० देव : क्या यह सच है कि जब यह मिग विमान बनने लगेंगे, तब तक यह पुराने विमान माने जाने लगेंगे। फैक्ट्री चूंकि उड़ीसा में स्थित है अतः मुझे कुछ व्यक्तिगत रूप से जानकारी है। क्या यह सही है कि कोरापुर कारखाने में कुछ ऐसे विभाग है जहां भारतीय इंजीनियरों को जाने की अनुमति नहीं है।

श्री ल० ना० मिश्र : मिग—21 विमान अभी दस वर्षों तक प्रयोग में लाया जायेगा। यह पुराना नहीं माना जायेगा फिर भी हम इसका सुधरा हुआ विमान बनाने जा रहे हैं। इसकी मार करने की अधिक क्षमता होगी। फैक्ट्री में भारतीय लोग काम करते हैं। हमने कुछ रूसियों को वहां जाने की अनुमति दी है।

श्री विक्रमचन्द महाजन : क्या भारतीय इंजीनियरों तथा वैज्ञानिकों का एक ऐसा संवर्ग तैयार करने की कार्यवाही की गई हो जो पूर्ण रूप में जहाज बनाने में समर्थ होगा ? क्या इस उद्देश्य के लिए कोई संस्थान स्थापित किया गया है ?

श्री ल० ना० मिश्र : भारतीय इंजीनियर डिजाइन बनाने और निर्माण कार्य के सम्बन्ध में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और नासिक, कोरापुर तथा हैदराबाद के तीन मिग कारखानों में डिजाइन बनाने के अलग अनुभाग होंगे ताकि हमारे इंजीनियर इस कार्य का अनुभव प्राप्त कर सकें।

Shri Ram Sewak Yadav : I want to know the ratio of foreign components in manufacture of MIG planes and when we will be able to be in a position to manufacture all the components in our country ?

Shri L. N. Mishra : In some planes we have 40 percent and in some others we have 70 percent material manufactured in our own country. We are making further progress in this regard.

Shri Ram Sewak Yadav : Sir, it is not the question of 40 percent. I want to know the nature of components that are imported and how far we have succeeded in manufacturing them in our country ?

Shri L. N. Mishra : I want to tell that frame is not an ordinary thing We are making engines of planes like HF-24. Some of the components of planes we get from abroad and some we manufacture ourselves. It is true that we import a large number of components and critical items.

श्री जि० मो० बिस्वास : गत जनवरी में लोगों को कुछ प्रक्षेपास्त्र दिखाये गये थे। क्या हम उन्हें बना रहे हैं ?

श्री ल० ना० मिश्र : मिग विमानों के लिए प्रक्षेपास्त्रों को हम स्वयं बना रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : इन विमानों का लगभग मूल्य कितना है और यह विदेशी विमानों की तुलना में कैसा है और क्या इन विमानों को पड़ोस के देशों को बेचने का भी प्रस्ताव है ?

श्री ल० ना० मिश्र : मेरे पास इनकी लागत की जानकारी नहीं है। एच० एस० 748 विमान को हम इन्डियन एयर लाइन्स को 88 लाख रुपये में बेच रहे हैं और इसपर लगभग 1.02 करोड़ रुपये लागत आती है...(**व्यवधान**)

Shri Ram Charan : I know that 100 p. c. parts are not made in India. We import them and assemble them here. I want to know whether Government has noticed that some element in factories are doing sabotage and they want that all parts should not be manufactured in India.

Shri L. N, Mishra : No, it is wrong. No such elements are there in our factories. By and by we are making all parts in our factories.

श्री नाथ पाई : श्री बिस्वास के प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया है कि हम प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। यह ठीक नहीं है। तीन प्रकार के नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र होते हैं। एक विमान से भूमि पर मार करने वाले, दूसरे भूमि से वायु में और तीसरे वायु से वायु में मार करने वाले। क्या हम सभी प्रकार के प्रक्षेपास्त्र बना रहे हैं ? क्या हम वास्तव में विमान बना रहे हैं अथवा उन्हें जोड़ रहे हैं ? हमें स्पष्ट रूप से बताया जाए। आप भी ऐसी गलत बातों की अनुमति दे देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप अलग से प्रश्न की सूचना दे सकते हैं।

श्री ल० ना० मिश्र . हम मिग विमानों के लिए प्रक्षेपास्त्र बनाते हैं। पहले हम विमान जोड़ते थे अब हम बना भी रहे हैं।

पाकिस्तान के साथ नहरी-जल करार की समाप्ति पर जल का उपयोग

*514. **श्री राम किशन गुप्त** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 22 दिसम्बर, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 722 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान के साथ नहरी-जल करार की समाप्ति पर भारत को जो अतिरिक्त जल मिलेगा उसके उपयोग के बारे में पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के अन्तर्गत हरियाणा सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजी गई याचिका पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : हरियाणा सरकार द्वारा दी गई याचिका पर विचार करने और उसे निपटाने से सम्बद्ध मामलों की ध्यानपूर्वक जांच की जा रही है।

Shri Ram Kishan Gupta : May I know the specific points raised in the petition submitted by the Haryana Government ? Is it a fact that one of the points raised in the petition relates to the handing over of the head-works at Rupar, Harikhe and Ferozpur to the Bhakhra Management Board and if so, what action is being taken by Government in this regard.

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : हरियाणा सरकार ने अनुरोध किया है कि सिन्धु नदी व्यवस्था से मिलने वाले अतिरिक्त जल में से कुछ जल उन्हें दिया जाए। यह एक बहुत ही जटिल मामला है और इस पर बड़ी सावधानीपूर्वक विचार किया जा रहा है इस विषय के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ।

Shri Ram Kishan Gupta : There is no question of delicacy. It has been clearly stated in clause 79 of the Punjab Reorganisation Act that :—

> "The Central Government shall constitute a Board to be called the Bhakhra Management Board for the administration of the dam at Rupar, Harikha and Ferozpur."

Nothing has been done to implement this Act during the last four years since its enactment and now they say, it is a delicate matter.

डा० कु० ल० राव : मैं इस बात से सहमत हूं कि रोपड़, हरीके तथा फीरोजपुर हैडवर्क्स को भाखड़ा प्रबन्धक बोर्ड को सौंपने का मामला कुछ कम महत्वपूर्ण है। तथापि हम इस संबंध में पंजाब सरकार को कहते रहे हैं। उन्होंने कुछ दलीलें दी हैं कि इन हैडवर्क्स का हस्तांतरण न किया जाए। यह मामला एक बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण मामले से अर्थात् पानी के नियतन के मामले से सम्बन्धित है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई विवाद खड़ा हो। हम इस समस्या को यथा सम्भव सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाना चाहते हैं। मुख्य मंत्रियों से हमारी भेंट हुई है, परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका है। इस दिशा में हम पुनः प्रयत्न करेंगे और आशा है कि हम समस्या को कुछ ही महीनों में सुलझा लेंगे।

Shri Ram Kishan Gupta : May I know the share of Haryana in the surplus water likely to be available to us after the water supply from the Satluj—Bias Link to Pakistan is stopped and also the quantity of water sought by Haryana Government in its petition ?

डा० कु० ल० राव : इस मास के अन्त तक हरियाणा तथा पंजाब को 32 लाख एकड़ फुट जल मिलेगा। इसमें से एक लाख एकड़ फुट जल दिल्ली सम्प्रदाय के लिए नियत किया जाएगा। जल की शेष मात्रा में से कितना हरियाणा को तथा कितना पंजाब को मिलेगा, इसके बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

Shri Randhir Singh : Mr. Speaker, Sir, the Bhakhra Dam project was mainly for Haryana, but most of the water is either used by Punjab or by Rajasthan. In view of the fact that the water dispute between Punjab and Haryana is not being solved expeditiously, will this dispute be referred to the Prime Minister so that it is solved at an early date and we are able to utilise our share of the surplus water to be available to India after the stoppage of water supply to Pakistan from 30th of this month ?

डा० कु० ल० राव : ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामले हैं और मैं इन्हें अपने आप नहीं निपटा सकूंगा। मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ वह प्रधान मंत्री की सहमति से ही कह रहा हूँ।

श्री श्रीचन्द गोयल : पाकिस्तान के साथ नहरी जल करार की समाप्ति पर हमें कितना अतिरिक्त जल मिलेगा और क्या सरकार ने इस जल का उपयोग करने के लिए पर्याप्त प्रबन्ध कर लिए हैं ?

डा० कु० ल० राव : करार कुछ ही दिनों में अर्थात् इस महीने के अन्त तक समाप्त हो जायेगा। इस करार के अन्तर्गत भारत को 158.5 लाख एकड़ फुट जल मिलेगा जिसमें से 60 लाख एकड़ फुट जल का हम पहले ही उपयोग कर रहे हैं। शेष 90 लाख एकड़ फुट जल का अभी उपयोग नहीं किया जा सकेगा। राजस्थान नहर तथा पौंग बांध के पूरा हो जाने के पश्चात् इसका भी धीरे-धीरे उपयोग होने लगेगा।

बैतरणी बांध का निर्माण

*515. **श्री स० कुण्डू** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैतरणी बांध के निर्माण तथा उसे सोलन्दी जलाशय के साथ एक फीडर नहर के द्वारा मिलाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है।

(ख) यदि नहीं, तो ऐसा निर्णय कब किया जाएगा ;

(ग) क्या स्वर्णरेखा बांध योजना पर और आगे कार्य करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ; और

(घ) उड़ीसा के गांवों में बिजली लगाने की योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). उड़ीसा के चौथी योजना सिंचाई कार्यक्रम के तय होने के पश्चात् और नई परियोजनाओं के लिए संभाव्य उपलब्ध धन राशि की मात्रा के पता लगाने के पश्चात् आनन्दपुर बराज परियोजना (बैतरणी के ऊपर) की स्वीकृति के प्रश्न पर विचार विमर्श किया जायेगा ।

(ग) सुवर्णरेखा तटबंध की केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा जांच की गई थी और उनकी टिप्पणियां इन सिफारिशों की रोशनी में स्कीम के संशोधन के लिए राज्य सरकार को भेज दी गई थीं । राज्य सरकार से संशोधित स्कीम की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) 1969-70 के वर्ष में, उड़ीसा में प्राय: विद्युतिकरण के लिए 1.25 करोड़ रुपये का प्रबन्ध किया गया है । चौथी योजना में प्राय विद्युतिकरण के परिव्यय को अभी अंतिम रूप देना है ।

श्री स० कुण्डू : इस बात को ध्यान में रखते हुए जब तक बैतरणी बांध का निर्माण कर इसे सोलन्दी बाँध के साथ जोड़ नहीं दिया जाता तब तक 13 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित सोल दी बाँध बिल्कुल बेकार रहेगा, क्या सरकार इस बांध के पहले चरण का निर्माण करने तथा इसका सोलन्दी बांध के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिये योजना अवधि में कुछ धन नियत करेगी और क्या स्वर्णरेखा तटबन्ध योजना को इस योजना अवधि में क्रियान्वित किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : सोलन्दी बांध का जो अब कार्य हो रहा है वह बेकार नहीं है जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है । तथापि मैं उन से सहमत हूँ कि आनन्दपुर बांध परियोजना के पूरा हो जाने के पश्चात इस का महत्व और भी अधिक हो जायेगा । तब इससे 5.6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी जब कि इस समय इससे केवल 1.6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई करने कीं व्यवस्था है । जहां तक तकनीकी पहलू का सम्बन्ध है, हमें कोई कठिनाई नहीं है परन्तु मुख्य कठिनाई, तो धन जुटाने की है । इस परियोजना के लिये हमें 22 करोड़ रुपये और चाहिये । इस परियोजना के लिये उड़ीसा सरकार कितना धन जुटा सकती है उसका अभी कुछ पता नहीं है । धन के उपलब्ध होने पर ही इस परियोजना को आरम्भ किया जा सकेगा । इस में कोई सन्देह नहीं है कि इस परियोजना से पहले किये जा चुके कार्य का महत्व और भी बढ़ जायेगा ।

स्वर्णरेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना को क्रियान्वित करना भी एक जटिल कार्य है । बाढ़ से पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों की हानि होती है । इस परियोजना के लिये 10 करोड़ रुपये की और राशि अपेक्षित है । राज्य सरकार इसके लिये कितना धन जुटा सकती है, इस का पता लगाने के लिये हमें चौथी योजना को अन्तिम रूप दिये जाने तक प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री स० कुण्डू : क्या माननीय मंत्री को पता है कि उड़ीसा में फालतू बिजली है और उसे गांवों तक पहुंचाने की समस्या है । धन का नियतन करते समय क्या मंत्री महोदय ट्रांसमिशन लाइनों को प्राथमिकता देंगे ताकि इस बिजली को उन गांवों तक पहुंचाया जा सके जहां इसका अभाव है ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है। यह ठीक है कि उड़ीसा में बिजली का काफी उत्पादन हो रहा है और विशेषकर चौथी योजना के अन्त में वहां पर फालतू बिजली होगी, परन्तु मुख्य कठिनाई यह है कि इस सारी बिजली का उपयोग उद्योग कर रहे हैं और बहुत ही कम बिजली ग्रामीण क्षेत्रों के लिये उपलब्ध है। इस देश में पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा दो ऐसे राज्य हैं जहां गांवों में बहुत ही कम बिजली का उपयोग किया जाता है। मुझे खेद है कि विद्युत चालित पम्प सामग्री के मामले में अन्य राज्यों की तुलना में उड़ीसा के गांव बहुत ही पिछड़े हुए हैं। मेरे विचार में चौथी योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि ग्रामीण विद्युतीकरण के मामले में उड़ीसा पिछड़ गया है। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये क्या वह कोई अलग ग्राम-विकास प्राधिकार स्थापित करेंगे? इस समय जो हो रहा है वह यह है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा धन दिये जाने के बावजूद राज्य विद्युत वोर्ड इस स बन्ध में वहां पर कोई कार्य आरम्भ नहीं कर रहा है। क्या सरकार राज्य सरकार को लिखेगी कि वह ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम को शीघ्र क्रियान्वित करें?

डा० कु० ल० राव : यह एक अच्छा सुझाव है। मैं इस पर राज्य सरकार से विचार-विमर्श करूंगा।

श्री प्र० क० देव : कुछ समय पहले केन्द्रीय सरकार ने एक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम स्थापित किया था जिसने उड़ीसा के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये नियत किये थे। अब हमें पता लगा है कि वह राशि घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है। क्या यह सच है? दूसरी बात जो श्री पाणिग्रही के प्रश्न से उठती है कि उड़ीसा राज्य विद्युत बोर्ड की आलोचना करने का कोई अवसर नहीं मिला है। क्या इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार उड़ीसा सरकार को कोई निदेश देगी कि ग्रामीण विद्युतीकरण का लुनपार्श्वता विकास करने की बजाये इस कार्यक्रम का विविधीकरण किया जाये ताकि पिछड़े हुए क्षेत्रों को बिजली का पर्याप्त हिस्सा मिल सके?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि पुनरीक्षित चौथी योजना में उड़ीसा सरकार को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 5 करोड़ रुपये नियत किये गये हैं। इसके अलावा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से भी धन प्राप्त किया जा सकता है। यदि उड़ीसा सरकार इसके लिए आवेदन करेगी तो वहां से उसे और सहायता मिल सकेगी।

———

अल्प-सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

Shri Shiv Chandra Jha : Sir, I rise on a point of order on item No. 2. Some days ago you gave a certificate to the Minister of Irrigation and Power to the effect that he is the only Minister who does not disallow and Short Notice Question—generally he accepts them. But he refused to answer my short notice question on this very subject the other day. A calling Attention Notice in this regard was also disallowed by you. He should, therefore, be asked to explain the reasons for this discrimination.

Shri Rabi Ray : This is a very pertinent point.

Shri Shiv Chandra Jha : Why did he refuse ?

Mr. Speaker : I am ready to withdraw the certificate given by me. यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

फरक्का बांध परियोजना में श्रमिकों में अशान्ति

अ० सू० प्र० 7. श्री समर गुह : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध के श्रमिक अपनी मांगों को मनवाने के लिए "धीरे कार्य करो" का तरीका अपना रहे हैं ;

(ख) क्या श्रमिकों के इस प्रयास से फरक्का बांध के निर्माण में विलम्ब हो जायेगा और इससे कलकत्ता पत्तन के विकास ग्रामों में कृषि तथा पश्चिमी बंगाल में बाढ़ नियंत्रण कार्यों में बाधा पड़ेगी ;

(ग) क्या फरक्का बांध परियोजना में श्रमिकों में फैली अशान्ति पर पश्चिम बंगाल के समाचार पत्रों तथा सरकार ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हाँ, तो इस स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) फरक्का बराज परियोजना के कर्मकों ने अपनी मांगों को मनवाने के लिए 5 दिसम्बर 1969 से 'काम धीरे करो' की नीति अपनाई थी। यद्यपि श्रमिकों ने 26 दिसम्बर, 1969 से 'काम धीरे करो' के आन्दोलन को औपचारिक रूप से वापस ले लिया है, फिर भी परिस्थितियां कार्यों के सुदक्ष कार्यान्वयन के अनुकूल नहीं हैं ।

(ख) श्रमिक अशान्ति और कर्मचारियों/कर्मकों की 'काम धीरे करो' की नीति के कारण फरक्का बराज परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति को धक्का पहुंचा है । चूंकि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य यह है कि कलकत्ता पत्तन को विलोपन से बचाया जाए, इसलिए इस परियोजना को पूरा करने में देरी हो जाने से पत्तन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार को इस बात का पता है कि कर्मकों द्वारा छुट्टियों के दिन काम बन्द कर देने, सामूहिक ढंग से आकस्मिक छुट्टियां लेने, 'काम धीरे करो' की नीति अपनाने, भूख हड़ताल और हाजिर-हड़ताल करने से इस अवधि के दौरान फरक्का पर कार्य बार-बार ठप होता रहा । कुछ समाचार पत्रों ने भी फरक्का की वर्तमान परिस्थिति पर अपनी चिन्ता प्रकट की है ।

(घ) परियोजना अधिकारियों और सरकार ने विभागीय कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया है और उनमें से कई एक मांगों को स्वीकार कर लिया है। बहरहाल, यह मांग कि इस परियोजना पर काम कर रहे सभी विभागीय कर्मचारियों को परियोजना के पूरा होने के बाद भी सरकारी नौकरियों में रखा जाये, एक ऐसी मांग है जिसके संबंध में सरकार कोई वायदा नहीं कर सकती यद्यपि नियुक्ति के सभी सम्भव रास्तों का अन्वेषण किया जा रहा है। एक ठेकेदार ने जिसके काम को 16 फरवरी, 1970 से हड़ताल के कारण बन्द होना पड़ा था, अपने मजदूरों के साथ समझौता कर लिया था और 2 मार्च, 1970 को काम पुनः आरम्भ कर दिया गया।

श्री समर गुह : इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि कलकत्ता पत्तन की सुरक्षा, पश्चिमी बंगाल में 16 करोड़ व्यक्तियों की पेय जल की पूर्ति और सड़क निर्माण तथा उत्तरी बंगाल और शेष बंगाल में, विशेषकर प्रतिरक्षा के उद्देश्य से, रेल संपर्क स्थापित करने के लिए फरक्का बांध परियोजना अत्यावश्यक है। क्या मैं जान सकता हूँ कि क्या इस परियोजना को पूरा करने में जो विलम्ब हो रहा है वह धीरे कार्य करने की नीति के कारण भूख हड़ताल, बड़ी संख्या में आकस्मिक अवकाश, छुट्टी के दिन कर्मचारियों द्वारा कार्य करने से मनाही, पाकिस्तान द्वारा राजनैतिक कपट, परियोजना के मुख्य इंजीनियर द्वारा कथित त्याग पत्र, बांध के दाहिनी ओर स्तम्भ निर्माण पर विवाद, उप नहरों की खुदाई के लिए विभागीय कटर सक्शन ड्रैजरों के उपयोग की अनुमति न देना और समय-समय पर बहुत से मूल्यवान इंजीनियरिंग उपकरणों की चोरी है, और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है, और परियोजना के निर्धारित समय में पूरा किये जाने के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मेरा निवेदन यह है कि मैंने अल्प-सूचना प्रश्न को मना नहीं किया। यह अल्प सूचना प्रश्न पहिले आया परन्तु इसे लिया नहीं गया और कई दिन का विलम्ब हो गया। जैसाकि श्री समर गुह का प्रश्न आज के लिये था इस समय किसी दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है। माननीय सदस्य इस समय कोई प्रश्न कर सकते हैं।

जहां तक माननीय सदस्य के प्रश्न का सम्बन्ध है, इस वर्ष श्रमिक असंतोष के कारण कार्य की गति धीमी हो गई है अतः इस वर्ष कार्य पूर्ति में विलम्ब हो जायेगा जबकि हमें इस कार्य को इस वर्ष के अन्त तक तथा बांध और नहर को आने वाले वर्ष के अन्त तक पूरा कर लेना चाहिए था, मुझे भय है कि इसमें कम से कम एक वर्ष का विलम्ब हो जायेगा।

श्री समर गुह : मेरे प्रश्न में अन्य कई बातें जैसे पाकिस्तान द्वारा छल, मुख्य इंजीनियर द्वारा त्यागपत्र, विभागीय कटर सक्शन ड्रैजरों की अनुमति न देना और मूल्यवान उपकरणों की चोरी आदि भी हैं।

डा० कु० ल० राव : मजदूरों के असन्तोष के कारण बहुत सी बातें हुई और बहुत से यंत्र बेकार पड़े रहे। यही वे सब बातें हैं जो हड़ताल के समय में हुईं। इसी कारण कार्य पूर्ति में विलम्ब हो गया है।

श्री समर गुह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार यह आश्वासन देने के लिए तैयार है कि परियोजना विभाग के 3500 कर्मचारी और मजदूरों को फरक्का बाँध में ही अथवा उसके स्थान पर कोई अन्य उपयुक्त रोजगार दे दिया जायेगा। यदि ऐसा आश्वासन दिये जाने के पश्चात भी कर्मचारी अपनी आत्म हत्या करने वाली—धीरे कार्य करने की नीति को नहीं छोड़ते हैं ...(**व्यवधान**) यह सब साम्यवादी मार्क्सवादी दल से नियंत्रित संघों द्वारा किया जा रहा है जो बंगाल का विनाश कर रहे हैं (**व्यवधान**) क्या सरकार इन कर्मचारियों की विनाशकारी प्रवृति के विरुद्ध नोटिस देने के पश्चात फरक्का क्षेत्र में आपत काल की घोषणा करेगी और इस क्षेत्र को परियोजना पूर्ति के लिए वर्जित समझेगी तथा यदि आवश्यक हो तो सेना की सहायता से आवश्यक अनुशासनात्मक कदम उठायेगी ?

श्री कु० ला० राव : फरक्का बांध में सेवा नियोजित व्यक्तियों के अतिरिक्त वहां पर कुछ पश्चिमी बंगाल सरकार तथा भारत सरकार से प्रतिनियुक्ति व्यक्ति हैं। इस कार्य की पूर्ति के पश्चात इनको वापस भेज दिया जायेगा। 3,600 व्यक्ति शेष रह जायेंगे। मैंने विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की है जिसके द्वारा यह पता चल सकेगा कि इन 3,600 में से कितने व्यक्तियों को स्थाई संपोषण की आवश्यकता है। प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और उन्होंने ऐसी संख्या 1,300 बताई है। इस प्रकार जो 2,300 व्यक्ति शेष रहते हैं उनमें 350 लिपिक हैं और 400 चपरासी हैं। ये उन श्रेणियों के कर्मचारी हैं जिन्हें साधारणतया अन्य किसी कार्य पर लगाना संभव है परन्तु सरकार इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दे सकती। मैं बंगाल सरकार तथा फरक्का बांध परियोजना के मजदूरों से निवेदन करूंगा कि इस परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए वे अधिकाधिक सहायता प्रदान करने वाली प्रवृति अपनायेंगे और व्यवस्था का पुर्नस्थापन करेंगे।

श्री समर गुह : क्या आपने बंगाल के सिंचाई मंत्री श्री विश्वनाथ बनर्जी के साथ सेवा नियुक्ति के विषय में कोई समझौता किया है ?

श्री मधु लिमये : Mr. Speaker, I would like to know whether one of the reasons for the slow pace of work in Farakka Berrage Project is that out of these 3,600 employees working on the project, the ordinary laboures are not guilty but there are certain anti-national elements who have stolen a number of machines and their accessories of vital importance ? News paper have also refered to such matters. I am stating, therefore, that these anti-national elements are guilty for this all. Does the hon. Minister know this and if so, would he take steps to penalize these traitors with the help of West Bengal Government and the Home Ministry of the Central Government ?

डा० कु० ला० राव : निश्चित रूप से, मैं मजदूरों को ही गैर-वफादारी नहीं कहता हूं। परन्तु कुछ मजदूरों को कुछ अन्य व्यक्ति पथ भ्रष्ट कर देते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं है। दुर्भाग्य-वश वहां कुछ ऐसी विचारधारा रही कि बहुमूल्य तथा अत्यन्त महत्व की वस्तुएं जैसे फियुअल पम्पस चोरी किये जा रहे हैं। लगभग 10 फियुअल पम्पों की चोरी की गई है। इन सब की सूचना पुलिस, पश्चिमी बंगाल सरकार तथा केन्द्रीय जांच ब्यूरो को दे दी गई है प्रत्येक आवश्यक कदम उठाया गया है और कुछ व्यक्तियों को हाल ही में पकड़ा गया है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी बातें हो रही हैं।

श्री बेदब्रत बरुआ : जिस ढंग से राष्ट्रीय परियोजना को खंडित किया जा रहा है तथा करोड़ों रुपयों को बरबाद किया जा रहा है, यह एक ऐसा विषय है जिससे हमारा गम्भीर सम्बन्ध है। हम ऐसी बातों को रोकने के लिये सरकार से कठोर कदम उठाने की अपेक्षा करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या यह विलम्ब अभियोगों के कारण निर्णय लेने के मार्ग अवरुद्ध हो जाने से हुआ है ? क्या ऐसे अभियोग लगाये गये हैं कि निर्णय करने के मार्ग मन्त्रालय के सहसा हस्तक्षेप करने के कारण अवरुद्ध हुये हैं ? क्या परियोजना के सर्वोच्च अधिकारी ने त्यागपत्र दे दिया है ? क्या यह सच है कि शीघ्र स्पष्टीकरण न दिये जाने तथा यहां के हस्तक्षेप के कारण निर्णयों में विलम्ब हुआ है ?

डा० कु० ला० राव : माननीय सदस्य ने हिन्दुस्तान स्टैन्डर्ड में गलत लेख पढ़ लिया है। यह पूर्णतया त्रुटिपूर्ण वक्तव्य है। किसी ने भी त्यागपत्र नहीं दिया है। वहां कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। मुख्य इन्जीनियर तथा महां प्रबंधक ने त्यागपत्र नहीं दिये हैं। दूसरे वह निजी आधार पर फरक्का से चले गये हैं और वहां दूसरे मुख्य इन्जीनियर की नियुक्ति की जा रही है। जैसाकि फरक्का बांध के विषय में बताया जा चुका है मैं सदन की सूचनार्थ बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक निर्णय प्रवीण इंजीनियरों की एक अति उच्चस्तरीय निकाय द्वारा लिया जाता है। मुख्य इन्जीनियर भी इस निकाय के एक सदस्य हैं तथा इनमें कोई मतभेद नहीं है। यह एक विशेष तकनीकी निकाय है और इसके महत्वपूर्ण परामर्श द्वारा ही हम इस परियोजना को दो वर्ष आगे ले जाने में सफल हुए हैं। यह पूर्णतया दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब मजदूरों ने हड़ताल कर दी, नहीं तो यह निर्धारित समय में पूरा हो जाती। अतः इसके मार्ग में किसी प्रकार के मतभेद का प्रश्न ही पैदा नहीं होता, यह सब गलत है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि यदि उन्हें मुझसे कुछ कहना है वह मुझे लिखकर दे सकते हैं मैं उसका स्पष्टीकरण कर दूंगा।

श्री रंगा : मेरे माननीय मित्र मंत्री महोदय ने कहा है कि कार्य पूर्ति में 1 वर्ष का विलम्ब हो रहा है यद्यपि देश दिये गये आश्वासनों के अनुसार इसकी पूर्ति की दो वर्ष पहले ही अपेक्षा करतां है। क्या सरकार इस कार्य के निष्पादन को प्रतिरक्षा मन्त्रालय को हस्तांतरित करेगी जिससे अत्यन्त सामरिक महत्व की इस परियोना को शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके ?

डा० कु० ला० राव : जब यह कठिनाई उत्पन्न हुई थी तो मैं ने स्वयं और पत्र व्यवहार द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री एवं उप-मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में लम्बी चर्चा की। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूँ कि यह काम राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का है, और इसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं होना चाहिए। अतः इस को पूरा करने के लिए वैकल्पिक उपायों के बारे में सोच रहे हैं जिन में माननीय सदस्य द्वारा प्रस्ताव उपाय भी शामिल है। मगर हम कुछ समय और प्रतीक्षा करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि यह मामला सुलझ जाय इस महीने के अन्त तक हम पूरी स्थिति का पुनर्विलोकन करने की आशा रखते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्री महोदय ने उस दिन ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ चर्चा को फरक्का निर्माण कार्यक्रम में बाधक नहीं होने देंगे। उन्होंने यह भी कहा मैं आश्वासन दे सकता हूं कि भागमती एक भिन्न नदी है और इसका कोई भी कार्य फरक्का बांध से सम्बंधित नहीं है ना ही पाकिस्तान के साथ वार्ता के कारण किसी भी

कार्य में विलम्ब हो रहा है।" क्या यह सच है कि पिछले दिनों मजदूरों द्वारा आयात की गई चादरों की निरन्तर चोरी का एक गम्भीर मामला पकड़ा है जिससे दो वरिष्ट अधिकारी, जिनमें एक अधीक्षक इन्जीनियर भी था, अन्तर्ग्रस्त थे ? क्या यह सच है कि इन्होंने ठेकेदारों के साथ सांठ-गांठ करके कार्य किया है जिसके कारण आयात किये गये चादरों के पुंज कलकत्ता के बाजारों में बेचे जा रहे हैं ? क्या यह सत्य नहीं है कि फरक्का बांध निर्धारित समय से 1 वर्ष पहिले तैयार हो चुका है और 10 करोड़ रुपये की बचत संभावित है क्योंकि मजदूरों ने दत्तचित होकर कार्य संपन्न किया है ? क्या मन्त्री महोदय इस विषय में भी बतायेंगे ? प्राक्कलन समिति की सिफारिश के अनुसार फरक्का का विकास एक जल परिवहन समूह पत्तन के रूप में होना चाहिए जिससे आसाम, बिहार, बंगाल तथा उत्तर प्रदेश को परिवहन व्यवस्था में समन्वय हो सके। यदि ऐसा है तो मंत्री महोदय इस सिफारिश को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, तथा इन 2300 बेरोजगार मजदूरों को कार्य पर लगाने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

डा० कु० ल० राव : नदी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आरम्भ में चादरों से कोफरा बांध के निर्माण की योजना बनाई गई थी किन्तु बाद में इसकी आवश्यकता न समझी गई अत: उस स्थान पर चादरों का आधिक्य हो गया। उन में से कुछ तो विजाग बन्दरगाह को भेज दिए गए हैं और कुछ को कलकत्ता तथा हलदिया बन्दरगाह पर पहुंचा दिया गया है बाकी को बेचा जा रहा है। हो सकता है कुछ चुरा लिए गए हों परन्तु मुझे इस सम्बन्ध में अभी तक कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और न ही मुझे अधीक्षक इन्जीनियर के विषय में कुछ पता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मुझे इन घटनाओं पर बड़ा आश्चर्य होता है। पुलिस ने अधीक्षक इंजीनियर को गिरफ्तार करके बन्दरगाह में रखा था। मुझे मालूम है आप सब कुछ जानते हैं।

डा० कु० ल० राव : मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि इस कार्य में एक सहायक इंजीनियर और भंडारी का हाथ था और वे दोनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यदि अधीक्षक इंजीनियर का इसमें हाथ है तो मुझे इसकी सूचना आवश्यक मिल गई होती। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं जानता।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इन आत्यात आयतीत चादरों की चोरी की सूचना यहां के श्रमिकों ने पुलिस को दी थी...

डा० कु० ल० राव : जहां तक दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है हम अपनी ओर से रोजगार दिलाने का भरसक यत्न कर रहे हैं। मैंने सभी मंत्रालयों तथा सरकारी विभागों से इस विषय में पत्राचार किया है। परिवहन मंत्रालय भी बन्दरगाह के विकास में सहायता कर रहा है मैंने पश्चिमी बंगाल सरकार को भी लिखा है और वह भी यहां कारखाना खोलने की जिम्मेवारी ले रही है और हमने भी कलकत्ता के रोजगार मन्त्रालय एक विशेषाधिकारी की नियुक्ति की है जो इन लोगों को रोजगार दिलाने का प्रयत्न करेगा।

मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूँ कि वे शांति बनाए रखने के लिए कहें। यही सब से मुख्य बात है और हम भी यही चाहते हैं।

श्री रा० बरुआ : सम्पूर्ण पूर्वी क्षेत्र में फरक्का बांध की अत्यधिक महत्ता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का उत्तर देते हुए माननीय सदस्य ने कहा था पाकिस्तानी हस्तक्षेप बांध निर्माण में बाधक नहीं हो रहा है। परन्तु फिर भी यह सुना गया है कि श्रमिकों के आन्तरिक मतभेद का कारण यह गंगा जल का झगड़ा ही है। अतः क्या आप यह बता सकते हैं कि सरकार को इस बात का ज्ञान है कि योजना के जल्दी से पूरा न हो सकने का कारण श्रमिकों का आपसी मतभेद न होकर किसी बाहर की ऐजंसी का हस्तक्षेप है, यदि यह बात सच है तो क्या सरकार इसे गम्भीर बात समझते हुए मामले को गृह विभाग को सुपुर्द करेगी ताकि इस अवांछनीय परिस्थिति से बचाया जा सके ?

श्री कु० ल० राव : इस बांध के निर्माण के लिए सबसे अधिक धनराशि निर्धारित की गई है। इतना धन भारत में किसी और योजना के लिए नहीं दिया गया। पिछले वर्ष 20 करोड़ रुपया इस योजना पर लगाया गया।

माननीय सदस्य ने कुछ तोड़-फोड़ की गतिविधियों का उल्लेख किया है पर मुझे इसका पता नहीं है। स्थित का पूर्ण वृतान्त केन्द्रीय गृह मन्त्रालय को दे दिया गया है और इस विषय में हम मन्त्रालय से चर्चा भी कर रहे हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai : The Hon. Member just, now stated, in reply to a question, that there were certain anti-national elements which kept on inciting people there. I want to know who they are. Their names should be disclosed. I also want to know the basic cause of restlessness of the labour and the remedial measures which the Hon. Minister proposes to adopt and what action has been taken by the Government against such anti-national activities ?

डा० कु० ल० राव : माननीय सदस्य ने श्रमिकों की मुख्य मांगों के सम्बन्ध में प्रश्न किया है। श्रमिकों ने लगभग 9 मांगें प्रस्तुत की हैं। उनकी मुख्य मांग है कि कार्य समाप्त हो जाने के बाद भी उन्हें नौकरी से न निकाला जाए। इसका अर्थ यह है कि हमें उन्हें किसी दूसरी योजना में काम पर लगाना होगा देश में इतनी योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं और यदि ऐसा आश्वासन दे दिया गया तो इतने सारे श्रमिकों को रोजगार दिलाने का काम असंभव हो जाएगा।

जहां तक राष्ट्र-विरोधी तत्वों का सम्बन्ध है मुझे उनके विषय में कुछ ज्ञान नहीं है। मेरे विचार से इसमें राजनीति का कोई हाथ नहीं है। लोगों को कुछ आर्थिक भय सा है। यही कारण है कि वे रोजगार ढूंढने में समर्थ नहीं हो पाते। समस्या राजनीतिक न होकर आर्थिक अधिक है।

Shri Hukam Chand Kachwai : Mr. Speaker, my question remains unanswered. The Hon. Minister said that there were certain anti-national elements that kept on inciting the people. I want to know what are they and what action is being taken against them ?

डा० कु० ल० राव : मुझे किसी विशेष गतिविधि की जानकारी नहीं है।

Shri S. M. Joshi : Mr. Speaker, mine is a straight question and I want a straight answer. Did Dabesh Mukherjee, who was the chief engineer tender his resignation or not ? Secondly, are they going to grant permission to use suction cutter dredgers ? Is it true, that the delay is being caused because of or not ?

डा० कु० ल० राव : श्री देवेश मुकर्जी के सम्बन्ध में दी गई सूचना भी ठीक नहीं है। न ही उन्होंने त्याग पत्र दिया है और न ही उनका पद रिक्त हुआ है। वे अब डी० वी० सी० के प्रधान प्रबन्धक बन गए हैं। मेरे पास उनका एक पत्र है जिसमें उन्होंने अपनी बदली कराने की प्रार्थना की है। गत छः मास से वे अपनी बदली कराने के लिए कह रहे थे और अब उन्हें आज्ञा दे दी गई है। वास्तव में उनकी श्रमिकों से इतनी अनबन हो गई थी कि वे पूरे दो माह तक कार्य-स्थल पर नहीं जा सके थे और विवशतः उन्हें कलकत्ता में रहना पड़ा। यद्यपि उनका मुख्य कार्यालय फ़रक्का में है फिर भी उन्हें कलकत्ते रहने की विशेष आज्ञा दे दी गई। उनका त्याग-पत्र देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः उनका पद भी रिक्त नहीं होगा। कुछ लोगों का विचार था कि शायद वे नौकरी छोड़ दें और उनके स्थान पर किसी दूसरे को नौकरी मिल जाये, किन्तु वस्तुतः पद रिक्त नहीं है :

जहाँ तक ड्रैजर कटर का संबंध है उनका प्रयोग पिछले सात महीनों से वहां हो रहा है। अतः इनके लिए आज्ञा लेने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने इन पर लगभग 60 लाख रुपया खर्च किया है। पिछले दिनों कुछ पुर्जों में खराबी आ जाने तथा एक इंजन के फेल हो जाने से उन्होंने काम करना बन्द कर दिया था, किन्तु जिन लोगों से हमने ये ड्रैजर खरीदे थे वे लोग उस स्थान पर उन्हें देखने के लिए गए थे और उनमें थोड़ी बहुत केवल यांत्रिक खराबी थी, जिसे ठीक कर लिया गया। अतः कटर ड्रैजर के संबंध में आज्ञा लेने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारतीय रुई मिल संघ द्वारा रुई के आयात पर "प्रीमियम" की उगाही

*516. **श्री ई० के० नायनार :**　　　　**श्री के० रमानी :**
श्री उमानाथ :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय रुई मिल संघ आयातित रुई पर फीस के नाम पर अभी भी प्रति गाँठ 200 रुपये "प्रीमियम" लेता है ;

(ख) यदि हां, तो इस संघ के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). भारतीय रुई मिल संघ 1-9-1967 से लागू सूती वस्त्रों के निर्यात संवर्धन की अपनी स्वैच्छिक योजना के अंग के रूप में आयातित विश्व रुई की प्रति गांठ पर 175 रु० ले रहा है और संघ के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्रश्न नहीं है।

भारत-ब्रिटेन व्यापार वार्ता

*517. श्री के० एम० अब्राहम : श्री सी० के० चक्रपाणि :
श्री प० गोपालन :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारत की यात्रा की है और उसने ब्रिटेन के साथ भारत के व्यापार की समस्याओं पर सरकार से विचार-विमर्श किया है ;

(ख) यदि हां, तो विचार-विमर्श के क्या मुख्य निष्कर्ष निकले है ;

(ग) क्या विचार-विमर्श के दौरान सरकार के प्रवक्ता ने आश्वासन दिया था कि विदेशी बैंकों का राष्ट्रीकरण नहीं किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा आश्वासन दिये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). भारत सरकार से व्यापार सम्बन्धी वार्ताओं के लिए हाल ही में ब्रिटेन का कोई प्रतिनिधिमंडल भारत नहीं आया ।

समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण

*518. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री इन्द्र कुमार गुजराल ने 14 जनवरी, 1970 को बम्बई में कहा था कि 6 करोड़ रुपये की पूंजी से एक समाचार पत्र वित्त निगम की स्थापना की जायेगी ;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में समाचार पत्रों का राष्ट्रीयकरण करने का है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या एक राज्य मंत्री के लिए यह उचित है कि सरकार की नीति को निजी रूप में तथा समय से पूर्व ही घोषित करे ; और

(ङ) हमारी राष्ट्रीय नीतियों की घोषणा की एकमेव जिम्मेदारी प्रधान मंत्री द्वारा स्वयं न ली जाने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) 14 फरवरी, 1970 (न कि 14 जनवरी 1970) को बम्बई में प्रैस गिल्ड के सम्मुख बोलते हुए श्री गुजराल ने समाचार-पत्र वित्त निगम की स्थापना की चर्चा इन शब्दों में की थी "बहुत ही छोटे से रूप में, हम अब एक समाचार-पत्र वित्त निगम स्थापित करने की बात सोच रहे हैं । आपको याद होगा कि यह समाचार-पत्र वित्त निगम उस सिफारिश का परिणाम है जो प्रेस परिषद् ने यह कहकर की थी कि एक समाचार-पत्र वित्त निगम की स्थापना की जानी चाहिये जो कि कठिनाई में पड़े छोटे और मझले आकार के समाचार पत्रों को सहायता दे सके

लेकिन सरकार को समाचार-पत्र वित्त निगम के संचालन से कोई वास्ता न होगा जिससे की प्रैस की स्वतन्त्रता की पूर्ण रूप से सुरक्षा की जा सके"।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ). श्री गुजराल का वक्तव्य उन विचारों के अनुकूल है जो उन्होंने सरकार की ओर से संसद में कई बार व्यक्त किये हैं।

जापान में हो रहे एक्सपो-70 प्रदर्शनी पर व्यय

*519. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जापान में "एक्सपो-70" प्रदर्शनी पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया है;

(ख) प्रदर्शनी के समाप्त होने तक इस पर अनुमानतः कितना खर्च हो जाने की सम्भावना है ;

(ग) वर्तमान विदेशी मुद्रा स्थिति को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार इस व्यय को अधिक समझती है ; और

(घ) यदि हां, तो खर्च को कम से कम करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). विदेशी व्यापार मंत्रालय के भाग लेने में अनुमानित व्यय लगभग 195 लाख रु० है जिसमें 170 लाख रु० की विदेशी मुद्रा शामिल है। 28 फरवरी, 1970 तक किया गया कुल व्यय 93.41 लाख रु० है।

(ग) और (घ). एक्सपो के महत्व, इसके विषय तथा हमारे प्रदर्शन के ढंग तथा जापान में विद्यमान मूल्यों के वर्तमान स्तर को देखते हुए यह व्यय अधिक नहीं माना जा सकता। व्यय को कम करने के लिए सभी सम्भव कदम उठाये गये हैं।

अपने-अपने राज्यों के लिए नियत की गई धनराशि के बारे में मुख्य मंत्रियों द्वारा असंतोष का व्यक्त किया जाना

*520. **श्री एस० आर दामानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने अपने राज्यों के विकास कार्यों के लिए केन्द्र द्वारा नियत की गई धनराशि पर असंतोष व्यक्त किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या है, उनकी शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) और (ख). जी हां । अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सभी राज्यों ने किसी न किसी समय, केन्द्रीय सरकार से अधिक धनराशि की मांग की है । जहां तक योजना परिव्ययों के लिए मांग का सवाल है, राष्ट्रीय विकास परिषद्, जिसकी बैठक शीघ्र होने वाली है, योजना को अंतिम रूप देते समय इस विषय पर विचार करेगा । साधनों की बंदिश होने के कारण, केन्द्र के लिए हर समय यह सम्भव नहीं है कि समय समय पर जिन धनराशियों की मांग की जाय उन सभी की पूर्ति कर सके ।

पाकिस्तान के प्रति अमरीका की राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नीति

*:21. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान हाल ही में समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी प्रशासन की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् (एक) पाकिस्तान के प्रति राष्ट्रीय शस्त्रास्त्र नीति पर, दक्षिण एशिया में शस्त्रास्त्र की होड़ बढ़ाये बिना, विचार कर रही है और (दो) कोई ऐसी अस्थायी व्यवस्था करने का विचार कर रही है, जिससे भारत और पाकिस्तान को अपने क्षेत्रों में और अधिक व्यर्थ और खतरनाक संघर्ष को टालने के लिए मनाया जा सके ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के सम्बन्ध में, संयुक्त राज्य सरकार को सरकार के विचारों से बार-बार अवगत करा दिया गया है । उन्हें यह बतला दिया गया है कि पाकिस्तान को सैनिक बढ़ावा सम्बन्धी कोई भी सहयोग दिया गया तो वह केवल भारत की सुरक्षा के लिए ही खतरा नहीं है, वरन् भारत के साथ सम्बन्धों को सामान्य बनाने की दिशा में पाकिस्तान के रवैये को और दुराग्रही बनाना भी है, खासकर उनके चीन के साथ सैनिक सांठगांठ करने के कारण ।

भारत-बर्मा करार

*522. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने बर्मा को कपड़ा मिलें स्थापित करने तथा बिजली घरों के निर्माण के लिए मशीनें भेजने का प्रस्ताव किया था ; और

(ख) यदि हां, तो बर्मा के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए करार करने की सम्भावनायें हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) बर्मा के विदेशी व्यापार का राष्ट्रीयकरण हो चुका है और आयात सामान्यतः रूप से निविदाओं के माध्यम से होते हैं। हालांकि सरकार द्वारा व्यक्तिगत रूप से निर्यात कर्त्ताओं की वाणिज्यिक सौदों की पृथक् जानकारी नहीं रखी जाती, पर उन्हें ऐसी सूचना मिली हैं कि कुछ भारतीय निर्यात कर्त्ताओं ने कपड़ा मिलों के लिये, और एक ने एक पावर-स्टेशन की मशीनों तथा उपकरण के लिए, बर्मा की निविदाओं में भाग लिया लेकिन उन्हें संविदा प्राप्त नहीं हुई।

(ख) हाल ही में बर्मा को किए गए भारतीय निर्यातों में भारी वृद्धि हुई, 1967-68 के लगभग 3.84 करोड़ रुपये मूल्य की तुलना में वर्ष 1968-69 में लगभग 11.94 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात हुए। फिर भी यह हमारे निर्यातों का विस्तार, अन्य बातों के साथ-साथ हमारे उत्पादन के गुण तथा मूल्य के प्रतियोगी होने पर, निर्भर रहेगा।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पाकिस्तानी पारपत्रों पर लगे प्रतिबन्धों में छूट दी जाना

*523. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पाकिस्तानी पारपत्रों पर लगे प्रतिबन्धों में छूट दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). पश्चिम बंगाल सरकार ने पासपोर्ट अधिनियम के अन्तर्गत कुछ परिवर्तन किए हैं। उन्होंने बताया है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य यह है कि इस प्रकार के पासपोर्टों के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों पर कार्रवाई करने में एकरूपता हो।

(ग) कार्यविधि में इस प्रकार के परिवर्तन किए जाने पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

Increase in Export Trade through S. T. C.

*524. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri S. K. Tapuriah :

Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although the gross Indian exports increased by 1.6 per cent, yet there has been no increase in the export trade through the State Trading Corporation ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the measures being adopted by Government to increase the export trade through the State Trading Corporation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

स्थल-सेना, वायु-सेना तथा नौ-सेना अधिनियम के अन्तर्गत की गई अपीलों का स्वतन्त्र प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन

*525. **श्री जनार्दन** : क्या **प्रति-रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा उपबन्ध किया गया है कि स्थल-सेना अधिनियम और वायु-सेना अधिनियम तथा नौ-सेना अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये न्यायिक तन्त्र को पेश की गई अपीलों का स्वतन्त्र रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस तन्त्र में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है, जिनकी अर्हतायें उच्च-न्यायालय में न्यायाधीश के समान हों, ताकि स्वतन्त्र रूप से न्यायिक पुनर्विलोकन सुनिश्चित किया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रति-रक्षा मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) नौ-सेना अधिनियम 1957 के अनुभाग 160 के अनुसार उसका स्वतन्त्र न्यायिक पुनरीक्षण उपबन्धित है। सेना अधिनियम 1950 और वायु-सेना अधिनियम 1950 में ऐसा कोई पुनरीक्षण उपबन्धित नहीं है।

(ख) और (ग). जी हां, जहां तक नौ-सेना का सम्बन्ध है। भाग (क) के उत्तर के समक्ष सेना और वायु-सेना के बारे में प्रश्न नहीं उठता।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए मन्त्रियों की समिति की नियुक्ति

*526. **श्री के० आर० गणेश** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने के उद्देश्य से मन्त्रियों की समिति, जैसी कि जम्मू तथा काश्मीर के लिए नियुक्त की गई है, नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या अब तक किए गए विकास से हुए अनुभव के आधार पर एक राजनीतिक समिति द्वारा ऐसा पुनर्विलोकन अवश्यम्भावी तथा वांछनीय नहीं हो गया है ; और

(ग) क्या द्वीप समूह के विकास के संदर्भ में राजनीतिक पहलू के साथ-साथ आर्थिक पहलुओं के उचित संयोजन पर भी शीघ्र ध्यान देना आवश्यक है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार द्वीप समूह के सामरिक महत्व के प्रति जागरूक है और द्वीप समूह का आर्थिक तथा सामाजिक विकास करने हेतु प्रत्येक आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

सशस्त्र सेनाओं के लिए न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता

*527. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **प्रति-रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नई दिल्ली से निकलने वाली 1970 की साप्ताहिक

पत्रिका 'मेनस्ट्रीट' में प्रकाशित सशस्त्र सेनाओं के लिए की गई न्यायिक व्यवस्था में सुधार की आवश्कता सम्बन्धी लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित सुधार करने के लिये किन प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है ?

प्रति-रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) :(क) जी हां ।

(ख) सरकार द्वारा स्थापित अफसरों की विशेष समिति वर्तमान सेना के अधिनियमों में एक-रूपता लाने और युक्त संगत बनाने के लिए मसौदा बना लिया है, तथा उसका परीक्षण किया जा रहा है ।

Supply of Electricity to Birlas from Rihand Dam

*528. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Birlas have been allowed to set up their own power house in Mirzapur, U. P. for making use of electricity in producing aluminium on the condition that they would stop utilising power from the Rihand Dam, but they are regularly utilising power from the Rihand Dam and Government of Uttar Pradesh are also making arrangements for supplying power to them in future also from the Rihand Dam ; and

(b) whether it is also a fact that Uttar Pradesh Electricity Board have to suffer an annual loss of Rs 80 lakhs in supplying power to Birlas from the Rihand Dam and if so, whether the power is being supplied to them on the advice of the Central Government.

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) Uttar Pradesh State Electricity Board are supplying 55 M W of power to Birlas under an agreement executed in 1959 for a period of 25 years. After the expansion of production capacity from 20,000 tonnes to 60,000 tonnes per year was sanctioned, the U. P. State Electricity Board expressed their inability to supply additional power and Birlas were allowed to set up their own power station to enable them to meet the additional power required. The condition that Birlas should stop utilising power supply from U. P. State Electricity Board was not imposed.

(b) At the time when the agreement was entered into, the rate for supply was based on the estimated cost of generation at Rihand. In later years, there have been increase in the cost of generation. The fixing of the rate for the supply of power was entirely within the competence of the State Government. The question of the power being supplied under the advice of Central Government does not arise because it is being supplied under a contract.

Ban on the Export of Calf Leather

*529. **Shri Shiv Charan Lal :**　**Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Bansh Narain Singh :　**Shri Ram Gopal Shalwale :**

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4406 on the 19th March, 1968 and state :

(a) whether it is a fact that the ban on the export of beef has been imposed keeping in view the need of Indian farmers, great shortage of milk in the country and Indians reverence for cow ;

(b) If so, whether, in view of the great need of farmers for calves and the sky-rocketing price of bullocks, it is proposed to ban the export of calf leather also ;

(c) whether it is also a fact that a far large amount of foreign exchance is incurred on the import of milk powder, tractors and fertilizers than that is earned by the export of calf leather ; and

(d) if so, whether Government do not propose to impose a ban on the export of calf leather even when there is only a negligible receipt in terms of foreign exchange on this account ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) Yes, Sir.

(d) As calf leather for export is obtained mostly from fallen animals, a ban on such export will not help in increasing milk supply in the country. Such a step will lead to a loss of foreign exchange earnings of the order of Rs. 5 crores annually without reducing the import of tractors and fertilisers which will continue to be imported till such times as adequate indigenous production is available.

Grant of Aid for Irrigation Schemes Under PL 480

*530 **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state :

(a) whether any further progress has been made in the matter discussed with the present U. S. President, when he visited India, in connection with granting aid under PL 480 Fund for irrigation schemes in the country ;

(b) whether Government have sent any proposal to U. S. Government in this regard ; and

(c) if so, the time by which a final decision would be taken in this regard ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) to (c). No discussions were held with the U. S. President regarding PL—480 grants for irrigation schemes and no such proposals have been sent to the U. S. Government since then.

असैनिक दंगों को दबाने के लिए सेना का बार-बार बुलाया जाना

*531. **श्री रवि राय :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या प्रति-रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान स्थल सेनाध्यक्ष द्वारा हाल ही में दिये गये इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि देश में असैनिक दंगों को दबाने के लिये सेना का उपयोग नहीं किया जाना चाहिये ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में इस प्रयोजन के लिये सेना को कितनी बार सतर्क किया गया अथवा उसका उपयोग किया गया ; और

(ग) देश के भीतर दंगों को दबाने के लिये सेना को न भेजने के विचार से सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

प्रति-रक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां । सेनाध्यक्ष ने कहा था कि असैनिक प्राधिकारणों को प्राप्य साधारण पुलिस दलों और बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० तथा अन्य सेनाओं का असैनिक अशांतियों के प्रति कार्यवाही करने के लिए प्रयोग करना चाहिए और इस उद्देश्यों के लिए सेना को कभी-कभी ही बुलाया जाना चाहिए ।

(ख) 1 अप्रैल 1969 से 21 बार ऐसा किया गया ।

(ग) शांति बनाए रखने और जान तथा माल की रक्षा करने के लिए जिलाधीशों के पास कानून के अन्तर्गत उस समय सेना की सहायता लेने का अधिकार है जब वह देखता है कि विधि-विरुद्ध भीड़ को तितर-बितर करने के लिए उसके नियंत्रणाधीन अन्य साधन अपर्याप्त हैं ।

मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जापान तथा दक्षिण कोरिया को व्यापार प्रतिनिधि मंडल का भेजना

*532. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड ने निर्यात संवर्धन तथा नए बाजारों का पता लगाने के लिए हाल में जापान तथा दक्षिण कोरिया के लिये एक व्यापार प्रतिनिधि-मण्डल का प्रायोजन किया था और क्या इसने प्रतिनिधिमण्डल के लिए सरकार से अनुमति तथा सहायता मांगी थी ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रतिनिधिमंडल की स्वीकृति नहीं दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो अस्वीकृति/स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां । मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कारपोरेशन ने जापान, फारमोसा तथा दक्षिण कोरिया आदि को एक प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए दिसम्बर, 1968 में सरकार से सम्पर्क स्थापित किया था ।

(ख) और (ग). मैटल स्क्रैप ट्रेडिंग कार्पोरेशन के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अगस्त, 1968 में जापानी तथा दक्षिण कोरियाई बाजारों का अध्ययन किया था । अतः उन्हीं राज्य क्षेत्रों में एक नये प्रतिनिधिमण्डल का जाना आवश्यक नहीं समझा गया । कतरन के बाजार की स्थिति में सुधार हुआ है और इस समय अपेक्षित प्रमुख प्रयास स्वदेश में ही अधिकाधिक कतरन एकत्रित करना है ।

Action Recommended by C. B. I. against Officers of S. T. C. D. G. S. and D. and Central Ordance Depot, Malad

*533. **Shri Narayen Swaroop Sharma** : Will the Minister of Defence be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2463 on the 6th August, 1969 regarding purchase of defective tyres and state :

(a) whether it is a fact that the C. B. I. has recommended action against three officers of the State Trading Corporation as also against the Director General of Supplies and Disposal,

Deputy Director, Assistant Director, Section Officer, Director of Inspections, Assistant Director of Inspection and the Officer Commanding, Central Ordnance Depot, Malad ;

(b) if so, the details of action recommended ; and

(c) whether Government propose to lay a complete report of the C. B. I. in this respect on the Table ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (c). A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The information desired has already been given in the LOK SABHA in reply to the following Questions :—

(i) Unstarred Question No. 468 answered on 23rd July 1969 by the Defence Minister.

(ii) Unstarred Question No. 2463 answerd on 6th August 1969 by the Deputy Minister of Foreign Trade.

(iii) Unstarred Question No. 1424 answered by the Defence Minister on 26th November 1969.

(iv) Unstarred Question No. 2484 answered by the Deputy Minister of Foreign Trade on 3rd December 1969.

There has been no change in the position indicated in the answers to the above Questions. Briefly, however, the position is as follows :—

Parts (a) and (b)

(i) State Trading Corporation

As regards the S.T.C., report of the C.B.I. has been examined and it has been decided that no action against any of the three officers referred to in the report is called for.

(ii) Ministry of Supyly

The C.B.I. had recommended that such action as is considered appropriate may be taken in the case of the then Director General of Supplies and Disposals. It has been decided that no action is called for against him.

The C.B.I. had also recommended that departmental action may be taken against a Deputy Director, a Section Officer and an Assistant of the D.G.S. and D. Disciplinary proceedings against these three officials had been instituted even before the receipt of the C.B.I. report. In the case of the Assistant, the Enquiry Officer held that the charges against him had not been established. The Assistant was, however, prematurely retired on attaining the age of 55 years. In the circumstances, the disciplinary proceedings against him were dropped. As regards the Deputy Director and the Section Officer, the disciplinary proceedings are still in progress.

The C.B.I. had also suggested action agninst the Director of Inspection and the Assistant Director of Inspection. It has been decided that no action is called for against these officials.

(iii) Ministry of Defence

The C.B.I. had recommended departmental action against Major S. N. Singh who was Officer Commanding, Central Ordinance Depot, Malad, at the relevant time. Major S. N. Singh retired from service with effect from 17th March 1967. The allegations against Major Singh were examined. As the service of Major Singh was not considered satisfactory, his pension was reduced by 1/3rd. The pension sanctioned to him was Rs. 367/- per month,

Major Singh has, however, field a writ petition in the Bombay High Court praying that the pension of Rs. 550/- be sanctioned to him. The matter is thus *sub judice*.

The C.B I. had recommended that the conduct of an Assistant Director General of Ordnance Factories may be brought to the notice of the Director General of Ordnance Factories for taking such action as is considered necessary. The matter was considered by the Director General of Ordnance Factories and in the Department of Defence Production and it was decided that no action was called for against the officer.

Part (c)

As mentioned by the Deputy Minister of Foreign Trade on 3rd December 1969 in reply to Unstarred question No. 2484, the investigation report of the Central Bureau of Investigation is a secret document and it may not be in public interest to place it on the Table of the House.

राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा प्रतिनिधिमण्डल का वीजा

*534. **श्री कामेश्वर सिंह :**

श्रीमती शारदा मुकर्जी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वियतनाम के राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया था ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रतिनिधिमंडल किस देश के अर्थात् दक्षिण वियतनाम सरकार के अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार अथवा उत्तर वियतनाम सरकार के पासपोर्ट से भारत आया था ?

वैदेशिक कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) 13 दिसम्बर, 1969 से 9 जनवरी, 1970 तक दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार के तत्वावधान में छह व्यक्तियों के एक दल ने दो गैर-सरकारी भारतीय संगठनों के निमन्त्रण पर भारत की यात्रा की थी।

(ख) उनके पास वियतनाम लोक गणराज्य का पासपोर्ट था।

चीन के परमाणु शक्ति के खतरे का मुकाबला करने के लिए एशियाई देशों की बैठक

*535. **श्री समर गुह :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामरिक युद्धनीतिक महत्व के परमाणु हथियारों तथा इन परमाणु हथियारों के प्रयोग के लिए छोटी तथा लम्बी मार वाले मिसाइलों के निर्माण सम्बन्धी चीन की परियोजना मे अन्तर्ग्रस्त खतरे की ओर एशिया के विभिन्न देशों का ध्यान दिलाया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार चीन के परमाणु खतरे के विरुद्ध एशिया के देशों की सामूहिक सुरक्षा के बारे में सूझबूझ उत्पन्न करने हेतु इन देशों की बैठक बुलाने की वांछनीयता पर पुनर्विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो चीन के परमाणु खतरे की चुनौती का सामना करने हेतु सरकार ने क्या वैकल्पिक कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : (क) और (ख). एशियाई देश, चीन की नाभिकीय सामर्थ्य से उत्पन्न खतरे से पहले ही से अवगत हैं।

(ग) यह प्रत्येक राज्य पर निर्भर करता है कि वह ऐसे उपाय निकाले जिन्हें वह अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक समझता हो।

(घ) हालांकि अपनी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा और सुरक्षा की आवश्यकताओं का सामना करने के लिए समुचित उपाय कर दिये गये हैं, फिर भी सरकार का यह विचार है कि नाभिकीय खतरे का सबसे अच्छा मुकाबला तभी किया जा सकता है, जब निरस्त्रीकरण पर अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हो।

कृष्णा-गोदावरी नदी जल विवाद

*536. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र, मैसूर तथा आंध्र प्रदेश के बीच कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के बंटवारे के सम्बन्ध में विवाद न्यायाधिकरण के निर्णयाधीन है ;

(ख) क्या न्याय निर्णयन सम्बन्धी कार्यवाहियों के बावजूद नागार्जुन सागर पर काम हो रहा है ; और

(ग) क्या नागार्जुन सागर पर निर्माण कार्य उसके दूसरे प्रक्रम से सम्बन्धित है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी हां। कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण और गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यों के बीच अन्तर्राज्जीय नदियों, कृष्णा और गोदावरी, तथा नदी घाटियों के सम्बन्ध में जल विवादों पर न्यायनिर्णय करने के लिए बनाये गये हैं। न्यायाधिकरणों की सुनवाइयां चल रही हैं।

(ख) और (ग). योजना आयोग ने कृष्णा के 26400 घन फुट पानी के समुपयोजन के लिए नागार्जुन परियोजना स्वीकार कर ली है। पानी की स्वीकृति मात्रा के समुपयोजन के लिए इस परियोजना पर कार्य 1955 में शुरू किया गया था और अब यह निर्माण की प्रौढ़ावस्था में है।

दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में बार-बार पावर शेडिंग के संबंध में जांच समिति की नियुक्ति

*537 **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम विद्युत व्यवस्था द्वारा सेवित क्षेत्र में बार-बार तथा बीच-बीच में बिजली की सप्लाई बन्द करने की अनुपयुक्तता के कारण उसके कारणों की जांच के लिये कुछ समय पूर्व एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समिति ने अधिकारियों को अपना प्रतिवेदन दे दिया है।

(ग) क्या यह भी सच है कि इस समिति ने चेतावनी दी है कि यदि दामोदर घाटी निगम द्वारा पावर शेडिंग की निराशापूर्ण स्थिति में सुधार करने के लिये कारगर कार्यवाही नहीं की गयी तो पूर्व क्षेत्र में मुख्यतः बिहार तथा पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्र में बिजली सप्लाई स्थिति गम्भीर रूप धारण कर लेगी ; और

(घ) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में यदि कोई कार्यवाही की जा रही है, तो वह क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री (डा० कु० ल० राव) : (क) दामोदर घाटी निगम ने 19 अप्रैल, 1969 को दामोदर घाटी निगम बिजली प्रणाली के फेल हो जाने के कारणों का पता लगाने और उपचारी उपाय सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी।

(ख) समिति ने फरवरी, 1970 में निगम को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी।

(ग) और (घ). समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर बिजली घर और दुर्गापुर परियोजना लिमिटेड के बिजली घर के बीच 132 के० वी० डबल-सर्किट लाइन के एक सर्किट में शार्ट सर्किट होने के परिणामस्वरूप 19 अप्रैल, 1969 को दामोदर घाटी निगम प्रणाली में बिजली फेल हो गई थी। समिति की मुख्य सिफारिशें और दामोदर घाटी निगम द्वारा उन पर की गई कारवाई संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

समिति की मुख्य सिफारिशें	दामोदर घाटी निगम द्वारा की गई कार्यवाही
(1) दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर विद्युत केन्द्र और दुर्गापुर प्राजैक्ट्स लि० के विद्युत केन्द्र के बीच 132 के० वी० लिंक के दोनों सिरों पर अपने आप पुनः बन्द होने वाले ब्रेकरों के साथ वाहक (केरियर) सुरक्षा की व्यवस्था।	प्रारम्भिक इंजीनियरी कार्य और अभिकल्प पूरे हो गये हैं। उपकरण की प्राप्ति के लिये निविदाएं मंगा ली गई हैं।
(2) प्रचलित ड्राफ्ट पंखे और पूर्व-तापक यंत्र अपने आप बंद हो जाएं, इस के लिये दुर्गापुर विद्युत केन्द्र के तीसरे यूनिट में व्यवस्थित इन्टर-लाक को निष्क्रिय रखा जाए।	यह काम पूरा कर दिया गया है।

1	2
(3) दामोदर घाटी निगम के दुर्गापुर विद्युत केन्द्र के 75 मेगावाट के युनिटों की कोयला मिल्लों के लिये स्नेहक तेल मोटर मेलकों में संशोधन किया जाए।	ये संशोधन कर दिये गए हैं :
(4) सुरक्षा उपायों को ध्यान में रख कर दामोदर घाटी निगम प्रणाली अन्तः ग्रथित गोवरनरों के साथ चलाई जाए और सहवर्ती प्रणालियों के साथ उनकी मशीनों को इसी ढंग से चलाने के लिये बातचीत की जाए।	बातचीत शुरू कर दी गई है और दामोदर घाटी निगम प्रणाली में आंशिक रूप से क्रियान्विति आम्भ कर दी गई है।
(5) स्वचालित भार विकीर्णन के लिये वर्गीकृत निम्न-आवृति के रिले के प्रतिष्ठापन कार्यों को पूरा करना।	इस सिफारिश की क्रियान्विति के लिये कार्य-वाही चल रही है और कई उपभोक्ताओं के संबन्ध में निम्म-आवृति रिले के प्रतिष्ठापन का काम पूरा हो चुका है।
(6) जब तक केन्द्रीय भार-प्रेषण केन्द्र पूरा नहीं हो जाता, मैथोन भार प्रेषण केन्द्र में दो-पारी मानीटरिंग आरम्भ की जाए।	इस सिफारिश की क्रियान्वित के लिये अतिरिक्त स्टाफ की भरती हो रही है।

विदेशों से निकाले गये भारतीयों को मुआवजा देने की योजना

*538. **श्री एन० शिवप्पा :**

श्री नंद कुमार सोमानी :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान विदेशों से जबरन निकाले गये भारतीयों को मुआवजा देने सम्बन्धी नीति के बारे में प्रकाशित एक समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या इन भारतीयों द्वारा विदेशों में छोड़ी गई आस्तियों को विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के अधिकार में लेने तथा उनके भारत में आने पर उन्हें भारत में उन आस्तियों के बराबर के मूल्य की धनराशि उपलब्ध करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ग) इस प्रक्रिया से सम्भवतः कितने लोग प्रभावित होंगे तथा इस योजना को अन्तिम रूप देने सम्बन्धी स्थिति क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). सरकार ने मुआवजा देने की ऐसी कोई योजना नहीं बनाई है। लेकिन सरकार ने उन भारतीय राष्ट्रिकों को अनुग्रह अनुदान दिया था, जिन्हें रोक लिया गया था और जिन्हें पुर्तगाली सरकार से मोजाम्बिक छोड़ने पर मजबूर किया था।

आयात लाइसेंस का जारी किया जाना

*539. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष 31 मार्च से पूरे 12 महीनों के लिये विभिन्न प्रकार के ऋणों की धनराशि से खरीदे जाने वाले कच्चे माल, कल-पुर्जों और उपकरणों के आयात के लिये लाइसेंस जारी करने का निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस ब्यौरे में की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). ब्यौरे विदेशी व्यापार मन्त्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 29—आई० टी० सी० (पी० एन) 170 दिनांक 9 फरवरी, 1970 में दिये गये हैं जिसकी प्रतियां (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखी जाती है। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 2916/70]

Demand by Madhya Pradesh Chief Minister for Financial Aid on the Basis of Low Per Capita Income in the State

*540. **Shri G. C. Dixit** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Madhya Pradesh had discussed the size of the Plan for the State with Planning Commission authorities ;

(b) if so, whether he had urged upon the Central Government to give financial aid to the Government of Madhya Pradesh keeping in view the low *per capita* income in the State ; and

(c) the nature of assurance given to the Chief Minister in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Smt. Indira Gandhi) : (a) and (b). Yes, Sir.

(c) Disparity in *per capita* income has already been taken into account while distributing the Central assistance on the principles laid down by the National Development Council. While the Central asistance will provide the necessary support to a State's plan effort, the actual size of the States' plan will depend largly on the resources the State will be able to muster as its contribution for the plan.

विदेशों में भारतीय समवाय

3395. **श्री न० रा० देवघरे : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों में कारोबार कर रहे भारतीय समवायों की संख्या कितनी है और प्रत्येक ने अनुमानतः कितना-कितना धन विनियोजित कर रखा है ; और

(ख) इन समवायों ने लाभ के रूप में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). भारतीय सहयोग से विदेशों में स्थापित 19 औद्योगिक उद्यमों में उत्पादन शुरू हो गया है। इन उद्योमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2917/70]

इन समवायों द्वारा वर्ष 1969 के अन्त तक भारत में लाई गई कुल विदेशी मुद्रा 82 लाख रु० है।

पाकिस्तान द्वारा फ्रांस से मिराज फाइटर विमान खरीदा जाना

3396. **श्री बाबू राव पटेल : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में पाकिस्तान ने फ्रांस से कितने मिराज फाइटर नामक विमान खरीदे हैं।

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान फाइटर इंटर सैप्टर दूर तक मार करने वाले फाइटर-बाम्बर 40 एस० यू० 7 विमान, टैंक तथा फालतू पुर्जे तुरन्त देने के लिए रूस सरकार पर दबाव डाल रहा है ;

(ग) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार रूस ने पाकिस्तान को अब तक कितना उपर्युक्त सैनिक सामान भेजा है और उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में हमारी सरकार ने रूस को जो विरोध पत्र भेजा है उसकी मुख्य बातें क्या हैं और उसका रूस पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जिनिरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ग). सरकार इस विषय में जानकारी रखती है, परन्तु उसको प्रकट करका वांछनीय नहीं है।

(ख) रूस से विमान और आयुध प्राप्त करने के पाकिस्तान के प्रयास के सम्बन्ध में सरकार ने समाचार पत्रों की रिर्पोट देखी है।

(घ) हमने सोवियत प्राधिकरणों पर अपनी चिन्ता व्यक्त कर दी है कि पाकिस्तान के चीन के साथ सैनिक गठजोड़ का ध्यान करते हुए, पाकिस्तान की सशस्त्र शक्ति में किसी प्रकार की वृद्धि भारत की सुरक्षा के लिये भारी संकट का कारण होगी। पाकिस्तान को आयुधों की सप्लाई उप महाद्वीप में तनाव भी बढायेगी। हमें आशा है कि सोवियत सरकार और अन्य सरकारें इसका उचित ध्यान रखेंगी।

Irrigation Schemes Submitted by Madhya Pradesh

*2397. **Shri G. C. Dixit : Will the Minister of Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government of Madhya Pradesh have submitted any outlines in regard to irrigation schemes pertaining to the State, to the Irrigation Commission appointed by the Central Government :

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by the Commission thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswar Prasad) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, ओखला, नई दिल्ली के दैनिक मजूरी वाले कर्मचारियों की सेवा नियमित करना

3399. **श्री प० ला० बारूपाल : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड, ओखला, नई दिल्ली से बहुत से कर्मचारी लगभग 9 वर्षों से दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनकी सेवायें अब तक नियमित नहीं की गई हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले 9 कर्मचारियों को अब तक नियमित पदों पर नियुक्त किया जा चुका है। सब को नियमित करना इस लिए सम्भव नहीं हो सका है कि नियमित पद उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) क्षेत्रीय डिजाइन केन्द्रों के नियमित पदों की संख्या बढ़ाने के विषय में अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का सुझाव विचाराधीन है।

तेजाब का आयात

3401. **श्री न० रा० देवघरे : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब भी भारत विदेशों से कुछ प्रकार के तेजाब आयात करता है ;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार और किन-किन देशों से ये तेजाब आयात किए जाते हैं ; और

(ग) भारत में ये तेजाब तैयार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). एक विवरण (अंग्रेजी में) संलग्न है जिसमें वर्ष 1969-70 में (नवम्बर 1969 तक) आयातित तेजाबों के ब्यौरे तथा उन देशों के नाम जहां से उनका आयात किया गया है और उनके मूल्य दिये गये हैं। [**ग्रन्थालय में रखा गया।** देखिये संख्या एल० टी० 2918/70]

(ग) कतिपय तेजाबों के मामले में मांग इतनी कम है कि अभी उनका उत्पादन लाभप्रद नहीं समझा गया है। कतिपय तेजाबों का स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त रूप से बढ़ाने के लिये यथा-सम्भव प्रयत्न किए जा रहे हैं।

सेना मुख्यालय के सी० सी० ओ० के संगठन के व्यापक विवेकाधिकार

3402. **श्री चंद्र शेखर सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेना मुख्यालय में सी० सी० ओ० के संगठन को व्यापक विवेकाधिकार दिये गये हैं जबकि कैंटीन भंडार विभाग भारत के महाप्रबन्धक की बहुत सी सीमित शक्तियां हैं, यहां तक डिपो प्रबन्धकों का स्थानान्तरण करने और कुछ सीमा से अधिक खरीद करने जैसे छोटे-छोटे मामलों सहित सभी मामलों में सी० सी० ओ० के संगठन की अनुमति लेनी पड़ती है ;

(ख) क्या सी० सी० ओ० के संगठन का मुख्य अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के स्तर का होता है जबकि महा-प्रबन्धक पहले ब्रीगेडियर के स्तर का होता था और अब पूरे कर्नल स्तर का होता है ; और इस में कोई समुचित समन्वय नहीं है ; और

(ग) क्या सरकार कैंटीन भंडार विभाग के महा प्रबन्धक को निर्णय करने की अधिक शक्तियां देने और प्रशासन बोर्ड को अपने सभी कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाने पर विचार करेगी और अच्छे परिणामों के लिए इस प्रकार कैंटीन भंडार विभाग (भारत) के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर इसे अधिक स्वायत्तता देगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनिरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). कैंटीन स्टोर्ज विभाग (भारत) के अधीन प्रत्येक प्राधिकरण के सत्ताधिकार, कर्तव्य और कृत्य 26 फरवरी, 1970 के आदेशों द्वारा संशोधित 17 अप्रैल, 1969 के सरकारी आदेशों में निर्धारित किये गये हैं। इन दोनों आदेशों की प्रतियां संलग्न हैं। प्रशासनिक बोर्ड और जनरल मैनेजर को दैनंदिन प्रशासन के मामले में पर्याप्त सत्ताधिकार दिये गये हैं। यह सच है कि वर्तमान मुख्य कैंटीन अफ़सर एक ले० कर्नल है। जबकि वर्तमान जनरल मैनेजर एक सेवा विमुक्त नौसैनिक अफसर है जो अपने रिटायर होने के समय कर्नल ब्रिगेडियर के समतुल्य पद धारण किये था। मुख्य कैंटीन अफसर एक स्टाप अफसर है और वह मुख्यतः क्यु० एम० जी० के सामने उत्तरदायी है, जो एक ले० जनरल है। इस प्रबन्ध में कोई असंगतता नहीं है। विभिन्न प्राधि-करणों में पर्याप्त सहयोग विद्यमान है।

मुख्य जलपान गृह अधिकारी संघ के कार्य

3403. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैन्टीन स्टोर विभाग (प्रथम) की तुलना में मुख्य कैन्टीन अधिकारी संघ के कृत्य क्या हैं और क्या वे संहिताबद्ध हैं ;

(ख) क्या सरकार को कैन्टीन अधिकारी संघ के विरुद्ध ऐसी शिकायतें मिली हैं कि वह सेना मुख्यालय ग्रोसरी कैन्टीन से केवल कुछ अधिकारियों को विशेष प्रकार की शराब और अन्य वस्तु देने में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं और सेवा मुख्यालय ग्रोसरी कैन्टीन तथा दिल्ली में स्थित कैन्टीन स्टोर विभाग के अन्य एककों के दैनिक कार्य में हस्तक्षेप करते हैं ;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों में ऐसी शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उसके विरुद्ध की गई अधिक शिकायतों को देखते हुए क्या सरकार मुख्य कैन्टीन अधिकारी संघ के कृत्यों में सुधार करने और उन्हें संहिताबद्ध करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त करेगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) मुख्य कैंटीन अफसर, सेना मुख्यालयों में क्वार्टर मास्टर ब्रांच के कैंटीन अनुभाग का एक अंग है । अन्य बातों सहित कैंटीन अनुभाग के कर्त्तव्य 17 अप्रैल 1969 के सरकारी आदेशों में निर्धारित हैं, कि जिसका एक संगत उद्धरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०–** 2919/70]

(ख) सरकार को ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) और (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

कैंटीन भंडार विभाग (भारत) के जयपुर डिपों में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुविधाओं का अभाव

3404. **श्री चन्द्र शेखर सिंह :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंटीन भंडार विभाग (भारत) का जयपुर डिपो नगर की सीमाओं से 10-12 मील बाहर स्थित है और उसमें कार्य करने वाले कर्मचारियों को आवास तथा यातायात की कोई सुविधाएं नहीं दी जाती हैं ;

(ख) क्या आवास तथा यातायात की सुविधाओं की कमी के कारण कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई होती है जबकि दूसरी ओर कैंटीन भंडार विभाग के मुनाफे की भारी राशि अन्य कार्यों पर बेकार खर्च कर दी जाती है और अपने कर्मचारियों के लिए आवास, यातायात तथा ऐसी अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने पर कुछ खर्च नहीं किया जाता है ; और

(ग) कैंटीन भंडार विभाग के ऐसे प्रत्येक केन्द्र में, जहां इसके संस्थान हैं ; कर्मचारियों के लिए इसके मुनाफे में से आवास, यातायात तथा इस प्रकार की अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). जयपुर में सी० एस० डी० (आई०) डिपु नगर से 7-8 किलोमीटर है और डिपु के कर्मचारी या तो पास के गांवों में रहते हैं या जयपुर नगर में जहां किराये पर वास्य भवन मिल सकते हैं। सी० एस० डी० (आई०) कर्मचारी वास्य भवनों सम्बन्धी उन्हीं सुविधाओं के अधिकारी हैं जो रक्षा आर्डनेन्स कर्मचारियों को और वह किराया भत्ते के लिए भी अधिकारी हैं। तदपि, सी० एस० डी० (आई०) की सम्पत्ति के वास्य भवन बम्बई में 140 कर्मचारियों को प्राप्य किए गए हैं। सी० एस० डी० (आई०) द्वारा संस्थान के पास ही प्रत्येक स्थान के महत्व के कुछ सेविवर्ग के लिए एक प्रावस्थित ढंग से वास्य भवन बनाने के लिए योजनाएं बनाई जा रही हैं। जयपुर में परिवहन सुविधाएं प्राप्य करने का प्रश्न विचाराधीन है।

यह कहना सत्य न होगा कि सी० एस० डी० (आई०) के लाभों को फिजूलखर्ची में व्यय किया जा रहा है। लाभों को मुख्यतः सेनाकों के कल्याण और व्यापक मनोरंजन उद्देश्यों के लिए, सी० एस० डी० (आई०) को चलाने पर खर्च करने के लिए और सी० एस० डी० (आई०) के कल्याण निधि और टी० वी० निधि के लिए इस्तेमाल किया जाता हैं। चूंकि अन्य रक्षा असैनिकों को देय सुविधाओं की समानता पर आवश्यक सुविधाएं सी० एस० डी० (आई०) कर्मचारियों को पहले से देय है ; सी० एस० डी० (आई०) के लाभों का कोई अंश इस उद्देश्य के लिए सुरक्षित करना आवश्यक नहीं समझा गया।

राज्यों में सरकारी उपक्रम स्थापित करना

3406. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** **श्री हेम राज :**
श्री देवकी नंदन पाटोदिया : **श्री ओम प्रकाश त्यागी :**
श्री न० रा० देवघरे :

क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य सरकारों चौथी योजना की अवधि में अपने-अपने राज्यों में सरकारी उपक्रम स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारों के नाम क्या हैं और उन्होंने अपने-अपने राज्यों में जिन एककों के स्थापित किये जाने का अनुरोध किया है उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय, सभी राज्य सरकारों ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य क्षेत्र में शामिल करने के लिए, औद्योगिक तथा खनिज स्कीमों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे। इन प्रस्तावों पर योजना आयोग में हुई कार्यकारी दलों की बैठकों में विचार किया गया था। चौथी योजना के प्रारूप में राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत 176.36 करोड़ रुपये के परिव्यय, जिसमें से 154.27 करोड़ रुपये बड़े तथा मध्यम उद्योगों और 22.09

करोड़ रुपये खनिज के लिए, व्यवस्था की गई है। बड़े उद्योगों और खनिजों के लिए चौथी योजना में स्वीकृत राज्यवार परिव्यय को चौथी योजना प्रारूप रिपोर्ट के 65 से 70 पृष्ठों पर दर्शाया गया है। चौथी योजना के दौरान जो केन्द्रीय औद्योगिक और खनिज परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी उनकी सूची तथा उनके स्थान-निर्धारण के बारे में अब तक जो निश्चय हुआ है उसको चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारूप रिपोर्ट के पृष्ठ 253 से 260 पर दर्शाया गया है।

चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकारों द्वारा कतिपय तरमीमों और समायोजनों का प्रस्ताव किया गया है। चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के संदर्भ में केन्द्रीय तथा राज्य, दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक व खनिज कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है और राज्य सरकारों द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उन पर चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देते समय ध्यान दिया जाएगा।

ईरान के साथ औद्योगिक सहयोग

3407. **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के हाल ही में ईरान की यात्रा करने वाले प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे ईरान के साथ सहयोग के मामले तय करने के लिए उद्योग को पर्याप्त समर्थन दें ; और

(ख) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के महा-सचिव तथा एक अन्य अधिकारी ने, संघ तथा ईरान में अपने प्रतिपक्षी पार्टी के बीच सीधा सम्पर्क स्थापित करने के मुख्य उद्देश्य से, नवम्बर 1969 में, ईरान का दौरा किया था। दौरे पर अपनी रिपोर्ट में उन्होंने अन्य बातों के साथ-साथ, यह सामान्य विचार व्यक्त किया है कि (औद्योगिक उद्यमों के लिए) सहयोग प्रबन्धों को अन्तिम रूप देने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में सरकार का उपर्युक्त समर्थन उपलब्ध होना चाहिए।

(ख) इस सम्बन्ध में अपनी ज्ञात नीति के अनुसार, सरकार, भारतीय उद्यमियों द्वारा विदेशों के संयुक्त उद्यमों को प्रोत्साहन तथा सुविधायें देती रही है और भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी।

विशेषज्ञ दल का जापान का दौरा

3408. **श्री सामिनाथन :**　　　　**श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :　　　　**श्री दण्डपाणि :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जापान और भारत के प्रधान मंत्रियों द्वारा गत वर्ष किये गये

निर्णयों के सम्बन्ध में हुई प्रगति पर विचार करने के लिए उनके मंत्रालय का एक विशेषज्ञ दल जापान गया था ;

(ख) यदि हां, तो दोनों प्रधान मंत्रियों की बातचीत के बाद व्यापार में वृद्धि करने के लिये दोनों देशों में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) भारत ने जापान को कौन सी वस्तुएं स्पलाई की हैं और उस देश से किन वस्तुओं का आयात किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). श्री के० बी० लाल, सचिव (विदेशी व्यापार) ने वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के एक अधिकारी को साथ लेकर, जापान सरकार के निमन्त्रण पर 19 से 28 दिसम्बर, 1969 तक जापान की यात्रा की। यात्रा का उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ गत वर्ष दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों द्वारा किए गए विनिश्चयों के अनुसारण में की गई कार्यवाही की समीक्षा करना था। उन्होंने, जापानी अधिकारियों, व्यापारियों तथा उद्योगपतियों के साथ लाभप्रद वार्ताएं कीं। उन्होंने आर्थिक प्रयत्न के विभिन्न क्षेत्रों में भारत-जापानी सहयोग की, इसके विस्तार की दृष्टि से, समीक्षा की। इसके अतिरिक्त भी कई अन्य यात्राएं तथा वार्ताएं हो चुकी हैं, जो दोनों प्रधान मंत्रियों इस करार के अनुरूप थीं कि विभिन्न स्तरों पर विचार-विमर्श किये जाने चाहिएं, ताकि अधिक विविधीकरण तथा अनुपूरकता के आधार पर दोनों देशों के बीच दीर्घावधि विकासात्मक व्यापार सम्बन्ध सुनिश्चित हो सकें। इसके परिणामस्वरूप, भारत-जापान व्यापार में वृद्धि की सम्भावनाओं का और स्पष्ट रूप से पता लगाना सम्भव हो सका। यह भी उल्लेखनीय है कि अप्रैल से नवम्बर 1969 में भारत से जापान को 108 करोड़ रु० मूल्य के निर्यात हुए थे जबकि 1968 की उसी अवधि में 98 करोड़ रु० के ही निर्यात हुए थे। जापान को भारत द्वारा निर्यातित मुख्य मदों में लौह-अयस्क तथा सान्द्रण, मैंगनीज अयस्क, लोहा तथा इस्पात (कतरनें मिलाकर), मत्स्य तथा मत्स्य उत्पाद, खली, अनिर्मित तम्बाकू, रोजवुड, कपास, अभ्रक पशु-खोल तथा पटसन का माल शामिल है। जापान से भारत को आयात हुई मुख्य मदों में मशीनें तथा उपकरण, प्रांगरिक रसायन, नत्रजन उर्वरक, कुछ अलौह धातुएं, लौह तथा इस्पात का माल और कतिपय परिवहन उपकरण शामिल थे।

Export to East European Countries

3409. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Ramavatar Shastri :

Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the estimated value of the Indian goods to be exported to East European Countries and U. S. S. R. during 1970-71 ; and

(b) the main items to be imported from U. S. S. R. during this financial year and the value of such goods in Indian currency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Estimated exports during 1970-71 to the East European countries including U. S. S. R. are expected to be of the order of Rs. 340 crores.

(b) The main items to be imported from U. S S. R during 1970-71 are machinery and equipments, spares and balancing items for the various Soviet assisted projects in India, tractors machine tools, essential raw materials like raw asbestos, newsprint, woodpulp, sulphur, dy-intermediates, oil products, ferro-alloys and special steel. The total value of such imports during 1970-71 is expected to be of the order of Rs. 83 crores.

Indo-Burma Rice Agreement

3410. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Sita Ram Kesri :

Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether any agreement has been signed with Burma for the import of rice from that country ;

(b) if so, the quantity proposed to be imported and the value thereof in the Indian currency and in foreign exchange ; and

(c) the commodities proposed to be exported to Burma in exchange ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

ताशकन्द समझौते के दो पक्षीय क्रियान्वयन में रूस की सहायता

3411. **श्री सं० चं० सामन्त :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री की हाल की रूस यात्रा से ताशकंद समझौते का पाकिस्तान द्वारा क्रियान्वयन किये जाने की दिशा में और चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों का सामना करने में भारत को सहायता मिली है ; और

(ख) क्या रूस शस्त्र सैनिक साज सामान तथा पनडुब्बियां आदि देने को तैयार है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री ने पिछली बार सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ की यात्रा जनवरी 1969 में की थी जबकि वे लंदन में राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन से स्वदेश लौटते हुए थोड़ी देर के लिए मास्को हवाई अड्डे पर रुकी थी। इस मौके पर जो भी बातचीत हुई वह गोपनीय प्रकृति की थी और इस तरह की बातचीत का ब्यौरा बताने की प्रथा नहीं है।

भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों में सुधार करने के लिए कार्यवाही

3412. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों में सुधार करने के लिये अग्रेतर क्या कार्यवाही की गई है या की जा रही है ; और

(ख) क्या इस सम्बन्ध में पाकिस्तान ने कुछ अनुकूल रवैया अपनाया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ताशकंद घोषणा के अन्तर्गत पाकिस्तान के साथ संबंध सुधारने के प्रयास में सरकार पहल करती रही है। दूसरी बातों के अतिरिक्त, इनका सम्बन्ध, सम्पति और आस्तियों को लौटाने, शत्रुतापूर्ण प्रचार को दबाने युद्ध नहीं संधि करने, व्यापार पुनः आरम्भ करने, यात्रा सम्बन्धी सुविधाएं देने सांस्कृतिक आदान-प्रदान करने और सिविल एयरलाइन्स द्वारा उड़ाने फिर से शुरू करने से भी है।

(ख) जी नहीं। पाकिस्तान का उत्तर स्वीकारात्मक नहीं है।

एमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को सेवामुक्त करना

3413. **श्री हेमराज :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970 में कितने ऐमरजेंसी कमीशन-प्राप्त अधिकारी सेवामुक्त किये जायेंगे ; और

(ख) सेवामुक्त करने का यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) और (ख). लगभग 860 आपाती कमीशन प्राप्त अफसर (गैर चिकित्सक) और सेना चिकित्सा कोर के लगभग 30 आपाती कमीशन प्राप्त अफसर 1970 में सेवा से विमुक्त किये जाने प्रत्याशित हैं। रिमाऊंट तथा वैटेरिनरी के 38 आपाती कमीशन प्राप्त अफसर 1970 में स्क्रीन किए जायेंगे जो स्थायी कमीशन के लिए योग्य होने से रह जायेंगे उन्हें सेवा से विमुक्त कर दिया जायेगा। वर्तमान आयोजना के अनुसार गैर चिकित्सक ई० सी० ओज० की विमुक्त 30 सितम्बर 1970 तक सम्पूर्ण हो जायेगा, और रिमाऊंट तथा वैटेरिनरी कोर के ई० सी० ओज० की 1971 तक सेना चिकित्सा कोर के ई० सी० ओज० की विमुक्ति के लिए कोई प्रावस्थित कार्यक्रम नहीं है। उन ई० सी० ओज० की विमुक्ति में कुछ बिलम्ब हो सकता है कि जिनके विरुद्ध अनुशासनिक मामले निलम्बित हैं, या क्योंकि वह अस्थायी तौर निम्न चिकित्सा वर्ग में हैं, और इसलिए स्थायी कमीशन के लिए अभी स्वीकृति किए जाने हैं।

पीकिंग रेडियो द्वारा भारत विरोधी प्रसारण

3414. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पीकिंग ने भारत विरोधी कितने प्रसारण किये हैं जिनकी सूचना सरकार को गत तीन महीनों में मिली है और विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से चीन ने किस प्रकार का भारत विरोधी अभियान चला रखा है, और इस सम्बन्ध में चीन सरकार द्वारा भारत के आन्तरिक मामलों में इस प्रकार हस्तक्षेप करने के बारे में, जिससे भारत की शान्ति और सुरक्षा को गम्भीर खतरा हो जाता है, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : 1 दिसम्बर, 1969 से 28 फरवरी, 1970 तक की अवधि में रेडियो पीकिंग के करीब 35 भारत-विरोधी प्रसारण सरकार की जानकारी में आए। इन प्रसारणों में भारत की विदेश नीतियों और भारत की आन्तरिक स्थिति का एक अत्यन्त विकृत चित्र प्रस्तुत किया गया। इन प्रसारणों में भारत और उसके

पड़ोसियों के बीच फूट डालने की कोशिश की गई है और भारत के कुछ गुटों को हिंसात्मक तरीकों से भारत में विधित: निर्मित सरकार को उलट देने का खुल्लमखुल्ला प्रोत्साहन दिया गया है।

भारत सरकार ने इस प्रकार के वेबुनियाद और उत्तेजनात्मक प्रचार के खिलाफ चीन सरकार से बार-बार विरोध प्रकट किया है। जो भी हो, यह चीन के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के उन सिद्धांतों की सुन्दर शब्दों में अस्वीकृति है जिनकी कि वह बहुत दुहाई देता है और जिनमें दूसरे देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना भी शामिल है। भारत सरकार जिसने कि इस संदर्भ में सहिष्णुता और धैर्य का रास्ता अपनाया हुआ है. इस तरह के प्रचार जारी रखने की निन्दा ही करेगी।

Radio Peace and Progress Radio Moscow and Radio Peking Criticism During Presidential Election 1969

3415. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bansh Narain Singh :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred to Question No. 1557 on the 6th November, 1969 and state :

(a) whether the requisite information in regard to the criticism of different political parties and leaders of India by the Radio Peace and Progress, Radio Moscow and Radio Peking during the Presidential Election in August, 1969, has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not. the reasons therefor and the time by which the same would be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) :

Radio Moscow and Radio Peace and Progress

(a) Yes, Sir.

(b) From the study of these broadcasts it appears that these two Radios gave their own assessment of the political situation prevailing in India at the time ; some time objectively and sometimes with a slant.

(c) Does not arise.

Radio Peking

(a) Yes. Sir.

(b) A copy of an Hsinhua article reproduced by Radio Peking is placed on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2920/70].

(c) Such broadcasts are in keeping with Chinese Government's well-known hostility towards India. The tendentions propaganda does not have much effect. Where necessary, suitable steps are taken by the Information and Publicity Media of the Government of India to present the correct picture.

टेलीविजन सेटों का आयात करने से टेलीविजन विस्तार कार्यक्रम में बाधा

3416. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीविजन सेटों का आयात करने से केन्द्रीय सरकार के टेलीविजन विस्तार कार्यक्रम में बाधा पड़ रही है ;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में वर्षवार कितने टेलीविजन सेटों का आयात किया गया और इस पर उक्त अवधि में कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई ;

(ग) क्या यह भी सच है कि सेंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट, पिलानी ने टेलीविजन प्रणाली के लिए विभिन्न उपकरणों तथा पुर्जों का विकास करने का एक समेकित कार्यक्रम तैयार किया है ;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और क्या पिलानी में बताये गये उपकरण टेलीविजन सेटों के आयात में कमी करने और टेलीविजन कार्यक्रम के विस्तार में सहायक सिद्ध हुए हैं ; और

(ङ) उन गैर-सरकारी फर्मों के नाम क्या हैं जिन्हें लाइसेंस दिए गये हैं और जिन्होंने टेलीविजन सेट बनाने आरम्भ कर दिये हैं और प्रत्येक फर्म ने अब तक कितने सेट बनाए हैं ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). जी नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में ही स्थापित एक अकेले टी० वी० संस्थान की आवश्यकताएं पूर्णतः देशीय उत्पादन से पूरी की जा रही हैं, कि जो स्थापित किया जा चुका है। चौथी पंच वर्षीय योजना अवधि के दौरान श्रीनगर, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर में 5 अतिरिक्त टी० वी० प्रसारण संस्थान स्थापित करने के लिए योजना से संगत, जब यह नये संस्थान स्थापित हो गए इनकी पूर्ण आवश्यकताएं पूरी करने के लिए टेलीविजन रिसीवरों के निर्माण के पर्याप्त क्षमता स्थापित करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। गत तीन वर्षों में क्रय के लिए टी० वी० रिसीवरों के आयात की अनुमति नहीं दी गई। विदेश से लौटने वाले व्यक्ति अपने सामान के तौर पर शायद कुछ सेट साथ लाए हों, और कुछ सेट शायद, उपहारों के तौर पर आयात किए गए हों। इन सेटों पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्य नहीं है।

(ग) और (घ). सेंट्रल इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीच्यूट पिलानी ने टेलीविजन साज सामान के निर्माण के लिए आवश्यक 10 मदों (माड्यूलों) के विकास के लिए समग्रीकृत कार्यक्रम तैयार किया है। इनके सम्बन्ध में वैकासिक कन्ट्रेक्ट देना प्रस्तावित है। सी० ई० इ० आर० आई० बिलानी द्वारा किया गया टेलीविजन का विकास, टेलीविजन फैक्टरियाँ स्थापित करने के लिये विदेशी मुद्रा कम करने और टेलीविजन रिसीवरों का उत्पादन करने में सफल रहा है।

(ङ) जिन निजी संस्थाओं को टी० वी० सेट उत्पादन करने के लिए क्षमता स्वीकृत की गई है, उनके नाम और उत्पादन की वर्तमान स्थिति नीचे दर्शाई गई है :—

फर्म का नाम	क्षमता जिसके लिए लाइसेंस दिया गया	अब तक उत्पादित की गई राशि
सर्वश्री जे० के० इलेक्ट्रानिक्स	10000 वार्षिक	2000
सर्वश्री टेलिराड	10000 वार्षिक	उत्पादन अप्रैल 1970 से आरंभ होना प्रत्याशित है।
सर्वश्री टेलिस्टार	5000 वार्षिक	उत्पादन जून 1970 से आरम्भ होना प्रत्याशित है।
सर्वश्री पोलस्टार	5000 वार्षिक	उत्पादन जून 1970 से आरम्भ होना प्रत्याशित है।

Fall in Export of Fruit

3417. **Shri Maharaj Singh Bharati : Will the Minister of Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the export of fresh fruits like pine-apple, banana, grapes-cherry and apricot and potato has been constantly going down since 1965-66 ; and

(b) if so, the steps being taken to improve the situation ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Exports of Banana, Grapes, Apricots, Pine-apples and Potatoes though declined during the years 1966-67 and 1967-68, because of closure of Suez-Canal and high internal prices have again started picking up from 1968-69.

(b) In order to promote the export of fresh fruits and vegetable, among other things, the following steps are being taken :—

(i) A Centrally Sponsored Scheme for production of exportable varieties of fresh fruits and vegetables has been formulated to be implemented during the 4th Plan period.

(ii) Trial consignments of fresh fruits and vegetables are being sent to West European countries in order to establish the feasibility of exporting these items to distant countries.

राज्य सरकारों द्वारा आयात/निर्यात के लिये सीधी बातचीत

3418. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों को निर्यात तथा आयात करने के लिये विदेशों के साथ बातचीत करने की अनुमति है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों ने इस प्रकार के सम्बन्ध स्थापित किये हैं और इस तरीके से कितना व्यापार होता है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : जी हां, सिवाय उन आयातों के मामलों में जिनमें वित्त-व्यवस्था एक्जिम बैंक/एड् प्रोजेक्ट ऋणों के अन्तर्गत की जाती हैं। उनके मांग पत्र पूर्ति तथा निपटान के महानिदेशक के मारफत भेजे जाने होते हैं।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

कांडला के निर्बाध व्यापार क्षेत्र को निःशुल्क पत्तन के रूप में बदलने का प्रस्ताव

3419. **श्री हुचे गोडा :** **श्री हेम बरुआ :**
श्री स० कुन्डू :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कांडला हमें नवनिर्मित निर्बाध व्यापार क्षेत्र में बहुत मन्दी के लक्ष्य दिखायी देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सिंगापुर अथवा हांगकांग की तरह इस क्षेत्र की निःशुल्क पत्तन बनाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कांडला निर्बाध व्यापार क्षेत्र को निःशुल्क पत्तन बनाने का कोई विचार नहीं है।

वर्ष 1965 के संघर्ष के दौरान सक्रिय सेवा के लिये बुलाए गए रक्षित रिर्जविस्ट सैनिकों की सेवा-मुक्ति छुट्टी देना

3420. **श्री सूरज भान** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 में भारत-पाक संघर्ष के दौरान सक्रिय सेवा के लिए रक्षित सैनिकों को बुलाया गया था तथा उन्हें सेना से मुक्त करते समय दो महीने की छुट्टियां दी गई थीं ;

(ख) यदि हां, तो अब उन छुट्टियों की अनियमित तथा वेतन व भत्तों से रहित विशेष छुट्टियां क्यों माना जा रहा है ;

(ग) असैनिक तथा सैनिक सेवा की दरों पर दिये जा रहे वेतन तथा भत्तों के अन्तर की धन राशि को पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं अदा किया गया है ; और

(घ) इस अनियमितता को अनुमानतः कब तक दूर कर दिया जायेगा क्योंकि उक्त छुट्टियों के लिए आरक्षित सैनिकों ने आवेदन नहीं किया था तथा किसी प्रशासनिक त्रुटि के कारण उन्हें इसका दण्ड नहीं मिलना चाहिये ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) भारत पाक युद्ध के दौरान कुछ रिजर्विस्टों को सक्रिय सेवा के लिए बुलाया गया था। सेना से वियुक्ति के समय उन में से कईयों को 60 दिन की छुट्टी दी गई थी।

(ख) 60 दिनों के लिए छुट्टी का अधिकारी बनने के लिये यद्यपि नियमों के अन्तर्गत 6 मास की कम से कम सेवा आवश्यक है कई रिजर्विस्टों को 60 दिन की छुट्टी दी गई थी चाहे उन्होंने कम से कम 6 मास की सेवा नहीं की थी। इन मामलों में छुट्टी प्रदान करने का काम अनियमित था।

(ग) 1965 में बुलाए गये रिजर्विस्टों द्वारा सक्रिय सेवा के लिए असैनिक तथा सैनिक वेता भत्तों में अन्तर की गैर-अदायगी के बारे में कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया। यह ज्ञात नहीं है कि आया रिकार्ड कार्यालयों के पास कोई मामले निलम्बित हैं।

(घ) अनियमित छुट्टी बिना वेतन भत्तों के आसाधारण छुट्टी प्रदान करके नियमित की गई थी। असैनिक तथा सेना में सुपात्रता के मामलों में ऐसा नियमितीकरण साधारण बात है।

विद्रोही नागाओं की गतिविधियों का दबाया जाना

3421. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागालैण्ड की स्थिति में सुधार हुआ है और सैनिक अधिकारियों को विद्रोही नागाओं की गतिविधियों को दबाने में कुछ सफलता मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो नागाओं के विद्रोह को समाप्त करने तथा उस क्षेत्र में शान्ति स्थापित करने की क्या भावी सम्भावनायें हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सुरक्षा सेनाओं द्वारा बरती जा रही सतर्कता और नागालैण्ड सरकार द्वारा हस्तगत की गई बढ़ी चढ़ी वैकासिक गतिविधियों के फलस्वरूप स्थिति में काफी सुधार हुआ है। लोगों की काफी बढ़ती संख्या ने शान्ति से प्राप्त होने वाले लाभ उठाए हैं और वह असैनिक प्राधिकरणों और सुरक्षा सेनाओं को सहयोग देते रहे हैं। नागालैण्ड क्षेत्र में प्रायः शान्ति है और राज्य सरकार की यूनिट समस्त राज्य में फैली है।

Assistance to States

3422. **Shri Molahu Prashad : Will the Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3946 on the 15th December, 1969 and state :

(a) the criterion followed by the Planning Commission for allocating Central Assistant for State plans ; and

(b) whether in the opinion of the Commission the position of all States is alike ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Smt. Indira Gandhi) : (a) Out of the total pool of Central assistance, the requirements for Assam, Jammu and Kashmir and Nagaland should first be met,

The balance of Central assistant be divided among the remaining 14 States as under :—

(i) 60% on the basis of population.

(ii) 10% on the basis of *per capita* State Income—assistance under this crieterion going only to States having *per capitc* State incomes below the national average.

(iii) 10% on the basis of tax effort in relation to state income.

(iv) 10% on the basis of tax spill-over of major continuing irrigation and power projects.

(v) 10% to meet special problems of individual states.

(b) No, Sir. The criteria make an allowance for the relative backwardness of the States, in that, States having their *per capita* incomes below the national average have been given weightage in the distribution of Central assistance.

पश्चिम यूरोपीय देशों को मैंगनीज अयस्क की बिक्री

3423. **श्री नि० रं० लास्कर :** **श्री मयावन :**
श्री दण्डपाणि : **श्री सामिनाथन :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम यूरोपीय देशों को एक लाख टन मैंगनीज अयस्क बेचने की व्यवस्था की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके अतिरिक्त सरकार ने अन्य देशों के साथ वस्तु-विनियम के आधार पर आठ करार भी किये हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) ये करार किन-किन देशों के साथ किये गये हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने वर्ष 1970 में पश्चिम यूरोपीय देशों को लगभग 2 लाख मे० टन मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये बिक्री संविदायें की हैं।

(ख) से (घ). सं० रा० अमरीका तथा कनाडा को उच्च कोटि के मैंगनीज अयस्क के निर्यात के लिये सरकार ने आठ वस्तु-विनिमय प्रस्थापनाओं का अनुमोदन किया।

निचले पदों के लिए गए एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों की सेवा के अनुपात में पेंशन

3424. **श्री उमानाथ :** **श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सभा की याचिका समिति ने सरकार से सिफारिश की है

कि रैंकों से पदोन्नत किये गए एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अफसरों को उनकी सेवा के अनुपात में पेंशन दी जाये ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सिफारिश पर विचार कर लिया है तथा इस बारे में आदेश जारी कर दिये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). अभिवेदनों के लिए राज्य सभा कमेटी ने सन्तोष सहित नोट किया है कि सरकार ने उन आपाती कमीशन प्राप्त अफसरों के मामले, उपदान के स्थान अनुपातिक पेन्शन प्रदान किये जाने के लिए हस्ताक्षर किये थे, कि जो निम्न पदों से पदोन्नत हुए थे।

सीधे कमीशन प्राप्त अफसरों के संबंध में पेन्शन के लिए 20 वर्षों की साधारण अर्हं सेवावधि के विरुद्ध पदों से पदोन्नत होने वाला एक ई० सी० ओ०, जे० सी० ओ०-ओ० आर० तथा ई० सी० ओ० सम्मिलित सेवा के 15 वर्षों के अन्त में विशिष्ट पेन्शन प्रदान किए जाने का अधिकारी था। यह अवधि 1 जून 1969 से और घटा कर 12 वर्ष कर दी गई है। चाहे ऐसा ई० सी० ओ० अपना सेवा के अधिकतर अंश के लिए पदों में रहा हो, उसकी पेन्शन रिटायर होने वाले किसी जे० सी० ओ० को देय पेन्शन से कुछ बेहतर दरों पर होगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

लोह अयस्क के निर्यात की वांछनीयता

3425. **श्री जी० वाई० कृष्णन :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारी सरकार विशेषकर जापान को प्रति वर्ष करोड़ों टन लौह-अयस्क का निर्यात करती है तथा आगामी पांच या सात वर्षों में इस निर्यात को और बढ़ाने जा रही है ;

(ख) क्या प्रति वर्ष इतनी भारी मात्रा में लोह-अयस्क का निर्यात करना भारत जैसे विकासशील देश के राष्ट्रीय हितों के लिये अच्छा होगा ;

(ग) क्या लोह-अयस्क के स्थान पर इस्पात का निर्यात करना अधिक वांछनीय नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ). भारत के लोह-अयस्क के भण्डार हमारे विस्तारोन्मुख इस्पात उद्योग तथा बर्धित निर्यातों के पोषण के लिए पर्याप्त है। भारत लोहे तथा इस्पात का भी काफी परिमाण

में निर्यात कर रहा है। हालांकि इस्पात की आयोजना करते समय निर्यात सम्भाव्यताओं को ध्यान में रखा जाता है फिर भी वित्तीय तथा तकनीकी दोनों प्रकार के साधन सीमित होने से इस्पात जैसे उद्योग में रुकावट आती है क्योंकि इस उद्योग में न केवल अत्यधिक वित्तीय निवेश ही अपेक्षित होता है बल्कि बड़ी संख्या में दक्ष तकनीशियनों की भी जरूरत होती है।

चाय बगान में उत्पादन का बन्द होना

3426. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलाभकर होने के कारण अनेक चाय बगानों में उत्पादन बन्द कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें आधुनिक तरीकों से चलाने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) 1969 को समाप्त होने वाले गत पांच वर्षों में 8 चाय बागानों के बन्द होने की सूचना मिली है, जिनका ब्यौरा निम्नोक्त है :

चाय बागानों के नाम	बन्द होने के कारण
रोहिनी चाय बागान, दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल।	भारतीय सेना द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया।
सलचापारा चाय बागान, कचार, आसाम।	बाग के देख-भाल करने में स्वामी असमर्थ।
राजभोट्टा चाय बागान लखीमपुर, आसाम।	अलाभकर।
रोरिया चाय बागान, सिबसागर, आसाम।	रक्षा प्रयोजनों के लिए आसाम सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहित कर ली गई।
करिकायम चाय बागान, क्विलोन, केरल।	अलाभकर।
लक्ष्मीकांत चाय बागान द्वारस, पश्चिमी बंगाल।	चाय बागान के कार्यचालन में हानि।
लेबोंग एण्ड मिनरल स्प्रिंग चाय बागान, दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल।	(यह बाग, बागान अधिग्रहण अधिनियम की धारा 63 के अन्तर्गत पश्चिमी बंगाल द्वारा पुनः ग्रहित कर लिया गया।)
दार्जिलिंग, पश्चिमी बंगाल में एवनग्रूव चाय बागान।	अलाभकर तथा स्वामी बाग का परित्याग कर रहा है।

(ख) सरकार चाय बागान वित्त योजना के अन्तर्गत उद्योग के विस्तार तथा पुनर्रोपण के लिए ऋण उपलब्ध कराके और चाय मशीन किराया-खरीद योजना के अन्तर्गत चाय कारखानों के आधुनिकीकरण के लिए चाय मशीनें प्राप्त कराके, चाय उद्योग को इसके विकास हेतु गत कुछ वर्षों से वित्तीय रूप में सहायता दे रही है। एक पुनर्रोपण उत्पादन योजना भी है जिसके अन्तर्गत दीर्घावधि उत्पादन बढ़ाने के लिए पुरानी चाय झाड़ियों के स्थान पर नए विकसित पौधे लगाकर पुनर्रोपण के लिए, किस्म सुधारने के लिए और चाय उद्योग की प्रतियोगी क्षमता बनाए रखने के लिए उपदान दिया जाता है।

निर्यात शुल्क का समाप्त किया जाना

3427. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निर्यात-कर्त्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात शुल्क को कम करने अथवा उसे हटाने की योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। देश की निर्यात आय बढाने के लिए विभिन्न वस्तुओं के निर्यात शुल्क में उपयुक्त समायोजन करने के प्रश्न की निरन्तर समीक्षा की जाती है और उनमें परिस्थिति-अनुसार समायोजन किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा के फूलबनी जिले का विकास

3428. **श्री ए० दीपा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि सरकार उड़ीसा के फूलबनी जिले के कम विकसित क्षेत्रों का विकास करने का विचार कर रही है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : योजना का लक्ष्य नियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से देश में जनसंख्या के अधिक गरीब वर्गों तथा पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति को सुधारना है। राज्य सरकार से राज्य में अल्पविकसित क्षेत्रों का अभिनिर्धारण करने तथा उनके शीघ्र विकास के लिए समुचित कदम उठाने का अनुरोध किया गया है।

प्रति व्यक्ति आय

3429. **श्री राम सिंह अयरवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) देश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है तथा कम-आय वाले तथा समाज के निर्धन वर्ग के लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और ऐसे व्यक्तियों की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है ; और

(ख) वे कौन से राज्य हैं जहां प्रति व्यक्ति आय सब से कम है तथा उक्त राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या परियोजनाएं आरम्भ करने की सम्भावना है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) जैसा कि शीघ्रता से तैयार किये गये प्राक्कलनों में बताया गया है और जो परिवर्तनशील है, देश में वर्ष 1968-69 में स्थिर (1960-61 के) मूल्यों के अनुसार प्रतिव्यक्ति आय 319.3 रुपये थी।

कम आय वाले तथा समाज के निर्धन वर्गों के लोगों की प्रति व्यक्ति आय तथा देश की कुल जनसंख्या की तुलना में ऐसे व्यक्तियों की जनसंख्या की प्रतिशतता सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) वर्ष 1964-65 में विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अन्तिम तुलनात्मक प्राक्कलनों के अनुसार बिहार, जम्मू और काश्मीर, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय उस वर्ष के (चालू मूल्यों पर) अखिल भारतीय प्रतिव्यक्ति 422 रु० की औसत आय से कम थी।

राज्यों की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा केन्द्रीय क्षेत्र में सम्मिलित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने से इन राज्यों की प्रतिव्यक्ति आय में वृद्धि होगी ?

ऊन उद्योग का आधुनिकीकरण

3430. **श्री रा० कृ० बिड़ला :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने ऊन-उद्योग को न केवल निर्यात आधारित उद्योग के रूप में बल्कि प्रतिरक्षा-आधारित उद्योग के रूप में भी मान्यता दी है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस उद्योग की 75 प्रतिशत मशीनें पुरानी हैं ;

(ग) यदि हां, तो सरकार इस उद्योग की पूरी क्षमता का लाभ उठाने के लिए इस उद्योग का आधुनिकीकरण करने के बारे में क्या कार्यवाही कर रही है ;

(घ) चालू वर्ष तथा अगले वर्ष में इस उद्योग का आधुनिकीकरण के लिए कितने मूल्य की विदेशी मुद्रा नियत की गई है ; और

(ङ) उन देशों के क्या नाम है जिनके साथ सरकार मशीनों के आयात के बारे में बात-चीत कर रही है तथा इस संबंध में विदेशी मुद्रा की व्यवस्था है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). यद्यपि उपर्युक्त आधार पर उद्योगों का कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, फिर भी सरकार देश की अर्थ-व्यवस्था में ऊन उद्योग के महत्व को और विदेशी मुद्रा के उपार्जन में तथा प्रतिरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसके योगदान को स्वीकार करती है। इस उद्योग में मुख्य बाधा कच्चे माल की

कमी है जिसका काफी अंश आयात किया जाता है। यह भी ठीक है कि उद्योग अधिकांशतः पुराने संयंत्र तथा मशीनों से चल रहा है। समूचे रूप से विदेशी मुद्रा की स्थिति को देखते हुए उन एककों को सहायता देने का विचार है जिन्होंने अपनी निर्यात निष्पत्ति के कारण प्राथमिकता की स्थिति प्राप्त कर ली है। वर्ष 1969-70 में निर्बाध विदेशी मुद्रा ऋणों के अन्तर्गत और जर्मन लोकतन्त्रात्मक गणराज्य, पोलैण्ड, हंगरी से मशीनों का आयात करने के लिए 52.56 लाख रु० की विदेशी मुद्रा रखी गई थी। वर्ष 1970-71 में आवंटित किये जाने वाले ऋणों की धनराशि अभी ज्ञात नहीं है।

सूती कपड़ा उद्योग में संकट

3431. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री एस० आर० दामानी :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर उत्तर भारत में कपास के संभरण और मूल्यों की स्थिति क्या है ;

(ख) क्या उनका ध्यान नादर्न इंडिया टैक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा 24 जनवरी, 1970 को नई दिल्ली में दिये गये उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है। जिसमें उन्होंने यह घोषणा की थी कि वर्तमान संकट का मुकाबला करने के लिए सूती कपड़ा मिलों को एक सप्ताह में एक दिन और बन्द करना पड़ेगा ;

(ग) यदि हां, तो क्या सूती कपड़ा उद्योग को किसी संकट का सामना करना पड़ रहा है और यदि हां, तो वह संकट क्या है ;

(घ) क्या मिल मालिक केन्द्रीय सरकार की अनुमति से एक सप्ताह में एक दिन और मिलों को बन्द करने की योजना बना रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रयास का इस उद्योग पर आश्रित लाखों लोगों की आय और रोजगार पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का विचार किया है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ङ). मोटे तौर पर रुई वर्ष 1969-70 में रुई की मांग उसकी प्राप्यता से अधिक है और औसत आधार पर इसके मूल्य समर्थन मूल्यों से लगभग 60 प्रतिशत अधिक के स्तर पर बने रहे। यही बात उत्तरी भारत के क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी सही ठहरती है। रुई अथवा इसके विकल्प (स्टेपल रेशे) की पूर्ति बढ़ाने और रुई की उपलब्ध सप्लाई के विपणन और वितरण का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गयी है :

(1) पी० एल० 80 रु० की 1.25 लाख गांठों के आयात की व्यवस्थाएं की गयी हैं।

(2) विश्वव्यापी स्रोतों से रुई की 50,000 गांठों के अतिरिक्त आयात के लिए व्यवस्थाएं की गयी हैं।

(3) स्टेपल रेशे की 1.5 लाख गांठों के आयात की व्यवस्थाएं की गई हैं।

(4) मिलों द्वारा रखे जा सकने वाले भंडार की सीमा में कमी करके उसे एक मास कर दिया गया है।

(5) रुई के सम्बन्ध में ऋण के परिमाण का सम्यक् रूप में समायोजन कर दिया गया है।

अधुनातन मूल्य प्रवृत्तियों से पता चलता है कि इन उपायों का कुछ प्रभाव पड़ा है और ऐसे संकेत मिलते हैं कि मूल्यों में वृद्धि रुक गयी है। वस्त्र मिलों को सप्ताह में एक अतिरिक्त दिन बन्द करने का कोई विचार नहीं है।

ईरान द्वारा रेलवे माल डिब्बों की खरीद

3432. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री श्रद्धाकर सूपकार :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान भारत से रेलवे माल डिब्बे खरीदने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो ईरान द्वारा भारत से कितने माल डिब्बे खरीदे जायेंगे तथा इन डिब्बों का मूल्य कितना निर्धारित किया गया है ; और

(ग) ये माल डिब्बे कब तक दे दिये जायेंगे ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). ईरान, भारतीय राज्य व्यापार निगम से 492 माल डिब्बे खरीदने के लिए सिद्धांततः सहमत हो गया है। उनके मूल्य के बारे में जानकारी प्रकट करना भारतीय निर्यातकों के व्यवसायिक हित में नहीं है। यदि संविदा पर निकट भविष्य में हस्ताक्षर हो गये तो रेल डिब्बों की सुपुर्दगी 1971 की समाप्ति से पूर्व हो जाने की सम्भावना है।

पटसन तथा सूती कपड़े की उत्पादन दर

3433. **श्री न० रा० देवघरे :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : गत तीन वर्षों के दौरान, प्रत्येक वर्ष पटसन तथा सूती कपड़े के उत्पादन की वार्षिक चक्रवृद्धि दर कितनी रही है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्ज तिलक संस द्वारा 18 पंजाब रेजिमेंट के आफिसर कमांडिंग कार रजत ट्राफी भेंट करना

3434. **श्री सूरज भान :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज तिलक सन्स (शराब विक्रेता) ने मार्च 1965 में 18 पंजाब रैजीमेंट के आफिसर कमांडिंग को 3000 रुपये के मूल्य की एक रजत ट्राफी भेंट की थी ;

(ख) यदि हां, तो मैसर्ज तिलक सन्स का इस यूनिट के साथ क्या सम्बन्ध है ;

(ग) क्या इस प्रकार ट्राफी स्वीकार करना सेना के वर्तमान आदेश के विरुद्ध है जिनके अनुसार सैनिक यूनिटों के लिए असैनिक लोगों की ओर से उपहार, चन्दे आदि स्वीकार करना वर्जित है ; और

(घ) अपराधी व्यक्ति के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां। ट्राफी 18 पंजाब को भेंट की गई थी और रैजिमेंट की सम्पत्ति के तौर पर बटालियन के रिकार्ड में रखी गई है।

(ख) सर्वश्री तिलक सन्स स्थानीय व्यापारी थे जो यूनिट को (रम) शराब सप्लाई किया करते थे ;

(ग) जी हाँ, यदि ऐसा उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किया जाय।

(घ) मामले की जाँच की जा रही है।

Target for the Export of Railway Wagons

3435. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any target for exporting minimum and maximum number of Railway Wagons to the foreign countries during the next two years ;

(b) if so, the estimated number of Railway wagons to be exported to foreign countries and the value of the said wagons in Indian currency and the estimated value of the foreign exchange to be earned thereform ; and

(c) the names of the countries to which the railway wagons would be exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) No, Sir. The targets for export of wagons and coaches are not fixed in terms of numbers.

(b) and (c). The question does not arise.

उत्तर प्रदेश छावनी (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) अधिनियम, 1952

3436. **श्री यशपाल सिंह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश छावनी (किराया नियंत्रण तथा बेदखली, अधिनियम) 1952 के बारे में 24 दिसम्बर 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5235 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट को उसके द्वारा पास किये गये आदेशों का पुनर्विलोकन तथा निरसन (रद्द) करने की शक्ति प्रदान करने का कोई उपबन्ध न बनाये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि मेरठ में बहुत से लोगों को जिनके सम्बन्ध में किराया नियंत्रक ने, जिसे जिला मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं, भूतकाल में गलत आदेश जारी किये थे, इन उपबन्धों के न होने के कारण हानि उठानी पड़ रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस अधिनियम में ऐसा संशोधन पुरःस्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करने का है जिसके अन्तर्गत उन मामलों से निपटने के लिए जिनका पुनर्विलोकन किया जा चुका है अथवा जो जिला मजिस्ट्रेट के पास पुर्विलोकन के लिए विचाराधीन हैं, जिसमें उक्त अधिनियम के लागू होने की तारीख से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किये गये आदेशों का पुनर्विलोकन अथवा निरसन करने की व्यवस्था हो ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) जिला न्यायाधीशों को उत्तर प्रदेश छावनी (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) अधिनियम 1952 के अनुभाग 14 के अन्तर पारित किये गये अपने ही आदेशों का पुनरीक्षण करने या उन्हें रद्द करने के लिए अधिकारी बनाना आवश्यक नहीं समझा गया। नहीं समतुल्य राज्य कानून अर्थात् यू०पी० (अस्थायी) किराया नियन्त्रण तथा बेदखली अधिनियम 1947 के अन्तर्गत जिला न्यायाधीशों को कोई ऐसा अधिकार प्राप्त है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रधान मन्त्री की शेख मुहम्मद अब्दुल्ला से भेंट

3437. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 21 फरवरी, 1970 के दिन शेख मुहम्मद अब्दुल्ला से भेंट की थी ;

(ख) यदि हां, तो इस भेंट में किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया ; और

(ग) क्या उन्होंने भारत के प्रति उनकी निष्ठा के बारे में शेख अब्दुल्ला के विचारों में कोई परिवर्तन पाया है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). शेख मुहम्मद अब्दुल्ला 21 फरवरी, 1970 को प्रधान मन्त्री जी से मिले थे। यह मुलाकात शिष्टाचार के नाते हुई थी और इसमें कोई गम्भीर राजनीति चर्चा नहीं हुई।

व्यापारिक आंकड़ों को प्रकाशित करने के लिए संगणक का प्रयोग

3438. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में व्यापार सम्बन्धी आँकड़ों का प्रकाशन अत्यन्त विलम्ब से होता है तथा क्या इसका एक कारण यह भी है कि बड़े पैमाने पर निरन्तर आने वाली इस जानकारी के प्रकाशन के लिए हम संगणक का प्रयोग करने में असफल रहे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि कलकत्ता स्थित वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी निदेशालय (डी० सी० आई० सी०) संगणक के प्रयोग की आवश्यकता से सहमत हो गया है परन्तु उसने इस बारे में कोई भी कार्यवाही न करने का निश्चय किया है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह निर्णय इसलिये किया गया है कि वाणिज्य आसूचना तथा सांख्यिकी निदेशालय के कर्मचारियों ने संगणक के प्रयोग का भरपूर विरोध किया है तथा उन्होंने धमकी दी है कि यदि आंकड़ा संग्रह केन्द्र को कलकत्ता से कहीं और ले जाया गया जैसा कि 21 जनवरी, 1970 के हिन्दुस्तान टाइम्स के सम्पादकीय में प्रकाशित हुआ है, तो वे व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों की एक मद को भी कलकत्ता पत्तन से बाहर नहीं जाने देंगे ; और

(घ) यदि हां, तो इन मामलों के बारे में सरकार का क्या रवैया है तथा भविष्य में व्यापारिक आंकड़ों को द्रुतगति से परिचालित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं, व्यापार संबंधी आंकड़ों के प्रकाशन में अत्यधिक विलम्ब नहीं होता और इस विषय में स्थिति अन्य अनेक देशों की तुलना में अच्छी है ।

(ख) से (घ). एक अध्ययन दल सम्पूर्ण प्रश्न का अध्ययन कर रहा है । कोई विनिश्चय नहीं किया गया है । परन्तु यह सच है कि अमला प्रायः संगणक के प्रयोग के विरुद्ध है ।

भाखड़ा बांध, सतलज, व्यास सम्पर्क-नहर तथा पोंग बांध के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण

3439. **श्री प्रेम चंद वर्मा** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा बांध, प्रस्तावित सतलज व्यास सम्पर्क नहर तथा पोंग बांध के निर्माण-कार्य के लिए सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया है ;

(ख) इस भूमि अधिग्रहण के फलस्वरूप कितना मुआवजा नकद रकम चुकाया गया तथा कितने लोगों का अभी भुगतान करना बाकी है तथा दिये गये/दिये जाने वाले मुआवजे की दर क्या है ;

(ग) इन बांधों के निर्माण के फलस्वरूप कितने लोग बेघर हो गये हैं या हो जायेंगे तथा उनमें से कितने लोगों का पुनर्वास किया गया है तथा अभी कितने लोगों का पुनर्वास किया जाना शेष है और उन्हें भूमि अनुदान तथा अन्य अनुदान के रूप में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इन निष्काषित लोगों को पुनर्वास देने का उत्तरदायित्व हिमाचल प्रदेश सरकार, या केन्द्र सरकार अथवा उन दोनों सरकारों या किसी अन्य सरकार का है या उनके पुनर्वास का दायित्व किसी पर भी नहीं है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या** एल० टी० 2921/70]

भारत में बनने वाली वस्तुओं का आयात करना

3440. **श्री प्रेम चंद वर्मा** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आयात-नीति कागज तथा कार्ड-बोर्ड की बनी वस्तुओं जैसी उन मदों के आयात की भी अनुमति देती है जो वस्तुतः भारत में ही निर्मित होती है तथा जिन्हें बाहर से आयात किये बिना भी काम चल सकता है, यदि हां, तो कागज तथा कार्ड-बोर्ड की बनी वे कौन सी चीजें हैं जिनके आयात के लिये किसी आयात व निर्यातकर्ता को अनुमति दी जाती है ;

(ख) क्या आईसक्रीम के डिब्बे, पेपर-ग्लास तथा मछलियों को पैक करने के कार्ड-बोर्ड के डिब्बे, तैयार करने के लिए कार्ड-बोर्ड की कुछ किस्मों के आयात की अनुमति दी जाती है, यदि हां, तो क्या यह डिब्बे भारत में उपलब्ध माल से भी तैयार किये जा सकते हैं, यदि हां तो उसका आयात करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार उक्त मदों के बारे में अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रही है ; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कोई निर्णय किये जाने की संभावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) इस प्रकार के कागज तथा गत्ते के आयात की अनुमति नहीं दी जाती जिसकी, मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त परिणाम और उपयुक्त गुणता में भारत में निर्माण होता है। परन्तु कुछ किस्मों के कागज और गत्ते के, जिनका या तो देश में उत्पादन नहीं किया जाता या गुण अथवा परिमाण की दृष्टि से जिनका उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए अपर्याप्त होता है, आयात करने की अनुमति है। कागज और गत्ते की वे मदें और उनके अन्तिम उपयोग के ब्यौरे अनुबन्ध-1 (अंग्रेजी में) दिये गये हैं, जिसके लिये वास्तविक उपयोक्ताओं को उनके आयात की अनुमति दी गई है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2952/70] कागज और गत्ते की वे मदें अनुबन्ध-2 (अंग्रेजी में) दी गई है जिनका आयात पंजीयित निर्यातकों हेतु नीति के अन्तर्गत करने की अनुमति है।

(ख) आइसक्रीम कप और गिलास आदि का निर्माण करने के लिए सल्फाइट गत्ते समेत वैक्सिंग कार्ट्रिज पेपर और वुड फ्री ग्लेन्ड गत्ते का आयात करने की अनुमति है। इस प्रकार के कागज और गत्ते के आयात की अनुमति इसलिए दी जाती है कि देश में बांस से सल्फाइट पल्पिंग प्रक्रिया द्वारा उत्पादित कागज और गत्ते की उसी प्रकार की किस्में मोम चढ़ाने पर भद्दे सलेटी रंग की हो जाती है। मछली तथा अन्य समुद्री उत्पादों के संवेष्टन के प्रयोजनार्थ पंजीयित निर्यातकों हेतु नीति के अन्तर्गत गत्ते, नालीदार गत्ते और गत्ते के डिब्बों के आयात की अनुमति है। कार्ड-बोर्ड के डिब्बों के आयात की अनुकति इसलिए दी जाती है कि हमारे समुद्री उत्पादों के विदेश स्थिति आयातकों की यह इच्छा होती है कि ये उत्पाद ऐसे डिब्बों में पैक होने चाहिए कि उन देशों की परचून की दूकानों पर उन्हें बेचा जा सके। चूंकि आयात किये जाने वाले डिब्बों का मूल्य निर्यात किये जाने वाले मुख्य उत्पाद की तुलना में थोड़ा सा होता है, अतः निर्यातकों को यह सुविधा दी गई है।

(ग) कागज और गत्ते के आयात की नीति की समीक्षा की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में कृषि-औद्योगिक संयंत्र समूह

3441. **श्री वि० नरसिम्हा राव :**　　　　**श्री नम्बियार :**
श्री ज्योतिर्मय बसु :　　　　**श्री क० अनिरुद्धन :**
श्री गार्डिलिंगन गौड :　　　　**श्री प० गोपालन :**

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बनाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु शक्ति आयोग ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में कृषि औद्योगिक संयंत्र समूह की स्थापना करने की एक परियोजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना की प्रमुख बातें क्या है ;

(ग) उस पर कुल कितना खर्च होगा ; और

(घ) इस परियोजना को कब क्रियान्वित किया जायेगा ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) से (ग). बड़े आकार के परमाणु बिजली घरों के इर्द-गिर्द कृषि उद्योग समूह स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए परमाणु ऊर्जा आयोग ने जो कार्यकारी वर्ग नियुक्त किया था उसने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी है। इनमें जिन स्थानों का अध्ययन किया गया है उन में पश्चिमी ऊत्तर प्रदेश भी शामिल है। इस वर्ग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(घ) इस वर्ग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट अभी प्रारम्भिक है। कार्यकारी वर्ग द्वारा अभी आगे और अध्ययन किये जा रहे हैं। इस वर्ग द्वारा किये जा रहे अध्ययनों के पूरा हो जाने पर ही अन्तिम निर्णय करने तथा उन्हें लागू करने का प्रश्न उत्पन्न होगा।

लंदन में साउथ हाल में भारतीय कर्मचारियों का संघर्षपूर्ण रवैया

3442. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन स्थित साउथ हाल के भारतीय कर्मचारी संगठन ने घोषणा की है कि वह ब्रिटेन में रहने वाले अश्वेत आप्रवासियों के अधिकारों और जीवन को रक्षा करने के लिए संघर्षपूर्ण रवैया अपनायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या ब्रिटेन सरकार ने ब्रिटेन स्थित भारतीयों की गतिविधियों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि वुल्वरहेम्पटन के भारतीय कर्मचारी संघ ने जनवरी 1970 में स्कारबोरो में श्री ईनोक पॉयेल के भाषण के उत्तर में इस आशय का एक प्रस्ताव पास किया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस समय इसका कोई प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 1970 में गणतन्त्र दिवस के अवसर पर प्रतिमाओं पर बिजली की रोशनी करना

3443. **श्री जयसिंह :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री वेणीशंकर शर्मा : **श्री हरदयाल देवगुण :**

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर सरकारी भवनों के साथ-साथ श्री मोतीलाल नेहरू तथा डा० अम्बेडकर की प्रतिमाओं पर बिजली की रोशनी की गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर पटेल चौक में खड़ी सरकार पटेल की प्रतिमा पर बिजली की रोशनी नहीं की गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). भूतपूर्व श्री मोतीलाल नेहरू और डा० अम्बेडकर की प्रतिमाओं को प्रकाशित किया गया था। ये संसद भवन में स्थित हैं कि जिनका उत्तरदायित्व सरकार द्वारा सम्भाल लिया गया था अन्य प्रतिमाओं को प्रकाशित करने के प्रबन्ध एन०डी०एस०सी० और दिल्ली नगर निगम को उनके क्षेत्रों में सौंपा गया था। जहाँ सरकार पटेल की प्रतिमा का सम्बन्ध है एन०डी०एस०सी० के रोशनी करने के अपने स्थायी तौर पर प्रबन्ध है। यह 1970 के गणतन्त्र दिवस समारोह के दौरान लागू थे, और इसके अतिरिक्त प्रतिमा के आस-पास के वृक्ष भी प्रकाशित किये गये थे।

भारतीय बाजारों में भारतीय फर्मों द्वारा प्रकाशित हिटलर की मेन कैम्पफ पुस्तक की प्रतियों की भरमार पर इसराइल का विरोध

3444. **श्री जय सिंह :** **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री हरदयाल देवगुण : **श्री चेंगलराया नायडू :**

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो भारतीय फर्मों द्वारा प्रकाशित हिटलर की पुस्तक मेन कैम्पफ की प्रतियों की भारतीय बाजारों में भरमार पर इसराइल के वाणिज्य दूतावास ने घोर आपत्ति की है ;

(ख) क्या इन प्रकाशन गृहों में कुछ स्थानीय तथा वैदेशिक हितों की वित्तीय अन्तर्ग्रस्तता के बारे में जांच करने तथा यहूदी-विरोधी साहित्य पर प्रतिबन्ध लगाने का, जैसाकि यहां वाणिज्य दूतावास द्वारा अनुरोध किया गया है, सरकार का विचार है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) से (ग). बम्बई स्थित इसराइली कौंसलावास ने इस तथ्य की ओर भारत सरकार का ध्यान खींचा था कि प्रकाशकों के एक भारतीय फर्म ने हिटलर की पुस्तक "मीन काम्पफ" प्रकाशित की थी और उनसे इस पुस्तक पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कहा था। एक प्रेस विज्ञप्ति में, जो बाद में औपचारिक रूप से वापस

ले ली गई इसराइली कोंसलावास ने यह प्रश्न किया कि इस प्रकाशन में कौन धन लगा रहा था सरकार का यह विचार है कि यह पुस्तक राजनीतिक इतिहास का अंग है और वह इस प्रतिबन्ध लगाने का कोई कारण नहीं करनी। भारत में जो समाजिक स्थितियां हैं उनसे इस बात की संभावना नहीं है कि ये यहूदी विरोधी भावनाओं को भड़कायें। सरकार इस बात की आवश्यकता नहीं समझती कि वीकली के आधार पर प्रकाशन फर्म के वित्तीय मामलों की छानबीन करे।

एब्रो-748 विमान का निर्माण

3445. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में एब्रो-748 विमानों के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1969 में कितने विमान बनाये गए ; और

(ग) वर्ष 1970 का निर्माण कार्यक्रम क्या है ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां। एच०ए०एल० के कानपुर डिवीजन में एब्रो-748 विमानों का उत्पादन गत कुछ वर्षों में प्रगतिशीलता से बढ़ा है।

(ख) 1969 के दौरान 7 विमानों का निर्माण किया गया था, और वह वितरित कर दिये गये थे।

(ग) ऐसी प्रत्याशा है कि 1970 के दौरान 9 विमानों का निर्माण किया जायेगा।

परमानेंट मेगनेट्स कम्पनी के निर्यात में वृद्धि

3447. **श्री गणेश घोष :** **श्री भगवान दास :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री वि० कु० मोडक :**

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में परमानेंट मेगनेट्स कम्पनी ने अपने निर्यात में पर्याप्त वृद्धि की है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि हुई है तथा उत्पादों का किन किन देशों को निर्यात किया गया ; और

(ग) इस बात के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि कम्पनी इसी प्रकार अधिकाधिक निर्यात कर सके ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वास्तविक निर्यातों के आंकड़े निर्यातकवार संकलित नहीं किये जाते।

इन्जीनियरी सामान का निर्यात

3448. श्री गणेश घोष : श्री एस० एम० कृष्ण :
श्री विश्वनाथ मेनन : श्रीमती सावित्री श्याम :
श्री के० रमानी : श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री अ० कु० गोपालन :

क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969 के दौरान इंजीनियरी सामान के निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसा क्या कार्यवाही की गई है जिसके फलस्वरूप निर्यात में वृद्धि हुई है ;

(ग) उन कम्पनियों के क्या नाम हैं जिन्होंने इस वर्ष के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक के मूल्य के सामान का निर्यात किया है तथा निर्यात की गई वस्तुओं के क्या नाम हैं ; और

(घ) प्रत्येक कम्पनी ने आयात अधिकार-पत्र के रूप में इस वर्ष में कितनी मुद्रा प्राप्त की है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) इंजीनियरी माल के निर्यात को बढ़ाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नोक्त कदम भी उठाये गये हैं :—

(1) विश्व व्यापी निविदाओं पर आदेश प्राप्त करने के लिये उद्योग के अनवरत तथा गम्भीर प्रयत्न।

(2) निर्यातों पर सरकार द्वारा दिए गये प्रोत्साहन/सुविधायें ;

(3) निर्यातकों को इंजीनियरी निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा दी गई सहायता तथा मार्ग-दर्शन।

(ग) एक सूची (अंग्रेजी में) संलग्न है। [**ग्रंथालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 2928/70]

(घ) इंजीनियरी माल की 200 से भी अधिक ऐसी मदें हैं जो कि आयात हकदारियों की विभिन्न दरों के लिए पात्र हैं। विभिन्न पतनों के विभिन्न लाइसेंस प्राधिकारियों से 185 निर्यातकों के सम्बन्ध में जानकारी को एकत्रित करने से उतना लोक हित नहीं होगा, जितना कि उसमें श्रम लग जायेगा।

फरक्का बांध के अधिकारियों द्वारा सामग्री की चोरी

3449. श्री गणेश घोष : श्री भगवान दास :
श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री वि० कु० मोडक :

क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरक्का परियोजना के कुछ अधिकारियों को इस परियोजना से कुछ सामान चोरी करते पाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और चोरी का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ कार्मिक संघ नेताओं पर परियोजना में बाधा डालने का झूठा आरोप लगाया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो चोरी करने तथा कार्मिक संघ कार्यकर्ताओं पर झूठा आरोप लगाने के लिए इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). परियोजना अधिकारियों के नोटिस में एक मामला लाया गया था जिसमें इस्पात का कुछ सामान जिसे निपटान के लिए स्वीकृति नहीं मिली थी ; इस्पात के कुछ ऐसे रद्दी सामान के साथ दो ट्रकों में ले जाया जा रहा था जिसका निपटान हो चुका था। पुलिस ने एक सहायक इंजीनियर, सिविल स्टोर विभाग (श्री जी० आर० सेट्टी) और एक स्टोर-कीपर (श्री पशुपति सिन्हा) को गिरफ्तार कर लिया।

समुद्री नावों में ईन्धन पंप की चोरी के सिलसिले में तीन हैल्परों और एक टिंडल को गिरफ्तार कर लिया गया।

पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) पुलिस द्वारा जांच कार्यवाही किये जाने तक दोनों मामलों में फंसे व्यक्तियों नामशः सहायक इंजीनियर, स्टोर-कीपर, हेल्पर और टिंडल को निलम्बित कर दिया गया है।

अधिकारियों के प्रति झूठे आरोपों के लिए कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जोशीमठ वासियों द्वारा भूतपूर्व रक्षा मंत्री तथा प्रधान मन्त्री को दिया गया ज्ञापन

3450. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री के० एम० अब्राहम : **श्री पी० राममूर्ति :**

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोशीमठ तथा उसके निकटवर्ती गांवों के लोगों ने प्रधान मंत्री को जब वह जून, 1966 में वहां गई थी और भूतपूर्व रक्षा मंत्री को जब वह मई 1966 में वहां गये थे ; एक ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य मांगें क्या थीं ;

(ग) क्या उस क्षेत्र के कुछ गांव सैनिक छावनी से घिरे हुए हैं और क्या इन गांवों के लिये स्वतन्त्र रूप से चलना-फिरना तथा अपनी आजीविका चलाना मुश्किल हो गया है ;

(घ) यदि हां, तो इन गांवों को वहां से उठाने तथा इन लोगों को अन्यत्र बसाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) इस सीमा क्षेत्र के लोगों को जिनकी भूमि बाग बगीचे और इस प्रकार आजीविका को सरकार ने छीन लिया है विश्वास प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख) : मई 1966 में तत्कालीन रक्षा मंत्री के जोशीमठ निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनता के एक प्रतिनिधि मंडल ने उनसे जोशीमठ में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में उठने वाली विविध समस्याओं की चर्चा की थी। यह सुझाव दिया गया था कि ददौन का सम्पूर्ण ग्राम और वह स्थान जो "सुनील स्पर" के नाम से विख्यात है रक्षा विभाग अर्जित कर लिया जाय, जिनका सेना के लिए अर्जन स्थाई रूप प्रस्तावित किया गया था उनको स्थाई रूप से अर्जित कर लिया जाय। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि अर्जित की गई भूमि का उन्हें उचित मुआविजा दिया जाय। उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों में से किसी को भी सेना कार्यों के लिये नहीं लिया गया क्योंकि उसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। अन्तिम कर निर्धारण और उसके संवितरण का कार्य स्थानीय राजस्व अधिकारी के द्वारा किया जा रहा है। इस दौरान में "खाते में" भुगतान कर दिया गया है।

(ग) रक्षा यूनिटों को स्थापित करने से पूर्व ग्रामीणों की आवश्यकताओं और सुविधाओं का समुचित ध्यान रखा जाता है और भूमि तथा अन्य सम्पत्ति का अर्जन और अधिग्रहण स्थानीय सिविल प्राधिकारियों के परामर्श से किया जाता है।

(घ) जोशीमठ क्षेत्र में ग्रामों को हटाने की आवश्यकता उत्पन्न नहीं हुई। भूमि के स्वामियों को विधि के अनुसार प्रतिकर का भुगतान किया जाता है। उनको आगे पुनर्वास करवाने के मामले में राज्य सरकार सक्षम है।

(ङ) जोशीमठ क्षेत्र में सेना की उपस्थिति के कारण स्थानीय जनता में अधिक सुरक्षा की भावना जागी है तथा क्षेत्र को आर्थिक प्रगति हुई है।

कैंटीन भंडार विभाग (भारत)

3451. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कैंटीन भंडार विभाग (भारत) को नए सामान की सप्लाई की अन्तिम मंजूरी कौन देता है इसका बम्बई स्थित महा प्रबन्धक अथवा नई दिल्ली स्थित सी० सी० ओ० का संगठन ;

(ख) क्या यह सच है कि इस विषय पर क्वार्टर मास्टर जनरल के इन आदेशों के बावजूद कि और नए सामान की मंजूरी न दी जाये बचाव के कई तरीकों सी०सी०ओ० का संगठन

कैंटीन भंडार विभाग (भारत) को कतिपय मार्का के नये सामान की सप्लाई की मंजूरी गुप्त साधनों से देता है और इस बारे में सामान देने वाले संगठनों की अनेक शिकायतें हैं ; और

(ग) इन शिकायतों को दूर करने हेतु क्या सरकार भविष्य में माल की सप्लाई की मंजूरी देने का काम कैंटीन भंडार विभाग के बोर्ड की उपसमिति को सौंप देगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जिनिरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) कैंटीन भंडार विभाग (भारत) में नये सामान के प्रारम्भ करने के लिए प्रशासन मंडल सक्षम है। इन शक्तियों का प्रयोग उच्चतर प्राधिकारियों के निर्देश जो निर्गमित किये जायेंगे पर होगा।

(ख) क्यू० एम० जी० का नये सामान पर रोक लगाने के लिए कोई आदेश नहीं है। मुख्य कैंटीन अफसर क्यू० एम० जी० का स्टाफ अफसर है और क्यू० एम० जी० ब्रांच के कैंटीन अनुभाग के द्वारा किसी भी प्रकार "छुपे रूप" से हेर फेर करने की गुंजाइश नहीं है। किसी भी पूर्तिकर्ता से सरकार को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात सम्बंधी निष्पादित कार्य के पुनरीक्षण के लिये व्यवस्था

3452. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अन्त में निर्यात सम्बन्धी निष्पादित कार्य के बारे में पुनरीक्षण करने के लिए उनके मंत्रालय में पृथक रूप से व्यवस्था करने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : निर्यात निष्पादन की सतत समीक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था क्षेत्र के गठन का प्रश्न विचाराधीन है।

गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इन्जीनियर समिति द्वारा प्रतिवेदन का प्रस्तुत किया जाना

3453. **श्री राम किशन गुप्त :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी आयोग की विशेषज्ञ इंजीनियर समिति ने बिहार में मोकुमेह बरत्या और रहीमपुर क्षेत्रों में भूमि कटाव की समस्याओं के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बालासौर स्थिति प्रूफ एन्ड एक्सपैरिमैंटल सेंटर का विकास तथा प्रसार

3454. **श्री स० कुन्दू :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालासौर स्थित चंडीपुर-ग्रोन-सी में प्रूफ एन्ड एक्सपेंसन सेंटर के विकास तथा प्रसार पर पिछले तीन वर्षों में कितनी राशि खर्च की गई और इसके परिणामस्वरूप वर्ग-वार रोजगार के कितने अवसरों की वृद्धि हुई ;

(ख) आगामी तीन वर्षों में उपरोक्त केंद्र के लिए क्या प्रसार कार्यक्रम है और उससे वर्ग-वार रोजगार के कितने अवसर उत्पन्न होंगे ; और

(ग) क्या इस केंद्र में विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अब भी पद रिक्त हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और इन पदों को न भरने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) गत तीन वित्तीय वर्षों में बालासौर के प्रूफ तथा एक्सपैरिमैंटल संस्थान के विकास और प्रसार पर व्यय की गई राशि इस प्रकार है :—

	1967-68	1968-69	1969-70
		(लाख रुपयों में)	
वृहत निर्माण कार्य (लघु कार्यों और रख-रखाव को छोड़ कर)	2.77	4.13	11.77 (अनुमानित)
	—	—	—
स्टोर	27.58	25.74	28.66 (अनुमानित)

उपरोक्त अवधि में बढ़े चढ़े कार्यभार का सामना करने के लिए दो राजपत्रित स्थानों और 30 अराजपत्रित स्थानों के लिए तदर्थ आधार पर स्वीकृति दी गई थी। इन स्थानों के विस्तार अनुबन्ध "ए" में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2924/70]

(ख) अगले तीन वर्षों में उपरोक्त केंद्र के प्रसार का कार्यक्रम मुख्यतः निर्माण कार्यों की ओर होगा और 1970-71 के लिये अनुमानित क्रय 6.32 लाख रुपये होगा, 1971-72 में 10 लाख रुपये और 1972-73 में 30 लाख रुपये। विभिन्न नए साफिस्टिकेटिड औजारों की संस्थापना करके आने वाले वर्षों के दौरान औजारीकरण सुविधाओं में सुधार करना भी प्रस्तावित है। वर्तमान कर्मचारीगण में वृद्धि करने के लिए एक प्रस्ताव विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विस्तार देना समय से पहले की बात होगी।

(ग) साधारण क्षय के कारण इस समय तीन जूनियर साइंटिफिक असिस्टैंटों, एक असिस्टैंट फोरमैन, दो क्लर्कों के और 16 औद्योगिक स्थान खाली है। इन स्थानों को पूरा करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी गई है, परन्तु चूंकि इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रियाओं का अनुसरण आवश्यक है कुछ विलम्ब अनिवार्य है।

स्थल सेना तथा वायु सेना के न्यायाधीश महाधिवक्ता मुख्य कानूनी सलाहकार की नियुक्ति

3455. **श्री योगेन्द्र शर्मा : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौ सेना अधिनियम 1957 में निर्दिष्ट कानूनी उपबन्धों के अनुसार स्थल सेना तथा वायु सेना न्यायाधीश महाधिवक्ता मुख्य कानूनी सलाहकार के पद पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान अर्हताओं वाले व्यक्ति नियुक्त किये जाते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त पदों पर नियुक्त व्यक्तियों के पास निर्धारित न्यायिक अर्हताएं हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात भारी इंजिनिरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). नौ सेना अधिनियम 1957 के उपबन्ध जे० ए० जी० सेना और जे० ए० जी० वायु सेना की नियुक्तियों पर लागू नहीं है। जे० ए० जी० सेना और जे० ए० जी० वायुसेना के पदों को धारण करने वाले व्यक्ति इन पदों के लिए निर्धारित योग्यताएं धारण करते हैं।

निर्यात व्यापार

3456. **श्री के० एम० अब्राहम : श्री अ० कु० गोपालन :**
श्री सत्य नारायण सिंह : श्री सीता राम केसरी :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1969-70 के निर्यात लक्ष्य पूरे किए जाने की संभावना है ;

(ख) यदि नहीं, तो निर्यात लक्ष्य में कितनी कमी होने का अनुमान है और इस कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) वर्ष में विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) इस व्यवस्था में यह बताना संभव नहीं है कि 1969-70 के लिये निर्यात लक्ष्यों को किस सीमा तक पूरा किया जायेगा।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बाजार विकास निधि में से अब तक, 1-4-1969 से 28-2-1970 की अवधि में विभिन्न निर्यात संवर्द्धन योजनाओं पर खर्च की गई कुल राशि 4097.64 लाख रु० है।

तिब्बत के बारे में भारत नेपाल वार्ता

3457. **श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा नेपाल के अधिकारियों के बीच 4 सितम्बर, 1969 को नई दिल्ली में तिब्बत के सम्बन्ध में कोई वार्ता हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुओं का पलायन

3458. **श्री जो० वाई० कृष्णन :**

श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में हिन्दू जो पूर्वी पाकिस्तान से आ रहे हैं दो 'जमायतों' अर्थात् 'जमायमे इस्लाम' तथा 'निजामे इस्लाम' द्वारा चुनाव जीतने के लिए उनके विरुद्ध की जा रही कार्यवाही से भयभीत हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने हिन्दू भारत आये हैं ; और

(ग) पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दू लोग सुविधापूर्वक रह सकें इसके लिए कौन से प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). बताया जाता है कि पाकिस्तान की कुछ राजनैतिक पार्टियां जिनमें जमायते इस्लाम भी शामिल है, चुनाव आन्दोलन के सिलसिले में, जोकि पहली जनवरी, 1970 से शुरू हो गया है, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों की पाकिस्तान के प्रति वफादारी पर उंगली उठाते हुए अपशब्द कहती रही हैं । अब तक सुलभ सूचना के अनुसार अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर, 1969 में पूर्व पाकिस्तान से 3559 व्यक्ति भारत आये हैं । वर्तमान वर्ष के आंकड़े अभी सुलभ नहीं हैं ।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान सरकार का ध्यान बराबर इस ओर दिलाया है कि अल्पसंख्यकों के प्रति उसके क्या दायित्व हैं ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा गुलाब के फूलों का निर्यात

3459. **श्री एस० आर० दामानी** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम ने भारतीय गुलाबों का वाणिज्यिक आधार पर निर्यात कर दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वर्ष में कितनी बार तथा कितने मूल्य के गुलाबों का निर्यात किया गया तथा प्रत्येक बार उनकी मात्रा कितनी थी ;

(ग) किन-किन देशों में स्थायी बाजार प्राप्त करने की सम्भावना है ; और

(घ) निर्यात के लिये उपयुक्त गुलाबों का कितना वार्षिक उत्पादन होने का अनुमान है और भारत में किस अभिकरण के माध्यम से उन्हें प्राप्त किया जायेगा ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं। राज्य व्यापार निगम ने केवल प्रायोगिक आधार पर गुलाबों के नमूने के परेषण भेजे हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) निगम को आशा है कि वह पश्चिम यूरोपीय देशों में गुलाब का विक्रय कर सकेगा।

(घ) 1970-71 में लगभग 30,000 गुलाब। ये गुलाब भारत की नरसरियों से प्राप्त किये जाएंगे।

Atomic Reactor at Kalpakkam

3460. **Shrimati Ila Palchoudhury :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Atomic Reactor, under construction, at Kalpakkam is going to be an all-Indian project in skill and material ; and

(b) if so, its capacity, cost, and the time by which it is likely to be completed ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Smt. Indira Gandhi) : (a) The construction is being done entirely by Indian engineers. The imported component component of the first **unit** is estimated to be 22%.

(b) The first unit of 200 MWe has been sanctioned at a cost of Rs. 61.78 crores and is expected to be commissioned by the end of 1974.

कलपक्कम में परमाणु भट्टी

3460. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि कलपक्कम में बन रही परमाणु भट्टी में पूरी तरह भारतीय कौशल और सामग्री का ही प्रयोग किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी क्षमता कितनी होगी, उस पर लागत कितनी आयेगी और उसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) :

(क) निर्माण कार्य पूर्ण रूप से भारतीय इन्जीनियरों द्वारा ही किया जा रहा है। प्रथम एकक में प्रयोग में आने वाले आयातित घटकों के 22 प्रतिशत तक होने का अनुमान है।

(ख) 200 मेगावाट की क्षमता वाले प्रथम एकक पर 61.78 करोड़ रुपये की लागत की मंज़ूरी की गई है और इस एकक के 1974 के अन्त तक चालू होने की सम्भावना है।

यूरोप के देशों में भारत का सम्मान

3461. **श्री सी० मुत्तु स्वामी** :　　**श्री दे० अमात** :
श्री रा० की० अमीन :　　**श्री नंद कुमार सोमानी** :
श्री अ० पीपा :

क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को हाल ही में इस बारे में चिन्ताजनक समाचार मिले हैं कि यूरोप के अनेक देशों में भारत का संम्मान कम होता जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सेवा मुक्त आपात कमीशन-प्राप्त अधिकारियों को नौकरियां देना

3462. **श्री सूरज भान : श्री शारदानन्द :**

श्री कंवर लाल गुप्त:

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल, प्रादेशिक सेना, सीमा सुरक्षा बल आदि में नौकरियाँ दी गई हैं ;

(ख) लघु उद्योग आरम्भ करने के लिए इन सेवा मुक्त अधिकारियों को सरकार ने क्या रियायतें दी हैं ;

(ग) क्या सरकार ने सरकारी उपक्रमों तथा पुलिस बल में भर्ती के लिए इन अधिकारियों के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था की है ; और

(घ) इन अधिकारियों से समुचित पुनर्वास के लिए सरकार का विचार क्या नई रियायतें देने का है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) अद्यतन सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) से (घ). सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में सहकारी समितियाँ गठित किये जाने के लिए राज्य सरकारों से उनको धन, तकनीकी जानकारी, कच्चे माल आदि की सभी सुविधाएं देने के लिए निवेदन कर दिया गया है। पुनर्वास महानिदेशालय में एक विशेष कार्य अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है जो कि लघु-उद्योग धंधों को प्रारंभ करने के लिये साधनों तथा सुविधाओं के बारे में सूचना देता है और मार्ग दर्शन करता है तथा सेवा मुक्त अधिकारियों को लघु उद्योग-धंधों की योजनाएं तैयार करने प्रारम्भ करने में भी सहायता प्रदान करता है।

सरकारी विभागों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में आरक्षण को ध्यान में रखते हुये सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को समाविष्ट करने के लिए कुछ प्रतिशत रिक्त स्थानों का आरक्षण करने के लिए कह दिया गया है। उनसे इस बात का भी निवेदन कर दिया गया है कि उन्हें समाविष्ट करते समय उनके द्वारा सुरक्षा बल में प्रदान की गई सेवाओं को ध्यान में रखते हुये उनकी उम्र, शैक्षणिक अर्हता, तथा अन्य आवश्यक बातों में उन्हें कुछ ढील दी जानी चाहिये। परन्तु सरकारी क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्त निकाय हैं और सेवा मुक्त एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों के लिये रिक्त स्थानों में आरक्षण करना तथा उन्हें उपक्रमों में समाविष्ट करते समय उन्हें समुचित सेवा में छूट देना उपक्रमों के स्वविवेक पर निर्भर करता है।

भारतीय पुलिस सेवा में उनके लिये 30 प्रतिशत आरक्षण कर दिया गया है जिसमें भर्ती संघ लोक-सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा पर आधारित होती है। बहुत बड़ी संख्या में एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को केन्द्रीय पुलिस बल जैसे—सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, आदि में इन बलों में उनके लिये बिना किसी आरक्षण किये ही समाविष्ट कर लिया गया है। साथ ही बहुत सी राज्य सरकारों द्वारा अपने पुलिस बलों में सेवा मुक्त एमरजैंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती के लिये आरक्षण किये गये हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास के लिए केन्द्रीय विशेष निधि में से ऐसे एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों को जो देश में व्यवसायिक प्रशिक्षण पाने के लिये, प्रबंध व्यवस्था में प्रशिक्षण के लिए अथवा उच्चतर शैक्षिक अध्ययन के लिए सहायता चाहते हों, ऋण प्रदान करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

भूतपूर्व एमरजेंसी कमीशन प्राप्त अधिकारियों की बैंकों में भर्ती के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अभिरक्षकों की समन्वय समिति से कुछ प्रतिशत रिक्त स्थान इन बैंकों में भर्ती के लिए आरक्षित करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कहा जा रहा है।

Demand of Pepper in World Market

3463. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the demand for pepper is increasing very much in the world and the international market for pepper is slipping out of the hands of India and going Into the hands of other countries ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the steps Government propose to take to increase the export of pepper and to compete with other countries in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). The demand for pepper is gradually increasing in the world and India has been generally maintaining her level of exports.

(c) Steps are being taken to increase productivity of pepper cultivation and stabilise international prices at reasonable levels through negotiations among production countries.

Setting up of an Atomic Power House by Belgium in Pakistan

3464. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that although India is far advanced in the atomic field than Belgium, yet Belgium is supplying an atomic power house to Pakistan ; and

(b) the difficulties in the way of constructing an atomic power house in India and exporting the same ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Smt. Indira Gandhi) : (a) According to reports appearing in the Press, a Belgian firm is to supply a nuclear power station to Pakistan.

(b) The question of our exporting atomic power stations will be considered after our own requirements are met.

Indian Diplomats Negotiating for Jobs in Foreign Countries while in Service

3465. **Shri Shiv Charan Lal :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the names of the diplomets who have made negotiations for service in foreign countries during their tenure of office in 1969 ;

(b) whether it is a fact that the Ministry of External Affairs have recently issued an order to the effect that no diplomat should make negotiations for this purpose ; and

(c) if so, whether a copy of the said order would be laid on the Table of the House ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) During 1969, one Diplomatic officer, namely General J. N. Chaudhuri, then High Commissioner of India in Canada, was given permission to take up appointment as a Visiting Professor in a Canadian University after his retirement from service under the Government of India.

(b) and (c). General instructions were issued by the Government of India in the Ministry of Home Affairs in 1966, adjoining that all Government servants, while in service, should refrain from negotiating for commercial employment, without obtaining the prior permission of the appropriate Government authority. No further instructions on this subject have been issued by the Ministry of External Affairs.

Problems Discussed at Indo-U.K. Talks

3467. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Indian and the British delegations have exchanged views in connection with mutual co-operation between the two countries in London recently ;

(b) if so, the major problems discussed ; and

(c) the extent to which Government agree to the decisions taken by the delegations of the two countries ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Attention of the H'ble Member is invited to the Answer to Unstarred Question No. 3508 being answered today.

Display of Portraits of Indian Leaders in Embassies Abroad

3468. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether Government have issued any directives to their Embassies in foreign countries for displaying the portraits of the present and the past Indian leaders in their offices ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) the names of those leaders whose portraits have been approved by Government for being displayed under the said directives ; and

(d) in case no directives have been issued, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Government have not issued any directives regarding display of portraits of our national leaders. Normally, however, photographs of National leaders like Mahatma Gandhi, Pandit Nehru, Tagore, and of the President and Prime Minister are displayed by almost all our Missions and Posts abroad.

(d) There has been no need or occasion to issue such directives.

Export of Textiles to U.K.

3469. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that India is losing the fame and consumption of textile goods in U.K. market and the countries like Hongkong, Japan and Pakistan are coming forward in competition ;

(b) if so, the reasons for which India is lagging behind in the said competition as compared to other countries ;

(c) the action being taken or proposed to be taken by Government to remove the difficulties in this regard ; and

(d) in case no action is being taken or proposed to be taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) While exports of cotton textiles from India to the U.K. during the year 1969 show a decline which is due to the sluggishness in the market and restrictive measures taken by the Government of U.K., it is not a fact that India is losing fame and consumption of cotton textile in that market in comparison to other countries.

(b) to (d). Every effort is being made to maintain and to increase exports of cotton textiles to the U.K.

खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष द्वारा जापान का दौरा

3470. **श्री रवि राय :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष 5 मार्च, 1970 को टोकियों का दौरा करेंगे ;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) उस का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अध्यक्ष जापानी इस्पात मिलों के साथ निम्नलिखित विषयों पर बातचीत करने के लिये 7 मार्च, 1970 को जापान गये : (1) 1970-71 के पश्चात् बेलाडिला अयस्क के दीर्घावधि सम्भरण (2) वर्ष 1970-71 में संभरण के मूल्य तथा सविदा की शर्तें (3) 1970-71 के पश्चात् मूल ग्रेड तथा उच्च ग्रेड संविधाओं की कालावधि को बढ़ाना और (4) पहले की जा चुकी तत्स्थानी संविदा के आधार पर पारादीप पत्तन से दायतारी अयस्क के संभरण का लदान मूल्य ।

रूस के साथ माल-डिब्बा-व्यापार

3471. **श्री रवि राय :** **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री ई० के० नायनार : **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक आर्थिक सम्पर्क संबंधी सोवियत राज्य समिति के अध्यक्ष श्री स्कैचकोव ने भारत की अपनी हाल की यात्रा के दौरान सरकार को यह बताया था कि इस के प्रधान मंत्री श्री कोसीगिन प्रस्तावित माल डिब्बा सौदे को पूरा करने के इच्छुक हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में वे किसी मन्त्री से मिले थे ; और

(ग) श्री स्कैचकोव की यात्रा के पश्चात् इस सम्बन्ध में क्या अग्रेतर कार्यवाही की गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). विदेश कार्य मन्त्री से अपनी सौजन्य भेंट में श्री स्कैचकोव ने बताया कि यद्यपि सोवियत सरकार भारत से रेल के माल-डिब्बे खरीदने की इच्छुक है तथापि मूल्यों के प्रश्न पर कोई समझौता न होने के कारण इसमें और प्रगति नहीं हुई है ।

प्रतिरक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए परियोजनाएं स्थापित करना

3472. **श्री रवि राय :**
श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के अन्दर प्रतिरक्षा उपकरणों के उत्पादन के लिए अनेक नयी परियोजनाओं पर सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) और (ख). आयुधों और अन्य रक्षा साजसामान का विकास और उत्पादन एक निरन्तर प्रस्तुत रहने वाली प्रक्रिया है । फलतः इस उद्देश्य के लिए स्थापित की जाने वाली, नई रक्षा फैक्ट्रियों या यूनिटों में, नई मदों की एक संख्या सदा निरीक्षण और आयोजन अधीन रहती है । उत्पादन के लिये विचाराधीन इस समय नई वृहत मदें हैं मध्यम व्यास की गनों के लिए गोला बारूद, मध्यम फील्ड गनें, प्रापेलेंट और अन्य विस्फोटक, आर्मर्ड लड़ाका गाड़ियां, विशिष्ट मिश्र धातुएं और इस्पात, सहायक वैमानिक पुर्जे, इलेक्ट्रानिकी साज़सामान और मिसाइलों की कई किस्में ।

अफगानिस्तान के प्रधान मन्त्री के साथ बातचीत

3473. **श्री रवि राय** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के विदेश सचिव 21 फरवरी को अफगानिस्तान के प्रधान मन्त्री से मिले थे ;

(ख) यदि हां, तो अफगानिस्तान के प्रधान मन्त्री के साथ किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हाँ ।

(ख) और (ग). यह बातचीत भारत और अफगानिस्तान के आपसी हित के विषयों पर हुई थी जिनमें गुटमुक्त राज्यों की आगामी बैठकें और द्विपक्षीय आर्थिक संबंध भी शामिल हैं ।

राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे को दान में दी गई राशि का विदेशी मुद्रा में बदलना

3474. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा प्रतिनिधि मण्डल को जो भारत आया था दान स्वरूप प्राप्त राशि को विदेशी मुद्रा में बदलने की सरकार ने अनुमति दी है ; और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी थी और किन नियमों के अन्तर्गत उसे बदलने की अनुमति दी गई ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

असवैधानिक समानान्तर सरकारों के प्रतिनिधियों की यात्रा

3475. **श्री कामेश्वर सिंह** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व के विभिन्न गणतन्त्रात्मक देशों में काम कर रही विधिवत गठित सरकारों के अलावा जो वहां असंवैधानिक समानान्तर सरकारें बनाई गई हैं उनके प्रतिनिधिमण्डलों के भारत आने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : सरकार का साबिका सिर्फ उन्हीं प्रतिनिधिमण्डलों से पड़ता है जो ऐसे देशों की सरकारों की ओर से आते हैं जिन्हें भारत ने मान्यता दे रखी हो । अगर भारत का कोई निजी अथवा-गैर सरकारी संगठन किसी ऐसे प्रतिनिधि-मण्डल को आमन्त्रित करना चाहता हो जो उस देश की मान्यता प्राप्त सरकार की ओर से न आ रहा हो, तो उस सूरत में, सरकार प्रत्येक मामले पर उसके गुणदोषों के आधार पर निर्णय लेती है और ऐसा करते समय शांति तथा सहयोग के हित में जनमत के विभिन्न वर्गों के साथ सम्पर्क बनाए रखने की वांछनीयता को भी ध्यान में रखती है ।

वायु-सेना के विधि विभागों में कानून के डिग्रीधारी व्यक्तियों की नियुक्ति

3478. **श्री इसहाक सम्भली :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कानून के डिग्रीधारी उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिनको वायु-सेना, स्थल-सेना तथा नौ-सेना में विधि विभागों (न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग) में नियुक्त किया गया है ; और

(ख) क्या भारतीय वायु-सेना के विधि विभागाध्यक्ष, मुख्य विधि सलाहकार के पास कानून की डिग्री है और उनको 10 वर्ष से अधिक का कानूनी-न्यायिक अनुभव है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) सेना, नौ-सेना और वायु-सेना के कानूनी विभागों में नियुक्त किए गए कानूनी डिग्रियां धारण करने वाले अफसरों की संख्या क्रमशः 22, 6 और 17 है ।

(ख) वायु-सेना के जज एडवोकेट जनरल किसी विश्वविद्यालय की कानूनी डिग्री धारण नहीं करते, और न ही 10 वर्ष से अधिक का कानूनी-न्यायिक अनुभव ही । तदपि, उन्होंने 10 मास की अवधि का जज एडवोकेट का पाठ्यक्रम सफलता से सम्पूर्ण किया है ।

केंद्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रत्येक राज्य में व्यय की गई धनराशि

3479. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय ने वर्ष 1967 से अब तक प्रत्येक राज्य में पृथक्-पृथक् कितनी धनराशि व्यय की है ; और

(ख) इस वर्ष 31 मार्च, 1970 तक प्रत्येक राज्य में कितनी धनराशि व्यय करने का विचार है ?

सिंचाइ तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विभिन्न राज्य सरकारों को 1968-69 तक उसकी वार्षिक योजना में निर्धारित समग्र-राशियों के भीतर चुनी हुई वृहत् सिंचाई, बिजली, बहूद्देश्यीय परियोजनाओं, ग्राम विद्युतीकरण स्कीमों आदि पर धन लगाने के लिए ऋण के रूप में पृथक् रक्षित केन्द्रीय सहायता दी जाती थी । विभिन्न राज्य सरकारों को दो वित्तीय वर्षों, 1967-68 और 1968-69, के दौरान दी गई केन्द्रीय सहायता का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये** संख्या एल० टी०-2925/70 ।]

(ख) यह निर्णय किया गया है कि 1969-70 से राज्य सरकारों को उनकी वार्षिक योजनाओं की क्रियान्विति के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों/अनुदानों के रूप में दी जाएगी । राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता, अनुरूप अंशदान के आधार पर, किसी एक स्कीम/स्कीमों के समूह अथवा विकास-शीर्ष से सम्बद्ध नहीं होगी । बहरहाल, कार्यान्विति के दौरान

'योजना' के लिए प्राथमिकताएं सामान्यतः सुनिश्चित रखने के लिए यह निर्णय किया गया है कि कुछ शीर्षों अथवा उप-शीर्षों के अधीन और कुछ विशिष्ट स्कीमों के लिए परिव्यय पृथक् रक्षित किए जाएंगे। इन विशिष्ट स्कीमों में कुछ संतत वृहत् सिंचाई स्कीमें और बिजली की उत्पादन एवं पारेषण स्कीमें आती हैं। 1969-70 के लिए चुनी हुई सिंचाई और बिजली स्कीमों के निमित परिव्यय जितनी मात्रा में पृथक् रक्षित किए गए हैं, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इन स्कीमों के लिए स्वीकृत परिव्ययों को किसी अन्य कार्यक्रम/स्कीम पर नहीं लगाया जा सकेगा। ब्लाक ऋणों/अनुदानों का विमोचन वित्त मन्त्रालय द्वारा किया जा रहा है।

यह मन्त्रालय चौथी पंच-वर्षीय योजना अवधि के दौरान केवल एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम का प्रशासन कर रहा है। वह अन्तर्राज्यीय सम्पर्कों के विकास के लिए एक बिजली पारेषण स्कीम है। यह केन्द्रीय सहायता शत-प्रतिशत होगी। 1969-70 के लिए राज्य-वार आवंटन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना को कार्यान्वित न किया जाना

3480. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा बिजली** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में नर्मदा परियोजना की क्रियान्विति को रोका जा रहा है ; क्या सरकार मध्य प्रदेश के लिए सिंचाई के अन्य साधनों की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). चतुर्थ योजना के मसौदे में, मध्य प्रदेश के वृहद् तथा मध्यम सिंचाई स्कीमों के लिए 61 करोड़ परिव्यय की परिकल्पना की गई थी जिस में से 53.56 करोड़ रुपये संतत स्कीमों के लिए थे, 4 करोड़ रुपये अनुसंधान, गवेषणा, वर्कशाप आदि के लिए और केवल 3.44 करोड़ रुपये नई स्कीमों के लिए थे। नर्मदा बेसिन में और परियोजनाओं की स्वीकृति पर न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात् ही विचार किया जाएगा। इस बीच, राज्य सरकार नई स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए नए संसाधान ढूंढ सकती है।

मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना का सर्वेक्षण

3481. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी परियोजना का विस्तृत सर्वेक्षण केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो कब तथा किये जाने वाले सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). सिंचाई और बिजली परियोजनाओं का आयोजन और अनुसंधान राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है।

पहले प्राथमिक अनुसंधान राज्य सरकार की लागत पर बागा, पुनासा, बवाहा, हरपाल, वर्पा और कोलार परियोजनाओं पर केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा किए गए थे। राज्य सरकार पिछले कुछ वर्षों से ही नर्मदा और अन्य बेसिनों में अपने स्टाफ की सहायता से और अनुसंधान कर रही है।

विश्व बैंक दल के सामने रखने के लिए परियोजनाओं का चयन

3482. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व बैंक दल के सामने रखने के लिए उन परियोजनाओं का चयन किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है जिन में वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा किया जाना होता है ; और

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विश्व बैंक और इससे सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था अपनी पद्धतियों के अधान उन प्राथमिकतापूर्ण परियोजनाओं को सहायता देने पर विचार करते हैं जिनका उद्देश्य उधार लेने वाले देश के जीवन-स्तर को ऊंचा उठाने के लिए उपयोगी सामान और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करना हो। वे केवल उन परियोजनाओं और कार्यक्रमों के लिए उधार देते हैं जो उधार लेने वाले देश के आर्थिक विकास के लिए उच्च प्राथमिकता रखते हों, जो आर्थिक और तकनीकी रूप से दोषहीन हों और जिनका भविष्य सफलतापूर्वक पूर्ण होने एवं प्रचालित होने के लिए संतोषप्रद हो।

उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, उन्हीं सिंचाई परियोजनाओं को विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत करने पर विचार किया जाता है, जिन्हें योचनाओं में पहले से ही शामिल किया हुआ है और जो निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में हैं अथवा जिन्हें योजनाओं में शामिल करने का भविष्य अच्छा है ; जो अन्तर्राज्यीय जल-विवादों से युक्त हैं, और जिन्हें इंजीनियरी कार्य तथा अयाकट विकास के 5 या 6 वर्षों में पूर्ण होने के लिए राज्य योजनाओं में प्रबन्धित काफी मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं।

(ख) विश्व बैंक के सिंचाई सर्वेक्षण मिशन ने जनवरी-फरवरी, 1969 में भारत का दौरा किया और विश्व बैंक/अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था से सम्भव सहायता के लिए निम्नलिखित आठ परियोजनाओं को चुना :

1. माही-कडाना सिंचाई (गुजरात)
2. तावा सिंचाई (मध्य प्रदेश)
3. कृष्णा-गोदावरी डेल्टा बाढ़ नियंत्रण (आंध्र प्रदेश)

4. गोदावरी बराज (आंध्र प्रदेश)

5. अपर कृष्णा (मैसूर)

6. जायकवाडी चरण-1 (महाराष्ट्र)

7. कावेरी डेल्टा (तमिलनाडु)

8. पोचम्पाद (आंध्र प्रदेश)

इन परियोजनाओं में से अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था द्वारा माही-कडाणा परियोजना के लिए 9 फरवरी, 1970 को 350 लाख डालर का ऋण मंजूर किया गया है । अन्य परियोजनाएं अभी भी पूर्व-मूल्यांकन/मूल्यांकन चरण के अन्तर्गत हैं ।

Publication of Hindi Edition of "Nuclear India"

3483. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the **Prime Minister** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4982 on the 18th December, 1968 and state :

(a) the practical difficulties in publishing a Hindi edition of 'Nuclear India' ;

(b) whether Government propose to publish 'Nuclear India' for the time being in Devnagri script by retaining the English or International terminology used in the English edition in their original forms ; and

(c) if so, the time by which it is likely to be done and, if not, the reasons therefore ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The highly scientific and technical nature of the matters published in 'Neclear India'.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Per Capita Consumption of Electricity in Uttar Pradesh

*3484. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in accordance with the 1965-66 figures ; per capita consumption of electricity in Uttar Pradesh is 30 Kilowatts per annum as against the National average consumption of 61 kilowatts and of 89 kilowatts in Madras ; and

(b) if so, whether there is any proposal to give additional aid to Uttar Pradesh during the Fourth Five Year Plan to remove this regional imbalance ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir. The per capi a consumption of electricity in Uttar Pradesh during 1965-66 was 30 kwh. The corresponding figure for Tamil Nadu was 89 kwh and the all-India average was 61 kwh.

(b) The outlay for power development during the Fourth Five Year Plan is being finalised by the Planning Commission at present. However, it is anticipated that the per capita consumption of electricity in Uttar Pradesh by the end of the Fourth Plan would be about 90 kwh.

Setting up of an Atomic Plant in U.P. or Haryana

3485. **Shri Bansh Narain Singh :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Central Government have invested 373 crores of rupees during the last 17-18 years in power generating plants but not a single plant has been set up in Uttar Pradesh and Haryana ;

(b) whether it is also a fact that the Atomic Energy Commission had recommended setting up of 1000 m.w. Nuclear power station in Uttar Pradesh ;

(c) whether Government propose to set up a nuclear power station at some suitable place in Uttar Pradesh ; and

(d) if so, the time by which the work in this connection is likely to be taken up : and if not, the reasons therefor ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Shrimati Indira Gandhi) : (a) The Central Government's investment in power generation from the First Five Year Plan onwards till date is Rs. 290.23 crores. The Badarpur Power Station under construction at a cost of Rs. 49 crores would supply power to the Northern Region, which includes U.P. and Haryana.

The installed capacity in Uttar Pradesh and Haryana added during this period was 1218 MW and 490 MW respectively comprising of conventional Hydro and Thermal Plants set up as part of the State Plan towards which Central assistance has been given.

(b) to (d). Preliminary studies conducted by a Working Group appointed by the Atomic Energy Commission have revealed that the western region of Uttar Pradesh is one of the regions in which it would be feasible to establish an Agro-industrial Complex around a larger sized nuclear power station. A decision on the question of establishing such a Complex or a new nuclear power station in the Northern Electricity Region is dependent on the results of further detailed studies which are in progress and on the identification of resources.

Use of Hindi for Official Work in Embassies

3486. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of External Affairs be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1428 on the 30th April, 1969 and state whether Government propose to issue orders to all the Indian diplomatic missions to use Hindi in their official work ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : While it is not possible to completely switch over to Hindi at this stage, instructions have been issued to Indian Missions abroad to use Hindi as far as may be practicable, e.g., to reply to Hindi letters in Hindi, to issue invitations cards and messages in Hindi, the local language also being used for the purpose, if necessary, to have name plates and sign boards in Hindi. Our officers have also been instructed to use Hindi in conversation among themselves and, where possible, with foreigners also.

Production Cost of Electricity per Unit

*3487. **Shri Molahu Prashad :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the cost of production of electricity per unit in the various Electricity producing units in the country ;

(b) the rates per unit at which electricity is supplied for agricultural purposes, industrial purposes and domestic use from each of the said units ; and

(c) the reasons for which electricity is being supplied at the rates lower than the cost ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddeshwar Prasad) : (a) A statement showing the average cost of production of electricity in various States during 1968-69 is appended at *Annexure I.* [*Placed in Library. See* No. LT-2926/70].

(b) A statement showing the average rates of electricity supply in the various States for different purposes is appended at *Annexure II.* [*Placed in Library. See* No. LT-2926/70].

(c) Power supply to certain electro-metallurgical, Chemical Fertiliser and other industries is being given at low rates mainly in consideration of the fact that these industries are highly electricity intensive.

Promotion of Technical Assistants to Class II Posts in Joint Cypher Bureau

3488. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in 1969 a panel was formed for promotion of the Technical Assistance to Class II Gazetted posts in the Office of Joint Cypher Bureau ;

(b) if so, the number of employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, who have been promoted out of the said Penal ;

(c) whether it is also a fact that it is proposed to promote some persons during 1970 also from the panel formed in the year 1961 : and

(d) if so, the reasons therefor and the reasons for not forming a fresh panel for 1970 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Defence (Shri N. R. Krishna) : (a) Yes, Sir.

(b) 3 Scheduled Castes employees have been promoted. None belonging to Scheduled Tribe is employed as technical Assistant/GD/R & D in Joint Cypher Bureau.

(c) and (d). Panels are operative for one year or earlier, if exhausted. Promotions will be made from the panels drawn up on 11.7.1969 till 10.7.1970 unless they are exhausted earlier. Fresh panels will be drawn after the existing panels are exhausted.

Commonwealth Committee on Africanisation of Trade in Africa

3489. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representatives of the Commonweath countries had held an informal discussion in the Commonwealth Prime Ministers Conference in 1967 to find out a solution of the difficulties experienced by Asians due to the policy of Africanisation of trade and service in the E. African countries and the Commonwealth Secretariat had constituted a Committee ; and

(b) if so, whether Government of India have obtained the report of the said Committee and if so, the details thereof and Government's reaction in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). The Hon. Member is presumably referring to informal discussions which took place between some Commonwealth countries outside the last Conference of Commonwealth Prime Ministers in 1969 on certain problems of migration between Commonwealth countries. The Secretary General of the Commonwealth Secretariat was requested

to examine certain aspects of the question. The report of the Secretary-General is awaited.

कच्चे माल का आयात

3490. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक वर्ष-वार कितने मूल्य की कपास, पटसन, कच्ची ऊन, खालें और चमड़े तथा अशोधित तेल का आयात किया गया ;

(ख) क्या सरकार इन अत्यावश्यक कच्ची वस्तुओं का आयात राज्य व्यापार निगम जैसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ; और

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) कच्ची रूई, पटसन, कच्ची ऊन, खालों तथा चमड़े तथा अशोधित तेल आदि के आयातों के मूल्यों को बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग). सरकार की यह नीति है कि आयात व्यापार में राज्य व्यापार अभिकरणों के कार्यकलापों के क्षेत्र का उत्तरोत्तर विस्तार किया जाये । इस नीति के अनुसार बहुत सी वस्तुओं के आयात को राज्य व्यापार निगम तथा खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से मार्गीकृत किया गया है । भविष्य में, उन नई मदों का भी मार्गीकरण करने का विचार है जो राज्य व्यापार के उपयुक्त समझी जाती हैं ।

विवरण

1967-68 से 1969-70 (नवम्बर तक) तक आयात किये गये कपास, पटसन, अपारकृत ऊन, चमड़ा और खालें, अनट्रेस्ड और अशोधित पेट्रोलियम तथा अंशतः शोधित पेट्रोलियम का मूल्य :

(मूल्य लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	विवरण	1967-68	1968-69	1969-70 (नवम्बर तक)
1.	कपास	8301	9018	5755
2.	पटसन (बिमलिपटनम पटसन और मेस्टा सहित)	489	1646	504
3.	अपरिकृत ऊन	1127	1041	1137
4.	चमड़ा और खालें (फर खालें सहित) अनट्रेस्ड	131	174	124
5.	अशोधित पेट्रोलियम तथा आगे शोधन करने के लिए अंशतः शोधित पेट्रोलियम (जिसमें प्राकृतिक गैसोलीन शामिल नहीं है ।)	5975	5431	2920

इंजीनियरिंग उद्योग को दिए गये प्रतिरक्षा सामग्री सम्बंधी क्रयादेश

3491. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1967-68 से 1969-70 तक पृथक-पृथक बड़े पैमाने तथा छोटे पैमाने के इंजीनियरिंग उद्योग को राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने मूल्य के प्रतिरक्षा सामग्री सम्बन्धी क्रयादेश दिए गए ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : सरकार से सरकार स्तर पर किए गये क्रयों को छोड़कर रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सामानों के क्रय अधिकतः सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेन्सी अर्थात् डी० जी० एस० तथा डी० के माध्यम से किये जाते हैं। 1968-69 और (दिसम्बर 1970 तक) 1968-70 के दौरान रक्षा सेवाएं पूरी करने के लिए इन्जीनियरी उद्योग को डी० जी० एस० तथा डी० द्वारा भेजे गये आर्डरों का मूल्य दर्शाने वाला निर्माण साधन तथा सप्लाइयरों के राज्य-वार स्थानों द्वारा वर्गीकृत एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी०—2927/70] 1968-69 से पहले डी० जी० एस० तथा डी० द्वारा ऐसे आंकड़े बनाए नहीं रखे गये।

रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा भेजे गये आर्डरों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार संतुलन

3492. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1967-68 से 1969-70 तक वर्ष-वार, अमरीका तथा पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार सन्तुलन की स्थिति कैसी रही है ;

(ख) यदि व्यापार सन्तुलन प्रतिकूल रहा है, तो उसके क्या कारण थे ; और

(ग) क्या यह सच है कि इन दो देशों द्वारा निर्यात किये जाने वाले माल तथा सेवाओं के लिए अपेक्षाकृत अधिक मूल्य लिया जाना भी प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के कुछ मुख्य कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मत्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग). इन देशों के साथ प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन का कारण यह है कि इनको दिए गये भारतीय निर्यातों की तुलना में इनसे भारी मात्रा में आयात किये गये, विशेषतः संयुक्त राज्य अमरीका से पी० एल० 480 के अन्तर्गत खाद्यान्न और अन्य कृषिगत उत्पादों के, तथा इन दोनों देशों से विभिन्न सहायता कार्यक्रमों के अन्तर्गत मशीनों के आयात किये गये। इन देशों के साथ प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन का प्रमुख कारण, मूल्य न हो कर, आयातों की मात्रा है।

विवरण

(मूल्य करोड़ रु० में)

	संयुक्त राज्य अमरीका			जर्मन संघीय गणराज्य		
	निर्यात	आयात	व्यापार सन्तुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन
1967-68	207.43	776.64	(—) 569.21	21.51	142.84	(—) 121.33
1968-69	234.27	575.06	(—) 340.79	26.50	119.74	(—) 93.24
1969-70 (नवम्बर 69 तक)	161.51	329.50	(—) 167.99	18.67	51.74	(—) 33.07

मैसूर में हिरेनला परियोजना सम्बंधी प्रगति

3493. **श्री एन० शिवप्पा : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में बेलगांव जिले के बेलहोंगल तालुक में हिरेनला परियोजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इससे कितनी भूमि में सिंचाई करने का प्रस्ताव है तथा इस पर अनुमानतः अब तक कितना व्यय हो चुका है तथा इसे पूरा करने के लिये कितना और धन चाहिये ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). हरिनाला परियोजना की अनुमानित लागत 165.15 लाख रुपये है और इसमें 10,750 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई परिकल्पित है ।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1968-69 तक पहुँच सड़कों और भवनों जैसे प्रारम्भिक कार्यों पर 7.07 लाख रुपये व्यय हुए थे । चूंकि परियोजना पर कार्य वास्तविक रूप से आरम्भ नहीं हुआ है और धन की कमी है, राज्य सरकार ने परियोजना का निर्माण-कार्य स्थगित कर दिया है और इसे तब हाथ में लेने का विचार रखती है जब राज्य की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी ।

केरल राज्य योजना परिव्यय में वृद्धि

3494. **श्री ई० के० नायनार : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपये की वृद्धि करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय को देखते हुए क्या केरल राज्य के लिए नियत की गई 258 करोड़ रुपये की राशि में, जिसे पहले योजना आयोग द्वारा स्वीकार किया जा चुका था, वृद्धि की जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

प्रधान मन्त्री वित्त मंत्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). राज्यों के लिये (केरल सहित) योजना आवंटन का अन्तिम रूप से निर्धारण राष्ट्रीय विकास परिषद् के विचार-विमर्श के बाद किया जायेगा । राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा शीघ्र ही विचार-विमर्श किए जाने की संभावना है ।

भारतीय वायु सेना के विमानों में प्रधान मन्त्री द्वारा किये गये दौरों पर किया गया खर्च

3496. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या प्रतिरक्षा** मन्त्री 19 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न के संख्या 429 के उत्तर सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख).

अतारांकित प्रश्न संख्या 429 दिनांक 19-11-69 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति के लिए सूचना शीघ्र ही सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा द्वारा प्रधान मन्त्री को लिखा गया पत्र

3497. **श्री कंवर लाल गुप्त : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा ने उन सात पत्थरों को प्रधान मन्त्री के पास भेजा है, जो उन पर हाल की उनकी मैसूर यात्रा के दौरान फैंकें गये थे ;

(ख) उक्त पत्थरों के साथ उन्होंने प्रधान मन्त्री को जो पत्र लिखा है उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रधान मन्त्री ने श्रीमती सिन्हा को क्या उत्तर दिया है ; और

(घ) ऐसी गंदी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). प्रधान मन्त्री को श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा से न तो कोई पत्थर प्राप्त हुए हैं और न कोई पत्र ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) स्वाभावित तौर पर सरकार ऐसी घटना की निन्दा करती है । जब कभी ऐसी घटना सरकार के ध्यान में लाई जाती है वह सम्बद्ध राज्य सरकार से उचित कार्यवाही करने के लिये कहती है ।

अन्य देशों से साथ व्यापार करार

3498. **श्री रा० कृ० बिड़ला : क्या वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में सरकार ने किन-किन देशों से व्यापार करार किये हैं ;

(ख) उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन करारों के परिणामस्वरूप हमारे निर्यात में कितनी वृद्धि होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) गत तीन महीनों में सरकार ने कोई व्यापार करार नहीं किया ।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते ।

Crisis of Powerloom Industry

3499 **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the number of power-looms in the country, Statewise, and the number of persons depending on them ;

(b) whether it is a fact that the power-loom industry of the country is passing through a severe crisis at present ;

(c) if so, the causes thereof ;

(d) whether Government have formulated any Scheme after the nationalisation of Banks under which loans could be given to the Weavers' cooperative society and private weavers with a view to removing the crisis ; and

(e) if so, the details of the said scheme and whether work has been undertaken in all the States in accordance with the said scheme ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) A statement showing the number of powerlooms in different States is enclosed. [*Placed in Library. See* No. LT—2928/70]. No precise data about number of persons depending on the powerloom industry is available.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

मूंगफली तथा बिनौलों का निर्यात

3500. **श्री गं० च० दीक्षित :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंगफली तथा बिनौलों के निर्यात में कमी आती जा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रतिशतता क्या है तथा उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि खली के निर्यात में कमी का एक कारण तिलहनों के उत्पादन में कमी होना है ; और

(घ) यदि हां, तो तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). हाथ से बीनी हुई तथा चुनी हुई किस्मों को छोड़कर बिनौले तथा मूंगफली के निर्यातों पर रोक है। मूंगफली की हाथ से बीनी हुई तथा चुनी हुई किस्म के निर्यातों में धीरे-धीरे वृद्धि हो रही है।

(ग) जी हाँ।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रमुख तिलहन का उत्पादन बढ़ाकर 1.05 करोड़ मे० टन तक करने का विचार है इस लक्ष्य को, सघन खेती के उपायों को अपना कर, अधिक क्षेत्र में सिंचाई करके और अधिक क्षेत्र में तिलहन की खेती करके, प्राप्त करने का विचार है।

Increase in Allocations for State Plans

3501. **Shri G. C. Dixit :** Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the allocations for the Fourth Plans of the States are likely to increase by 10 to 15 per cent as a result of the discussions held between the Chief Ministers of the States and Planning Commission authorities ; and

(b) if so, the extent of increase in the allocation for Madhya Pradesh ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Smt. Indira Gandhi) : (a) and (b). The Fourth Plan outlay of the States will be finalised after consideration by the National Development Council which is expected to meet shortly.

त्रिनिडाड दूतावास में एक भारतीय अधिकारी की मृत्यु

3502. **श्री गार्डिलिंगन गौड** : क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को त्रिनिडाड में भारतीय दूतावास के एक कर्मचारी श्री रामरतन शर्मा की मृत्यु का समाचार मिला है ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). हम इस मामले में पुलिस की जांच के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन, अब तक जो तथ्य सामने आए हैं, उनका एक विवरण संलग्न है।

विवरण

विदेश मंत्रालय में सहायक, श्री राम रतन शर्मा का स्थानान्तरण अक्तूबर, 1960 में त्रिनिडाड-स्थित भारत के हाई कमीशन के लिए किया गया था। 18 जनवरी, 1970 को मंत्रालय को इस हाई कमीशन से तार मिला जिसमें लिखा था कि श्री शर्मा 17-1-1970 को हाई कमीशन के कार्यालय की चौथी मंजिल से कूद पड़े और उनकी मृत्यु हो गई है।

हाई कमीशन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार श्री शर्मा जब से पोर्ट-आफ-स्पेन पहुँचे थे तभी से उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। वे खिन्न मन और उदास रहते थे तथा नवम्बर, 1969 से एक मनश्चिकित्सक के इलाज में चल रहे थे। इस चिकित्सक ने संकेत दिया था कि उन्हें निद्रा रोग और बेचैनी रहने का रोग है। लेकिन 15 जनवरी 1970 को ही इस डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा था कि उनकी हालत अब पूरी तरह नियंत्रण में है। हालांकि अनमनेपन का उन्हें जो दौरा पड़ता है वह अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। डाक्टर नें यह भी कहा था कि श्री शर्मा एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं और उनमें संतोषजनक ढंग से कार्य करने की सामर्थ्य है क्योंकि उनकी बीमारी पूरी तरह नियंत्रण में है। आगे चलकर उनकी तबियत बिल्कुल ठीक हो जाने की संभावना बहुत अच्छी है।

दिसम्बर 1969 के मध्य में श्री शर्मा ने प्रथम सचिव के समक्ष यह अभिवेदन किया था कि वे काम के बोझ को सम्भालने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने राहत के लिए भी निवेदन किया था। उक्त प्रथम सचिव ने इसके प्रबन्ध की व्यवस्था भी कर दी थी। 17 जनवरी को छुट्टी के दिन श्री शर्मा किसी काम से कार्यालय गए थे। उन्होंने चौथी मंजिल के दरवाजे को गलती से दफ्तर समझकर खोला जबकि दफ्तर वास्तव में तीसरी मंजिल पर है। वहाँ के 'केयर-टेकर' ने उन्हें जब गलत दरवाजा खोलते देखा तो उसने इसकी ओर उनका ध्यान दिलाया था। तब श्री शर्मा, जिनकी मनोदशा उस समय घबराहट और उलझनपूर्ण थी, वहां से

कूद पड़े। उन्हें तुरन्त अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पहुंचने पर वे मृत पाए गये थे। शव परीक्षा की जांच रिपोर्ट से यह पता चलता है कि उनकी मृत्यु कपाट फट जाने से, प्रमस्तिष्कीय रक्तस्राव (सेरेबल हेमेरेज) तथा बहुत ऊंचाई से गिरने के कारण जगह-जगह चोट आ जाने से हुई थी।

पुलिस इसकी बाकायदा जांच कर रही है और उसकी रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

आप्रवास सम्बंधी ब्रिटिश प्रवर समिति के सदस्यों के साथ वार्ता

3503. **श्री गाडिलिंगन गौड़ :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1970 में नई दिल्ली में ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स की प्रवर समिति के सदस्यों, वैदेशिक कार्य मन्त्रालय के अधिकारियों, ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारियों तथा एयरलाइन के प्रतिनिधियों के बीच ब्रिटेन में आप्रवास पर लगाये गये प्रतिबन्धों के बारे में विचार विमर्श हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या निर्णय किया गया ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). ब्रिटेन के 'हाउस आफ कामन्स' की 'जाति सम्बन्ध एवं आप्रवास प्रवर समिति' जनवरी 1970 में यह देखने के लिए भारत आई थी कि भारत में यूनाइटेड किंगडम के हाई कमीशन ने प्रवेश प्रमाण-पत्र प्रदान करने और तत्सम्बन्धी अमील प्रक्रिया का कैसा प्रबन्ध कर रखा है। इस समिति ने भारत सरकार के तथा हवाई कम्पनी प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बातचीत की थी। यह समिति ब्रिटेन के 'हाउस आफ कामन्स' के समक्ष अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।

स्वायत्तशासी परमाणु शक्ति प्राधिकार का गठन

3504. **श्री गार्डिलिगन गौड़ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तारापुर आणविक बिजली घर तथा देश में अन्य स्थानों पर बनाये जा रहे ऐसे ही संयन्त्रों को चलाने तथा उनके रख-रखाव करने के लिये परमाणु शक्ति आयोग के अधीन एक स्वायत्तशासी परमाणु शक्ति प्राधिकार के गठन के बारे में विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) परमाणु शक्ति आयोग ने तारापुर आणविक बिजलीघर तथा ऐसे ही स्थापित किये जाने वाले अन्य सयन्त्रों को चलाने तथा उनका परिक्षण करने के लिए एक स्वायत्तशासी परमाणु शक्ति प्राधिकार का गठन करने का निर्णय किया है।

(ख) ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

आणविक विस्फोट का पता लगाने का तरीका

3505. **श्री गार्डिलिंगन गौड़** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्राम्बे स्थित भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र ने आणविक विस्फोटों का पता लगाने सम्बन्धी विकासशील तरीकों का अध्ययन पूरा कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). भाभा आणविक अनुसंधान केन्द्र ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है और इसमें सम्बन्धित औद्योगिकी के विकास को देखते हुए इस उद्देश्य के लिए विकसित तरीकों में निरन्तर सुधार किया जा रहा है, भूकम्पी ब्यूह रचना, माइक्रो बैरोग्राफ और संचारक्षेप केन्द्र की सहायता से यह केन्द्र अमरीका, रूस, चीन और फ्रांस द्वारा किये गये परमाणु विस्फोट का पता लगा सका है ।

India's Stand on Chemical Warfare in U. N.

3506. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the representative of India Made an appeal in the United Nations General Assembly that the United Nations should make a clear declaration that tear gas and other material containing chemicals or germs would not be used in war so as to save the civilians from their disaster ;

(b) if so, the reaction of various countries in this regard ;

(c) whether it is a fact that United States of America is not prepared to accept the said appeal ; and

(d) if so, whether Government propose to take any further steps to make the big nations agree to their appeal ; and if so, the details in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) India Co-Sponsored resolution No. 2603-A at the 24th Session of the General Assembly last year which, interalia, declared that the use of any chemical agent of warfare—chemical substances whether gaseous, liquid or solid—is contrary to the generally recognized rules of International Law.

(b) and (c). Resolution 2603-A (XXIV) was adopted by the General Assembly by 80 votes in favour to 3 against with 36 abstentions. USA voted against the Resolution.

(d) The UN General Assembly has referred the question of Chemical and Bacteriological (Biological) Weapons to the Committee on Disarmament in Geneva for further consideration. India, as a member of the Committee which is currently in session, will take full part in the deliberations in the Committee on this subject and will continue to adhere to its position.

Construction of Hydel Power Station in, Motipur, Bihar

3507. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether there are any difficulties in regard to the construction of a hydel power station near Motipur in Muzaffarpur district in North Bihar as also in arriving at a decision in this respect ; if so, the nature thereof ;

(b) if not, the reasons for which Government are not publishing their report in this regard ; and

(c) whether a copy of the report would be made available to Members of Parliament also ; and if so, by when and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) There is no proposal to construct a hydel power station near Motipur in Muzaffarpur district.

(b) and (c). Do not arise.

Indo-U. K. Talks Regarding Safeguarding of British Capital and Interest in India

3508. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether high officers of India and Britain recently held talks in London in respect of International developments and mutual problems of the both countries and the Indian Officers gave guarantee for the protection of British capital and British interests in India to the British high officers during the course of the said talks ;

(b) if so, whether the said officers had been given some directions to this effect or they have given the said guarantee to their own ;

(c) the mutual problems discussed during the said talks and the benefit acquired therefrom ; and

(d) the expenses incurred by Government in respect of the said talks ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). Indo-British official level talks were held in London in January, 1970 to exchange views on both bilateral relations and matters of common interest in International Affairs. These official level talks are for exchange of views on an informal basis and for understanding each other's point of view. The Indian delegation did not give any guarantees or commit Government to any particular policy.

(d) These consisted of travel and daily allowances etc. of three officials and amounted to approximately Rs. 31,730/-.

Approach to African Countries to Keep Indian Ocean A Nuclear Free Zone

3509. **Shri K. M. Madhukar :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that he had stated in a conference of the Indian Ambassadors in African countries that India wants to make the Indian Ocean a Nuclear Free Zone and that she can get help in this regard from those African countries which are adjacent to the Indian Ocean ; and

(b) if so, the progress made in the matter ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). At the recent Conference of the Heads of Indian Missions in Africa, the situation in the Indian Ocean Area was reviewed and Government's position that the area should be an area of peace and free of international tensions restated. Government are also of the view that the Indian Ocean should be regarded as a nuclear weapon free area. The Heads of Indian Missions were asked to bring the Government of India's position to the notice of such African Governments as were interested in the matter.

Parts of India Shown as Parts of Islamic World in Syrian Text Book

3510. **Shri Sharda Nand :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the 190 page text-book prescribed for the children of Damascus (Syria) where in Maharashtra, Gujarat, Rajasthan, Punjab, Kashmir, Uttar Pradesh, and Bihar have been shown as parts of Islamic world in a map ;

(b) if so, the action taken by Government in this regard ; and

(c) if no, action has been taken, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) to (c). The Government of India have seen references in the press to the map in question. These are presumably based on one that is contained in the issue of "News from Israel" of February 15, 1970 and letter from the Israeli Vice-Consul to the editor of a daily newspaper.

The Indian Embassy at Damascus, who was asked to investigate this allegation, reports that the text-book of National Culture for the 8th grade elementary school published in Damascus in 1967, referred to in the press reports, contains only 160 pages and, further that the book does not contain any map of the type referred to.

तारापुर आरणविक शक्ति परियोजना को पूरा करने में विलम्ब के कारण हानि

3511. **श्री एस० एम० कृष्ण :**　　　　**श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्रीमती सावित्री श्याम :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर परियोजना को तीसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया था तथा इसे उस योजना के अन्त में चालू किया जाना था ;

(ख) परियोजना को पूरा करने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं तथा इस बिलम्ब के कारण कितनी हानि हुई ;

(ग) वर्ष 1969 से फरवरी 1970 तक इस केन्द्र से प्रति मास कितनी शक्ति का उत्पादन हुआ ; और

(घ) तारापुर में शक्ति के उत्पादन की सम्भावित उत्पादन लागत कितनी है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मन्त्री, अणुशक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में तारापुर में 300 मेगावाट की कुल क्षमता वाला, जिसमें 150-150 के यूनिट होंगे, एक आरणविक शक्ति केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया गया है। पहले यूनिट को तीसरी योजना में और दूसरे यूनिट को चौथी योजना के पहले वर्ष में पूरा करने का प्रस्ताव था।

(ख) इसके पूरा होने में विलम्ब निम्नलिखित बातों में समय लगने से हुआ ;

(एक) अमरीका से तकनीकी सहयोग के लिए बातचीत और ऋण सम्बन्धी समझौता।

(दो) केन्द्र की क्षमता 300 से 380 मेगावाट करने के बारे में पुनरीक्षण

(तीन) स्टेनलैस स्टील सामग्री में साधारण दोष को ठीक करना। इस हानि में परियोजना संस्थापन की लागत और बढ़ाई गई अवधि के दौरान पूँजी में ब्याज शामिल होगा। ठेके की शर्तों के अनुसार अक्तूबर 1968 के बाद केन्द्र को चालू करने में ठेकेदारों से निर्धारित क्षतिमूल्य वसूल किया जा रहा है।

(ग) तारापुर केन्द्र ने एक अप्रैल 1969 से 2 अक्तूबर 1969 तक, जब बिजली को व्यापारिक आधार पर पैदा किया जाने लगा, अन्तरामिक आधार पर बिजली पैदा करनी आरम्भ कर दी थी। विजली का उत्पादन इस प्रकार हुआ है :

अवधि	तारापुर में कुल पैदा की गई ऊर्जा (मिलियन किलोवाट घंटों में)
अप्रैल 1969	13.099
मई 1969	59.078
जून 1969	75.847
जुलाई 1969	87.927
अगस्त 1969	1.429
सितम्बर 1969	102.501
अक्तूबर 1969	128.373
नवम्बर 1969	166.126
दिसम्बर 1969	151.487
जनवरी 1970	174.407
फरवरी 1970	165.243
	1125.517

(घ) तारापुर केन्द्र में औसत विक्रय मूल्य, जो वार्षिक संयन्त्र उपादान का 75 प्रतिशत है, 5.61 पैसे प्रति किलोवाट घटा है।

राजस्थान और मद्रास परियोजनाओं के लिए भारी पानी की आवश्यकता

*3512. **श्री एस० एम० कृष्ण : श्री यमुना प्रसाद मन्डल : श्रीमती सावित्री श्याम :**

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना और मद्रास परियोजना के लिये कितने भारी पानी की आवश्यकता है, उनकी वास्तविक आवश्यकता किस वर्ष में होगी और देश में भारी पानी का वर्तमान उत्पादन कितना है ;

(ख) इन परियोजना की भारी पानी सम्बन्धी आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी की जायेंगी ;

क्या कोटा और बड़ौदा के कारखाने इन परियोजनाओं की समूची आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे और क्या ये संयंत्र समय पर तैयार हो जायेंगे ;

(ग) यदि आवश्यकता को पूरा करने में कम रहे तो क्या विदेशों से भारी पानी का आयात किया जायेगा अथवा अन्य देशों से भारी पानी को उधार अथवा पट्टे पर लाने की कोई अन्य व्यवस्था की जायेगी ; और

(घ) इस सम्बन्ध में लागत सहित ब्यौरा क्या है और विदेशों के नाम आदि क्या हैं ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

परियोजना का नाम	अपेक्षित भारी पानी	वर्ष जिसमें इसकी आवश्यकता होगी
राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना—पहला एकक	23 करोड़ मीटरी टन	1970
राजस्थान परमाणु शक्ति परियोजना—दूसरा एकक	23 करोड़ मीटरी टन	1973
मद्रास परमाणु शक्ति परियोजना—पहला एकक	"	1974

देश में भारी पानी का वर्तमान उत्पादन 14 मीटरी टन प्रति वर्ष है ।

(ख) तथा (ग). बड़ौदा और कोटा में भारी पानी का उत्पादन करने के लिए दो संयन्त्र लगाये जा रहे हैं । बड़ौदा और कोटा संयन्त्रों की क्षमता क्रमश: 67 और 100 मीटरी टन होगी और उनको 1973 और 1974 में चालू किया जायेगा । राजस्थान के पहले एकक के लिए भारी पानी की आवश्यकताएं कनाडा से पट्टे पर प्राप्त करके पूरी की जाएंगी ।

(घ) भारी पानी को पट्टे के शुल्क का जो लगभग 30 लाख रुपये प्रति वर्ष होगा, भुगतान करके प्राप्त किया जायेगा ।

ब्रीडर रिऐक्टरों का विकास

3513. **श्री म० ला० सोंधी : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थोरियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करके ब्रीडर रिएक्टरों के विकास तथा अन्य प्रकार के ब्रीडर रिएक्टरों के बारे में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) समुद्र में जाने वाले जहाजों पर लागू रिएक्टर प्रौद्योगिक के विकास के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): (क) भारत ने प्लूटोनियम पर आधारित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर के विकास का कार्यक्रम

आरम्भ किया गया है। खण्डनीय सामग्री बनाने के लिए ऐसे रिएक्टरों में आवरण सामग्री के रूप में थोरियम का प्रयोग किया जायेगा। थोरियम पर आधारित मोल्टर साल्ट थर्मल ब्रीडर रिएक्टर की व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।

(ख) महासागर में चलने वाले जहाजों में प्रयोजनीय रिएक्टर प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिए प्रारंभिक व्यवहार्यता का अध्ययन किया जा रहा है।

नेपाल से सिले सिलाये कपड़ों का आयात

3514. **श्री मधु लिमये :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है एक संसद् सदस्य ने उन्हें नेपाल से सिले सिलाये कपड़ों के आयात का एक प्रमाण दिया है कि ये सिले सिलाये कपड़े न केवल तीसरे देश से लाये गये थे परन्तु इन्हें नेपाल के सिले सिलाये कपड़ों के रूप में आयात किया गया था और फिर कानूनी तौर पर भारत में चोरी-छिपे लाया गया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी संसद सदस्य ने उनका ध्यान, उपहार पार्सल योजना का दुरुपयोग किये जाने तथा इस सम्बन्ध में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन तथा अन्य कम्पनियों से किराये पर लिये गये विमानों/अनुसूचित विमानों की उड़ानों में हुई वृद्धि की ओर दिलाया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा नवम्बर, 1968 से दिसम्बर, 1969 के अन्त तक उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित आयात तथा भाग (ख) में उल्लिखित उपहार पार्सलों तथा उड़ानों के बारे में कोई जांच की गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या परिणाम निकले तथा इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई ; और यदि कोई जांच नहीं कराई गई है तो सरकार का ध्यान इस ओर दिलाये जाने पर भी जाँच न कराने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) से (घ). सम्भवत: माननीय सदस्य का संकेत, लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 2481, 4223 तथा 505 के विषय की ओर है, जिनके उत्तर सभा में 3 दिसम्बर 1969, 20 अगस्त 1969 तथा 25 फरवरी, 1970 को दिये गये थे। सरकार, अपने उपयुक्त अभिकरणों के माध्यम से, नेपाल से भारत में तीसरे देश के उद्भव के माल के आयात पर कड़ी निगरानी रख रही है। उन मामलों में, जहां सीमा-शुल्क प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारत में लाया गया माल, जिसमें कमीजें शामिल हैं तीसरे देश के उद्भव का था, उस अवस्था में वह माल जब्त कर लिया गया। सरकार ने उपर्युक्त प्रश्न को भारत—नेपाल अन्त: सरकारी संयुक्त समिति में उठाने हेतु भी कार्यवाही की है। समिति में अन्तिम वार्ताएं अक्तूबर 1969 तथा फिर 1970 में हुई थीं और वे अनिर्णयक नहीं और आगामी बैठक में फिर से विचार-विमर्श किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि नेपाल के महामहिम की सरकार ने नवम्बर 1969 में अपनी उपहार पार्सल योजना संशोधित करके प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आयात किये जाने वाले पार्सलों की संख्या तथा मूल्य घटा दिया है।

नायलान के धागे का मूल्य

3515: **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 19 नवम्बर, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 497 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सरकार नायलान धागे के मूल्य कम कराने में सफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रतिशत कमी हुई है ;

(ग) यदि नहीं, तो जो वृद्धि हुई है, वह कितने प्रतिशत है ; और

(घ) सरकार का विचार मूल्यों को वर्ष 1969 के बजट के समय प्रचलित मूल्य के समान लाने के लिये अब क्या प्रभावी कार्यवाही करने का है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). नवम्बर, 1969 से कर्तकों द्वारा वसूल किए जा रहे नाइलोन धागे के उपभोक्ता स्तर के मूल्यों में कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं हुई है।

(घ) नाइलोन धागे के उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए लाइसेंस आशय पत्र जारी किए गए हैं। अतिरिक्त आयातों की व्यवस्था की जा रही है। संभरण स्थिति में सुधार के साथ मूल्यों को उचित स्तरों पर बनाए रखा जायेगा। नाइलोन धागे के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न पहले ही टैरिफ आयोग के विचारार्थ सौंपा जा चुका है। इसी बीच वस्त्र आयुक्त उत्पादन का स्वरूप नियंत्रित करने के लिए नाइलोन धागे के कर्तकों से अनेक बार मिये हैं ताकि धागे के विशेष डेनियरों की कृत्रिम कमी को दूर किया जा सके एवं सट्टे को रोका जा सके और यह सुनिश्चित हो सके कि कर्तक अनावश्यक रूप से मूल्य नहीं बढ़ाते। कर्तकों ने इस सम्बन्ध में अपने सहयोग का आश्वासन दिया।

राज्य व्यापार निगम द्वारा संश्लिष्ट धागे का आयात

3516. **श्री मधु लिमये** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष राज्य व्यापार निगम को संश्लिष्ट धागे की आयात के लिये कितने लाइसेंस दिये गये हैं ;

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा वास्तव में कितना आयात किया गया ;

(ग) क्या सरकार राज्य व्यापार निगम के आयात को, तस्करी रोकने तथा देशी धागे के मूल्य में वृद्धि रोकने के लिये इस्तेमाल करना चाहती है ; और

(घ) यदि हां, तो इस नीति का ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) गत वित्तीय वर्ष 1968-69 में संश्लिष्ट धागे के आयात के लिए राज्य व्यापार निगम को कोई आयात लाइसेंस नहीं दिया गया।

(ख) राज्य व्यापार निगम ने उसे पहले दिये गये आयात लाइसेंसों के आधार पर वर्ष

1968-69 में 160 लाख रुपये लागत बीमा भाड़ा सहित मूल्य के 1131 मे० टन नायलान धागे का आयात किया।

(ग) और (घ). नायलान धागे के मूल्यों को समीचीन स्तर पर बनाये रखने के लिए राज्य व्यापार निगम के माध्यम से नायलन धागे के आयातों की व्यवस्था की जाती है और ऐसा करते समय विगत में नायलान धागे की खपत, स्वदेशी नायलन धागे के आगामी वर्ष के उत्पादन प्राक्कलनों और अन्य प्रकार के कृत्रिम रेशम धागे आदि की प्राप्यता जैसी संगत उपादानों को ध्यान में रखा जाता है।

नेफा में एक पन-बिजली परियोजना की स्थापना

3518. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेफा में एक पन-बिजली परियोजना की स्थापना में कुछ प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह कब तक स्थापित की जायेगी तथा इसकी क्षमता कितनी होगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस दूर दराज राज्य का और अधिक तथा अच्छा एकीकरण करने के लिए योजनाओं पर शीघ्रता से विचार किया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इस समय नेफा के कामेंग जिले में पन-बिजली परियोजना का विस्तृत अनुसंधान हो रहा है।

(ख) और (ग). परियोजना रिपोर्ट के तैयार होने के बाद ही शक्यता आदि के ब्यौरे का पता चलेगा। परियोजना रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् परियोजना के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

Ratio of Defence Expenditure in India and other Advanced Countries

3519. **Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of Defence be pleased to state :**

(a) the ratio of defence expenditure in India and other advanced countries ; and

(b) the total strength of Indian Army at present and the ratio between the strength of Indian Army and that of other advanced Countries ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The authorised manpower ceiling of the Indian army is 8.28 lakhs and the defence expenditure during 1969-70 Rs. 1,105 crores ($1,473 million).

Comparable figures for a few other countries, as given by the "Military Balance 1969-70" are :

Country	Estimated strength of army (in lakhs)	Estimated Defence expenditure (US $ million)
USA (including Marine Corps)	18.24	78,475
USSR	20.00	42,140
UK	1.98	5,438
France	3.28	5,586
China	25.00	7,250
Pakistan	3.00	542

As regards Pakistan, the "Military Balance" has understated the figures and the assessment of experts is that the actual defence expenditure is of the order US $ 933 millions. (Rs. 700 crores India currency).

Extension of the Period of Import Licences

3521. **Shri Jageshwar Yadav** : Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether it is a fact that his Ministry have extended the period of import licences and if so, the basis thereof ; and

(b) the various items of goods in respect of which the period of licences has been extended ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) Government have recently allowed the extension of the initial validity period of Import Licences issued under various loans/credits after 31-3-1970. The details are available in Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 29-ITC(PN)/70 dated 9-2-1970. A copy of this Public Notice is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—2929/70).

(b) The provisions of the Public Notice mentioned in (a) above will be applicable to all the licensable items falling under raw materials, components and spares.

फ्रांस के सहयोग से भारत में हेलीकाप्टरों का निर्माण

3522. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश को हेलीकाप्टरों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए फ्रांस के सहयोग से एक निर्माण कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो देश में हेलीकाप्टरों की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता कितनी है और इसका निर्माण कितना है और चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हेलीकाप्टरों की आवश्यकता और इनका निर्माण अनुमानतः कितना होगा ; और

(ग) इस कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) से (ग). अलौटी-3

हेलीकाप्टर और इसके इन्जन का निर्माण क्रमशः फ्रांस के सर्वश्री सड एविएशन और सर्वश्री टरबोमेका के सहयोग सहित हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लि० में हस्तगत किया गया है। ऐसा प्रत्याशित है कि चतुर्थ योजना अवधि की समाप्ति तक इस किस्म के हेलीकाप्टरों के लिए देश की अधिकतम आवश्यकताएं देश में निर्माण द्वारा पूरी करना सम्भव हो जायेगा। रक्षा सेवाओं के लिये हेलीकाप्टरों की आवश्यकताओं और उत्पादन के सम्बन्ध में विस्तार प्रकट करना लोकहित में नहीं होगा।

विभिन्न देशों द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

3524. **श्री हिम्मतसिंहका :** क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 के संघर्ष से अब तक पाकिस्तान को विभिन्न देशों द्वारा वास्तव में दिये गये हथियारों के बारे में सरकार के पास नवीनतम जानकारी क्या है ;

(ख) किन-किन देशों के साथ पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने के करार हुए हैं तथा उनमें से प्रत्येक देश द्वारा उन करारों के अधीन उस देश को कितने तथा किस किस किस्म के हथियारों की सप्लाई की जायेगी ; और

(ग) भारत के विरुद्ध पाकिस्तान की लगातार शत्रुता को देखते हुए पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने से विभिन्न देशों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1965 के युद्ध के पश्चात् पाकिस्तान द्वारा उपलब्धियों में शामिल हैं टी-54-टी-55 टैंक, मिग विमान, आई एल 28 बम्ब, मिराज-3 ई विमान, अन्तरिक्ष से अन्तरिक्ष, स्थल से अन्तरिक्ष, और टैंक विध्वंसक मिसाइल, मिजेट पनडुब्बियां, 130 एम० एम० गनें, टैंक और विमानों के लिए गोला बारूद, आर्डनेंस फैक्ट्रियों के लिए द्रव्य।

(ख) जैसा कि सदन को ज्ञान है पाकिस्तान ने कई देशों से सैनिक साजसामान खरीदा है। सैनिक साजसामान की किस्मों और राशियों के सम्बन्ध में पुष्टी नहीं है कि जो इन देशों ने और सप्लाई करने की सहमति दी हो।

(ग) पाकिस्तान को आयुधो की सप्लाई के सम्बन्ध में सरकार के विचार सभी मित्र देशों को विदित करा दिये गये हैं।

Rehearsal of Republic Day Parade without prior Information to Press and Public

3525. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rehearsal of the Republic Day parade was done on the 22nd January, 1969 without giving any prior of Press and public ;

(b) if so, whether it is also a fact that thousands of office goers reached office late and the public was greatly inconvenienced on this account ;

(c) if so, the estimated number of man-hours lost by Government on this account ; and

(d) whether it is proposed to take action against the official responsible for this lapse and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Publicity was given through the Press and otherwise regarding the rehearsal of the Republic Day Parade on 22nd January, 1969, and with regard to the traffic arrangements on that date.

(c) and (d). Do not arise.

Export of Bidis

3526. **Shri Ram Singh Ayarwal** : Will the Minister of **Foreign Trade** be pleased to state :

(a) the quantity of bidis exported from India to foreign countries per year, the value thereof, the rates at which exported alongwith the names of the countries to which exported ; and

(b) whether it is a fact that Tendu leaves and other raw material used for the manufacture of bidis are being exported abroad, if so, the quantity thereof and the rates at which they are being exported ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) and (b). Exports of Indian Bidis, Tendu Leaves and Raw Bidi Tobacco during 1966-67 to 1968-69 have been as under :—

Value in Rs. '000'
(Post devaluation rates)
Quantity in Tonnes

I Bidis

S. No.	Country	1966-67 Qty.	1966-67 Val	1967-68 Qty.	1967-68 Val.	1968-69 Qty.	1968-69 Val.
1.	Afghanistan	4	29	15	108	—	—
2.	Malaysia	61	953	74	1202	69	1214
3.	Nepal	37	533	8	52	3	28
4.	Singapore	37	594	40	588	37	552
5.	Qtr. TRL. Oman/Qatar	3	32	4	40	3	55
6.	Other	1	8	1	14	2	26
	Total	143	2149	142	2004	114	1875
	Average rate of exports per kg.		Rs. 15.0		Rs. 14.11		Rs. 16.45

(Quantity in Tonnes)

	1966-67 Qty.	1966-67 Average rate per kg.	1967-68 Qty	1967-68 Average rate per kg.	1968-69 Qty.	1968-69 Average rate per kg.
II Tendu Leaves	7000	Rs. 1.23	3,700	Rs. 2.20	4380	Rs. 2.49
III Raw Bidi Tobacco	373	Rs. 2.54	64	Rs. 2.86	66	Rs. 3.32

मृतक आर० के० इबोचोबी सिंह के आश्रितों को क्षतिपूर्ति देना

3527. **श्री एम० मेघचंद्र** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री मनीपुर में पन-बिजली विभाग के कर्मचारियों की दुर्घटना में आहत होने के बारे में 16 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4688 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृतक आर० के० इबोचोबी सिंह के आश्रितों को क्षतिपूर्ति देने का अन्तिम निर्णय किया गया है और क्या क्षति पूर्ति की राशि का भुगतान कर दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इससे विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं।

(ख) मणिपुर के विद्युत निरीक्षक ने स्वर्गीय आर० के० इबोचोबी सिंह की मृत्यु के सम्बन्ध में जांच-पड़ताल पूरी कर ली है। मणिपुर सरकार से अनुरोध किया गया है कि वे कर्मक मुआवजा अधिनियम, 1923 के उपबन्धानुसार स्वर्गीय श्री सिंह के आश्रितों को मुआवजा देने के सम्बन्ध में शीघ्र निर्णय करे।

Augmentation of Size of Fourth Plan for Bihar State

3528. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Prime Minister** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a proposal to augment the size of Fouth Plan for Bihar is under consideration of Government ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the time by which Government propose to take a final decision in this regard ?

The Prime Minister, Minister of Finance, Minister of Atomic Energy and Minister of Planning (Smt. Indira Gandhi) : (a) to (c). The Fourth Plan of Bihar was discussed with the State officials is November, 1969 ; the outlays will be finalised after consideration by the National Development Council which is expected to meet shortly.

President Nasser's Message to Prime Minister of West Asia Situation

3529. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that President Nasser of Egypt has sent an important message to the Prime Minister, in connection with the deteriorating situation in West Asia ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the reaction of Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

दानापुर छावनी बोर्ड द्वारा अनुमोदित भवनों के नक्शे

3530. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छावनी क्षेत्रों में अब निर्माण आवेदनों मंजूरी कथित पुराने

मंजूर (ग्रोल्ड ग्रांट) स्थान पर मकान बनाने के लिए उस समय तक नहीं दी जाती जब तक की ग्रावेदन कर्ता विभाग द्वारा 1968 में जारी किये गये एक परिपत्र के अनुसार अपने स्वामित्व के अधिकारों को सरकार के हक में छोड़ने की एक घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं करता ;

(ख) क्या उक्त परिपत्र छावनी अधिनियम के अनुसार है और यह तो किस धारा के अन्तर्गत ;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त परिपत्र के बावजूद दानापुर छावनी बोर्ड ने नागरिकों को मकानों के नक्शों की मंजूरी दी है और वह अधिनियम के अनुकूल है ;

(घ) क्या बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार निर्मित भवनों को उत्तरी ने गिराने का आदेश दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा आदेश किस कानून के अन्तर्गत दिया गया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) जी नहीं । यदि इशारा 23 मार्च 1968 के पत्र की और अभिप्रेत उसका कार्य क्षेत्र पहले ही लोक सभा में 18 दिसम्बर 1968 और 19 फरवरी को उत्तर दिये गये प्रश्नों क्रमशः अतारांकित प्रश्न संख्या 815 और तारांकित संख्या 258 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है ।

(ख) उपरोक्त पत्र कानून के विरुद्ध नहीं है । ध्यान छावनी अधिनियम की धारा 181 (4) और छावनी भूमि प्रशासन नियम 1937 के नियम 43 की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ग) सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं कि 23 मार्च 1968 के विरुद्ध दानापुर छावनी में भवनों के नक्शे स्वीकृत किये गये हैं ।

(घ) और (ङ). ऐसे मामलों के सम्बन्ध में, कि जहाँ भवनों की अनुमति कानूनी तौर पर दी जा चुकी है, और जिन के सम्बन्ध में जी०ओ०सी० केन्द्रीय कमान ने गत दो वर्षों में इसके अनुसार खड़ी की गई इमारतों को गिराने के आदेश दिये हैं, सूचना प्राप्त की जा रही है, और सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

"औल्ड ग्रांट" के स्थानों पर निर्मित भवनों को किराये से हटाना

3 31. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने मार्च, 1969 में सैनिक कमांडरों को इस आशय का निदेश दिया था कि तथाकथित "औल्ड ग्रांट" स्थानों पर निर्मित भवनों को किराये से न हटाया जाये जब तक कि मकान के स्वामित्व के अपने अधिकार को त्यागने के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर देता ;

(ख) यदि हां, तो मकान मालिकों से देश के किस कानून के आधार पर इस घोषणा पत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर कराया जा रहा है ; और

(ग) यदि यह स्थान वास्तव में ही और कानूनी तौर पर सरकार का है तो इस प्रकार के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर कराने के क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार को इस बात का ज्ञान नहीं है कि अपनी ही भूमि पर खड़े किये गये भवन के स्वामी के लिये उस स्थान के स्वामित्व के नवीनीकरण के एक घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है। मार्च 1969 में जारी किये गये निर्देशनों के अनुसार "पुरानी ग्रांट" की शर्तों पर धारण की गई सरकारी भूमि के लाइसेंस धारी के लिए आवश्यक है कि वह अपनी प्रार्थना के अनुसार सम्पत्ति को स्वैच्छिक तौर पर किरायेदारी से विमुक्त करने की पूर्ववर्ती शर्त के तौर पर उस भूमि पर सरकार का अधिकार मानें। उसमें कानून के विरुद्ध कोई बात नहीं है। इस घोषणा से जभी रक्षा उद्देश्यों के लिए आवश्यक हो टैन्योर अवधि के अनुसार उसे पूर्णतः या अंशतः वापिस लेने में सुविधा रहती है।

लातीनी अमरीकी देशों के साथ व्यापार

3532. **श्री अदिचन** :
श्री शिकरे :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लातीनी अमरीका के कई देशों के व्यापार प्रतिनिधिमण्डल शीघ्र ही भारत आने वाले हैं ;

(ख) चौथी पंचवर्षीय योजना में लातीनी अमरीकी देशों को अपना निर्यात व्यापार बढ़ाने की सरकार की क्या योजनाएं हैं ; और

(ग) लातीनी अमरीका के प्रत्येक देश के साथ भारत का वर्तमान व्यापार संतुलन कैसा है?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) लातीनी अमरीका के किसी देश से ऐसा कोई व्यापार प्रतिनिधिमन्डल शीघ्र ही भारत नहीं आ रहा। किन्तु, कोलम्बिया के आर्थिक विकास मंत्री ने कतिपय तकनीकी तथा राजनयिक अधिकारियों के साथ ओसाका मेले से वापस लौटते हुए पांच दिनों के लिए भारत ठहराना स्वीकार किया है। इस अवसर का उस देश के साथ व्यापार विस्तार की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए उपयोग किया जायेगा।

(ख) लातीनी अमरीकी देशों को निर्यात बढ़ाने के लिए पहिले ही निम्नलिखित उपाय किये गये हैं :

(1) एक निर्यात उपाय के रूप में लीमा में 1967 तथा 1969 में आयोजित हुए अन्तर्राष्ट्रीय प्रशान्त व्यापार मेले में भारत ने भाग लिया और 1970 में बोगोता के व्यापार मेले में भाग लेने की सम्भावना है।

(2) इस क्षेत्र में अपने व्यापार सम्बन्धों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1969 में केराक्स (वेनेज्यूला) तथा लीमा में दो व्यापार मिशन स्थापित किये गये हैं।

लातीनी अमरीकी देशों के साथ पोतवहन कार्यवाहियों को सुधारने तथा व्यापार बढ़ाने का प्रश्न निरन्तर सरकार के समीक्षधीन रहता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1969-70 में भारत और लातीनी अमरीका के बीच व्यापार (अप्रैल से अक्तूबर, 1969 की अवधि के लिए उपलब्ध आंकड़े)

(मूल्य लाख रुपयों में)

देश का नाम	आयात	निर्यात	व्यापार संतुलन
1. अर्जेंटाइना	19	20	+1
2. बोलेविया	36	23	—13
3. ब्राजील	239	33	—205
4. चिली	7	8	+1
5. कोलम्बिया	108	4	—104
6. कोस्टारिका	—	1	+1
7. क्यूबा	—	1	+1
8. डोमिनिकन गणराज्य	—	6	+6
9. यूकोडोर	—	15	+15
10. अल-सयवाडोर	—	—	—
11. ग्वाटेमाला	—	2	+2
12. हाईति	—	6	+6
13. होनडुरस ब्रिटिश	—	5	+5
14. नाइकारागुवे	—	—	—
15. मैक्सिको	13	49	+36
16. पनामा नहर क्षेत्र	—	3	+3
17. पनामा गणराज्य	—	36	+36
18. पारागुवे	—	12	+12
19. पेरु	119	11	—108
20. ऊरुग्वे	8	30	+22
21. वेनेजुएला	—	18	+18

सशस्त्र सेना अधिकारियों के मकान सरकार द्वारा किराये पर लिये जाना

3533. **श्री क० लकप्पा :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक से अधिक मकान वाले अधिकारियों के मामलों को छोड़कर सशस्त्र सेनाओं के

अधिकारियों के कुछ ऐसे कितने मकान हैं जिनको सरकार ने 1 दिसम्बर, 1969 से पहले विभिन्न छावनियों में किराये पर लिया था ;

(ख) वर्ष 196 /1968 और 1969 में विभिन्न छावनियों में कितने मकानों को किराए से हटाया गया था और उनमें से कितने मकान सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के हैं ; और

(ग) विभिन्न छावनियों में निम्नलिखित श्रेणियों के कितने मकान हैं ;

(एक) सशस्त्र नेनाओं के अधिकारियों से भिन्न व्यक्तियों के मकान, जिनको सरकार ने किराये पर नहीं लिया है ;

(दो) सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों से भिन्न व्यक्तियों के मकान जिनको सरकार ने किराये पर दिया है ;

(तीन) सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों ने मकान जिनको सरकार के किराए पर नहीं लिया है ;

(चार) सशस्त्र सेनाओं के अधिकारियों के मकान जिनको सरकार ने किराए पर लिया है ?

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (ग). सूचना इकट्ठी की जा रही है, और जभी सूचना प्राप्य हुई विवरण सभा के पटल पर रख दिया जायेगा ।

नौसेना अधिनियम, 1957

3534. **श्री सरजू पांडे** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब नौसेना अधिनियम 1967 अपनाया गया था, सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि सेना अधिनियम और वायु सेना अधिनियम को उनके विभाग के नौसेना के न्यायाधीश महाधिवक्ता तथा अधिकारियों के सम्बन्ध में नौसेना अधिनियम के अध्याय 18 में उल्लिखित उपबन्धों के समान किया जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो उस आश्वासन को पूरा करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इन्जीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार द्वारा कोई विशिष्ट आश्वासन दिया गया प्रतीत नहीं होता । तदपि, वर्तमान सेवा अधिनियमों के युक्तिकरण के लिए एक समान कोड का मसौदा सरकार द्वारा स्थापित अफसरों की एक विशिष्ट कमेटी द्वारा तैयार किया गया है और विचाराधीन है ।

विश्व व्यापार में भारत का भाग

3535. **श्री मयावन** : **श्री सामिनाथन** :
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दण्डपाणि** :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व व्यापार में भारत का भाग कम हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उनके मन्त्रालय के सचिव द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार आयात करने वाले देश के कुल आयात प्रतिशतता के आधार पर अनुमान करने से यह पता चला है कि भारत का व्यापार अमरीका तथा इंगलैंड जैसे समृद्धिशाली विश्व बाजारों में भारतीय वस्तुओं के माल का निर्यात वास्तव में ही कम हो रहा है।

(ग) यदि हां, तो इस अध्ययन से और किन-किन बातों का पता चला है ; और

(घ) सरकार द्वारा विश्व बाजार को पुनः काबू करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) भारत के निर्यात 1967 में 1210 करोड़ रुपये से बढ़कर 1969 में 1375.6 करोड़ रु० हो गए और इसके विपरीत उसके आयात 1967 में 2095 करोड़ रुपये से गिरकर 1969 में 1592.4 करोड़ रु० हो गए। परिणामतः विश्व व्यापार में भारत का भाग, जो 1957 में 1.15 प्रतिशत था, 1969 में गिरकर 0.85 प्रतिशत रह गया।

(ख) सं० रा० अमरीका में कुल आयातों में हमारा भाग 1969 में 1.00 प्रतिशत था जबकि 1968 में 0.9 प्रतिशत था। किन्तु ब्रिटेन को कुल आयातों में हमारा भाग 1968 में 1.7 प्रतिशत से गिरकर 1969 में 1.3 प्रतिशत रह गया।

(ग) विदेशी व्यापार मन्त्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने, जिसमें विदेशी व्यापार मन्त्रालय के सचिव भी शामिल थे, सं० रा० अमरीका का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल यह धारणा लेकर वापिस आया है कि संयुक्त राज्य बाजार में भारतीय निर्यातों को बढ़ाने की पर्याप्त संभाव्यताएं विद्यमान हैं और संयुक्त राज्य बाजार को निर्यात बढ़ाने हेतु नीति के लिए यह कार्यवाही अपेक्षित होगी ; प्रथमतः पटसन उत्पाद, काजू गिरी, चाय, अभ्रक आदि जैसे मुख्य परम्परागत निर्यातों के संबंध में अपनी स्थिति समेकित करने तथा और सुदृढ़ करने की कार्यवाही और दूसरे, भारत से नई निर्यात मदों का पता लगाने और ऐसे संरचनात्मक अथवा संगठनात्मक नवीन प्रक्रियाओं के स्वरूप को निर्धारित करने की कार्यवाही जिनमें हम संयुक्त राज्य बाजार की विशाल सम्भाव्यताओं का पूरा लाभ उठाने ने समर्थ हो सकें। प्रतिनिधिमंडल ने अधिमानों की व्यापक योजना की शीघ्र स्थापना तथा सूती वस्त्रों के निर्यातों के संबंध में विचार-विमर्श भी किए।

(घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही

अवमूल्यन के बाद से सामान्य निर्यात नीति की मुख्य बातें विकास क्षेत्रों को महत्व देना तथा सम्बन्धित उत्पादों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना ; उत्पादन लागत को स्थिर करने तथा कम मिलने वाले कच्चे माल की सप्लाई में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिए आयात संपूर्ति करने का है, नई गैर-परम्परागत वस्तुओं जिनका अधिकतम उत्पादन न होने के कारण लागत

अधिक है, को प्रतिकरात्मक समर्थन देने का है, उद्योग/अर्थ-व्यवस्था की प्रारम्भिक अवस्था, आयात तथा उत्पादन शुल्कों के अलावा करों के मामले न्यूनतम मजूरी विधेयक, कच्चे माल आदि के लिए न्यूनतम मूल्यों का निर्धारण, वरीयता तथा रियायती आधारों पर कम मिलने वाले स्वदेशी माल की सप्लाई, आयात शुल्कों तथा निर्यात पर उत्पादन शुल्कों के मामलों के बारे में कमियां तथा छूट की सुविधायें, प्रदर्शनियों, मेलों, बाजार सर्वेक्षणों, वस्तु सम्बन्धी सर्वेक्षणों, आदि के माध्यम से विपणन संबंधी सहायता, निर्यात के लिए तथा पोत-लदान के बाद के प्रयोजनों हेतु उत्पादन के लिए लम्बी अवधि के लिए तथा रियायती आधार पर स्वदेश से ही ऋण की व्यवस्था करने का है। भारत से निर्यात की गई वस्तुओं के बारे में प्रशुल्क में सामान्य वरीयता प्राप्त करने के लिए विकसित देशों में बातचीत चल रही है। विश्व निर्यात में भारत के भाग को बढ़ाने के लिए आवश्यक संस्थापक प्रबन्ध विचाराधीन है ?

काश्मीर विवाद पर द्विपक्षीय समझौता

3536. **श्री मयावन :** **श्री सामिनाथन ।**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या वैदेशिक-कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंगलैंड ने काश्मीर विवाद पर अपना दृष्टिकोण बदल लिया है और कहा है कि भारत और पाकिस्तान को काश्मीर विवाद परस्पर सुलझाना चाहिए ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमरीका ने भी भारत को काश्मीर के प्रति अपने दृष्टिकोणों में परिवर्तन से अवगत कराया है ;

(ग) क्या इस बारे में कोई अनुमान लगाया गया है कि कितने देश भारत और पाकिस्तान द्वारा काश्मीर का मामला परस्पर हल किये जाने के पक्ष में हैं और इस सम्बन्ध में कितने देश भारत का समर्थन कर रहे हैं ; और

(घ) इस समस्या को सुलझाने में नवीनतम स्थिति क्या है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) ब्रिटेन के विदेश सचिव ने (दिसम्बर 1968 में) खुले आम यह रुख अपनाया है कि कश्मीर के सम्बन्ध में जो भी मतभेद हों उन्हें भारत और पाकिस्तान ही अनिवार्य रूप से दूर करें और उस समय तक भारत-पाकिस्तान के मामलों में पड़ने का, यू० के० का न तो अधिकार है न काम, जब तक दोनों पक्ष इस बात के लिए अनुरोध न करें। भारत और बिटेन के अधिकारियों में हाल में जो बातचीत हुई, उसमें ब्रिटिश पक्ष ने इसी हस्तक्षेप नीति को दोहराया।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका ने भी यह नीति अपनाई है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो समस्याएं हैं वे द्विपक्षी समस्याएं हैं और दोनों देशों को चाहिए कि वे अपने मतभेदों को मिलकर दूर करें।

(ग) सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय विचार इसी दिशा की ओर मुड़ रहा है कि भारत और

पाकिस्तान के बीच जो भी मतभेद हैं, जिनमें काश्मीर संबंधी मतभेद भी शामिल हैं, उन्हें शांति-पूर्ण तथा द्विपक्षी रूप से दूर किया जाए।

(घ) काश्मीर के सम्बन्ध में जिस एक समस्या का समाधान करना है वह है उस राज्य के एक भाग पर पाकिस्तान द्वारा गैर-कानूनी कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति। इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी उस स्थान से नहीं हटना चाहता जिस पर उसने आक्रमण के दौरान कब्जा जमाया था।

चौथी योजना के समूचे परिव्यय में वृद्धि

3537. **श्री मयावन :** **श्री सामिनाथन :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री दण्डपाणि :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग चौथी योजना के लिए प्रारूप योजना में सुझाए गए 24,3 8 करोड़ रुपये के लक्ष्य के स्थान पर 25,348 करोड़ रुपए के समूचे परिव्यय के लिए आग्रह कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस धनराशि में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ;

(ग) 950 करोड़ रुपए की इस वृद्धि का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा ; और

(घ) क्या प्रारूप योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद् के पास भेजा गया है और क्या उस ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी): (क) से (घ). योजना आयोग फिलहाल चौथी पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप देने के कार्य में व्यस्त है। इसे राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्वीकृत के लिये, उसकी 21 और 22 मार्च, 1970 को होने वाली बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। इस बैठक के बाद ही योजना के आकार और क्षेत्रीय वितरण की स्थिति स्पष्ट होगी।

भारत-लंका आर्थिक सहयोग

3538. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **वैदेशिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका सरकार ने भारत और लंका के बीच आर्थिक सहयोग के बारे में मंत्रीस्तर पर अग्रेतर बातचीत करने के लिए भारत सरकार निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों देशों के बीच के संबंधों में कुछ गिरावट आई है ;

(ग) दोनों के बीच के संबंधों में गिरावट आने के क्या कारण हैं ; और

(घ) संबंधों को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते ।

दक्षिण पूर्व एशिया की सुरक्षा के लिए पांच राष्ट्रों का सहयोग संगठन

3539. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1971 के आरंभ में स्वेज के पूर्वी क्षेत्र से ब्रिटिश सेना के हट जाने से होने वाली रिक्त की पूर्ति के लिए दक्षिण पूर्व एशिया में पाँच राष्ट्रों का सुरक्षा सहयोग संगठन स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) क्या देश की सुरक्षा के हित को ध्यान में रख कर भारत इस क्षेत्रीय सहयोग संगठन में शामिल होगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) मलेयेशिया और सिंगापुर से बिटिश सैनिकों की वापसी से उत्पन्न प्रश्नों पर और इस क्षेत्र की शांति तथा स्थिरता में उनकी सतत रुचि के व्यापक प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, मलेयेशिया और सिंगापुर की सरकारों का मन्त्री स्तर पर एक सम्मिलित वार्ता कार्यक्रम है।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारत सरकार ने इस क्षेत्र के बहुत से देशों के साथ द्विपक्षीय बातचीत के प्रबंध कर रखे हैं। इसके अतिरिक्त, यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत के कोई सैनिक प्रबंध नहीं है जिसमें इस क्षेत्र से ब्रिटेन की सेनाओं की वापसी के प्रश्न पर विचार-विमर्श करने की जरूरत हो।

उड़ीसा में दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के शिष्टमण्डल का स्वागत

3540. **श्रीमती शारदा मुकर्जी** : क्या **वैदेशिक-कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के एक शिष्टमंडल ने दिसम्बर, 1969 में उड़ीसा का दौरा किया था ;

(ख) क्या राज्य के उप मुख्य मन्त्री ने उनको अपना निजी अतिथि बनाया था क्योंकि राज्य सरकार ने इस तर्क पर उनको राजकीय अतिथि मानने के अनुरोध को स्वीकार कर दिया था कि इस बारे में केन्द्रीय सरकार से कोई आदेश नहीं मिला था ; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने ऐसे मामलों के लिये क्या मानक निर्धारित कर रखे हैं ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) दो गैर-सरकारी संगठनों के आमंत्रण पर, दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के तत्वावधान में छह व्यक्तियों

के एक दल ने 13 दिसम्बर, 1969 से 9 जनवरी 1970 तक भारत (जिसमें उड़ीसा शामिल है) की यात्रा की थी।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इस मन्त्रालय को कोई सूचना नहीं दी है।

(ग) वर्तमान प्रथा के अनुसार राज्य सरकारें, अपने विवेक पर, विदेशी यात्रियों को राजकीय अतिथि के रूप में मान सकती हैं।

विदेशी दूतावासों को नया रूप देना

3541. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के वाणिज्यक तथा सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देने तथा उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों, लीगेशनों आदि को नया रूप देने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). विदेशों के साथ वाणिज्यिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में संबंध बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार बराबर विचार करती रहती है और इस बारे में भारतीय राजदूतावासों, हाई कमीशनों, कोसलावासों आदि को समय-समय पर निर्देश दिए गए हैं और भारत के विदेश-स्थित प्रतिनिधियों के परामर्श से जो भी कदम मुमकिन होते हैं, उठाए जाते हैं।

लघु उद्योगों द्वारा निर्यात आयात

3542. **श्री स० कुण्डू** : क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु उद्योगों के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ;

(ख) क्या बिक्री तथा देश में सप्लाई के लिए पंजीकृत व्यापारियों तथा लघु उद्योगों द्वारा विदेशों से माल खरीदा जाता है ;

(ग) यदि हां, तो इस पंजीयन का तरीका क्या है ; और

(घ) क्या इस पंजीयन के लिए लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी जाती है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) एक विवरण (अंग्रेजी में) सभा पटल पर रखा जाता है। **ग्रंथालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2930/70]

(ख) से (घ). यह स्पष्ट नहीं है कि वस्तुतः कैसी जानकारी मांगी गयी है। विदेशों में की गई समस्त खरीदारियां सरकार द्वारा घोषित आयात व्यापार नियंत्रण नीति, और प्रक्रिया के अनुसार होती हैं।

साधारणतः आयात प्रतिपूर्ति लाइसेंस, जिनके द्वारा विदेशों में खरीदारी की जाती है, केवल पंजीयित निर्यातकों को उस हालत में दिये जाते हैं यदि वे निर्यातित उत्पादों के निर्माता हों। परन्त निर्यात किये जाने वाले निम्नलिखित उत्पादों के मामले में पंजीयित निर्यातकों को,

निर्माता-निर्यातक के रूप में उनके पंजीयित न होने पर भी, आयात लाइसेंस दिये जाने की अनुमति है बशर्ते अपनी और से माल के उत्पादन की उनके पास व्यवस्था हो। जिन क्षेत्रों में ये सुविधायें दी जाती हैं, उन्हें विकेन्द्रित क्षेत्र कहा जाता है और ये निम्नलिखित हैं :—

(1) ई० पी० एन० एस० तथा जर्मन सिल्वर की वस्तुयें

(2) चमड़ा तथा चमड़े का सामान और अन्य पशु उत्पाद

(3) खेल-कूद का सामान

(4) हस्त शिल्प की वस्तुएं

(5) अगरबत्तियां और चन्दन धूप

(6) प्राकृतिक रेशम के वस्त्र, परिधान

(7) ऊनी कालीन, नमदे और दरियाँ

(8) हथकरघा उत्पाद अर्थात् सूती वस्त्र (कोरे वस्त्र छोड़कर) सूत और ऊन/रेशम/ पटसन के मिश्रित वस्त्र और गैर-फैब्रिक सूती वस्त्र मदें।

(9) अखरोट की गिरियां।

(10) पक्षियों और पक्षियों के परिरक्षित नमूने

(11) सभी प्रकार के अचार (तेल में बने तथा मीठे आदि)

(12) सरसों का चूर्ण

(13) पापड़

(14) सन्देश तथा रसगुल्ले जैसे चना निर्मित उत्पाद

(15) खोये से निर्मित उत्पाद यथा बर्फी, पेड़ा

(16) अनिर्मित तम्बाकू

(17) काजू गिरियां

'विकेन्द्रित क्षेत्र' शब्द से सामान्यतः लघु उद्योग और कुटीर उद्योग अभिप्रेत हैं।

गोआ में नदियों के जल को सिंचाई तथा बिजली के लिए काम में लाना

3543. **श्री शिंकरे** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि गोवा में अब तक नदियों के जल का बिजली पैदा करने तथा सिंचाई कार्यों के लिए कोई विशेष प्रयोग नहीं किया गया है ;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से भी अवगत है कि चूंकि गोवा में खनिज संसाधन तथा अन्य कच्चा माल बहुतायत से मिलता है अतः वहां कई उद्योग आरम्भ हो सकते हैं, जिनकी काफी जल की आवश्यकता होगी ; और

(ग) यदि हां, तो क्या जल की उपलब्धता और इसका सिंचाई, बिजली और मानवीय

उपयोग में इसके प्रयोग के बारे में संपूर्ण अध्ययन करने के लिए किसी योजना के अन्तिम रूप देने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मंत्री श्री (सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के एक डिवीजन ने पांच वर्षों की अवधि में, अध्ययन और सर्वेक्षण करके निम्नलिखित स्कीमों का अनुसंधान किया है :—

1. सलौली परियोजना
2. दूध सागर परियोजना
3. मंडोवी परियोजना
4. विचोलिम परियोजना
5. अंजुनेम परियोजना
6. गोडेवाल परियोजना
7. वेड्डीफाटोर परियोजना
8. डेकरपाल्ली ताल स्कीम
9. वर्षा ताल स्कीम

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग में और गोवा प्रशासन द्वारा इन परियोजनाओं पर अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

लातीनी अमेरीकी देशों से सम्बंध

3544. **श्री शिंकरे : वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दक्षिण अमरीका के बहुत से देश, जिन्हें लातीनी अमरीकी देशों के नाम से जाना जाता है, भारत के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने को उत्सुक हैं ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि उन देशों ने भारतीय संस्कृति में बड़ी रूचि दिखाई है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इन देशों और भारत के बीच में मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) उन देशों के साथ सम्बन्ध सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:—

(1) इस क्षेत्र के लगभग प्रत्येक देश में भारत का प्रत्यायित मिशन है। इन मिशनों में, 1969 में खोले गये वे दो नए मिशन भी शामिल हैं जो पहले से स्थित मिशनों के अतिरिक्त हैं।

(2) पिछले वर्ष अप्रैल/मई में एक उच्च अधिकार प्राप्त आर्थिक एवं व्यापार प्रतिनिधि-

मंडल ने, जिसका गठन विख्यात व्यापारियों और अधिकारियों से हुआ था, इस क्षेत्र के कई देशों की इस उद्देश्य से यात्रा की कि सम्बन्धों और संपर्कों की स्थापना करने और बढ़ाने की संभावनायें निकाली जायें ।

(3) भारत और दक्षिण अमरीकी देशों के बीच, सन्तोषजनक संचार की स्थापना करने का प्रश्न विचाराधीन है ।

(4) लातीनी अमरीका का अध्ययन करने से संबन्धित एक कार्यक्रम बनाने का पूना विश्वविद्यालय का एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(5) 1968 में भारत और ब्राजील के बीच, एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे और अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान जल्दी ही किया जायेगा ।

(6) परमाणु ऊर्जा के शान्तिपूर्ण प्रयोगों के सहयोग पर, भारत और ब्राजील के बीच समझौते पर जो हस्ताक्षर हुए थे, उनके अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान हो गया है ।

(7) उरुग्वे, और चिली और अर्जेंतीना के साथ सांस्कृतिक समझौते करने के उद्देश्य से जो प्रबन्ध किये जाने हैं, उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

(8) कोलम्बिया से आर्थिक प्रतिनिधिमंडल भारत शीघ्र ही आने वाला है ।

(9) चिली के साथ व्यापार समझौता करने पर, बातचीत हो रही है ।

प्रतिरक्षा कार्यों के लिए गैर-सरकारी सम्पति का अधिग्रहण

3545. **श्री शिकरे** : क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनेक गोआ निवासियों द्वारा, प्रतिरक्षा कार्यों के लिए सम्पत्तियों के अधिग्रहण और अर्जन के बारे में की गई शिकायतों पर ध्यान दिया है, जो समुचित क्षतिपूर्ति निर्धारित करने और क्षतिपूर्ति की राशि के भुगतान में अधिक विलम्ब होने के बारे में है ;

(ख) क्या सरकार को यह भी पता है कि अनेक मामलों में प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि का बड़ा भाग इसके स्वामियों को देना पड़ा है, जिससे पता चलता है कि समुचित आयोजन का अभाव था ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अपने कर्मचारियों को भूमि की आवश्यकता के बारे में पूर्ण अध्ययन करने और इसके फलस्वरूप अधिग्रहीत की जाने वाली भूमि की क्षतिपूर्ति का भुगतान बिना विलम्ब करने के काम को शीघ्र पूर्ण करने के लिए निदेश देगी ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ग). ऐसे निदेश पहले से विद्यमान है कि सक्षम प्राधिकरण भूमि अधिग्रहीत न करें जब तक कि वह रक्षा उद्देश्यों के लिए जरूरी आवश्यक न हो । ऐसे निदेशन भी हैं कि स्थानीय असैनिक प्राधिकरणों द्वारा अधिग्रहीत सम्पत्तियों का किराया मुआवजा विधि के अनुसार यथाशीघ्र निर्धारित अनुमोदित और प्रदान कर दिया जाये । किराये के निर्धारण और अदायगी में विलम्ब के बारे

में प्राप्त हुए अभिवेदनों की मैरिट के अनुसार जांच की जाती है और उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

यह कहना ठीक नहीं है कि रक्षा उद्देश्यों के लिए अधिग्रहीत भूमि का अधिकांश भूस्वामियों के लिए विमुक्त कर दिया गया था और भूमि अधिग्रहण में उचित आयोजन का अभाव है। कुछ भूमियें अस्थाई किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए अधिग्रहीत की जाती है, और उद्देश्य सम्पूर्ण हो जाने पर उन्हें अनधिग्रहीत कर दिया जाता है। अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम 1952 के अन्तर्गत अधिग्रहण आधीन कुल 86,658 एकड़ क्षेत्र में से अभी तक अर्जन के लिए स्वीकार किया गया कुल क्षेत्र लगभग 41,180 एकड़ है। अनधिग्रहीत या प्रत्याशित अनधिग्रहीत क्षेत्र 5,912 एकड़ है। स्थायी और आवश्यक सम्पत्तियों के अर्जन और अन्य भूमियों के अनधिग्रहण के लिए शीघ्र निर्णय सुनिश्चित करने के लिए आवधिक पुनरीक्षण हस्तगत किये जाते हैं।

तैयार सूती माल के निर्यात में कमी

3546. **श्री राम सिंह अयरवाल : क्या वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1969-70 में पहले के वर्षों की तुलना में सूती माल का कम निर्यात हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सांस्कृतिक केंद्रों पर प्रतिबंध के विरुद्ध विदेशी दूतावासों का अभ्यावेदन

3547. **श्री देवेन सेन : क्या वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में विशेष अनुमति लिए बिना विदेशी मिशनों द्वारा केंद्र खोले जाने पर रोक लगाई जाने के विरोध में अमरीकी दूतावास से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) भारत में अमरीका तथा रूस के कितने केंद्र चल रहे हैं ; और

(ग) क्या किसी अन्य विदेशी मिशन ने इस मामले में कोई अभ्यावेदन दिया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेंद्रपाल सिंह) : (क) अमरीकी राजदूतावास ने उसी सीमा तक अपने विचार व्यक्त किए हैं जहां तक सरकार के निर्णय में उनके प्रतिष्ठानों पर असर पड़ता है। उन्होंने इस मामले में सरकार के निर्णय पर कोई आपत्ति नहीं की है।

(ख) अमरीकी सरकार के भारत में निम्नलिखित आधिकारिक प्रतिष्ठान है :

दिल्ली में राजदूतावास, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक-एक प्रधान कोंसलावास और लखनऊ, पटना, हैदराबाद, बंगलौर और त्रिवेन्द्रम में अमरीकी सूचना सेवा द्वारा सांस्कृतिक केन्द्र ।

सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के भारत में निम्नलिखित अधिकारिक प्रतिष्ठान हैं :

दिल्ली में राजदूतावास, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक-एक प्रधान कोंसलावास ।

दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के सूचना अथवा सांस्कृतिक केन्द्रों तथा पुस्तकालयों को अलग प्रतिष्ठान नहीं समझा जाता बल्कि राजदूतावास अथवा संबद्ध प्रधान कोंसलावास का ही एक अंग समझा जाता है ।

(ग) जी नहीं ।

बेरोजगारी के बारे में दंतवाला समिति का प्रतिवेदन

3548. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगारी संबंधी दंतवाला समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री, अणु-शक्ति मन्त्री, तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) समिति ने अभी तक अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है ।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली राज्य-उद्योग एम्पोरियम

3549. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में वर्षवार दिल्ली स्थित दिल्ली राज्य उद्योग एम्पोरियम में कितनी बिक्री हुई थी तथा उसको कितना लाभ हुआ था ;

(ख) क्या यह सच है कि एम्पोरियम के वर्तमान मार्किटिंग आफिसर इन्चार्ज ने 31 दिसम्बर, 1969 को अपने पद का कार्यभार सौंप दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वह अभी भी मार्किटिंग आफिसर के रूप में कार्य कर रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उसकी पदोवनति किस तारीख तक होने की सम्भावना है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) दिल्ली स्थित दिल्ली

राज्य उद्योग एम्पोरियम में पिछले दो वर्षों में अर्थात् 1967-68 और 1968-69 में क्रमशः 4, 0,432.11 रु० तथा 5,20,588.04 रु० मूल्य की बिक्री हुई। परन्तु इस अवधि में हुई इन बिक्रियों से कोई लाभ नहीं हुआ।

(ख) और (ग). जी हां।

(घ) मार्किटिंग आफिसर ने 31 दिसम्बर, 1969 को अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया था परन्तु भारत सरकार के समाज कल्याण निदेशक की प्रार्थना पर उन्हें 31-3-1970 तक पद पर बने रहने की अनुमति दी गई और उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि 31-3-1970 तक बढ़ा दी गई।

चमड़े के निर्यात के सम्बंध में प्रतिवेदन

3550. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था और गोखले आर्थिक तथा राजनीतिक संस्था, पूना द्वारा सरकार को प्रस्तुत किये गये एक प्रतिवेदन में चमड़े का निर्यात करने के लिये अनेक सुझाव दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं द्वारा दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने इन संस्थाओं द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर लिया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) जी हां।

(ख) 'चमड़े तथा चमड़े उत्पादों की भारत की निर्यात क्षमता' नामक सर्वेक्षण में चमड़ा उद्योग की सभी प्रकार की समस्याओं का गहन अध्ययन किया गया है। कुछ मुख्य सुझाव निम्नोक्त है :—

(1) तैयार चमड़े के रूप में साधित तथा निर्यात करने के लिये कच्ची खालों तथा चमड़ियों का अल्पकालिक आयात ; और पशु पालन विकास के दीर्घावधि कार्यक्रम पर जोर दिया गया है।

(2) उपलब्ध खालों, चमड़ियों तथा अन्य पशु-सामग्री के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सुसंगठित बूचड़खानों की स्थापना।

(3) तैयार उत्पादों में खालों तथा चमड़ियों के और अधिक स्थानिक परिशोधन को सुनिश्चित करने के लिए चमड़ा उद्योग का पुनर्गठन।

(ग) और (घ). सरकार सुझावों पर विचार कर रही है।

Construction of Punasha Dam on River Narbada in Madhya Pradesh

3551. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the decision taken by Central Government on the recommendations made by Government of Madhya Pradesh in connection with the construction of Punasha Dam on River Narbada ;

(b) the time by which the preliminary construction work is expected to be commenced ; and

(c) the reasons for delay in commencing the construction work ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The Government of India do not consider it advisable to consider the clearance of any new projects in the Narmada basin, when the water dispute regarding the Narmada river and its valley is under the consideration the Narmada Water Disputes Tribunal.

Meeting of a Delegation of Cantonment Board Federation with Defence Minister

3552. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a delegation of the Cantonment Board recently met him and urged upon him that the civilians living in Cantonment area should be given the same privileges as are enjoyed by other citizens ;

(b) if so, Government's reaction in the matter ; and

(c) the number of Cantonments Boards in the country having a civilian population of more than 50 thousand and the maximum civilian population residing in one Cantonment ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) A delegation of the "All India Cantonments Elected Members Federation" met the Defence Minister on the 24th February 1970 and urged mainly the following points :—

(i) that pending the amendment to the Cantonments Act, the term of office of the Cantonment Board members expiring in 1970 be extended from 3 years to 4 years.

(ii) that a Bill to amend the Cantonments Act 1924 be introduced early and no additional powers be given thereunder to the Executive Officers.

(iii) that the restriction on construction by 'Old Grant' holders of defence land without taking out leases be removed.

(It may be mentioned that the civilians residing in Cantonment areas have the same fundamental rights as any other citizens).

(b) The views of the Government on the aforesaid points are as under :—

(i) Until the law is amended, the elections should continue to be held in accordance with the provisions of the Cantonments Act. While, on administrative grounds, the period of office of elected members may, in appropriate cases, be extended by not more than one year, it would not be appropriate to grant a general extension of the period of office in all cases. It is however proposed to insert in the Bill to amend the Cantonments Act a provision to increase the term of office of the members of the Cantonment Board from 3 to 5 years.

(ii) A comprehensive Bill to amend the Cantonments Act will be introduced as

soon as feasible and the various suggestions received will be duly considered while finalising the provisions thereof.

(iii) The request cannot be agreed to. The orders in force conduce to the orderly development of the Cantonments and ensure adequate return both to the Cantonment Fund and Consolidated Fund.

(c) On the basis of the census of 1961, 5 Cantonments had a civil population of more than 50,000 and Ambala Cantonment had the largest civilian population numbering approximately 86,490.

Government Property in Possession of Civilians in Cantonment Areas

3553. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) the policy in respect of the Government property in possession of civilians in the Cantonment areas in view of the Government's policy of taking steps in regard to control of the urban property ; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in view of this policy to safeguard the interest of tenants in Cantonments ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). The broad policy proposed to be followed in respect of administration of Defence lands held for building sites in Cantonments is indicated in the statement. [*Placed in Library. See* No. LT—2931/70].

As regards rent control and protection from eviction, it is the policy of the Government to extend to the Cantonment areas, as far as possible, the law in force in the State in question.

No further special steps are considered necessary in the matter of control of urban property in Cantonments since the general laws enacted or which may be enacted extend, to the extent indicated therein, also to Cantonments.

M.P.'S Memorandum on Recognition of German Democratic Republic

3554. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) the number of the Members of Parliament who have signed the memorandum presented to the Prime Minister by the delegation of the Members of Parliament and citizens who met her some time ago ; regarding according recognition to the German Democratic Republic, as well as the party affiliation of the said Members ; and

(b) the reaction of Government in regard thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The Prime Minister received a deputation of the Members of the Indo-GDR Friendship Association on 24-2-70. The spokesman of the deputation presented a memorandum containing a large number of signatures including signatures of the Members of the Parliament. The memorandum appealed for the establishment of full diplomatic relations between India and GDR.

(b) The Hon. Member is requested to refer to the answer given to Unstarred Question No. 446 on 25th Feb., 1970.

रबात में राजदूत की पुनः नियुक्ति

3555. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री देवकी नंदन पाटोदिया :

क्या **वैदेशिक कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने राजदूत को यह आदेश देने का निर्णय किया है कि वह रबात में अपने पद का कार्यभार पुनः संभाल ले ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

प्रतिरक्षा लेखा नियंत्रक, इलाहाबाद, के कार्यालय में परिवार पेंशन के अनिपटाये मामले

3556. **श्री अदिचन :**
श्री निहाल सिंह :

क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा लेखा नियन्त्रक (पेन्शन), इलाहाबाद के कार्यालय में परिवार पेंशन के अनिपटाये मामलों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने मामले जुलाई से दिसम्बर, 1969 की अवधि में आये और उनका निपटारा कब तक हो जाने की सम्भावना है ;

(ख) यदि परिवार पेंशन के दावों को निपटाने में लगने वाला समय अत्यधिक है, तो ऐसे मामलों के शीघ्र से निपटाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) क्या जवानों की विधवायें भी परिवार पेंशन की अधिकारी हैं अथवा उसके थोड़े भाग को यदि मृत व्यक्ति ने उसके पक्ष में नामांकन नहीं किया, यदि हां, तो वे कितनी पेंशन की हकदार हैं ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) 1 जुलाई और 31 दिसम्बर 1969 के बीच हताहतों के कारण रक्षा लेखा नियन्त्रक (पेंशन) इलाहाबाद के पास कुटुम्ब पेन्शन के निलम्बित मामलों की संख्या 324 है। अन्तिम पेंशन के लिए स्वीकृति देने से पहले दावों की जाँच करनी होती है और जहां आवश्यक हो दावेदारों से लिखा पढ़ी सहित असंगतताओं को दूर करना होता है। तदपि, परिवार पेन्शन के दावों को अन्तिम रूपरेखा देने के लिए यथाशीघ्र सम्भव उपाय किए जाते हैं।

(ख) स्थानीय अफसरों समेत विभिन्न एजेंसियों द्वारा इस सम्बन्ध में लिए जाने वाले प्रत्याशित समय का ध्यान करते हुए परिवार पेन्शनी मामलों की अन्तिम रूपरेखा की तैयारी में प्रायः विलम्ब नहीं हो रहा है। इसके अतिरिक्त जहां देय हो, अस्थायी परिवार पेन्शनी अवार्ड या जांच होने तक विशिष्ट परिवार पेन्शनी अवार्ड भी दिया जाता है कि जब तक पेन्शन दावों की अन्तिम रूपरेखा तैयार न हो पाए।

(ग) (1) विधवा या उसके निधन या पुर्नविवाह एक अल्प-व्यस्क बच्चा साधारण परिवार पेन्शन का अधिकारी है कि जब किसी सिपाही की मृत्यु सेवा से प्रभावित या प्रवर्धित न हो। विशिष्ट परिवार पेंशन उपरोक्त अधिकारी (2) जब किसी सैनिक की मृत्यु सेवा से प्रभावित या प्रवर्धित हो, विशिष्ट परिवार पेन्शन उसके अधिकारी आश्रितों में से उस द्वारा नामित अर्थात् विधवा, पिता, माता पुत्र-पुत्री को देय है। यदि विधवा नामित न भो तो भी पेन्शन के भाग की अधिकारी होती है। क्योंकि जवान की विशिष्ट परिवार पेन्शन उपरोक्त अधिकारी सभी आश्रितों की सहायता के लिये अभिप्रेत है। यदि आवश्यक हो तो पेन्शन अधिकारी उतराधिकारियों में विभाजित की जा सकती है।

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के सीमावर्ती गांवों में पाकिस्तान द्वारा हथियारों का वितरण

3557. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के सीमावर्ती गांवों में हाल में हथियारों का वितरण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर सेविवर्ग की एक भारी संख्या को आग्नेय अस्त्रों के प्रयोग में प्रशिक्षण दिया गया है। युद्ध-विराम रेखा-सीमा के पार ऐसे सर्वधनों के प्रति सतर्कता बरती जाती है और उनका अपनी संक्रियात्मक आयोजनों में ध्यान रखा जाता है।

Number of Indian Political Prisoners in East Pak. Jails

3558. **Shri Ramavatar Sharma :**
Shri G. Y. Krishnan :

Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian political prisoners at present in the jails of East Pakistan and the action taken so far by Government for their release ;

(b) whether it is a fact that severe atrocities are perpetrated on the people belonging to the minority communities in the jails of East Pakistan ; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) It is presumed that the question refers to cases of Indian citizens under going imprisonment in East Pakistan for allegedly political offences. Government have repeatedly approached the Government of Pakistan for information regarding the number of Indian citizens detained for various reasons in East and West Pakistan, and their welfare. There has been no satisfactory response from the Government of Pakistan.

(b) and (c). Government have received reports regarding ill-treatment of members of the minority community under detention in East Pakistan. This and other aspects of the

treatment of minorities in Pakistan have been taken up with the Government of Pakistan whenever a report is received.

इड्डीकी अलवाय डी० सी० ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण

3559. **श्री के० अनिरुद्धन : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वार्षिक योजना उल्लिखित 220 किलोवाट इड्डीकी अलवाय डी० सी० ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) क्या इस लाइन के बन जाने से केरल राज्य की विद्युत सम्बन्धी अतिरिक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो जायेगी ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) इड्डीकी से कलमास्सेरी (अल्वाय) तक की 220 के० वी० डबल सर्किट पोरषण लाइन प्रगति की प्रारम्भिक अवस्था में है । इस लाइन का इड्डीकी के पन-बिजली केन्द्र के चालू होने के समय पूर्ण होना अनुसूचित है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

पाकिस्तान द्वारा टैंक-तोड़ नियंत्रित मिसाइलों का निर्माण

3561. **श्री रणजीत सिंह : क्या प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान द्वारा टैंक-तोड़ नियंत्रित मिसाइलों का निर्माण किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी की अनुमानित क्षमता कितनी है और यह किस स्थान पर है और यह फैक्टरी किस तारीख को बनकर तैयार हुई थी ; और

(ग) भारत द्वारा टैंक-तोड़ नियंत्रित मिसाइलों का निर्माण कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) कारखाना वाह में है और उसने 1965 में मिसाइलों का उत्पादन आरम्भ कर दिया था । यद्यपि कारखाने की निर्माण क्षमता के सम्बन्ध में काफी विश्वसनीय सूचना ज्ञात नहीं, इसे प्रकट करना वाँछनीय न होगा ।

(ग) यह सूचना प्रकट करना लोकहित में नहीं है ।

वियतनाम को अस्थाई क्रांतिकारी सरकार की मैडम बिन्ह को निमंत्रण

3562. **श्री रा० रा० सिंह देव :** **श्री वि० नरसिम्हा राव :**
श्री जे० मुहम्मद इमाम : **श्री क० प्र० सिंह देव :**
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पेरिस वार्ता में वियतनाम की अस्थाई क्रांतिकारी सरकार की मुख्य प्रवक्ता मैडम बिन्ह, को हाल में निमंत्रण दिया है ; और

(ख) क्या मैडम बिन्ह की यात्रा की योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) 25 फरवरी 1970 को तारांकित प्रश्न संख्या 83 के भाग (क) का उत्तर देते हुए, विदेश मंत्री इस सदन में पहले ही यह कह चुके हैं कि श्रीमती बिन्ह से हनोई में मिलने पर उन्होंने उनसे कहा था कि भारत उनके आने का स्वागत करेगा, जिससे वियतनाम की स्थित पर उनसे और आगे बातचीत करने का उन्हें अवसर प्राप्त हो।

(ख) जी नहीं।

पारादीप में पटसन मिल की स्थापना

3565. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के कुल पटसन का लगभग 6 प्रतिशत उत्पादन उड़ीसा में होता है ;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने सरकार से पारादीप में एक पटसन मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस देने की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले मे सरकार ने कोई निर्णय किया है ; और

(घ) यदि हां, तो किए गए निर्णय का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) और (घ). पारादीप में एक मिल स्थापित करने की संभाव्यता विचाराधीन है।

बिहार में यूरेनियम के निक्षेप

3566. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में यूरेनियम के बड़े भारी निक्षेपों का पता चला है ;

(ख) यदि हाँ, तो किस क्षेत्र में यूरेनियम के ये निक्षेप मिले हैं और क्या इन निक्षेपों का कोई अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन निक्षेपों के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है और इस नई खोज से देश में आणविक शक्ति के विस्तार में क्या सहायता मिलने की संभावना है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) और (ख). बिहार के सिंह भूमि प्रधान क्षेत्र में यूरेनियम निक्षेप पाये गये हैं जहां कि भारतीय यूरेनियम निगम, जो अणु शक्ति विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, व्यापारिक आधार पर खनन कार्य कर रहा है। जदुगुडा के निकट भटीन और नखापहार में भी भूमिगत निक्षेप सुनिश्चित करने के लिए खोज कार्य किया जा रहा है। बिहार के अन्य भागों में भी सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

(ग) अब तक जो निक्षेप खोज निकाले गये हैं वे वर्तमान अणु शक्ति कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझे गये हैं।

महाराष्ट्र के हथकरघा बुनकरों को विद्युत चालित करघे के लिए सहायता

3567. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या वैदेशिक व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में हथकरघा बुनकरों को विद्युत चालित करघे स्थापित करने के लिए नकद सहायता देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी सहायता न देने के क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) हथकरघा बुनकरों को विद्युतचालित करघे स्थापित करने के लिए सहायता देने की एक प्रस्थापना महाराष्ट्र सरकार के विचाराधीन है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

स्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित 4000 विद्युतचालित करघों में से 2000 विद्युत-चालित करघे मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए नियत किये गये हैं। ये विद्युतचालित करघे मराठवाड़ा विकास निगम लि० (महाराष्ट्र सरकार का एक उपक्रम) के माध्यम से स्थापित किए जाने हैं और उनके लिए वित्तीय सहायता निगम द्वारा उपलब्ध की जायेगी। बुनकरों की सहकारी समितियां संगठित करने तथा संयुक्त शैडों में विद्युतचालित करघे स्थापित करने का प्रस्ताव है। एक शैड में स्थापित किये जाने वाले करघों की संख्या लगभग 48 तक सीमित होगी और करघे स्थापित किये जाने के कारण समेकित लागत निम्नलिखित होगी :—

(1) विद्युतचालित करघा तथा उसके सह-साधनों की लागत 5,000 रु०

(2) प्रति-विद्युतचालित करघे के लिये भूमि सहित शैड की लागत	2,200 रु०
(3) प्रति विद्युतचालित करघे के लिए 3,000 रु० के 10 प्रतिशत की दर पर कार्यकारी पूंजी के लिए उपांत राशि	300 रु०
योग (प्रति विद्युतचालित करघा)	7,500 रु०

2. इस राशि में से सोसाइटी 75 प्रतिशत महाराष्ट्र राज्य वित्तीय निगम से प्राप्त कर सकेगी जबकि 25 प्रतिशत सदस्यों से अंश पूंजी के रूप में एकत्रित करना होगा । अतः प्रत्येक सदस्य को अंश पूंजी के रूप में 1,875 रु० प्रतिकरघा देना होगा । चूंकि हथकरघा बुनकरों की जिनसे सोसाइटियों में शामिल होने की आशा की जाती है, वित्तीय सामर्थ्य बहुत अच्छी नहीं है, अतः ऐसा प्रस्ताव है कि वे अपने ही संसाधनों से 25 रु० प्रति करघों का केवल एक ही शेयर खरीदेंगे और राज्य सरकार पृथक-पृथक सदस्य को, सोसाइटी के शेयरों की खरीद के लिए, सहकारी सोसाइटी के माध्यम से, व्यक्तिगत तथा समर्थक प्रतिभूति पर 1,850 रु० प्रति करघा का ऋण मंजूर करेगी । सदस्यों को दिया गया ऋण सरकार द्वारा यथाशीघ्र निर्धारित किये जाने वाली ब्याज दर पर उचित किश्तों में वसूल किया जायेगा ।

छावनी बोर्ड काम्पटी के एक सदस्य द्वारा सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध अभ्यावेदन

3568. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको काम्पटी छावनी बोर्ड के एक सदस्य से सैनिक अधिकारियों के विरुद्ध जिनको बोर्ड में प्रतिनिधित्व प्राप्त है, कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उस आरोप की कोई जांच कराई गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मं० रं० कृष्ण) : (क) से (घ). छावनी बोर्ड काम्पटी के एक सदस्य श्री अरुण सेमुकल से एक अभिवेदन रक्षा मंत्रालय में 11 मार्च 1970 को प्राप्त हुआ था । ऐसा आरोप लगाया गया है कि गोरा बाजार में एक मकान के निर्माण के लिए गलत स्वीकृति दी गई है, और छावनी बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना एक अस्थाई सड़क बनाई गई है । इन आरोपों की जांच की जा रही है । इसके अतिरिक्त कुछ व्यापक आरोप है कि जिनके विस्तार प्राप्त किये जा रहे हैं ।

1968-69 में राष्ट्रीय आय

3569. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1968-69 में राष्ट्रीय आय के अन्तिम प्राक्कलन अब उपलब्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राष्ट्रीय ग्राय में उससे पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि अथवा कमी हुई है; ग्रौर

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मंत्री, अणु शक्ति मन्त्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) वर्ष 1968-69 में राष्ट्रीय ग्राय के अन्तिम प्राक्कलन अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

कमला तटबंध का सीसपानी तक विस्तार

3570. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री 25 फरवरी, 1970 के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या 585 के उत्तर के संबंध में वह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल सरकार के साथ एक समझौता था ग्रथवा नेपाल सरकार कमला तटबन्धों का सीसपानी तक विस्तार करने की ग्रनुमति चाहती है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; ग्रौर

(ग) राज्य सरकार द्वारा परियोजना प्रतिवेदन को ग्रन्तिम रूप देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद:) : (क) से (ग). नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्र में स्थित तटबन्धों को ग्रौर ग्रागे बढ़ाने के लिये कमला नदी के दोनों ग्रोर तटबन्धों के निर्माण को सिद्धांत रूप से मान लिया था नेपाल सरकार और बिहार सरकार के इन्जीनियरों ने इस कार्य से सम्बन्धित एक संयुक्त सर्वेक्षण किया था। परियोजता रिपोर्ट को नेपाल सरकार के साथ सलाह करके प्रस्तावित तटबन्ध के मान्य संरक्षण के पश्चात ही तय किया जायेगा।

कच्छ के निकट पाकिस्तानी विमानों द्वारा वायुसीमा का ग्रतिक्रमरण

3571. **श्री यशपाल सिंह :** क्या प्रति-रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 फरवरी, 1970 को गुजरात विधान सभा में डा० महिपत राय मेहता द्वारा दिए गए उस कथित भाषण की ग्रोर दिलाया गया है जिसमें उन्होंने यह ग्रारोप लगाया है कि पाकिस्तानी विमान कच्छ के निकट भारतीय वायु-सीमा का ग्रतिक्रमण कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई है ; ग्रौर

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

प्रति-रक्षा ग्रौर इस्पात तथा भारी इंजिनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हाँ।

(ग) इस आरोप में कोई सच्चाई नहीं है।

तमिलनाडु सरकार को विदेशी मुद्रा तथा आयात लाइसेंस देना

3572. **श्री एस० के० सम्बन्धन : क्या वैदेशिक व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने विशेष स्टेनलैस स्टील का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा अथवा आयात लाइसेंस के लिये आवेदन दिया है ;

(ख) कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है ;

(ग) आवेदन-पत्र किस तिथि को प्राप्त हुआ था और उसपर किस तिथि को कार्यवाही की गई ; और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो उसके क्या कारण हैं।

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री राम सेवक) : (क) आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय को तमिलनाडु सरकार से विशेष स्टेनलैस स्टील के आयात के लिये, कोई आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठते।

गोआ की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान

3573. **श्री शिंकरे : क्या सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गोआ संघ राज्य क्षेत्र में बड़े पैमाने पर चल रहे विकास कार्य को ध्यान में रखते हुए आगामी पांच वर्षों की उसकी बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है ;

(ख) क्या सरकार ने मर्मागोआ बन्दरगाह की विस्तार योजना, इयोरटालिम के उर्वरक संयंत्र लगाये और कोरलिम में सीबा रसायन कारखाने लगाने, इस्पात संयंत्र की सम्भावना और कच्चे लोहे के कारखाने और अनेक प्रकार के कच्चे माल की उपलब्धता के कारण बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना की संभावना के लिए बिजली की बहुत अधिक सप्लाई की संभावित आवश्यकता की ओर ध्यान दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार बिजली की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने और महाराष्ट्र तथा मैसूर पर निर्भर न रहते हुए गोआ में कुछ विद्युत पैदा करने के संयंत्र लगाने पर विचार कर रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). जी, हां। अद्यतन अनुमानों के अनुसार गोआ, दमन और दियु में 1973-74 तक 82 मेघावाट की मांग होने की सम्भावना है। इस अनुमान में गोलियां बनाने वाले तीन और कारखानों, खाद

के कारखाने, मर्मागोआ पत्तन और सीबा कैमिकल्स की बिजली सम्बन्धी मांगें शामिल हैं परन्तु इसमें इस्पात ारखाने और कच्चे लोहे के कारखाने की मांगें शामिल नहीं हैं क्योंकि उस समय तक उनमें प्रौढ़ता आने की कोई सम्भावना नहीं है।

(ग) गोआ, दमन और दियु की चौथी पंचवर्षीय योजना में उत्पादन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। आशा की जाती है कि बिजली सम्बन्धी गोआ की सारी मांग (80 मेघावाट) मैसूर और महाराष्ट्र से थोक बिजली सप्लाई लेकर पूरी हो जाएगी। दमन और दियु की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताएं गुजरात से थोक सप्लाई लेकर पूरी की जाएंगी।

Republic Day Passes

3574. **Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of Defence be pleased to state :**

(a) whether it is a fact that Invitation Cards for witnessing Republic Day parade on the 26th January are invariably issued to V.I.Ps. or other persons of special ranks ;

(b) whether it is also a fact that Officers not below the rank of Under Secretary get such passes, every year whereas Section Officers, Assistants and other officers are never given such passes ;

(c) whether Government propose to issue passes to officers of all categories by rotation ; and

(d) if so, the time by which it would be done and if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) to (d). Prior to 1970, invitation cards were issued to officers down to the rank of Under Secretary to the Government of India and equivalent. For the Republic Day Parade 1970, invitation cards were issued to all tenure officers and 50% of the non-tenure officers of the rank of Under Secretary and equivalent. Similarly, in the case of Public Sector Undertakings, invitation cards were issued to all tenure officers and 50 % of the non-tenure officers whose maximum of the scale of pay was not less than Rs. 1,400/- and the actual pay on 26th January 1970 was not less than Rs. 1,100/- p. m. In the case of Armed Forces, all officers down to the rank of Maj. and equivalent and 50% of the Commissioned Officers of the rank of Capt. and below, were invited, as in the past. Invitation Cards were also issued to certain office bearers of Staff Councils/Staff Associations. Facilities were also provided to a number of JCOs/ORs and equivalent to witness the Parade from an enclosure earmarked for them. The criteria followed in the issue of cards to various dignitaries, and other officials, and non-officials for the Republic Day Parade 1970 were broadly indicated in the statement laid on the Table of the House on 4th March 1970 in reply to Unstarred Question No. 1546 and the same criteria was, more or less, followed prior to 1970.

In view of the limited seating capacity of the invitees enclosures at Rajpath and the administrative difficulties involved in adopting the system of rotation in the matter of invitation cards in respect of a very large number of officials, it is not proposed to change the existing system. However, special requests received from officials below the rank of under Secretary are considered on merits.

रक्षा सेवाओं में काम पर लगे असैनिक स्कूल अध्यापकों को स्थाई करना

3575. **श्री जगन्नाथ राव जोशी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिरक्षा सेवाओं में काम करने वाले असैनिक स्कूल अध्यापक 15 वर्ष से अधिक सेवा कर लेने के बाद भी अस्थाई या अर्ध-स्थाई रहते हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार संगत नियमों पर पुनः विचार करके उनमें यथोचित संशोधन करेंगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मं० र० कृष्ण) : (क) से (ग). सेना में योग्यता प्राप्त लड़ाका यूनिट शिक्षा प्रशिक्षकों के स्थान पर असैनिक स्कूल अध्यापक अस्थाई तौर पर लगाए जाते हैं, जब पूर्वोक्त प्राप्य न हों, और जब लड़ाका प्रशिक्षक प्राप्य हो उन्हें उनके (असैनिकों) के स्थान पर लगा दिया जाता है। इसलिए उनके (असैनिकों) के स्थाईकरण का प्रश्न नहीं उठता। थोड़े से असैनिक स्कूल अध्यापक हैं जो 15 वर्ष से अधिक से सेवा कर रहे हैं। वायु-सेना में हिन्दी सिखाने के लिए कुछ असैनिक शिक्षा प्रशिक्षक हैं। नौ-सेना में असैनिक स्कूल अध्यापकों के लिए कोई नियुक्ति स्थान नहीं है।

ऋणों के लिए गारंटी देने के लिए मनुभाई शाह समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति

3576. **श्री एस० आर० दामानी :** क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने मनुभाई शाह समिति की इस आशय की सिफारिश पर विचार किया है कि वित्तीय संकटग्रस्त मिलों को उनके हिसाब खातों में लिखे ऋणों के लिए ऋण के हेतु गारंटी दिए जाने की व्यवस्था की जाए ;

(ख) यदि हां, तो कितने मिलों के मामलों में और किस प्रकार से इस सिफारिश को लागू किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वैदेशिक व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) से (ग). सिफारिश पर भारत सरकार तथा गुजरात सरकार द्वारा विचार किया गया है। गुजरात सरकार ने सिफारिश स्वीकार कर ली है और उसने एक सूती कपड़ा मिल को 40 प्रतिशत मार्जिन के आधार पर बही-खातों के ऋण की प्रतिभूति पर कार्यकारी पूंजी के लिए 22 लाख का ऋण प्राप्त करने की गारंटी भी दी है।

Supply of Soviet Goods to Pakistan

3577. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of External Affairs be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Soviet Union is supplying sufficient quantity of goods to Pakistan ;

(b) if so, the reaction of Government thereto ; and

(c) whether the goods supplied by Russia to East Pakistan include any military equipment ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). According to the available information, the Soviet Union is supplying goods to Pakistan in terms of three-year barter trade agreement signed between the two

countries in July 1968, envisaging an exchange of goods worth Rs. 60 crores during the period 1968-70. This is a normal commercial exchange between the two countries.

(c) The supply of military equipment by Russia to Pakistan is separate from the commercial exchange referred to above. In this connection, attention is invited to answers given by the Minister of Defence on 25 February 1970 and 4 March 1970 be Starred Question No. 74 and Unstarred Question No. 1520 respectively.

Training of Rebel Nagas in Guerilla Warfare by China

3578. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China has agreed recently to impart guerilla training to 1500 rebel Nagas ; and

(b) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) and (b). It is well known that China has been providing training facilities and arms to some Underground Nagas. Government are not, however, in a position to confirm or deny any specific Chinese plan to provide guerilla training to another 1500 Underground Nagas. With the vigilance exercised by our Security Forces it is unlikely that Underground Nagas in any appreciable number can manage to leave the country.

काठमांडू में चीनी नेताओं से भेंट

3579. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काठमांडू में निकट भविष्य में चीनी नेताओं से मिलने का प्रधान मन्त्री या किसी अन्य मन्त्री का विचार है अथवा क्या कोई ऐसी बैठक पहले हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो यदि कोई ऐसी बैठकें हुई हैं, उनमें किन-किन बातों पर चर्चा की गई थी ?

वैदेशिक कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) भारत सरकार का कोई भी मन्त्री चीनी नेता से न तो मिला है और न निकट भविष्य में मिलने की ऐसी कोई योजना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

नेपाल को चीनी की तस्करी

3580. **श्री भोगेंद्र झा :** क्या **वैदेशिक व्यापार** मन्त्री 25 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 424 के **उत्तर** के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के जयनगर में स्थित अन्नपूर्णा राइस मिल, हनुमान राइस मिल तथा बुबना राइस मिल के स्वामी तथा श्री मदन मुरारका के या उनके सम्बन्धियों या नेपाली राज्य क्षेत्र में रहने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा चलाए जाने वाले कुछ मिल लहन सिरहा, जनकपुर, इकराही तथा अन्य स्थानों पर हैं ; और

(ख) क्या जयनगर स्थित उपरोक्त चावल मिलों के स्वामी या उनके सम्बन्धी नेपाल के नागरिक हैं और जयनगर से स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से चावल और धान चोरी-छिपे नेपाल पहुंचाया जाता है ?

वैदेशिक व्यापार मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री राम सेवक) : (क) और (ख). जैसा कि 25 फरवरी, 1970 को अतारांकित प्रश्न संख्या 424 के उत्तर में कहा गया है जयनगर में स्थित मदन मुरारका की राइस मिलों, अन्नापूर्णा, हनुमान राइस तथा बुबना राइस मिलों, की कोई शाखाएं, जहां तक ज्ञात है, लहन, सिरहा, जनकपुर तथा इकराही में नहीं हैं। सदस्य महोदय ने जिन व्यक्तियों अथवा सम्बन्धियों का हवाला दिया है उनके कार्यकलापों और इस बात का कि वे नेपाल में व्यापार कर रहे हैं, या और आया कि उनमें से कोई नेपाल का नागरिक है, सरकार को कोई पता नहीं है। तथापि सीमा-उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों तथा राज्य सरकार के माध्यम से पूछ-ताछ करने से पता चला है कि जयनगर में इन मिलों के स्वामी भारतीय हैं। परन्तु इस बात को कोई साक्ष्य नहीं है कि स्थानीय अधिकारियों की सांठ-गांठ से जयनगर से नेपाल को चावल तथा धान गया है।

संयुक्त राष्ट्र विश्व युवक सभा

3581. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या वैदेशिक व्यापार मन्त्री 25 फरवरी, 1970 के अतारांकित प्रश्न संख्या 445 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित विश्व युवक सभा में प्रतिनिधायी युवक शिष्टमंडल भेजने के प्रश्न पर इस बीच कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। इस मामले पर अभी विचार हो रहा है।

बाढ़ नियन्त्रण के लिये पाकिस्तान को सहयोग

3582. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या सिंचाई तथा विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार बाढ़ नियन्त्रण के क्षेत्र में पाकिस्तान को सहयोग देने का है ; और

(ख) यदि हां, तो जो सहयोग देने का विचार है उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच 1956 में हुए एक समझौते के अधीन, तब से भारत में गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिनों में सम्मत केन्द्रों से पूर्वी पाकिस्तान को बाढ़ और वर्षा सम्बन्धी चेतावनियां जारी करने के प्रबन्ध कर दिये गए हैं। इससे पाकिस्तान को बहुत सहायता मिली है। बाढ़-पूर्व सूचना सम्बन्धी इन प्रबन्धों को हाल ही में तेज कर दिया गया है और यदि अनुरोध किया गया तो इस सम्बन्ध में भारत पाकिस्तान को जानकारी देने के लिए राजी है।

एशिया के गुट-निर्पेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन बुलाने का लंका का प्रस्ताव

3583. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **वैदेशिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंका ने एशिया के गुट-निर्पेक्ष देशों का एक सचिव स्तरीय सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि ां, तो क्या सरकार ने इस पर विचार किया है और यदि हां, तो इस बारे में उसकी क्या प्रतिक्रिया है ?

वैदेशिक कार्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). श्रीलंका की सरकार ने सुझाव दिया है कि एशिया के गुटमुक्त राष्ट्रों के आपसी हित के मामलों पर विचार करने के लिए मार्च, 1970 में कोलम्बों में एक बैठक की जानी चाहिये जिसमें अप्रैल में दारेस्सलाम में गुटमुक्त राज्यों का प्रारम्भिक सम्मेलन भी शामिल है। भारत ने इस बैठक में भाग लेना स्वीकार कर लिया है।

उड़ीसा राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के बारे में उड़ीसा सरकार का टिप्पण

3584. **श्री दे० अमात :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा राज्य की चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप के बारे में हाल में एक टिप्पण दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगे की हैं ; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार तथा योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

प्रधान मंत्री, वित्त मंत्री ,अणु-शक्ति मंत्री तथा योजना मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) से (ग). राज्य की चौथी योजना के आकार को बढ़ाने के लिए राज्य के मुख्य मंत्री तथा योजना आयोग के मध्य पत्र व्यवहार हुआ है। राष्ट्रीय विकास परिषद्, जिस की बैठक शीघ्र होने वाली है, द्वारा विचार करने के बाद इस सम्बन्ध में अंतिम रूप से निर्णय किया जाएगा।

Manufacture of Long Range Missiles by China

3586. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of Defence be pleased to state :

(a) whether the attention of Government has been invited to the statement made by the U.S. Defence Secretary in American Congress on 20th February, 1970 in which he said that China would be able to manufacture long range missiles during the first half of 1970 and she has also found out the method of carrying them from one place to another ; and

(b) the latest information available with Government in regard to the atomic power of China ?

The Minister of Defence, Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) Government have seen Press reports of a statement by the U.S. Defence Secretary, Mr. Melvin Laird, that it was possible for the Chinese to have a force of 80 to 100 operational medium range ballistic missiles by the mid-70s.

(b) China has developed medium range ballistic missiles which have a range of about 2000 miles, but there is no indication yet of their actual deployment. China is also engaged on the development of inter-continental ballistic missiles.

आसाम में हवाई अड्डा क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवारों का अनधिकृत निवास

3588. **श्री सूरज भान :** क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाई अड्डा क्षेत्रों में सुरक्षा तथा अन्य अनेक कारणों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों तथा कमचारियों के परिवारों को रहने की अनुमति नहीं दी जाती ;

(ख) यदि हां, तो यह भी सच है कि वायु सेना अधिकारियों तथा कर्मचारियों और एम० ई० एस० अधिकारियों और कर्मचारियों के परिवार आसाम में मोहन बाड़ी (धबआ) हवाई अड्डे के समीप ही रहते हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन अधिकारियों तथा कर्मचारियों के नाम तथा पदनाम क्या है जिन के परिवार वहां रहते हैं और किस अधिकार के अंतर्गत उनके परिवारों को वहां रहने की अनुमति दी गई थी ;

(घ) क्या वे परिवार निःशुल्क राशन प्राप्त कर रहे हैं और बिजली तथा पानी भी मुफ्त प्रयोग में ला रहे हैं, यदि हां, तो निःशुल्क राशन, बिजली तथा पानी सप्लाई करने पर सरकार को प्रतिवर्ष कितना खर्च उठाना पड़ता है ; और

(ङ) क्या लेखा परीक्षा विभाग ने कभी इस अनियमितता की बात उठाई है, यदि हां, तो उसका क्या उत्तर दिया गया है ?

प्रतिरक्षा और इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री स्वर्ण सिंह) : (क) से (ङ). सूचना प्राप्त की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्री का वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् के उपाध्यक्ष पद से त्याग पत्र

3589. **श्री देविन्दर सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने शिक्षा मंत्री द्वारा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की उपाध्यक्षता से दिये गए त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार समिति की सिफारिशों के अनुसार उपाध्यक्ष की नियुक्ति करने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है ?

प्रधान मन्त्री, वित्त मन्त्री, अणु-शक्ति मन्त्री तथा योजना मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : (क) विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद के नियमों और विनियमों के अंतर्गत उस विभाग का कार्यभारी मंत्री, जिसके अधीन यह परिषद आती है, सोसायटी का पदेन उप-प्रधान रहेगा। विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद के उप-प्रधान पद से शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) सरकार समिति ने विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद के उप-प्रधान पद में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है ।

War Preparations by China

3590. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **Defence** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that China is preparing on warfooting and that she has ordered each of her young persons to be ready for war ;

(b) whether it is also a fact that U.S.S.R. has warned all the neighbouring countries of China of her nefarious intentions ;

(c) if so, whether Government are taking steps towards reviewing or reconstituting their defence arrangement ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Defence and Steel and Heavy Engineering (Shri Swaran Singh) : (a) and (b). Government are aware that there has been considerable activity in China under the slogan 'prepare against war' and that the Soviet Press has criticised this as leading to creation of a war psychosis.

(c) to (e). Developments having a bearing on our security are taken note of and suitable measures on our side are taken.

U.S.S.R. Radio Peace and Progress Broadcasts about Congress Sessions

3591. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the U.S.S.R. Radio "Peace and Progress" had made a wide publicity of the Bombay Session of the New Congress and almost kept silent over the Ahmedabad Session of the Old Congress ;

(b) if so, whether Government have sent any protest letter to the Government of U.S.S.R. ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of External Affairs (Shri Surendra Pal Singh) : (a) Government have observed that this Radio covered the Bombay Session more extensively than the Ahmedabad Session.

(b) No, Sir.

(c) Government do not consider the question of extent of coverage of Indian news by a foreign Radio Station a matter for protest.

रबात में मुस्लिम सम्मेलन

3592. **श्री रणजीत सिंह :** क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में रबात में दूसरा मुस्लिम सम्मेलन हुआ था ; और

(ख) क्या भारत को उसमें भाग लेने के लिए निमंत्रित किया गया था ?

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) रब्बात में 21 दिसम्बर से 23 दिसम्बर, 1969 तक अरब शिखर सम्मेलन हुआ था ।

(ख) जी नहीं । इसमें सिर्फ अरब देशों को बुलाया गया था ।

हिन्द महासागर में विदेशी नौसेनायें

3593. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** **श्री बेधर बेहरा :**
श्री जे० अहमद :

क्या वैदेशिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मारिशस के प्रधान मंत्री की हाल ही की भारत यात्रा के समय, प्रधान मंत्री ने हिन्द महासागर में विद्यमान विदेशी नौसेनाओं का ब्यौरा दिया था ;

(ख) यदि हां, तो हिन्द महासागर में अभी तक किन-किन देशों की नौसेनाएं मौजूद हैं ;

(ग) उनके वहां ठहरे रहने का क्या कारण है ; और

(घ) ये नौसेनाएं वहां कब से ठहरी हुई हैं ?

वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय में उप-मंत्री (सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) से (घ). मरिशस के प्रधान मंत्री के साथ अपनी वातचीत के दौरान प्रधान मंत्री ने हिन्द महासागर में विदेशी नौसेनाओं की बढ़ती हुई उपस्थिति पर भारत सरकार की चिन्ता व्यक्त की थी । हिन्द महासागर की सुरक्षा के विषय में भारत सरकार के विचार सर्वविदित हैं । हमारा कहना यही है कि हिन्द महासागर शांति और सहयोग का क्षेत्र रहना चाहिये जिसमें किसी भी देश का अधिपत्य का हस्तक्षेप न हो ।

Ceilings on Profits of S.T.C.

3594. **Shri Om Prakash Tyagi :** Will the Minister of Foreign Trade be pleased to state :

(a) whether Government have fixed any ceilings on profits earned by the State Trading Corporation on the goods imported by it or it has been allowed to earn unlimited profit ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Shri Ram Sewak) : (a) to (c). The release prices of raw materials and other goods are fixed by the S.T.C. on the basis of guidelines provided by Government in many cases and after taking into account the market prices of these raw materials and prices of the same materials indigenously produced or of substitudes. The resultant profits to S.T.C. vary from commodity to commodity.

———

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का बन्द किया जाना

Shri Raghuvir Singh Shastri (Baghpat) : Sir I call the attention of the Minister

of Education and Youth Services to the following matter of Urgent Public Importance and I request that he may make a statement thereon :

"Reported closure of Banaras Hindu University, following disturbances"

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (श्री वी० के० आर० वी० राव) : विश्वविद्यालय से जो सूचना हमें प्राप्त हुई है, उसके अनुसार ऐसा मालूम होता है कि 15 मार्च, 1970 को सुबह 9 बजकर 30 मिनट पर बनारस हिन्दू विश्वविद्याल के एक छात्र श्री भुवनेश्वर सिंह और बाहर के एक लड़के श्री अंजनी कुमार सिन्हा के बीच हाथापाई हुई। बाहर के लड़के ने यह आरोप लगाया था कि क्योंकि उसने श्री सिंह को एक लड़की को छेड़ते हुए पाया, इसलिए उसने श्री सिंह के चांटा मारा। किन्तु श्री सिंह का कहना है कि क्योंकि उन्होंने श्री सिन्हा द्वारा मांगे गये पैसे देने से इंकार किया, इसलिए उसको चांटा मारा गया। मुख्य प्रोक्टर से एक लड़की ने यह कहा कि पीछे से किसी व्यक्ति ने उसके बल खींचे थे। लड़की को छात्रावास सुरक्षा पूर्वक भेजने का प्रबंध करने के बाद, मुख्य प्रोक्टर ने श्री अंजनी कुमार सिन्हा को कैम्पस छोड़ने का आदेश दिया।

कुछ समय बाद, मुख्य प्रोक्टर को सूचित किया गया कि कस्तूरबा महिला छात्रावास के बाहर बहुत भीड़ एकत्र हो गई है। उन्हें ऐसा पता चला कि श्री अंजनी कुमार सिन्हा को, जो कैम्पस छोड़ने के आदेश का पालन न करके महिला छात्रावास के बाहर इंतजार कर रहे थे, कस्तूरबा महिला छात्रावास की पहली मंजिल के स्नानागार में खदेड़ कर ले जाया गया और पीटा गया तथा ग्यारह जगह छुरे मारे गए तथा विश्वविद्यालय के आपात वार्ड में ले जाया गया। वहां जाने पर मुख्य प्रोक्टर को श्री अंजनी कुमार सिन्हा द्वारा बताया गया कि दो छात्रों ने उन पर आक्रमण किया था जिनके नाम भी उन्होंने बताए। श्री अंजनी कुमार सिन्हा की हालत गंभीर है। उसके बयान की पुष्टि मुख्य प्रोक्टर द्वारा की गई प्रारम्भिक पूछताछ से होती है।

कुलपति ने कला संकाय के डीन, प्रोफेसरों और बिड़ला छात्रावास के वार्डनों की जहाँ पर तथाकथित आक्रमण कारी रहते हैं, एक बैठक बुलाई। बैठक ने पूरी पूरी जांच करने तथा जांच होने तक तथाकथित आक्रमणकारी छात्रों को निलम्बित करने तथा उनको छात्रावास के अपने कमरों को खाली करने को कहने की सिफारिश की। इस सिफारिश को कुलपति ने स्वीकार कर लिया और कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया।

इसी बीच, तथाकथित आक्रमणकारियों ने मुख्य प्रोक्टर से नयाचारिक (प्रोक्टोरियल) कर्मचारियों की छात्रों की बाहरी आक्रमण से रक्षा न करने के विरुद्ध शिकायत की। मुख्य प्रोक्टर को ऐसी भी सूचना दी गई कि जब श्री अंजनी कुमार सिन्हा को अस्पताल ले जाया जा रहा था, तो उसने कस्तूरबा छात्रावास की एक लड़की को 2300 रुपये, सोने की दो जंजीरें तथा एक घड़ी दी तथा एक अन्य छात्रा को भरा हुए एक पिस्तौल तथा अन्य वस्तुएं दी। नकदी, आभूषण, पिस्तौल तथा अन्य वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं। उसी दिन शाम को बहुत से विद्यार्थी कुलपति से उनके निवास स्थान पर मिले और दो तथाकथित आक्रमणकारियों के बारे में जारी किए गए आदेशों के विरुद्ध विरोध प्रकट किया और मांग की कि उस आदेश को वापस ले लिया जाए।

जब उनकी माँग नहीं मानी गई, तो उन्होंन वहां उपस्थित विश्वविद्यालय के अधिकारियों

को गालियां दी और उन्हें मार डालने की धमकी दी । उन्होंने कहा कि जब तक आदेश वापस नहीं लिया जायेगा तब तक वे वहां से नहीं जाएंगे । लगभग 2.30 बजे सुबह वे उत्तेजित हो गए । उन्होंने कुलपति के निवास स्थान के अहाते में रखे गमलों को तोड़ दिया और निवासस्थान की निचली तथा पहली मंजिलों पर ईटें फेंकी । विद्यार्थियों ने अहाते की बाढ़ भी नष्ट कर दी, अहाते के चारों ओर के कांटेवाले तारों को तोड़ दिया, टेलीफोनों को नुकसान पहुँचाया, मुख्य लोहे के फाटक को हटा दिया और उनका प्रयोग निवास स्थान के सामने वाले छात्रावास मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए किया जब स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, तब जिला प्राधिकारियों से सहायता का अनुरोध किया गया । जिलाधीश तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त पुलिस के साथ कैम्पस में पहुंच गए । पुलिस के आने से लगभग 15 मिनट पहले विद्यार्थी लगभग 4.30 बजे सुबह जुलूस के रूप में चले गए ।

विश्वविद्यालय को अनिश्चित काल तक के लिए बन्द कर दिया गया है और छात्रों से छात्रावासों को खाली करने के लिए कहा गया है । स्थिति नियन्त्रण में है । विश्वविद्यालय बन्द करने के निर्णय का विद्यार्थी परिषद्, वार्डनों तथा अध्यापकों ने समर्थन किया है । छात्र संघ की शासी परिषद के सदस्यों ने भी कुलपति को विश्वविद्यालय से हुल्लड़बाजी वाले तत्वों को समाप्त करने में अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया है ।

यह बहुत ही खेद का विषय है कि विश्वविद्यालय में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि उसे बन्द करना पड़ा । मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि विश्वविद्यालय के कुलपति डा० के० एल० श्रीमाली, जो एक सुप्रतिष्ठित तथा बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, परिस्थिति को कारगर ढंग से संभाल लेंगे और विश्वविद्यालय में शीघ्र ही स्वस्थ वातावरण उत्पन्न करने में सफल होंगे, ताकि विश्वविद्यालय फिर खुल सके और उसका कार्य सुचारु रूप से चल सके । मुझे यकीन है कि मेरे साथ सदन भी, विश्वविद्यालय कैम्पस से गुंडागर्दी समाप्त करने में कुलपति को हर प्रकार की सहायता तथा सहयोग देगा ।

Shri Raghuvir Singh Shastri : Gajendra Gadkar Commission had been appointed to investigate in the matters of Banaras Hindu University. In its report it has concluded that there was groupism among the students, lecturers and employees on the basis of castism and students are always busy in undesirable activities.

In this context I would like to ask that whether there are any improvements in the situation after the appointment of new vice-chanceller and whether the suspended students have been readmitted or not ? Is it a fact that there have been three cases of stabbing in which some local goondas are also involved ?

Shri Anjani Kumar Sinha is stabbed. I would like to ask whether any dying statement was recorded and whether he has confirmed the statement which he has made in the presence of proctor. Why the students, named by Mr. Anjani, were not arrested although police reached there on the spot ?

Would the hon. Minister give an assurance on behalf of the Commission that action would be taken against the students who attached at the residence of Vice-Chancellor and Proctor. May I know when the University is likely to be reopened ?

There is another institution of National importance namely, 'Kashi Vidya Pith'. The situation in this institution is also deteriorating. May I know whether the hon. M er will take action to improve the situation in that institution.

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने कई प्रश्न पूछे हैं। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, जो छात्र निलम्बित किए गए थे, उन्हें पुन: प्रवेश नहीं दिया गया है। श्री अंजनी कुमार से प्राप्त रिवाल्वर लाइसेंस शुदा था या नहीं, इसकी सूचना वहां की पुलिस की जांच के बाद ही दी जा सकती है क्योंकि रिवाल्वर अभी पुलिस के कब्जे में है।

जहां तक श्री अंजनी कुमार द्वारा की गई घोषणा का सम्बन्ध है, वह घोषणा प्रोक्टर के सामने की गई है और जिन छात्रों ने उस पर आक्रमण किया था, उन्हें निलम्बित कर दिया गया है और उन्हें 'कारण बताओ नोटिस' भेज दिया गया है। उनको निलम्बित करने एवं नोटिस भेजने के परिणामस्वरूप ही हिंसात्मक कार्यवाहियां हुई और विश्वविद्यालय को बन्द करना पड़ा। जहां तक उपद्रवी छात्रों को गिरफ्तार करने का प्रश्न है, यह काम प्रादेशिक पुलिस का है।

Shri Raghuvir Singh Shastri : May I know that whether the hon. Minister will ask the State Government as to why the students were not arrested ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैं इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा कि छात्र गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए ? छात्रों की हिंसात्मक कार्यवाईयों को देखते हुए अनुभव किया गया है कि छात्रों को वहां से हटा दिया जाये क्योंकि यदि छात्रों के वहाँ रहने पर पुलिस बुलाई गई तो पुलिस और छात्रों की मुठभेड़ हो सकती है। इसलिए उपकुलपति ने विश्वविद्यालय बन्द करने एवं छात्रों को छात्रावास खाली करने की आज्ञा दी है। गैर-सरकारी सूचनाओं से पता चला है कि विश्व-विद्यालय में काफी मात्रा में गुण्डागर्दी फैली हुई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : यह गुण्डागर्दी राष्ट्र-सेवक संघ करवाता है।

डा० वी०के० आर० वी० राव : अगर हिंसात्मक कार्यवाहियों के पीछे किस राजनीतिक दल का हाथ है तो उसका ही पता निश्चित रूप से चल जाएगा।

छात्रों को छात्रावास खाली करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि मुझे पता लगा है कि कुछ बाहर के व्यक्ति भी इनमें रह रहे हैं। इस प्रकार उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। इस कार्यवाही से यह लाभ होगा कि जब विश्वविद्यालय फिर खुलेगा तो केवल वही छात्र प्रवेश पा सकेंगे जो उस विश्वविद्यालय के हैं। छात्र कर्मचारी एवं उपकुलपति यही चाहते हैं कि किसी तरह यह गुण्डागर्दी समाप्त की जाए। मैं आशा करता हूँ कि सम्पूर्ण सभा इस विचार से सहमत होगी कि :

श्री चेंगलराया नागडू (चित्तूर) : विश्वविद्यालय में उपद्रव पहली बार ही नहीं हुए हैं। मंत्री महोदय से पूछा गया था कि अंजनी कुमार से प्राप्त रिवाल्वर लाइसेन्सशुदा है या नहीं और उपद्रवी छात्रों को गिरफ्तार किया गया है या नहीं। परन्तु मन्त्री महोदय ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।

क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय में छात्राओं की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है ? गुण्डे लड़कियों का शील भंग करते हैं परन्तु न तो उपकुलपति ही और न ही विश्वविद्यालय के अधिकारी कोई कार्यवाही करते हैं और न ही ऐसी घटनाओं के बारे में पुलिस को सूचना दी जाती है। क्या यह भी सत्य है कि कुछ बाह्य तत्व छात्रों को विश्वविद्यालय के अहाते में

हिंसात्मक कार्यवाहियां करने के लिए उकसाते हैं ताकि विश्वविद्यालय बन्द हो जाये। अगर यह ठीक है तो शिक्षा-मन्त्री विश्वविद्यालय को पुनः खोलने एवं अध्ययन कर रही छात्राओं की सम्मान-रक्षा के लिये क्या कदम उठायेंगे।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जो रिवाल्वर मिला है, वह लाइसेंसशुदा है या नहीं इसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है। चूँकि यह पुलिस का मामला है, अतः जानकारी प्राप्त होने पर सब कुछ पता चल जायगा। मैं माननीय सदस्य के इस विचार से सहमत हूं कि छात्राओं की सम्मान-रक्षा होनी चाहिए। अन्य विश्वविद्यालयों में बस स्टाप पर पुलिस का पहरा लगाया जा सकता है परन्तु विश्वविद्यालय के अहाते में पुलिस को नियुक्त करना अति कठिन है।

मुझे ऐसी कोई सूचना नही मिली जिससे पता लगे कि कुछ बाह्य तत्व छात्रों को विश्वविद्यालय बन्द करवाने या हिंसात्मक कार्यवाही करने के लिए उकसाते हैं।

जहां तक विश्वविद्यालय को पुनः खोलने का प्रश्न है—उपकुलपति ने सूचना दी है कि शीघ्र से शीघ्र विश्वविद्यालय को पुनः खोलने, सामान्य स्थिति बनाने एवं गुण्डागर्दी को समाप्त करने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : I would like to know from the hon. Minister that under whose leadership Gherao of Vice-chancellor was organised. May I know whether the gherao was undertaken by Shri Damodar Singh as per report of Gajendra Gadkar Commission and whether it is also a fact that some students had cut off telephone wires and Mr. Damodar Singh had demanded Rs. 2500 from Vice-Chancellor.

In the Gajendra Gadkar Commission report it has been mentioned that R.S.S. has occupied one room in the University building. It was told that the they will try to get the room vacated but nothing has been done so far in this connection.

According to my information Proctors are being rested with magisterial powers. I want to know that when dying declaration was made before him. Why he has not taken immediate action ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : लगभग 50 छात्रों ने श्री दामोदर सिंह के नेतृत्व में उपकुलपति का घेराव किया। प्रतिवेदन में कोई जानकारी नहीं दी गई कि दामोदर सिंह या किसी अन्य व्यक्ति ने उपकुलपति से 2500 रुपये की मांग की है। उनकी मांग थी "कारण बताओ नोटिस वापिस लो, विलम्बन आदेश रोको, अन्यथा हम यहां से नहीं जायेंगे।" उपकुलपति के मना करने पर ही हिंसात्मक कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

जहां तक राष्ट्रीय सेवक संघ द्वारा प्रयोग किए जा रहे कमरे का सम्बन्ध है—उन्हें जगह खाली करने के लिए कहा गया है। अगर उस कमरे को बलपूर्वक गिराया जाता है तो शिक्षा-मन्त्री होने के नाते मुझे देखना होगा कि विश्वविद्यालय के अहाते में कोई हिंसात्मक कार्यवाही न हो। मैं नहीं चाहता कि विश्वविद्यालय के अहाते में होने वाली हिंसात्मक कार्यवाहियों के लिए मुझे उत्तरदायी समझा जाए।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Government can close the university but can not close the office of R.S.S ? Who can believe this.

Shri Rabi Ray (Puri) : The office can be locked.

श्री धीरेश्वर कलिता (गोहाटी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि विश्वविद्यालय के अहाते के एक कमरे पर राष्ट्रसेवक संघ ने कब्जा किया हुआ है। शिक्षा मन्त्री का कहना है कि वह उस कमरे को खाली नहीं करा सकते हैं। क्या भारत सरकार इन**कठोर कदम नहीं उठा सकती ?

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री कलिता के व्यवस्था के प्रश्न को अस्वीकार करता हूं। यह उचित नहीं है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I rise on a point of order. The Minister of Education in his statement appealed to the House to eradicate the 'Goonda' element from the university irrespective of their party affiliation and strengthen the hand of Vice-Chancellor. I support the R.S.S.

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में यह सामान्य प्रथा रही है कि राजनीतिक दल के विरुद्ध आरोप न लगाये जाये। मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि क्या आर० एस० एस० राजनीतिक दल है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह एक सांस्कृतिक संगठन है। परन्तु किसी को भी आर० एस० एस० पर कीचड़ नहीं उछालने दी जायेगी।

डा० वी० के० आर० वी० राव : विश्वविद्यालय भवन को शान्तिपूर्ण तरीके से रिक्त कराने के लिए उपकुलपति प्रयास कर रहे हैं---मैं भी उनका, इसे शान्तिपूर्वक रिक्त कराने के विषय में, समर्थन करूंगा मैं श्री ज्योतिर्मय बसु जैसे माननीय सदस्यों को बनारस में झगड़ा नही करने दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मन्त्री जी को अन्य माननीय सदस्यों की तरह क्रोध में नहीं आना चाहिए।

डा० वी० के० आर० वी० राव : मैंने क्रोध नहीं किया। जिस व्यक्ति को छुरा भोंका गया था तथा जिसके मृतक के वक्तव्य पर टीका टिप्पणी हो रही है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि उनकी अवस्था खतरे से बाहर है तथा काफी सुधार हो रहा है। गिरफ्तारी के बारे में विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को मुअत्तिल कर दिया है तथा पुलिस को उस पर कार्यवाही करने का आदेश दे दिया है।

Shri Hukam Chand Kachwai (Ujjain) : I would like to know from the Minister of Education that whether the Minister of Education is aware of the R.S S. building located in the Banaras University Campus. I want to tell that when Dr. Triguna Sen was the Minister—it was decided then that building will be vacated and the R.S.S accepted the request but on account of certain difficulties the University is not allowing it to be vacated.

Further I want to know that this building was given to the University by Shri Malavia. Now, who is this Mr. Anjani Kumar Sinha ; how long he has been studying there ; with which political party he is entangled ? Do the Members of Parliament especially of Communist Party go there to incite him ?

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

Thirdly this R.S.S. organisation does not allow the Goondas to play with the life of the students of university. I want to tell that this is the only organisation which cannot be crushed.

डा० वी० के० आर० वी० राव : ऐसा लगता है माननीय सदस्य का आर० एस० एस० के साथ कोई लगाव है—उन्होंने कहा कि आर० एस० एस० ने तो भवन रिक्त करने के निवेदन को स्वीकार कर लिया परन्तु विश्वविद्यालय की कुछ कठिनाइयों से वह खाली नहीं किया जा रहा है। मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि यदि वे कल ही खाली कर दें तो विश्वविद्यालय को बड़ी प्रसन्नता होगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री कछवाय का प्रश्न सूचना तथा सुझाव देने वाला था।

डा० वी० के० आर० वी० राव : जहां तक बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का प्रश्न है—मैं कहूंगा कि विश्वविद्यालय बन्द तथा छात्रावास रिक्त कर दिये गये हैं। इस ध्यानाकर्षण के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय की स्थिति पर काफी प्रकाश डाला गया है और यदि आर० एस० एस० भवन खाली कर देंगे तो देश का बड़ा हित होगा।

अंजनी कुमार सिन्हा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का छात्र कभी नहीं था—वह विश्वविद्यालय के बाहर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था का छात्र था और विश्वविद्यालय में आता जाता रहता था।

श्री गणेश घोष (कलकत्ता दक्षिण) : मन्त्रीजी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि गजेन्द्रगड़कर आयोग कोई मजाक के लिये नहीं बैठाया गया था। दो कमरों वाला भवन आर० एस० एस० का कार्यालय है तथा विधि-संकाय के नये भवन के निर्माण के पश्चात् यह छोटा भवन उस स्थान पर अच्छा नहीं लगता यहां तक कि वक्तव्य के एक वाक्य में यह भी लिख दिया गया है कि अब इस भवन को न केवल रिक्त ही किया जाना चाहिए परन्तु गिरा दिया जाना चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai : R.S.S. * *

अध्यक्ष महोदय : इसको कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाता है।

Shri Atal Bihari Vajpayee : I rise on a point of order. Shri Kachwai asked the Minister to which party Anjani Kumar Sinha belonged to. May I know whether it is fact that he is the Card-Holder Member of the Communist Party? Is the Minister of Education familiar with it?

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : Sir, Shri Vajpayee asked about Shri Anjani Kumar and I want to tell something about him. He was R.S.S. worker till six months ago...

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Sir, the question is : whether he is a communist or not? (*Interruptions*)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

डा० राम सुभग सिंह (बक्सर) : वह इस प्रकार से अशोभनीय बातें क्यों कर रहे हैं ?

Mr. Speaker : I have seen it twice and even the words uttered in heat are also expunged. But we must avoid such remarks.

Shri A. B Vajpayee (Balrampur) : Sir, the House should be daily adjourned for lunch. It will lesser the difficulties which you have to face in zero hour. Lunch Hour was introduced for this very purpose.

Mr. Speaker : All the points raised during zero hour should be deemed as disposed of at the end of zero hour.

श्री गणेश घोष : जहां तक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के स्थायी कार्यालय का सम्बन्ध है, मुझे पूर्ण आशा है कि मंत्री महोदय निःसंकोच रूप से उसके सम्बन्ध में भी करणीय होगा, करेंगे। माननीय सदस्य चाहे इसे स्वीकार करें या न करे किन्तु यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कुछ युवक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की प्रेरणा से ऐसे कार्य करते हैं जैसे कि समाज विरोधी तत्त्व करते है। अब गजेन्द्रगड़कर आयोग ने भी यह कहा है कि ऐसे लड़के बहुत ही कम हैं और उनकी संख्या अधिक है जो अध्ययनरत रहना चाहते हैं। छात्र संघ की महा परिषद् ने भी वहां से गुन्डों को निकाल देने में उपकुलपति का पूर्ण सहयोग करने का वचन दिया है। आयोग ने यह निष्कर्ष भी निकाला है कि केवल कुछ गुंडे तत्त्वों के कारण ही विश्वविद्यालय में हिंसा भड़क उठी थी। आगे उन्होंने सुझाव दिया है कि शिक्षकों को विद्यार्थियों से मानवीय सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए तथा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को चुनौती का सामना करने के लिए तत्पर रहना चाहिये। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने उपकुलपति को क्या परामर्श दिया है और वह विश्वविद्यालय से गुण्डा तत्त्व समाप्त करने में असमर्थ क्यों रहे हैं ?

डा० वी० के० आर० वी० राव : माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न में इतनी आनुषंगिक टीका टिप्पणियां की हैं कि मुझे यह अनुमान लगाना ही कठिन हो रहा है कि उनका प्रश्न क्या है। मुझे पता है कि गजेन्द्रगड़कर आयोग ने यह सिफारिश की है कि उक्त भवन खाली कराया जाये और उसे ढहा दिया जाये। उक्त भवन के खाली होने पर ही कोई अन्य कार्यवाही की जा सकती है। विश्वविद्यालय के अधिकारी उसे खाली कराने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं।

जहाँ तक श्री अंजनी कुमार सिंह का सम्बन्ध है, मुझे मालूम नहीं है कि वह साम्यवादी दल का सदस्य है या नहीं।

जहां तक शिक्षक-विद्यार्थी सम्बन्धों या शिक्षा मंत्री द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निदेश देने का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि उपकुलपति स्वतन्त्र होता है और शिक्षा मंत्री उसे निदेश नहीं दे सकता। आयोग का प्रतिवेदन उपकुलपति को दे दिया गया है और मुझे पता है कि श्री माली विश्वविद्यालय में अच्छा वातावरण बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं। जहां तक मंत्रालय का सम्बन्ध है हमने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में एक विशेष अध्ययन दल भेजा था जिसने छात्रों की विभिन्न कठिनाइयों तथा असुविधाओं का अध्ययन किया था और विद्यार्थियों

के कल्याण और उनकी सुविधाओं के बारे में सुझाव दिये हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में उक्त विश्वविद्यालय को अधिक अनुदान दिया है ताकि वहां छात्रोपयोगी सुविधाएं बढ़ाई जा सकें।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

भारत इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड, बंगलौर का वार्षिक प्रतिवेदन

प्रतिरक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ललित नारायण मिश्र) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, बंगलौर, के वर्ष 1968-69 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखा-परीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रण महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया** । देखिए संख्या एल० टी० 2912/70]

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ :

(एक) जी०एस०आर० 322, जो दिनाँक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी०एस०आर० 323, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी०एस०आर० 324, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी०एस०आर० 325, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी०एस०आर० 326, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छ) जी०एस०आर० 327, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजस्व में प्रकाशित हुई थी।

(सात) जी०एस०आर० 328, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(आठ) जी०एस०आर० 329, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(नौ) जी०एस०आर० 330, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दस) जी०एस०आर० 331, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(ग्यारह) जी०एस०आर० 332, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(बारह) जी०एस०आर० 333, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तेरह) जी०एस०आर० 334, जो दिनाँक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चौहद) जी०एस०आर० 335, जो दिनांक 1 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पन्द्रह) जी०एस०आर० 392, जो दिनांक 2 मार्च, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये** संख्या एल० टी० 2913/70]

भूमि अधिग्रहण पुनर्विलोकन समिति का प्रतिवेदन

खाद्य तथा कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिंदे) : मैं भूमि अभिग्रहण अधिनियम, 1894, सम्बन्धी भूमि अधिग्रहण पुनर्विलोकन समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये** संख्या एल० टी० 2915/70]

Notification under Industries (Development and Regulation) Act, 1951

The Deputy Minister in the Ministry of Foreign Trade (Choudhury Ram Sewak) : I beg to lay on the Table of the House a copy of Notification No. S.O. 835 (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated the 28th February, 1970 regarding management of the Pratap Spinning and Weaving and Manufacturing Company Limited, Amalner (Maharashtra), under sub-section (2) of section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act. 1951. [*Placed in Library. See* No. LT-2914/70].

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

59वां प्रतिवेदन

श्री स्वैल (स्वायत्तशासी जिले) : महोदय, मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का 59वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

113 वां प्रतिवेदन

श्री एम० तिरुमल राव (काकिनाडा) : महोदय, मैं भूतपूर्व शिक्षा मन्त्रालय (वर्तमान शिक्षा तथा युवक सेवा मन्त्रालय)—इण्डियन स्कूल आफ् ईन्टरनेशनल स्टडीज, नई दिल्ली के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के 53 वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 113 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

———

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति के बारे में

श्री नाथ पाई : अपने ध्यान-आकर्षण प्रस्ताव के संबंध में मुझे उत्तर नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने सभी सदस्यों को पत्र लिखा है कि वह बतायें कि वहां दूसरी सरकार क्यों नहीं बन सकती है अथवा वर्तमान सरकार का समर्थन क्यों नहीं किया गया इत्यादि। उन्हें ऐसा करने का कुछ भी अधिकार नहीं है, और यह एक संवैधानिक प्रश्न भी है। राज्यपाल संविधान के विरुद्ध कार्य कर रहा है। राज्यपाल ने किस प्राधिकार के अन्तर्गत यह पत्र लिखा है। मैं यह जानना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह विलम्ब से मिला है। अतः इसको मैं ठीक तरह से नहीं देख सका हूं।

श्री मनुभाई पटेल : माननीय सदस्य श्री काशी नाथ पांडे पर आक्रमण हुआ है। हम इस सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह गृह-कार्य मन्त्री को भेज रहा हूँ और इसके उपरांत आपको जानकारी दूंगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु : दिल्ली परिवहन व्यवस्था में प्रतिरोध उत्पन्न हो गया है। टैक्सी वाले और स्कूटर वाले सब हड़ताल कर रहे हैं। अतः सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हो सके है। यह एक गंभीर मामला है। पिछले दो-तीन दिनों से हमें कोई वाहन नहीं मिल रहा है।

Shri Hukam Chand Kachwai : What happened in Budget ?

Mr. Speaker : Shri Madhu Limaye, why do not you start-speaking.

Shri Madhu Limaye : I am standing, Sir.

श्री राम कृष्ण गुप्त : मैंने एक गंभीर विषय के संबंध में सूचना दी है। मेरी प्रार्थना है कि मेरी ध्यान-आकर्षण सूचना पर ध्यान दिया जाये। श्री जगजीवन राम राजभवन ठहरे थे और उन्होंने कई तरह के कार्य किये हैं।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I want to raise question about the declared industrial policy by the Industrial Minister.

एक माननीय सदस्य : मध्याह्न भोजन के उपरान्त यह प्रश्न उठाया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री शिव चन्द्र झा, आपने जो प्रस्ताव किया है उस पर हम मध्याह्न भोजन के पश्चात् विचार करेंगे । श्री मधु लिमये और श्री नाथ पाई, आपके प्रश्न अन्य अल्प सूचना प्रश्न के साथ संलग्न क्यों न किये गये ? मुझे उसकी एक प्रतिलिपि प्राप्त हुई थी जो इस्लामाबाद से सम्बन्धित है । मगर यह प्रश्न मजदूरों की स्थिति से सम्बन्धित है । यही इसकी कठिनाई थी ;

अब हम मध्याह्न भोजन के लिये सदन को स्थगित करते हैं ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए दो बजकर पच्चीस मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till twenty-five minutes past fourteen of the Clock.

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा दो बजकर सत्ताईस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha reassembled after Lunch at twenty-seven minutes past Fourteen of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the Chair.*]

नियम 377 के अन्तर्गत मामला

MATTER UNDER RULE 377

औद्योगिक लाइसेंस देने की नीति के बारे में

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I have certain objections against the Industrial Licensing Policy declared by the minister concerned. My point is that whenever the minister formulates his new policy, he will have to appear before the House and declare his policy. Perhaps the Minister may be remembering that when Dutt Committee has presented its report, he has assured the House that discussion would be conducted on it and after having discussed fully all the points. Government would think on it and declare the new policy. But during the previous session discussion could not be conducted. The Minister should have presented it for discussion in the begnning of this session. But he has not done so. Before the beginning of this session, he declared the new policy. And after that on 14th March he made a statement classifying this. Therefore what I want to say is that the House is not getting an opportunity to express its opinion on the industrial policies.

It is repeated so many time that they don't allow the economy to be monopolised by a handful of people, that they want to proceed towards socialism. But the mixed economy and the limited economy which they have produced is not a socialistic measure. Due to this limited economy wealth is concentrated in a few hands and these industrialists are being given unlimited chances to leap towards progress who support the Government at all costs. Due to the Policy of the Ministry for industries within three years three industrialists

progressed without any limit. And these people are not whole-time supporters of the Government, for example Mafatlal, etc. During the previous time Shri Morarji Desai said in the House that after the presentation of Dutt Committee report, Mafatlal group of companies have increased their assets every year by 50 percent. And they want to bring in socialism. Similarly, Birla family also increased their assets by 50 percent within three years. This means within the next six years they will double up their assets, through the sympathy shown by the Government.

Therefore the Minister must declare here in the House that only after giving an opportunity to the House to discuss the report of Dutt Committe, the new policy will be implemented. The Minister must consider various aspects of the opinion of various parties. And then he must throw away the mixed economy and limited economy. Then only we can proceed towards socialism. I would like to know whether the Minister is prepared for this or not.

श्री हेम बरुग्रा (मंगलदायी) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। इस विशेष मामलों के दो महत्त्वपूर्ण मुद्दे हैं। पहला यह है कि जब संसद की बैठक हो रही थी, उस समय माननीय मन्त्री महोदय द्वारा उसकी ग्रवहेलना। दूसरा, भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ के सम्मेलन के समक्ष मन्त्री महोदय ने ग्रपनी नीति में ढिलाई करते हुए एक वक्तव्य दिया।

ग्रध्यक्ष महोदय : इसी कारण से मैंने उसको ग्रनुमति दी थी।

श्री हेम बरुग्रा : मैं चाहता हूँ कि माननीय मन्त्री महोदय इन महत्त्वपूर्ण मुद्दों का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, क्योंकि यह मामला ऐसा है जो ग्रार्थिक सत्ता के कुछ इन गिने व्यक्तियों के हाथ में केन्द्रित होने में सहायक होगा। जनता का यह विचार है कि मन्त्री महोदय पर उद्योग-पतियों और व्यापारियों का दबाव पड़ा है।

ग्रध्यक्ष महोदय : इसी कारण से मैंने अनुमति दी थी।

Shai Ram Kishan Gupta : That is why vegetable oil became costly.

श्री श्री चन्द गोयल : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है। मैं जानना चाहूँगा कि क्या सरकार, सत्र के ग्रारम्भ में, घोषणाओं द्वारा इस प्रकार के तदर्थ निर्णय ले सकती है? ऐसी घटनायें कई बार हुई हैं। श्री खाडिलकर ने जब सत्रारंभ होने वाला था, बीमा के प्रीमियम के सम्बन्धमें ऐसा ही किया था। यह एक खतरनाक स्वभाव है, ग्रौर यह लोकतंत्र की भावना की ग्रवहेलना ही है। आप से मेरी प्रार्थना है कि ग्राप माननीय मन्त्रियों को निदेश दें कि वे सदन के बाहर ऐसी घोषणायें न करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मेरा भी विचार यह है कि सदन के बाहर ऐसी घोषणायें करने के द्वारा सदन की निन्दा हो रही है। हम सब संसद के निर्वाचित सदस्य हैं। हर प्रकार की प्रमुख घोषणायें सदन के अन्दर ही की जानी चाहिए।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि ग्रार्थिक सत्ता के केन्द्रीयकरण के सम्बन्ध में दत्त कमेटी के निवेदन पर सदन में चर्चा की जानी चाहिये, क्योंकि हमने देखा कि जांच ग्रायोग की नियुक्ति के पश्चात् भी बिड़ला को लाइसेंस दिया गया। मैं ग्राप से यह आशा रखता हूं कि ग्राप माननीय मन्त्रियों को निदेश देंगे कि वे भविष्य में इस प्रकार के कार्य न करें।

श्री एस० आर० दामानी : मेरा निवेदन यह है कि माननीय मन्त्री महोदय ने सदन के बाहर कोई महत्वपूर्ण घोषणा नहीं की है। कुछ अपेक्षित स्पष्टीकरण ही उन्होंने किये हैं। यह नहीं कहा जा सकता है कि सदन के बाहर किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता। अतः इस सम्बन्ध में व्यवस्था का जो प्रश्न उठाया गया था, वह सुसंगत नहीं है।

Shri Shiv Narain : Such kind of announcements should not be made outside the House. The House is the supreme authority. Nothing can be concealed from the House. You have increased the price of Dalda and you are raising the slogan of socialism. Mr. Speaker, you are the guardian of our rights. You have the power to warn the Government.

Shri Shiv Chandra Jha : Discussion did not take place on the report of Dutt Committee. By not doing this the Minister has by-passed the Parliament. In the beginning of the session I had presented a motion regarding the so-called license given to Birlas. We see that you are giving deaf ears to the House.

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : You should not give time like this to Shri Limaye, Shri Banerjee and Shri Jha. By this the Government is placed in an awkward position. This is a minority Government. Crores of rupees are everyday being subverted in Bombay. How will they be able to raise subscription and how will this Government run ?

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : माननीय सदस्य ने दो आपत्तियां उठाई हैं। पहली आपत्ति का सम्बन्ध प्रतिपादित नीति से है, उनका कहना है कि नीति की घोषणा सदन के परामर्श के बाद की जानी चाहिए थी श्री मधु लिमये ने भी कहा है सदन की बैठक आरम्भ होने से दो-दिन पूर्व सरकार की नीति की घोषणा करना युक्ति संगत नहीं है।

श्री मधु लिमये : दो से भी कम दिन।

श्री फ० अ० अहमद : उनको दूसरी आपत्ति इस बात पर है कि सदन की बैठक होते हुए भी उसमें विषय को प्रस्तुत किये बिना एक अन्य नीति की घोषणा कर दी गई है। साथ ही सदन को दत्त कमेटी के सुझावों पर चर्चा करने का अवसर न देने पर भी उन्होंने आपत्ति की है।

अध्यक्ष महोदय : हमने दत्त कमेटी की रिपोर्ट सभा पटल पर रख दी है और सदन में इस पर चर्चा होगी।

श्री श्री चंद गोयल : हमने इस विषय के सम्बन्ध में प्रस्ताव दे दिया है।

श्री फ०अ० अहमद : हमें विषय पर चर्चा करने में कोई आपत्ति नहीं है।

Seri Madhu Limaye : Have you included it in official business ? It is not in that official bulletine, which we have ?

श्री फ० अ० अहमद : किसी भी सदस्य को प्रस्ताव की सूचना दे देनी चाहिए थी।

Shri Madhu Limaye : You do not read bulletins. Notice has already been given.

Shri Rabi Ray : It has been given under Rule 184.

श्री फ० अ० अहमद : सरकार की यह इच्छा थी कि निर्णय लेने से पूर्व सदन में इस विषय पर चर्चा हो जाती किन्तु हम अनिश्चित काल तक इसके लिए रुक नहीं सकते थे अतः योजना आयोग ए० आर० सी० और दत्त कमेटी की रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए कुछ निर्णय लिए गये और सत्र के आरंभ होते ही प्रकाशित अधिसूचना को सभा पटल पर रख दिया गया। सदन में किसी भी दिन इस पर चर्चा की जा सकती है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। यदि प्रतिपादित नीति में सुधार की आवश्यकता समझी गई तो परिवर्तन भी संभव है।

जहां तक सत्रारंभ से दो-तीन दिन पूर्व नीति की घोषणा का प्रश्न है मैं यह कहना चाहूँगा कि सरकार ने ये निर्णय प्रस्तुत सामग्री के आधार पर किए हैं। सदन का यह कर्तव्य है कि वह इन निर्णयों पर विचार करे और सुझाव दे। हम भी उनको यथासंभव स्वीकार करेंगे।

जहां तक 13 मार्च की अधिसूचना का संबंध है यह किसी भी नीति का प्रतिपादन नहीं करती वास्तव में वह तो 18 फरवरी की अधिसूचना की नीति के विषय में दिया गया स्पष्टीकरण मात्र है अतः सदन में इस विषय को प्रस्तुत करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Madhu Limaye : An important question has not been replied. Their policy regarding the controlled economy or Government financial institutions has given inducement to the families of those companies who have always been supporting the Government. I have mentioned about Birlas and Mafatlals. Can you deny the facts, if not what steps are being taken for reducing this type of decentralisation.

श्री फ० अ० अहमद : इस प्रश्न का सम्बन्ध प्रतिपादित नीति के गुणों से है। नई नीति का सम्बन्ध इस बात से है कि क्या एकाधिकार के मार्ग में कुछ प्रतिबन्ध लगाए जाएं। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं हमने अपनी नई नीति में एक करोड़ रुपये तक विनियोग करने के लिए तथा दस प्रतिशत तक विदेशी विनिमय अथवा दस लाख रुपये के विनियोग में केवल 20 बड़े व्यापार गृहों को छोड़कर अन्य को लाइसेंस लेने से मुक्त कर दिया है।

Shri Madhu Limye : You have been giving licnence.

श्री फ० अ० अहमद : हमने पहली बार इन लघु उद्योगों के विकास के लिए इनको संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया है। एक से पांच करोड़ रुपये तक विनियोग करने वाले व्यापार-गृहों को सामान्यतः इस श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। बड़े व्यापार-गृहों को केवल प्राथमिकता के आधार पर उन उद्योगों में विनियोग करने की आज्ञा दी जायेगी जिनमें 5 करोड़ रुपये से अधिक रुपये की राशि लगती है और जिनकी देश को अधिक आवश्यकता है। बड़े उद्योग गृहों को इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने की आज्ञा दे दी गई है। इस विषय पर विचार किया जायेगा।

Shri Shiva Chandra Jha : Is it not against Industrial policy resolution.

अध्यक्ष महोदय : प्रस्तुत प्रश्न का सम्बन्ध मुख्य नीतियों से था। हमारी यह परम्परा रही है कि सभी नई नीतियों पर लिये गये निर्णयों को यदि संभव हो तो सदन की अगली बैठक में

प्रस्तुत कर दिया जाता है। परन्तु इस मामले में मंत्री महोदय का कहना है कि यह अधिसूचना नई नीति के बारे में न होकर पुरानी नीति का स्पष्टीकरण मात्र ही है।

श्री मधु लिमये : सदन के समवेत होने से 36 घंटे पूर्व।

अध्यक्ष महोदय : यदि ऐसा भी हो तब भी प्रथा यही है कि मंत्री महोदय सत्रारम्भ होते ही सदन में वक्तव्य दें ताकि इस पर चर्चा जल्दी से जल्दी हो जाये।

लेखानुदानों की मांगें 19,0-71

DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT 1970-71

लेखानुदानों के सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय से चर्चा की थी और उन्होंने कुछ व्यवस्था के प्रश्न भी उठाये थे। मंत्री महोदय ने मुझे स्थिति का पूर्ण परिचय दिया है और निर्णय देने से पूर्व मैं चाहता हूँ कि सदन भी उनसे अवगत हो जाए।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : बजट पर सामान्य वाद-विवाद समाप्त होने के पश्चात तथा लेखानुदानों की मांगें प्रस्तुत किये जाने से पूर्व, सदन में राज्यों को दी जाने वाली 175 करोड़ रुपये की विशेष सहायता के सम्बन्ध में कुछ प्रश्न उठाये गये थे जैसाकि मैंने पहले भी स्पष्ट किया था कि इस "सहायता" से हमारा आशय ऋण से ही है यह कोई सरकार की नई योजना नहीं है किन्तु फिर भी कुछ लोगों को गलतफहमी है मैं एक बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि सहायता का अर्थ वसूल किये जाने वाले ऋण से ही है। अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है वहां पर भी इसका अर्थ योजनाओं अथवा अन्य उद्देश्य के निमित्त दिये गये ऋण से ही है।

इस सम्बन्ध में यह भी प्रश्न किया गया था कि क्या यह विशेष सहायता सभी राज्यों को कुछ नियमों के आधार पर दी जायेगी। जी हां यह ठीक है। प्रधान मंत्री ने भी बजट पर हो रहे सामान्य वाद-विवाद में यह स्पष्ट किया था इस ऋण का उद्देश्य उन राज्य सरकारों को सहायता पहुँचाने से है जो अपने समस्त प्रयासों के फलस्वरूप भी अपनी योजनाओं की क्रियान्विति में असमर्थ रहती हैं। प्रतिवर्ष राज्य के साधनों की स्थिति का योजना आयोग तथा सम्बन्धित सरकारें मिलकर परीक्षण करते हैं और राज्य की योजनाओं तथा साधनों को गतिशील बनाने के प्रयत्नों को ध्यान में रखकर सहायता की राशि निर्धारित की जाती है। अतः इस ऋण का निर्धारण ऐच्छिक नहीं है। प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि राज्यों को "सहायता" उनके साधनों तथा स्वीकृत योजनाओं के आधार पर ही मिलेगा।

माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि इस अवस्था में आप विभिन्न राज्यों को प्राप्त होने वाली राशि की सूचना क्यों नहीं देते। किन्तु जैसा कि प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि राज्यों को सहायता उनके साधनों तथा स्वीकृत योजनाओं के अनुसार मिलेगी सभी राज्यों द्वारा बजट पेश किये जाने के बाद तथा योजना आयोग के परामर्श के बाद ही सरकार यह निर्णय करेगी कि अमुक राज्य को अमुक ऋण दिया जाये। जैसे ही ब्यौरा प्राप्त होगा हम सदन को सूचित कर देंगे।

हम केवल लेखा अनुदान पर विचार कर रहे हैं पहले भी हमने राज्य सरकारों के बजट की स्थिति को देखते हुए उनकी तदर्थ सहायता की थी। यह सहायता 1965-66, 1966-67, 1967-68 में की गई थी। इस वर्ष हमने अधिक विवेकपूर्ण नीति को अपनाया है। संक्षेप में, सहायता देने के लिए, प्रत्येक राज्य की योजनाओं की वाँछनीय आवश्यकताओं, वित्त आयोग के सुझावों, अतिरिक्त साधनों द्वारा राज्यों को होने वाले लाभों, राज्य की पूंजी की स्थिति तथा पुराने ऋणों की अदायगी और सम्बन्धित सरकार का अपने साधनों को गतिशील बनाने आदि के सामर्थ्य को देखा जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में इस विषय पर और चर्चा की आवश्यकता नहीं है।

श्री दत्तात्रेय कुण्टे : मैं इस सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी आज्ञा नहीं देता। हम पहले ही इस पर पर्याप्त चर्चा कर चुके हैं और अब हमें उत्तर भी प्राप्त हो गया है और वाद-विवाद अनावश्यक है।

श्री दत्तात्रेय कुण्टे : मैं, संविधान की धारा 113, 114 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे प्रातः इस पर प्रस्ताव प्राप्त हो गया था और मैंने पूरी चर्चा होने दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

श्री दत्तात्रय कुण्टे : आप सदन के सदस्य के प्राप्त अधिकारों की अवहेलना कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : उनकी बात सुनने में क्या हर्ज है।

अध्यक्ष महोदय : मैं दो बार उनकी बात सुन चुका हूं। मन्त्री के उत्तर देने के पश्चात हमें इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। मैंने स्वयं यह जानने का प्रयत्न किया था कि वित्त मंत्रालय का ऋण और सहायता देने से क्या आशय है इस सम्बन्ध में मैंने मंत्री महोदय से चर्चा भी की है तथा पिछले बजट भी देखे हैं उनकी परिभाषिक शब्दावली में ऋण और सहायता दोनों शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं। अतः इस संदर्भ में भी सहायता का अर्थ ऋण से भिन्न नहीं हैं अतः वर्तमान परिस्थिति में, मंत्री महोदय के पूर्ण स्पष्टीकरण के बाद इस पर उठाए गए सभी प्रश्न असंगत हैं। अब मैं सदन के सम्मुख मांगे प्रस्तुत करूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1970-71 के बजट (सामान्य) संबंधी लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई

The following demands for Grants on Account for the Years 1970-71 were put and adopted.

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपये
1	2	3
1.	रक्षा मंत्रालय	30,95,000

1	2	3
	2. रक्षा सेवाएं, सक्रिय थल-सेना	1,31,14,83,000
	3. रक्षा सेबाएं, सक्रिय जल-सेना	9,71,50,000
	4. रक्षा सेवाएं, सक्रिय वायु-सेना	35,25,00,000
	5. रक्षा सेवाएं, निष्क्रिय	7,66,33,000
	6. शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय	19,37,000
	7. शिक्षा	11,45,75,000
	8. पुरातत्व	27,29,000
	9. भारतीय सर्वेक्षण	1,00,75,000
	10. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	3,42,21,000
	11. शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	75,51,000
	12. वैदेशिक कार्य	4,42,19,000
	13. विदेश मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,80,27,000
	14. वित्त मंत्रालय	57,38,000
	15. सीमा शुल्क	1,69,52,000
	16. केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	2,89,87,000
	17. निगम कर आदि सहित आय सम्बन्धी कर	3,15,95,000
	18. स्टाम्प	78,10,000
	19. लेखा-परीक्षा	4,65,00,000
	20. मुद्रा और सिक्का ढलाई	2,75,39,000
	21. टकसाल	60,01,000
	22. कोलार की सोने की खानें	1,15,52,000
	23. पेंशनें और अन्य सेवा निवृति लाभ	2,50,36,000
	24. अफीम कारखाने और एलकालायड वर्क्स	4,64,38,000
	25. वित्त मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	5,37,46,000
	26. राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	82,52,19,000
	27. केन्द्रीय तथा राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन	6,82,000
	28. विभाजन-पूर्व की अदायगियां	17,000
	29. खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय	34,20,000

1	2	3
30.	कृषि	2,43,84,000
31.	भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् को अदायगियां	3,06,17,000
32.	वन	33,44,000
33.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	8,39,41,000
34.	विदेश व्यापार मन्त्रालय	8,84,000
35.	विदेश व्यापार	14,13,11,000
36.	विदेश व्यापार मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,27,94,000
37.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय	12,13,000
38.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	4,33,01,000
39.	लोक निर्माण कार्य	7,11,94,000
40.	लेखन सामग्री और मुद्रण	2,52,88,000
41.	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मन्त्रालय का अन्य राजस्व व्यय	48,88,000
42.	गृह मन्त्रालय	30,81,000
43.	मन्त्रिमण्डल	12,28,000
44.	न्याय प्रशासन	43,000
45.	पुलिस	11,51,35,000
46.	जनगणना	1,04,64,000
47.	अंक-संकलन	69,56,000
48.	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	38,000
49.	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	4,80,000
50.	दिल्ली	8,53,93,000
51.	चंडीगढ़	1,20,47,000
52.	अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह	1,55,23,000
53.	आदिम जाति क्षेत्र	4,62,61,000
54.	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र	11,41,000
55.	लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीवी द्वीप समूह	22,20,000

1	2	3
56.	गृह मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,19,31,000
57.	औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय	16,11,000
58.	उद्योग	92,55,000
59.	नमक	12,37,000
60.	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,65,85,000
61.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	4,36,000
62.	प्रसारण	2,11,48,000
63.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,34,94,000
64.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय	7,48,000
65.	बहुप्रयोजनी नदी योजनायें	53,1 1,000
66.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,69,98,000
67.	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय	14,90,000
68.	खान सुरक्षा महानिदेशक	10,18,000
69.	श्रम और नियोजन	3,11,14,000
70.	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	1,3 1,05,000
71.	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	1,76,000
72.	विधि मंत्रालय	15,98,0000
73.	विधि मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	34,12,000
74.	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय	8,98,000
75.	भूगर्भ सर्वेक्षण	1,87,52,000
76.	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	2,85,03,000
77.	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय	24,24,000
78.	सड़कें	3,79,97,000
79.	व्यापारिक समुद्री बेड़ा	72,16,000
80.	प्रकाशस्तम्भ और प्रकाशपोत	23,83,000
81.	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	84,22,000
82.	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय	4,39,000

1	2	3
	83. इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	16,32,000
	84. पूर्ति मंत्रालय	16,84,000
	85. पूर्ति और निपटान	73,08,000
	86. पूर्ति मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	7,38,000
	87. पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय	4,20,000
	88. ऋतु विज्ञान	83,53,000
	89. उड्डयन	2,36,68,000
	90. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	72,06,000
	91. परमाणु ऊर्जा विभाग	5,36,000
	92. परमाणु ऊर्जा विभाग का अन्य राजस्व व्यय	6,37,36,000
	93. संचार विभाग	2,75,000
	94. समुद्रपारीय संचार सेवा	72,57,000
	95. डाक और तार विभाग (चालन व्यय)	41,44,56,000
	96. डाक और तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश, प्रारक्षित निधियों में विनियोग और सामान्य राजस्व से लिये गए ऋणों की वापसी	6,32,13,000
	97. संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय	7,50,000
	98. संसदीय कार्य विभाग	2,14,000
	99. समाज कल्याण विभाग	3,37,000
	100. समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	1,57,41,000
	101. योजना आयोग	25,28,000
	102. लोक सभा	46,44,000
	103. राज्य सभा	18,18,000
	104. उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	55,000
	105. रक्षा सम्बन्धी पूंजी परिव्यय	23,16,67,000
	106. शिक्षा और युवक सेवा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	75,09,000
	107. इंडिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	7,41,000
	108. मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	2,43,61,000
	109. टकसालों पर पूंजी परिव्यय	8,36,000

1	2	3
110.	कोलार की सोने की खानों का पूँजी परिव्यय	23,77,000
111.	पेन्शनों का राशिकृत मूल्य	1,18,87,000
112.	वित्त मन्त्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	40,33,03,000
113.	विकास के लिए राज्य सरकारों को दिये जाने वाले अनुदानों पर पूंजी परिव्यय	5,11,99,000
114.	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	95,56,98,000
115.	अन्न और रासायनिक खाद की खरीद	14,97,95,000
116.	खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	11,21,19,000
117.	विदेश व्यापार मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	4,39,000
118.	निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	1,77,67,000
119.	दिल्ली पूंजी परिव्यय	1,15,09,000
120.	स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा निर्माण, आवास और नगर विकास मंत्रालय का अन्य परिव्यय	3,55,89,000
121.	संघीय राज्य क्षेत्रों और आदिम जाति क्षेत्रों का पूंजी परिव्यय	4,43,23,000
122.	गृह मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	35,50,000
123.	औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार और समवाय मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,07,03,000
124.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	88,63,000
125.	बहुप्रयोजनी नदी योजनाओं पर पूंजी परिव्यय	3,34,29,000
126.	सिंचाई और बिजली मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	4,25,45,000
127.	श्रम, नियोजन और पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	92,58,000
128.	पेट्रोलियम और रसायन तथा खान और धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	17,59,99,000
129.	सड़कों पर पूंजी परिव्यय	9,10,57,000
130.	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय	1,41,90,000
131.	जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,75,48,000
132.	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	14,67,12,000

1	2	3
133.	उड्डयन पर पूंजी परिव्यय	1,81,62,000
134.	पर्यटन और नगर विमानन मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय	2,25,17,000
135.	परमाणु ऊर्जा विभाग का पूंजी परिव्यय	9,05,48,000
136.	डाक और तार विभाग का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं)	14,71,17,000
137.	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय	30,63,000

विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1970

APPROPRIATION (NOTE ON ACCOUNT) BILL, 1970

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I want to raise a point of order. According to the constitution as soon as the vote on account is adopted the Hon. Minister should rise at once to present the Appropriation bill. But Mr. Sethi did not rise at once.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"वित्तीय वर्ष 1970-71 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।'

Shri Shiva Chandra Jha : I want to oppose it.

Mr. Speaker : It is my duty to move the motion first. Motion moved. Now raise your objection.

Shri Shiva Chandrh Jha : I want to oppose it.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

Shri Shiva Chandra Jha : Yes, I am opposing it.

अध्यक्ष महोदय : मैं संविधान अनुसार इसके लिए आज्ञा नहीं दे सकता क्योंकि प्रश्न है कि :

"वित्तीय वर्ष 1970-71 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं विधेयक प्रस्तावित करता हूं।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"वित्तीय वर्ष 1970-71 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, Sir, I want to move a amendment.

Mr. Speaker : Mr. Banerjee also wants to move a amendment. Let him have his say first.

Shri S. M. Banerjee : I want to raise two objections. There is no provision, for interim Relief in these proposals. We have been mentioning this matter a time and again. Perhaps you may remember there was an amendment in this regard when discussion on President's address was going on, we all voted in favour of that. Then it was said that Central employees were paid very low as compared to public sector and other institutions. The minimum salary of a Central Government employee is Rs. 140—141 per month. Whereas in H.E.C. and H.S.L. it is Rs. 195 or 200 or 210.

The Commission is yet to be appointed and its report is likely to take considerable time. The provisions for interim relief should have been included in the term of reference. I will request the Prime Minister to assure the House in the capacity of Finance Minister that employees will get an *ad hoc* increase of Rs. 30 to Rs. 40 or Rs. 50 and they should get Rs. 195 as their lay. Accordingly the difference between 195 and 140, whether it is Rs. 50 or 55 should be laid in the form of interim relief irrespective of Pay Commission report.

Secondly there is another discremination with the Government employees. I was pleased to know about Railway Minister. Shri Nanda's announcement that the employees who have reached the maximum of the Pay Grade, will get an increament. Although it is not enough inview of the stagnation which they have suffered. The officers have got up to Rs. 250 whereas low paid employees could get only Rs. 250 to Rs. 300. Out of 22 lacks employees, only 13 to 14 lacks have got this increment. I am at a loss to understand why other 8 lack people could not get this benefit ? Why this discrimination ? These are two issues on which I want an assurance to the House, either by Shri P. C. Sethi or Shrimati Indira Gandhi in the capacity of Finance Minister.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I will move my amendment later on, firstly I will speak on the Bill......

Mr. Speaker : Please listen to me so that there is no complaint later on. Your Amendment related to Demand No. 114 which has already been lossed, so your Amendment is out of order.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, I would like to take up two issues on this occassion. It is well known of the House that a Bill was moved by me with the object of allowing students to form Students Unions, to allow those Unions to participate in the University administration. The principles of the bill were unanimously aclaimed and it was decided to send it for circulation. It's report was expected by 1st March.

I want to know from Honourable Education Minister that what steps have been taken by Centre or State Universities to implement this policy. So far as my information goes Maharashtra Government has accepted this proposal and it is ready to amend its laws. Same thing Gujarat Government has informed the same. I have appraised the House of my information. Now let the Minister come forward with his information. The discontentment among the students is increasing day by day. To put an end to it, it is

necessary to form student unions, you should recognise them and they should participate in University administration

Now I take up Demand No. 15 of the Finance Ministry. We sanction grant for Customs so that Custom authorities keep a check on smuggling. But for all three years smuggling has never been checked. One of the main reasons is that custom and police authorsties are hand and glore with each other These corrupt police and customs officers are shielded and blessed by big political guns. I may mention there names here. One of them is Shri Nitya Nand Kanungo, Governor of Bihar. He recommended the name of Hazi Mirza Mustan Collie, who whas not being granted a passport for going to Aden. I can prove the charge on the basis of evidence with me. In case my charge is not proved. I am prepared to face the consequences.

The other name is that of Mr. Bhanu Shanker Yaugnik who was previously a member of Sindicate but later joined the Indicate over night. He also recommended that Mustan Collie should be provided a telephone in exempted category and he further recommended that he was a very good social worker.

Mr. Speaker, now I will turn to Mr. S. K. Patil of Syndicate. He, with your permission gave a personal explanation and said that those who charged him are lions and coward. I respectfully beg to say that it is in our knowledge that Shri Patil recommended telephone in exempted category for this social worker. Will the Honourable Minister clarify these issues if not immediately let him take 24, 48 or 72 hours for the same.

Mr. Speaker charges have been made on us publicaly and attempt has also been made to prove that we are liars. Will you please provide as an opportunity so that we can prove our contention before any Parliamentary Committee.

श्री मनुभाई पटेल (दभोई) : चाहे इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया था फिर भी दोपहर के खाने के बाद इसकी चर्चा की गई। प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने का अधिकार है। कुछ सदस्यों की सहायता से उन्हे तो मान चरित्र आघात का एकाधिकार ही मिला हुआ है।

श्री एस० एम० बैनर्जी (कानपुर): महोदय व्यवस्था का प्रश्न है कि बिल विनियोग विधेयक पर बोलने के लिए आपकी अनुमति लेने के बाद श्री मधु लिमये ने कुछ अन्य बातों का उल्लेख किया। उन्होंने एक राज्यपाल, एक मन्त्री और श्री एस० के० पाटिल का नाम लिया ; हमारी सूचना के अनुसार भी उन लोगों का तस्कर व्यापार से कुछ सम्बन्ध है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्र० चं० सेठी): ऐसे समय पर चाहे सामान्य चर्चा की आज्ञा नहीं दी जाती फिर भी श्री बैनर्जी और मधु लिमये के आक्षेपों का उत्तर दूंगा।

श्री बैनर्जी का आन्तरिम सहायता वाला प्रश्न कई बार पहले भी प्रश्न काल में उठाया गया जिसके उत्तर स्वरूप यह पहले कहा जा चुका है कर्मचारियों की आन्तरिम सहायता का प्रश्न भी वेतन आयोग को ही सौंपा जायेगा। उनका कहना है कि इसके लिए कोई धन की व्यवस्था नहीं की गई। वेतन आयोग ज्यों ही इसकी सिफारिश कर देगा और सरकार उसे स्वीकार कर लेती है तो हम अनुपूरक मांग प्रस्तुत करते हैं।

जहाँ तक गतिरोध का प्रश्न है माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि रेल मन्त्री ने कुछ तुरन्त वृद्धियां घोषित की हैं। रेल कर्मचारियों की अन्य कर्मचारियों से तुलना तो नहीं की जा

सकती। कुछ व्यक्तिगत गतिरोध के मामले भी हो सकते हैं। फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि हम इस पर विचार करेंगे और यदि इसका सम्बन्ध किसी विभाग विशेष से हुआ तो उसके विषय में सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे।

श्री मधु लिमये द्वारा उठाये गये मामलों पर मांगों के समय ही चर्चा हो चुकी है। उन्होंने कोई कटौती प्रस्ताव नहीं रखा है और न ही वह सम्भव ही है। उन्होंने प्रधान मन्त्री को लिखे अपने कुछ पत्रों का उल्लेख किया है। इन पत्रों के बारे में तफतीश की जा रही है। यहां मैं इतना निवेदन करूंगा कि जो सदस्य उपस्थित नहीं हैं उनका नाम लेकर कुछ कहना अच्छा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: अब मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूँ। प्रश्न यह है कि :

"वित्तीय वर्ष 1970-71 के कुछ भाग की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के निकाले जाने के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

Shri Madhu Limaye : My amendment to the Appropriations Bill is that Demand No. 114—Advances and Loans may be omitted.

Shri P. C. Sethi has talked about criteria. But all the criteria mention by him relate to future. Can't he come forward with Supplementary Demands by that time. You mentioned it in your announcement that every effort will be made to maintain the resource mobilization.

Even after that if there is loss, it will be a matter of future and you will come forward with Supplementary Demand. You can get your Supplementary Demand bassed with the help of other members even if I oppose it.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 और 3, अनुसूचि, खण्ड 1, अधिनियमनसूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 और 3, अनुसूचि, खण्ड 1, अधिनियमनसूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 and 3, the schedule, clause 1, the enacting formula and the Title were add to the Bill.

श्री प्र० चं० सेठी : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE : BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKING) ORDINANCE

अध्यक्ष महोदय : अब सदन में बैंककारी कम्पनी अध्यादेश के निरनुमोदन से सम्बन्धित साँविधिक संकल्प पर चर्चा होगी जिसके लिए 10 घंटे का समय नियत है।

श्री वेणी शंकर शर्मा (बांका) : महोदय मैं निम्नांकित संकल्प प्रस्तावित करता हूं कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 14 फरवरी, 1970 को प्रख्यापित किये गये बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन तथा अन्तरण) अध्यादेश 1970 (1970 का अध्यादेश संख्या) का निरनुमोदन करती है।"

संकल्प को प्रस्तावित करते हुये मैं इस तथ्य के प्रति पूर्णतया सजग हूँ कि 'राष्ट्रीयकरण' शब्द ने जन-विचारधारा को जकड़ लिया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*]

राष्ट्रीयकरण को एक नारा बना दिया गया है। यह बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक महत्ता के वित्तीय प्रश्नों को तोड़-मोड़ दिया जाता है।

मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं तथा मेरे दल के अन्य सदस्य राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध नहीं हैं, यदि उससे देश का विकास तथा मजदूरों की आर्थिक दशा के उत्थान में सहायता मिलती है।

राष्ट्रीयकरण की इस समस्या के प्रति भारतीय जनसंघ की विचारधारा अधिक व्यावहारिक तथा फलमूलक है। जनसंघ का उद्देश्य भारतीय संस्कृति है जिसके अनुसार देश में पूर्णतया आर्थिक तथा राजनैतिक स्वतन्त्रता होनी चाहिए कि सरकार अथवा कुछ व्यक्तियों में सत्ता का केन्द्रीयकरण। इस संस्कृति के अनुसार एक व्यक्ति को अपने लिए पेट-भर भोजन सामग्री मांगने का अधिकार है, इससे अधिक इच्छा रखने वाला चोर है। इन आधारभूत सिद्धान्तों की दृष्टि से जनसंघ अन्य दलों की अपेक्षा अधिक समाजवादी संस्था है।

अब अध्यादेश के विषय में मैं यह कहना चाहता हूँ कि अध्यादेश संविधान के अनुच्छेद

123 के अन्तर्गत प्रख्यापित किये जाते हैं। इस अनुच्छेद के अनुसार "जब दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो उस समय को छोड़ कर यदि किसी भी समय राष्ट्रपति इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां उपस्थित हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करनी उसके लिये आवश्यक है, तब वह ऐसा अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है जिसकी परिस्थिति अनुसार आवश्यकता है।

पहले तथा वर्तमान अध्यादेश प्रख्यापन के समय परिस्थिति की आवश्कता के विषय को ध्यान में नहीं रखा गया। न्यायालय का ध्यान भी इस ओर आकृष्ट किया गया था परन्तु इस पर न्यायालय ने अपना मत प्रकट नहीं किया। पृथक् अध्यादेश के समय इस ओर से सदन में कहा भी गया था कि देश में कोई आपतकालीन स्थिति नहीं थी जिसके कारण राष्ट्रपति को संविधान के असाधारण उपबन्धों के अन्तर्गत अध्यादेश प्रख्यापित करना पड़ा। इसका एकमात्र कारण राजनीति था और वह भी बहुत ही निम्न-स्तर का।

पहले अध्यादेश के समय देश राष्ट्रपति के निर्वाचन में उलझा हुआ था। 12 जुलाई 1969 को कांग्रेस की संसदीय बोर्ड ने राष्ट्रपति पद के लिये अपने दल की ओर से श्री संजीव रेड्डी को नामांकित किया जो प्रधान मन्त्री तथा उनके सहयोगियों की इच्छा के प्रतिकूल था। प्रधान मन्त्री ने अपने क्रोध का भाजन श्री मोरारजी देसाई को बनाया जिन्हें 16 जुलाई को अपना पद छोड़ना पड़ा। यह सब संभवतया संसार को यह जताने के लिये किया गया कि राष्ट्रीकरण जैसे प्रगतिशील विधेयकों में श्री मोरार जी के कारण ही बाधा पड़ती थी। इसीलिये प्रधान मन्त्री ने 19 जुलाई 1969 को अध्यादेश प्रख्यापित कराया। इन्होंने उन दो दिनों की भी प्रतीक्षा करना उचित नहीं समझा जिसके पश्चात् संसद का सत्र आरम्भ होना था। जिस विषय को पंडित जवाहर लाल नेहरू 12 वर्षों तक निर्णित नहीं कर सके उसको उन्हीं की सुपुत्री वर्तमान प्रधान मन्त्री ने 72 घण्टों के अन्दर निर्णित कर दिया। जिस शीघ्रता के साथ सदन में विधेयक लाया गया वह दुर्भाग्य पूर्ण है। सदन को इस विषय पर शान्ति से विचार करने का अवसर ही नहीं दिया गया। हमने इस विधेयक पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार करने के लिये एक संयुक्त समिति का सुझाव दिया था परन्तु हमारे निवेदन को अनसुना कर दिया गया। विधेयक पर खंड प्रति खण्ड चर्चा के समय विधि मन्त्री द्वारा जितने संशोधन प्रस्तुत किये गये उनसे स्पष्ट हो जाता है कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर जितना विचार करने की आवश्यकता थी उतना नहीं किया गया। हमने इसीलिये सरकार को चेतावनी दी थी कि यदि विधेयक को उसी रूप में पारित कर दिया गया तो यह अवैध सिद्ध होगा और हमें खेद है कि यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई।

विधि मन्त्री को सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की घोषणा के साथ स्वतः ही त्याग पत्र दे देना चाहिये था उनकी कार्यवाही के द्वारा ही सरकार प्रधान मन्त्री तथा सदन का भी अपमान हुआ है। अब भी अधिक समय नहीं हुआ है वह अपनी मूल सुधार कर अन्य योग्य व्यक्ति के लिये स्थान रिक्त कर दें। विधेयक को दिये गये दीर्घ शीर्षक के अन्तर्गत कहीं भी कोई ऐसा कारण नहीं बताया गया है जिससे तुरन्त कार्यवाही की आवश्यकता को उचित समझा जा सके। प्रथम अध्यादेश के समय तो कुछ राजनैतिक कारण थे भी परन्तु वर्तमान में ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता है।

वर्तमान स्थिति में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता के प्रश्न पर है प्रधान मन्त्री ने ही कहा था कि राष्ट्रीयकरण मात्र से ही हमारी सभी समस्यायें नहीं सुलझ जायेंगी, यह कोई जादू का डंडा नहीं है। तब मेरी समझ में यह नहीं आता कि जब बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा था तब राष्ट्रीयकरण के इस नाटक की क्या आवश्यकता थी। इसके साथ ही देश की आर्थिक स्थिति पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक उच्च शक्ति बैंककारी आयोग की नियुक्ति की गयी थी परन्तु सरकार ने इस आयोग के प्रतिवेदन की भी प्रतीक्षा नहीं की।

श्री अमृत नाहाटा : महोदय मैं व्यवस्था के पक्ष पर खड़ा होता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री वेणी शंकर शर्मा : श्रीमान्, मेरी यह समझ में नहीं आता कि हमें क्यों राष्ट्रीयकरण की ओर बढ़ना चाहिए। यह कदम मंहगा पड़ेगा। मुआवजे के रूप में 87.34 करोड़ रुपये की राशि देनी पड़ेगी। आखिर हम राष्ट्रीयकरण से क्या प्राप्त करना चाहते हैं हम चाहते हैं कि देश की बैंकिंग व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण हो जाये जिससे बैंकों के संसाधनों को यथा आवश्यकता उपयोग में लाया जा सके। बैंकों के सम्बन्ध में सामाजिक नियंत्रण की व्यवस्था ठीक प्रकार से कार्य कर रही थी किन्तु वह मोरार जी भाई की योजना थी इसलिये प्रधान मन्त्री और उनके सहयोगियों को न अच्छी लगी। बैंकों पर पूर्ण नियंत्रण लागू करने का एक अन्य तरीका भी था। यदि सरकार बैंकों के केवल 51 प्रतिशत शेयर खरीद लेती तो उन पर स्वत: ही पूर्ण नियंत्रण हो जाता। इस समय भी इन बैंकों के अधिकांश शेयर यूनिट ट्रस्ट, जीवन बीमा निगम जैसी सरकारी संस्थाओं के पास हैं। इन बैंकों के 51 प्रतिशत शेयर अपने अधिकार में करने के लिये जितने और शेयर खरीदने की आवश्यकता थी, वे उपर्यूक्त संस्थाओं या अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा खरीद लिये जाने चाहिए थे। यदि शेयर बाजार भाव पर भी खरीदे जाते, तो भी सरकार को इस कार्य पर मुआवजे की राशि की तुलना में कम खर्च करना पड़ता। बैंक राष्ट्रीयकरण करने और उस पर 87.34 करोड़ रुपये खर्च करने की तुक क्या है जबकि हम बजट में 225 करोड़ रुपये का घाटा दिखा रहे है और 170 करोड़ रुपये के नये कर लगा रहे हैं। मेरे विचार से बैंक राष्ट्रीयकरण का नारा जन साधारण को धोखा देने के लिए लगाया जा रहा है। जल्दी में किये गये बैंक-राष्ट्रीयकरण जो अपने में सुव्यवस्थित नहीं है, देश की प्रगति में बाधक होगा। इससे नयी समस्याएं उत्पन्न होंगी। इससे देश की एकता का खतरा उत्पन्न हो सकता है। विभिन्न राज्य अधिक नियतन के लिए उस अनुपात में मांग कर सकते हैं जिस अनुपात में उनके राज्य से बैंकों में धन जमा किया गया है। पश्चिमी बंगाल ने हाल ही में ऐसी ही मांग की। इससे निर्धन तथा कम विकसित राज्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार धन नहीं मिल सकेगा।

अब मैं बैंक राष्ट्रीकरण से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लेता हूं। इस निर्णय के बाद उच्चतम न्यायालय या उसके न्यायाधिपतियों की जो आलोचना की गई, वह बहुत ही अवांछनीय है। लोकतन्त्र के आधार स्तम्भ दो ही हैं। एक है बहुमत निर्णय तथा दूसरा है विधि-शासन। और विधि शासन की सत्ता ही स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका पर आधारित

है । मुझे गर्व है कि हमारे देश में ऐसी न्यायपालिका है जो अपना कर्त्तव्य सहासपूर्वक बिना किसी भय के करती है । यह बड़े ही दुख की बात है कि ऐसी न्यायपालिका पर भी कीचड़ उछाली जा रही है । प्रधान मन्त्री जैसे जिम्मेदार लोग उच्चतम न्यायालय की इस प्रकार से आलोचना करते हैं कि सौभाग्य से उच्चतम न्यायालय ने संसद के कानून बनाने के अधिकार को चुनौती नहीं दी या इससे उन लोगों का मार्ग अवरूद्ध हुआ है जो कोई नया काम करना चाहते हैं न्यायधिपतियों का काम निधि की व्याख्या करना है और वे केवल यह देखते हैं कि संसन द्वारा बनाये गये कानून संविधान की परिधि के अन्दर है या नहीं । अतः न्यायाधीशों की अपमानपूर्ण आलोचना करना उचित नहीं है ।

इस प्रकार के कानून का लक्ष्य यह होता है कि किसानों, छोटे व्यापारियों और कारीगरों को आसानी से ऋण मिल जायें। ध्येय अपने आप में बहुत ही प्रंशसनीय है किन्तु इसके लिए सजग रहने की भी आवश्यकता है । एक अन्य खतरा भी हो सकता है । वह यह है कि इन राष्ट्रीयकृत बैंकों का उपयोग दल विशेष के हितों की रक्षा के लिए किया जायेगा । राष्ट्रीयकरण के स्थान पर कहीं नौकर सत्तावाद का बोल वाला न बढ़ जाये । कहीं बैंक के कर्मचारी ही बैंक के धन का मनमाना प्रयोग न करने लगें ।

जहां तक सरकारी क्षेत्र का सम्बन्ध है, मेरा विचार है कि उसके लिए अधिक राशि न नियत की जाये । क्योंकि उनमें जितना धन लगा है उसके अनुपात में उनसे लाभ कम हुआ है । सरकारी क्षेत्र के 73 उपक्रमों में 3500 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है जबकि 1968-69 में उन्हें कुल 35 करोड़ रुपये की आय हुई । जबकि गैर सरकारी क्षेत्र की 101 फर्मों में 1115 करोड़ रुपये की पूंजी लगी है और उन्हें 160 करोड़ रुपये की आय हुई और उनसे 73 करोड़ रुपये की राशि कर के रूप मे सरकार को प्राप्त हुई । इस दृष्टि से सरकारी क्षेत्र को श्रेय कैसे दिया जाये । अन्त में मैं सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे मेरे संकल्प का समर्थन करें और ऐसा वातावरण बनाने में मदद करे जो राजनीतिक ईर्ष्या-द्वेष से मुक्त हो ।

Shri Shiv Chandra Jha (Madhubani) : Mr. Deputy-Speaker, on a point of order I want to say that it is an statutory resolution. Members of similar idiolgies have spoken on it. But I am a man of different idiolgy and my name is also there. So I should be given a chance to speak on it even before the Minister is celled to answer. I will take only five minutes to finish.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रक्रिया तो यह है कि संकल्प में जिस सदस्य का नाम पहले होता है, वह संकल्प को पेश करता है और तत्पश्चात् मन्त्री विधेयक को विचार के लिए पेश करता है । विधेयक के पेश किये जाने के बाद सदस्यगण बोलते हैं । यदि आप ने अपना नाम दिया है तो उस समय आप बोल सकते हैं ।

Shri Shiva Chandra Jha : Sir, the part convention has been that two or three members are called by the Speaker to speak. I should be given 5 minutes to express myself. This is an important bill.

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । श्री झा जो कह रहे हैं उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये ।

श्री शिव चन्द्र झा : **

विधि तथा समाज-कल्याण मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं श्री शर्मा द्वारा पेश किये गये संकल्प का विरोध करता हूं और निम्नलिखित प्रस्ताव को पेश करने की अनुमति मांगता हूं।

Shri Shiva Chandra Jha : Sir, I rise on a point of order. This bill relates to the Ministry of Finance. So it should be piloted by the Prime Minister who is Minister of Finance also. In this context I would like to know whether the Prime Minister has already authorised the Law Minister to pilot this bill. If not it should be piloted by the Prime Minister herself or by Shri Sethi.

अध्यक्ष महोदय : अब सचमुच आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है आप यही कहना चाहते हैं कि इस विधेयक को विधि मंत्री पेश नहीं कर सकते। इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देने से पूर्व मैं मंत्री महोदय को सुनाना चाहता हूं।

श्री गोविन्द मेनन : इस व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में मैं आपका ध्यान लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम संख्या 2 की ओर दिलाना चाहता हूँ जिसमें कहा गया है :

> " 'विधेयक का भार-साधक सदस्य' का तात्पर्य उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुर:स्थापित किया है और किसी सरकारी विधेयक की अवस्था में किसी मंत्री से है, "

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Earlier Sarvashri Mathai, Deshmukh, Krishnamachari and Morarji Desai had been piloting the bills relating to their Ministry. Why is it that the Prime Minister is not piloting the Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त हो जाइयेगा। पहली बात तो यह है कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमानुसार 'मंत्री' शब्द से तात्पर्य किसी भी मंत्री से है। दूसरी बात यह है कि विधि मंत्री श्री मेनन इसके लिए लिखकर सूचना पहले ही दे चुके हैं। अत: विधि मंत्री द्वारा विधेयक को पेश किया जाना व्यवस्था के अनुसार बिल्कुल ठीक है। मंत्रियों में कार्य का विभाजन किस प्रकार किया जाये, यह प्रधान मंत्री का अपना अधिकार है।

श्री शिव चन्द्र झा : * *

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर पहले ही निर्णय दे चुका है। अतः इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाये।

[इसके पश्चात श्री शिव चन्द्र झा सभा से बाहर चले गये।]

[Shri Shiv Chandra Jha then left the House]

श्री गोविन्द मेनन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री शर्मा के संकल्प का विरोध करता हूँ और प्रस्ताव करता हूँ :

> "अर्थ-व्यवस्था की सीमाओं को नियंत्रित करने तथा राष्ट्रीय नीति और उद्देश्यों के अनुरूप अर्थ-व्यवस्था के विकास की आवश्यकताओं को प्रगतिशील रूप से पूरा करने तथा

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।
** Not recorded.

उनकी पूर्ति अधिक अच्छी तरह से करने की दृष्टि से कतिपय बैंककारी कम्पनियों के उपक्रमों के अर्जन और अन्तरण का, उनके आकार संसाधन, सीमा क्षेत्र और संगठन को ध्यान में रखते हुए तथा उससे सम्बद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ”

श्रीमान्, मैंने गत वर्ष जुलाई में सभा में इसी आशय का एक विधेयक 19 जुलाई को जारी किये गये अध्यादेश को कानून का रूप देने के लिए रखा था, जो लोक सभा में 9 अगस्त 1969 और राज्य सभा में 8 अगस्त 1969 को पारित किया गया था। 9 अगस्त 1969 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई थी। किन्तु 19 जुलाई 1969 को जैसे ही 14 बड़े बैंकों के अर्जन का अध्यादेश जारी किया गया था, तैसे ही श्री मसानी आदि ने उसके विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका दायर कर दी थी। उस समय इस सभा के 40 से अधिक सदस्यों ने ऐसा भी सोचा था कि राष्ट्रपति को एक याचिका दी जाये जिसमें उनसे यह प्रार्थना की जाये कि वह इस विधेयक को स्वीकृति न दें।

सर्वोच्च न्यायालय 10 फरवरी 1970 को विधेयक को अवैध घोषित कर दिया। मैं श्री मसानी को यह भी जानकारी करवा दूं कि इससे पूर्व भी सर्वोच्च न्यायालय ने कई विधेयक अवैध घोषित किये हैं। यह गौरव की बात है कि हमारे संविधान में विधानों के न्यायिक पुनरीक्षण की भी व्यवस्था है। तदनुसार जिस अधिनियम को इन लोगों ने चुनौती दी, वह समाप्त कर दिया गया।

इस सम्बन्ध में मैं सदन को इस तथ्य से अवगत करवा दूँ कि अमरीका के सर्वोच्च न्यायालय ने अब तक 100 से भी अधिक ऐसे अधिनियमों को अवैध घोषित किया है जिन्हें कि अमरीकी कांग्रेस पास कर चुकी थी। भारत में भी कई अधिनियम अवैध घोषित किये जा चुके हैं। जहां तक हमारा सर्वोच्च न्यायालय से सम्बन्ध का प्रश्न है, इस विषय में तो मैं स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू के उन शब्दों को दोहराना चाहूँगा जो उन्होंने संविधान के चौथे संशोधन को पुरःस्थापित करते समय कहे थे। यह शब्द उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के विषयों से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए कहे थे :—

“इन संशोधनों का आधारभूत सम्बन्ध सत्ता और संसद की सत्ता और अधिकारों से है, अर्थात किस सीमा तक संसद की सत्ता और अधिकार न्यायपालिका के पुनरीक्षण तथा नियंत्रण के बिना व्यवहृत किये जा सकते हैं। एक स्वतंत्र और सशक्त न्यायपालिका हमारे संविधान का एक मूलभूत आधार है। हमने इस बात का सम्मान किया है और आगे भी करते रहेंगे। देश की न्यायपालिका की सत्ता को किसी भी प्रकार कम करने, उसे सीमित करने या उसे परिवर्तित करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमें यह जान लेना चाहिए कि उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या न्यायपालिका द्वारा जो भी निर्णय किया जाता है वह अपरिहार्य होता है। हम उसे स्वीकार करेंगे और तदनुसार कार्यवाही करेंगे। साथ ही उच्च कोटि के राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक विषयों पर अन्तिम निर्णय संसद ही करती है। हां कानून की व्याख्या करने और उसे संवैधानिक दृष्टि से वैध घोषित करने का अधिकार निश्चय ही न्यायपालिका को है।”

श्री मसानी का यह विचार है कि सर्वोच्च न्यायालय का 10 फरवरी का निर्णय इस प्रकार के विवेयक पर रोक लगाता है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था। निर्णय में स्पष्ट कहा गया है कि यह अधिनियम बनाने का पूरा अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि मुआवजे के लिए जो व्यवस्थायें की गई हैं वे उनसे सन्तुष्ट नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं पुनः एक ऐसे विधिवर्ता के शब्द उद्धृत करना चाहूँगा जो इस समय संसद के विधिर्वता थे और आज सर्वोच्च के बेंच के सदस्य भी हैं। मेरा तात्पर्य न्यायाधीश के० एस० हेज से है। उन्होंने कहा कि इस समय हमें असाधारण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे कई बार बहुत विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है और हमारे लिए यह निश्चित करना कठिन हो जाता है कि संवैधानिक मामलों का अन्तिम निर्णयक कौन है? सार्वभौम विधान मंडल या सर्वोच्च न्यायालय? हमने बहुत विद्वतापूर्वक अपने संविधान में यह व्यवस्था की है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विधान मंडल के अपरिहार्य ही होगा। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि न्यायपालिका से त्रुटि ही नहीं होती। आपको मालूम होगा कि अमरीका में भी इसी प्रकार की स्थिति आई थी। राष्ट्रपति रूजवैल्ट के अनेक न्यू डील विधानों में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी न किसी प्रकार की रुकावट डाली।

यह स्पष्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय कभी अन्तिम नहीं होता। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि विधेयक की कुछ त्रुटियों की ओर संकेत किया है और सरकार यह अनुभव करती है कि अपने सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, इन त्रुटियों को दूर करना आवश्यक है तो वह अपने विशेषाधिकार द्वारा नया विधेयक प्रस्तुत कर सकती है। इसी प्रकार सदस्यों को ऐसे विधेयक का अनुमोदन करने और उसे पास करने का विशेषाधिकार भी है। यह प्रस्तुत विधेयक भी एक प्रकार का सुधारक विधेयक ही है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बताई गई कुछ कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया है। पिछली बार इस विधेयक को इस उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया था कि जब यह अधिनियम बन जायेगा तो समाज के दुर्बल वर्ग को इससे लाभ हो सके। परन्तु ज्यों ही यह अध्यादेश जारी किया गया, श्री मसानी और श्री मधोक ने सर्वोच्च न्यायालय से स्थगन आदेश जारी करवा दिया। यह स्थगन आदेश 10 फरवरी तक चलता रहा जब कि याचिका पर अन्तिम निर्णय दिया गया। मुझे इस बात का हर्ष है कि यद्यपि गत मास यह अध्यादेश जारी हुआ था, श्री मसानी इसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं गये। इसीलिए अब मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि इस पाच-छः महीने के समय में इन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की क्या उपलब्धियां हैं। स्थगन आदेश के फलस्वरूप सरकार 19 जुलाई 1969 से लेकर दिसम्बर 1969 तक इन बैंकों की कोई निर्देश नहीं दे सकी। ये बैंक अभिरक्षकों द्वारा चलाये जाते थे जिन्हें सरकार बैठकों में आदेश दे दिया करती थी। सदन को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि सार्वजनिक क्षेत्र के रूप में कार्य कर इन बैंकों ने क्या उपलब्धि की। विधेयक के विरोधियों ने यह शंका भी व्यक्त की कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप जमा राशि का बहाव राष्ट्रीयकृत बैंकों की अपेक्षा दूसरे बैंकों की ओर होगा। हमने उसी समय इसका खंडन किया था। गत 5 से 6 महीनों में इन 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की जमा राशि से महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। दिसम्बर के अन्त

तक यह जमा राशि 160 करोड़ रुपये हो चुकी थी । यह सब विधेयक के विरोध का भय होने के उपरान्त भी हुआ । विधेयक प्रस्तुत करते समय सरकार ने यह भी कहा था कि राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य उस वर्ग को वित्तीय सहायता देना होगा जिसे अन्य वित्तिय संस्थायें सहायता नहीं देती । कृषि वर्ग इसी प्रकार का वर्ग है । जून 1969 से दिसम्बर 1969 तक इन बैंकिंग निगमों ने कृषि वर्ग को जो वित्तीय सहायता दी वह पूर्व आंकड़ों से 1,34,849 रुपये अधिक है । इसी प्रकार जून अन्त तक इन बैंकों के कृषि जमा खातों की संख्या 1,34,849 थी जो दिसम्बर अन्त तक 2,49,799 हो गई । इन 14 बैंकों को औसतन खाता 2300 रुपया था । मैंने इन आँकड़ों का उल्लेख यह बताने के लिए किया है कि किस प्रकार साधारण व्यक्ति ने इन राष्ट्रीयकृत बैंकों से लाभ उठाया है, चाहे हम इन बैंकों को किसी प्रकार का निर्देश देने में असमर्थ रहे ।

यह तो हुई कृषि बित की बात । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि के लिए जो परीक्षा वितीय सहायता दी गई, उस का उल्लेख करूंगा । इस सहायता के अन्तर्गत खाद तथा ट्रैक्टर आदि के लिए दिया गया ऋण आता है । इन 14 बैंकों में इस प्रकार के खातों की संख्या जून 1969 के अन्त तक 4047 थी और दिसम्बर के अन्त तक यह 14053 हो गई । 4000 से 14,000 तक बढ़ जाना बहुत बड़ी प्रगति है । लघु उद्योगों को लाभान्वित करना राष्ट्रीयकरण का एक और उद्देश्य था । इन बैंकों ने जून के अन्त तक 36,301 लघु उद्योगों को ऋण दिये थे परन्तु वर्ष के अन्त तक इनकी संख्या 46,512 हो गई । सरकार का यह भी उद्देश्य था कि सार्वजनिक बैंकों द्वारा छोटे यातायात प्रचालकों, यथा टैक्सी, स्कूटर और आटोरिक्शा चलाने वालों, को भी ऋण मिल सके । जून 1969 के अन्त तक इस प्रकार के प्रचालक खातों की संख्या 2527 थी और वर्ष के अन्त तक इन की सख्या 4189 हो गई और वह भी केवल पाँच महीने के समय में । इस प्रकार हमारे देश के साधारण वर्ग को राष्ट्रीयकरण से बहुत बड़ा लाभ हुआ ।

राष्ट्रीयकरण का एक उद्देश्य यह भी था कि इन बैंकों से खुदरा व्यापारियों को भी धन प्राप्त हो सके । आकड़ों से यह पता चलता है कि जून के अन्त तक ऐसे ऋण खातों की संख्या 28037 थी जो वर्ष के अन्त तक बढ़कर 41,073—लगभग दुगनी—हो गई ।

विधेयक के समर्थकों का सुझाव था कि कार्यरत व्यक्तियों को बैंकों द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिये । जून 1969 तक 422 स्वःनियोजित मामले थे परन्तु 1969 के अन्त तक इनकी संख्या बढ़कर 3029 हो गई । यह भी सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीकृत बैंक उन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करें जिनको यह शिक्षा के लिये आवश्यक है । जून 1969 तक 594 विद्यार्थियों को केवल 2 या 3 बैंकों द्वारा सहायता दी गई परन्तु वर्ष के अन्त तक ऐसे विद्यार्थियों को संख्या 1193 हो गई और 2 या 3 के अतिरिक्त लगभग सभी बैंक सहायता प्रदान करने लगे । जून 1969 तक उपेक्षित क्षेत्रों को दी जाने वाली आनुपातिक अग्रिम धनराशि 14.83 प्रतिशत थी परन्तु दिसम्बर के अन्त तक इसकी आनुपातिक संख्या थी 19.58 प्रतिशत हो गई ।

इस संदर्भ को प्रस्तुत करेंगे से मेरा उद्देश्य यह है कि सदन को इस तथ्य का उद्घाटन हो जाय कि सरकारी क्षेत्र में बैंकों के संचालन से समाज के दुर्बलवर्ग को कितना लाभ हुआ है ।

मेरा विश्वास है कि इस सूचना के पश्चात तो वह सदस्य भी जो पहिले इस विधेयक के विरुद्ध आप अपना मत इसके पक्ष में देंगे।

इसके पश्चात में प्रथम विधेयक तथा वर्तमान विधेयक के मध्य अन्तर तथा न्यायालय द्वारा की गई आपत्ति के विषय में बताना चाहता हूं।

हमने प्रथम अधिनियम की द्वितीय अनुसूचित में उपक्रमों के मूल्यांकन के लिए निर्मित न्यायाधिकरण के निदेशन हेतु कुछ सिद्धान्त दिये थे। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें अनुपयुक्त घोषित कर दिया।

श्री अशोक मेहता ने बैंकों द्वारा प्रदान की गयी समस्त अग्रिम धनराशियों के विषय में पूछा था उसके आंकड़े अब मेरे पास हैं। कृषि के क्षेत्र इन 5 माहों में यह धन राशि 26.96 करोड़ से बढ़कर 57.94 करोड़ हो गयी। कृषि के लिए अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता 33.47 से 49.39 करोड़ हो गई। लघु उद्योग में इस प्रकार की धनराशि 148 से 169 करोड़ सड़क परिवहन के लिए 6.69 से बढ़कर 12.85 करोड़, फुटकर व्यापारियों के लिए 19.22 से 25.57 करोड़, तथा स्व:नियोजित व्यक्तियों के यिये 33 लाख से बढ़कर 1 करोड़ हो गई। मेरे विचार से यह बहुत बड़ी सफलता है।

जहां तक संविधान में चौथे संशोधन का प्रश्न है, अल्लाडी कृष्णास्वामी अय्यर जैसे प्रख्यात विधिवेता ने संविधान सभ को परामर्श दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 31 (2) में प्रयुक्त भाषा के अनुसार अर्जित सम्पत्ति के लिये जो मुआवजा नियत किया जायगा वह व्यवहार्य नहीं होगा। इसके उपरान्त भी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में निर्णय दिये। बेला बनर्जी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 31 (2) के शब्द मुआवजे (Compensaton) से तात्पर्य यह है कि अर्जित सम्पत्ति का बाजार भाव के अनुसार मुआवजा दिया जाना चाहिए। सरकार तथा सरकार के वैधिक परामर्शदाताओं ने विचार किया कि इस अनुच्छेद के द्वारा कोई उलझन नहीं होनी चाहिये अतः संविधान में चौथा संशोधन किया गया।

जनवरी 1969 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अर्जित सम्पत्ति के लिए संसद द्वारा मुआवजे का निर्धारण व्यवहार्य नहीं है। सरकार के कानूनी सलाहकारों ने पहिले अध्यादेश के समय इस निर्णय पर पूर्ण विश्वास बनाये रखा परन्तु इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की एक नवीन विचारधारा रही कि विधि के अन्तर्गत जो मुआवजे के सिद्धान्त दिये गये हैं वे उपयुक्त नहीं हैं और इसी आधार पर विधि को अवैध घोषित कर दिया गया। इस विधेयक से हमने दूसरी ही प्रकिया अपनाई है। प्रत्येक बैंक उपक्रम के मुआवजे नियत कर दिए गये हैं जिनके आंकड़े द्वितीय अनुसूची में दिये गये हैं। मुआवजे के रूप में दी जाने वाली कुल धनराशि 87.40 करोड़ के लगभग आती है।

मुआवजे की यह राशि रिजर्व बैंक के परामर्श से वित्त मंत्रालय ने निर्धारित की है। इसके निर्धारण के समम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया है। पुराने अधिनियम तथा नवीन विधेयक में यही विशेष अन्तर है।

श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा होता हूं। मुआवजे की राशि संसद सदस्यों द्वारा होनी थी परन्तु हम इस निश्चय पर किस प्रकार पहुँचे कि सरकार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि उपयुक्त है अथवा अनुपयुक्त क्या मुआवजे का आधार एक समान है ? मुआवजा देने के लिए क्या सिद्धान्त अपनाये गये हैं ? हमें इसका ज्ञान होना चाहिए अन्यथा हम विधेयक को पारित नहीं करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मंत्री महोदय ने आपकी बात सुन ली है इसका उत्तर उन्हें ही देना है।

श्री गोविन्द मेनन : मुआवजे के लिये अपनाये गये सिद्धान्तों को अवश्य बताया जायगा। लोक हित के लिए अर्जित किये गये किसी उपक्रम के मुआवजे के निर्धारण का संसद को विशेषाधिकार प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में भी कहा है कि संसद को ऐसा करने की विधानीय-शक्ति है। सर्वोच्च न्यायालय इस विषय से संबंधित नियमों के प्रति भी सजग है क्योंकि हेडन के मामले में इंगलैंड में जो नियम बनाये गये उनको सर्वोच्च न्यायालय ने कई मामलों में स्वीकृति दी है। हेडन के मामले के उदहरण से मेरा तात्पर्य का संसद सदस्यों को यह बताना है कि संविधान के चौथे संशोधन के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारित करने का अधिकार दोनों सदनों के सदस्यों के पास है। और एक बार मुआवजा निर्धारित हो जाने के पश्चात इसका न्यायिक पुर्नविलोकन नहीं किया जा सकता।

मुआवजे का निर्धारण इतनी ऊंची सीमा पर क्यों किया जाता है, इस विषय में मेरा यह विचार है कि संसद को मुआवजा निर्धारित करते समय यह देखना होता है कि कहीं किसी प्रकार का अनौचित्य तो नहीं हो रहा है। क्योंकि उन बैंकों के स्वामी अन्ततोगत्वा उनके भागीदार ही हैं जिनमें बहुत से साधारण व्यक्ति ही हैं, अतः उपक्रमों का अर्जन करते समय हमें इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि जन साधारण के हित के लिए उपक्रमों का अर्जन करते समय भागीदारों का अहित न हो। हमने जो सूत्र इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण के समय अपनाया था वही इस समय भी अपनाया गया है। अतः मेरा विश्वास है कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का सम्मान किया है कि संसद को उपक्रमों के अर्जन का अधिकार है। हमने सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय को भी माना है कि पहिले अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये सिद्धान्त अनुचित थे। अब हम उपक्रमों को अर्जित करने वाले संसद के संवैधानिक अधिकार के अनुसार इन्हें एक मुफ्त मुआवजा देकर अपने हाथ में लेने का प्रयत्न कर रहे हैं। महान्यायवादी पहिले अधिनियम के सिद्धान्तों के औचित्य पर संघर्ष करते रहे परन्तु न्यायालय ने उनके विचारों को नहीं माना। इसी कारण विधि को अवैध घोषित कर दिया गया। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि सभी सदस्य इस विधेयक को एकमत होकर समर्थन प्रदान करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सांविधिक संकल्प तथा विधेयक पर विचार प्रस्ताव सदन के समक्ष हैं। श्री यशपाल सिंह ने एक संशोधन पेश किया है परन्तु वह अनुपस्थित हैं।

श्री अशोक महता (भंडारा) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं मंत्री महोदय द्वारा बैंकों के राष्ट्रीयकरण को बनाए रखने के लिए अध्यादेश को कानून का रूप देने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण इस कानून पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। पिछले वर्षों में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से दो मुख्य विचार हमारे सामने आए थे, किन्तु हाल में लिया गया यह निर्णय इन विचारों के विपरीत प्रतीत होता है।

इनमें से प्रथम विचार यह है कि अभी तक उच्चतम न्यायालय आपके सम्मुख आए मामलों पर विचार करते समय स्वतंत्रता एवं स्वामित्व जैसे मुख्य अधिकारों की रक्षा की सीमा का आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे संचालन की अपेक्षा, राज्य द्वारा निर्धारित आकार और लक्ष्य को मानता रहा है। किन्तु अब उसमें परिवर्तन किया गया है। और जो विचार अब सामने आया है उसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा का आधार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पड़ने वाले प्रभाव को बनाया गया है।

मुझे ज्ञात नहीं कि इस राष्ट्रीयकरण से यह परिवर्तन किस सीमा तक आया है। उच्चतम न्यायालय ने इस विषय को उठाते हुए कहा है कि यह निश्चित करने के लिए क्या अमुक कानून से किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों, किसी कानून के आकार और लक्ष्य को आधार नहीं बनाया जाएगा। हम जानते हैं कि पिछली बार किस प्रकार अचानक अध्यादेश जारी किया गया था उसके उद्देश्य भी सन्देह उत्पन्न करने वाले थे। मैं नहीं जानता कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मन में क्या है, किन्तु जिस प्रकार इस कानून को शीघ्रता से पारित किया गया उससे देश में एक प्रकार का संदेह उत्पन्न हो गया है कि क्या इस सरकार द्वारा ठोस उद्देश्यों को लेकर कानून बनाये जाने के मामले में विश्वास किया जा सकता है? शायद इस विचार के परिवर्तन में यही कारण रहा हो।

दूसरा विचार जिसमें न्यायलय ने परिवर्तन किया है वह यह है कि अध्याय तीन के विभिन्न अनुच्छेदों को स्वतंत्र संहिता समझा जाता था। इसी के आधार पर श्री ए० के० गोपलन के मुकदमें का निर्णय किया गया था। अब इसमें परिवर्तन किया गया है और उच्चतम न्यायलय ने निश्चय किया है कि इन अनुच्छेदों को परस्पर संबंधित माना जाएगा। नए विचार के अनुसार संविधान के भाग तीन में मूलभूत मानव अधिकारों को आधार बनाकर गारंटियों का ताना-बाना बुना गया है। ये गारंटियां उन अधिकारों की कुछ सीमाएं निश्चित कर देती हैं। ये उन्हें सुस्पष्ट करने का प्रयत्न नहीं करतीं। सोचने का ढंग बिल्कुल बदल गया है। इसका परिणाम यह हुआ कि वैयक्तिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार और उसके साथ अन्य अधिकार सुदृढ़ हो गए हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा सोचने के परिवर्तित ढंग में इस कानून के उद्देश्यों का अथवा इस कानून से आए देश की राजनीति में अस्थायित्व का कितना हाथ है मैं कह नहीं सकता किन्तु मुझे आशा है सदन इसे दृष्टि में रखेगा। दूसरी बात यह है कि यदि इससे मूल अधिकार सुदृढ़ हुए हैं तो सम्भवत: इससे सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकारों को भी बल मिला होगा। परन्तु मैं समझता हूँ कि इस प्रसंग में सम्पत्ति संबंधी मूल अधिकारों की चर्चा करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि यदि हम किसी ऐसे कानून पर विचार कर रहें हैं जिसका संबंध खंडश: राष्ट्रीयकरण से है तो मैं नहीं समझता कि कोई कहां तक ऐसी क्षतिपूर्ति की बात कर सकता है जिसका संबंध उस वस्तु के मूल्य से कोई भी नहीं है, जिसे लिया जा रहा है।

हम उन बैंकों पर नियंत्रण कर रहे हैं जिनके पास 55 या 56 प्रतिशत जमा धन है। इम्पीरियल बैंक पर जिसके पास 25 से 26 प्रतिशत तक धन जमा था, 1955 में नियंत्रण कर लिया गया था। हम कुछ और बैंकों पर नियंत्रण करने का प्रयत्न कर रहे हैं पर फिर भी कुछ बैंक बचे रहेंगे। इसी प्रकार संभव है किसी उद्योग के कुछ हिस्से का अथवा किसी क्षेत्र विशेष के उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जैसे कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को नियंत्रण में लेकर किया जा रहा है। क्या हम लोगों में भेद-भाव करने जा रहे हैं। यदि मैं चीनी उद्योग में धन लगाता हूं और मेरे मित्र कपड़ा उद्योग में लगाते हैं तो क्या मुझ को इसके लिए दण्ड दिया जाएगा कि मैंने चीनी उद्योग में धन लगाया है और कपड़ा मिलों वाले लोग छोड़ दिए जाएंगे। यदि मैंने उन बैंकों में धन लगाया होता जिनका राष्ट्रीयकरण नहीं हो रहा है तो क्या होता। अतः मेरा सुझाव यह है कि यदि भारत खंडशः राष्ट्रीयकरण से उन्नति करना चाहता है और उद्योगों और बैंकों के खंडशः नियंत्रण का प्रश्न आता है तो हमें विचार इस बात पर करना है कि क्या समत्ति संबंधी अधिकार के सामान्य प्रश्न से इसका किसी प्रकार से सम्बन्ध है इसी प्रकार या तो वित्तीय मूल्यांकन के समय विचार करना पड़ेगा अथवा पूंजीकर लगाकर सम्पत्ति के बढ़ावे को रोका जा सकता है। क्योंकि हम सभा की रूचि स्वभावतः सम्पत्ति संबंधी अधिकार की रक्षा करने में है। मेरे विचार से खंडशः राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ बार-बार सम्पत्ति संबंधी अधिकार को चुनौती देना एक प्रकार से भ्रांति तथा अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न कर देगा। अतः मेरा सुझाव है कि सम्पत्ति संबंधी अधिकार के सम्पूर्ण प्रश्न पर अलग से विचार किया जाए।

1948 में रिजर्व बैंक आफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण इस आधार पर किया गया था कि बैंक संस्थानों के नियंत्रण की शक्ति सरकार के हाथ में रहे। स्टेट बैंक आफ इंडिया तथा इसकी सहायक शाखाओं का 1955 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इन दोनों मामलों के लिए एक निश्चित विधि अपनाई गई थी। इस विधि के अनुसार पिछले 12 महीनों के बाजार भाव का औसत ले लिया गया। खरीदे हुए भाग के प्रत्यक्ष मूल्य का तीन गुना दे दिया गया। मुझे प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री कोनरी ने इस क्षतिपूर्ति के लिए आधार का प्रश्न उठाया है। मुझे ज्ञात नहीं कि कितने भागीदार हैं और उनमें से कितने बड़े और कितने छोटे भागीदार हैं।

यह कहा गया है कि कुछ राशि को विधेयक में वर्णित कर दिया गया है। यदि सिद्धान्त निश्चित कर दिये गये हैं तो न्यायालय इस पर निर्णय दे सकता है। जन राशि का निश्चय कर दिया गया है तो संसद का उत्तरदायित्व है कि वह उस पर ध्यानपूर्वक विचार करे। मैं समझता हूं यह पर्याप्त नहीं है कि जब इससे सम्बन्धित धारा हमारे सामने आए तो मंत्री महोदय उसी क्षण सूचना दे दें कि ये गणनाएं किस प्रकार की गई हैं। यह आवश्यक है कि हम उन पर उचित ध्यान दें और देखें कि किसी बैंक के साथ अथवा क्षेत्र विशेष के साथ अथवा धन लगाने के किसी ढंग विशेष के साथ भेद-भाव तो नहीं किया गया।

यदि हम खंडशः राष्ट्रीयकरण को लेकर चलना चाहते हैं और मिश्रित अर्थव्यवस्था को बनाये रखना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि संसद कुछ निश्चित परम्पराओं और सिद्धांतों को लेकर निदेश दें। जैसा कि मैंने कहा कि 1948 और 1955 में कुछ सिद्धांतों का पालन किया गया था और कुछ प्रतिमानों का अनुसरण हुआ था। इस समय के प्रतिमान क्या हैं और यदि वे

पिछले प्रतिमानों से भिन्न हैं तो क्यों और क्या यह भिन्नता भविष्य में होने वाले खंडशः राष्ट्रीयकरण में भी बनी रहेगी। यह सत्य है कि कानून वर्गों में विभाजित नहीं किया जा सकता। किन्तु उचित वर्गीकरण की अनुमति दी जा सकती है। उचित वर्गीकरण के लिए कुछ शर्तों, जैसे स्पष्ट वैशिष्ट्य तथा वर्गीकरण और अधिनियम के उद्देश्यों के आधार में सम्बन्ध बनाये रखना पड़ता है।

जहां तक 14 बैंकों का प्रश्न है इसके लिए अल्पसंख्यकं निर्णय में यह कहा गया है कि 50 करोड़ से अधिक जमा राशि वाले बैंकों के पास अधिक स्रोत तथा कुशल प्रशासन के आधार पर उचित वर्गीकरण किया गया है। यदि यह बात है तो इस श्रेणी में विदेशी बैंकों को कैसे छोड़ा जा सकता है। यदि विदेशी बैंकों को छोड़ना है तो विधेयक पेश करने वाले को इसका कारण बताना होगा। मुझे ज्ञात नहीं यदि विभाजक रेखा किसी निश्चित सीमा तक 50 करोड़ की राशि है तो किस आधार पर ऐसे विदेशी बैंकों को छोड़ा गया है और फिर यदि विदेशी बैंकों को छोड़ना है तो क्या इस कानून को फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती।

जहां तक मुझे स्मरण है निर्णयकों के बहुमत ने इस प्रश्न पर कोई निर्णय नहीं दिया है और इस प्रश्न को अछूता रखा है।

कानून मंत्री ने बैंकों द्वारा पिछले छह मास में की गई प्रगति के कुछ आंकडे दिये हैं। दुर्भाग्य से वे आंकड़े कुछ इस रूप में दिये गये है कि उनकी तुलना आर्थिक सर्वेक्षण के दिये गये आंकड़ों से नहीं की जा सकती। आर्थिक सर्वेक्षण में 30 जून 1968 से 30 जून 1969 के दौरान बैंकों, कृषि, छोटे उद्योगों, निर्यात एवं अन्य वस्तुओं के कुछ आंकड़े दिये गये हैं। मुझे आशा थी इन्हीं के समानान्तर आंकड़े दिये जाते जिससे प्रयत्न के सफल असफल होने के प्रश्न को देखा जा सकता किन्तु आंकड़े बिल्कुल भिन्न आधार पर बनाये गये हैं।

इसी प्रकार मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि जब वार्षिक योजना अथवा पंचवर्षीय योजना हमारे सामने रखी जाये तो उसके साथ वार्षिक और पंचवर्षीय ऋण योजना भी रखी जाये।

उपलब्ध सूचना के आधार पर अनेक विशेषज्ञों ने कुछ अनुमान लगाया है। यदि अर्थ-व्यवस्था निश्चित दर से प्रगति करती है तो बैंकों की जमा राशि, ̣000 करोड़ रुपये तक अधिक हो जायेगी। कीमतों के तेजी से बढ़ने पर, जमा राशि में भी वृद्धि होगी। यदि योजना के दौरान कीमतें नहीं बढ़ती हैं तो मोटे तौर पर योजना के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये और उपलब्ध हो जायेंगे, जिनमें से 1000 करोड़ रुपये सरकारी प्रतिभूतियों में लगाये जायेंगे। यदि देश में औद्योगिक विकास की दर 9 प्रतिशत हो जाती है तो उद्योगों की 1100 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी तथा व्यापार और वाणिज्य की आवश्यकता में 200 से 300 करोड़ रुपये तक की वृद्धि हो जायेगी। फिर बचेगा क्या ? क्योंकि जमा राशियों में होने वाली 3000 करोड़ रुपये की वृद्धि में से 2300 से 2400 करोड़ रुपये तक सरकारी, औद्योगिक, और व्यापारिक आवश्यकताओं में चला जायेगा। फिर कृषि और लघु उद्योगों के लिए केवल 600 करोड़ रुपया बचेगा, जबकि कृषि की आवश्यकता 2500 करोड़ रुपये और सहकारी बैंकों की 750 करोड़ रुपये है। अतः इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि सबकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी की जायेंगी।

इस समय धन देने और जमा करने का अनुपात 66 प्रतिशत है। यदि हम इस न्यूनतम अनुपात को बढ़ा सकें तो ऐसा क्यों किया जाये कि 100 रुपये में से 66 रुपये जमा के रूप में आयें और शेष चल धन के रूप में रहें। यदि हम शाखाओं को बढ़ाने और लोगों को अधिक से अधिक बैंक सम्बन्धी सुविधाएं प्राप्त करने की प्रेरणा देकर न्यूनतम अनुपात को बढ़ाते हैं तो हमें और अधिक संसाधन प्राप्त होंगे जो कि सिंचाई के लिए और अर्थव्यवस्था को सुगठित करने के लिए लाभदायक होंगे। सरकार को इन क्षेत्रों की जांच करनी चाहिए और बैंक राष्ट्रीयकरण के इस उपकरण को इस प्रकार इस्तेमाल करना चाहिए जो कि सम्पूर्ण योजना प्रक्रिया का एक मुख्य अंग हो। पंचवर्षीय ऋण योजना से जो उपलब्धियां होने की आशा है वे कोई बहुत अधिक नहीं है, और इसलिए इस सम्बन्ध में यथा समय जानकारी उपलब्ध की जानी चाहिए।

1955 में जब इम्पीरियल बैंक को स्टेट बैंक में बदला गया था तो उस समय मैंने कहा था कि कारोबार के विस्तार के लिए निवेशों की आवश्यकता है तथा कृषकों को जो धन दिया जाता है उसका उल्लेख भी बजट में होना चाहिए। पर इन सब बातों पर पिछले 15 वर्षों में कोई अमल नहीं किया गया। मैं आशा करता हूं कि इन बातों को अब अमल में लाया जायेगा।

अन्त में मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जिसके सम्बन्ध में हम सब अभी तक अन्धकार में है, कि इस विधेयक को किस प्रकार लागू किया जाएगा।

श्री अ० कु० सेन (कलकत्ता-उत्तर पश्चिम) : इस विधेयक और इसके पहले जितनी भी घटनायें हुई हैं उनसे यह सिद्ध होता है कि हम अब भी कानून और संविधान का पालन कर रहे हैं तथा सरकार और हम सब न्यायालयों और न्यायपालिका की आज्ञा का पालन करते हैं। एक बात जिसे हम नहीं समझे हैं वह यह है कि संविधान बैंकों के राष्ट्रीयकरण के मार्ग में बाधक नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय का भी कहना है कि सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है। एक बात जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वह यह है कि हमें संविधान की सीमाओं का उल्लंघन किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए।

किसी भी प्रकार के उद्योग अथवा व्यापार के राष्ट्रीयकरण के लिए संविधान की सीमाओं के अन्तर्गत ही कानून बनाए जाने चाहिए उनसे बाहर जाकर नहीं, और यही सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। अतः यह कहना सर्वथा गलत है कि सर्वोच्च न्यायालय जनता की उन्नति के आड़े आता है।

अब यह आशा की जाती है कि यह नया विधेयक उन सभी कसौटियों पर खरा उतरेगा जो सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने के लिए निर्धारित की है। यह अब विवाद का विषय नहीं रहा है कि ये ऋण संस्थाएं, जो राष्ट्र की बचत पर नियंत्रण रखती है, और जिससे हमें अपने विकास कार्यक्रमों का निर्माण करना है, हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण क्षेत्र में आती है और हम उन लोगों को कोई अवसर नहीं देना चाहते जो कुछ लोगों को ऋण दें और कुछ को नहीं। हमारे अपने कार्यक्रम हैं, अपनी योजनाएं हैं और उन्हें अपने अनुसार ही पूरा करना है। छोटे उद्योगों और मध्यम वर्ग को उपेक्षित स्थिति में नहीं छोड़ना है। अतीत में कुछ राष्ट्रीयकृत ऋण संस्थाओं ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया है। स्टेट

बैंक जैसी राष्ट्रीयकृत संस्थाएं अब भी बड़े आदमी बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों को प्राथमिकता देती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि जब इन बड़ी संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण किया जाये तो एक उचित नीति अपनाई जाये जो कि साधारण व्यक्ति की कठिनाइयों को हल करने वाली हो, जिससे कि वह यह अनुभव करें कि वास्तव में इन संस्थाओं से हमारी ऋण सम्बन्धी नीति में एक बुनियादी परिवर्तन आया है तथा जिसकी सहायता के बिना कोई भी उद्योग, कृषि या उद्यम सफल नहीं हो सकता अथवा उसका विकास और विस्तार नहीं हो सकता।

यह एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि गत बीस सालों में, जब से संविधान लागू हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था में बड़े परिवर्तन आए हैं, बड़ी-बड़ी जागीरें समाप्त हो गईं, स्वतंत्र चुनाव से आये विधायकों ने भूमि की उच्चतम सीमा सम्बन्धी कानून पारित किये, महत्वपूर्ण औद्योगिक एककों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया गया, अर्थव्यवस्था के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के साथ-साथ रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक, बीमा निगम आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा अन्य बड़े इस्पात और भारी उद्योग के कारखानों का सरकारी क्षेत्र में विकास किया गया। और यह अब संसद द्वारा पारित किये गये कानूनों के आधार पर शांतिपूर्ण ढंग से हुआ न कि खून बहाकर।

इससे लोगों में आशा का संचार हुआ है। और जो आशा इस विधेयक के द्वारा लोगों के मन में जागी है वह कहीं लुप्त न हो जाये, इसके लिए आवश्यक है कि उन लोगों को अथवा उस क्षेत्र को, जो अब तक उपेक्षित रहा है ऋण सम्बन्धी सुविधाएं दी जावें। अतः किसानों, छोटे उद्योगों तथा उनमें लगे मजदूरों की आवश्यकता को समझा जाए और उचित सहायता दी जाए। इसके अभाव में जो आशा का सूर्य निकला है वह समय से पहले ही डूब जायेगा।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : एक समाचार मिला है कि कम्बोडिया का राष्ट्रीय विधान-सभा ने वहां के राज्याध्यक्ष नोरोडम सिहानूक को अपदस्थ कर दिया है। क्या आप सरकार से बताने की कृपा करेंगे कि इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाय। बहुत समय तक हमने इस सदन में कम्बोडिया के संबंध में चर्चा की है इसीलिए यह सदन के सदस्यों को इसमें रुचि होगी मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त समाचार सरकार को प्राप्त हुआ है और यह कहां तक सही है।

सभापति महोदय : आपने जो कहा वह सभा की कार्यवाही में आ गया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या आप कृपा करके सरकार से कहेंगे कि इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे।

सभापति महोदय : मन्त्री महोदय यहां उपस्थित हैं, और उन्होंने इसकी ओर ध्यान दिया है।

श्री पी० रु० मसानी (राजकोट) : मैं श्री शर्मा द्वारा प्रस्तुत किये गये अध्यादेश का निरनुमोदन करने वाले सांविधिक संकल्प का समर्थन करता हूँ और श्री गोविन्द मेनन द्वारा पेश किये गये विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ। गत वर्ष जब यह अध्यादेश जारी किया गया था तो मैं और श्री मघोक इस नतीजे पर पहुंचे थे कि यह संविधान का उल्लंघन करने वाला है, उसकी शक्ति के बाहर का है। अतः इसे रद्द किया जाना चाहिए। उसके वह

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक निर्णय द्वारा इस अध्यादेश को अवैध घोषित किया और साथ ही साथ नागरिकों के मूल अधिकारों के विकास के संबंध में महत्वपूर्ण प्रस्थापनायें भी कीं। हमें इस बात में संतोष है। इस विधेयक पर चर्चा करते हुए मैंने गत 25 जुलाई को सदन में कहा था कि यह विधेयक मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है, यह भेदभावपूर्ण है। इससे सार्वजनिक हित नहीं होगा। हमने जो कहा वह सत्य सिद्ध हुआ। आज हम देखते हैं कि इस अप्रवीण सरकार के अप्रवीण विधि-सलाहकार कह रहे हैं कि उन्होंने जो गलती की थी वह कितनी न्यायोचित थी। सम्भव है कि दूसरी बार यह विधेयक लाकर सरकार सदन का समय बर्बाद कर रही हो। मगर यह बात सिद्ध होती है कि यह सरकार एवं इसके विधि सलाहकार इस देश की विधि से अनभिज्ञ हैं।

हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण का सख्त विरोध करते हैं क्योंकि जैसा कि 1967 के अपने निर्वाचन घोषणापत्र में हमने सूचित किया था, कांग्रेस का राष्ट्रीयकरण देश की समस्याओं के लिए सुसंगत नहीं है। यह देश के विकास को अवरुद्ध करेगा और साथ ही साथ, मुद्रा स्थायित्व, एवं सुरक्षा पर प्रहार करेगा क्योंकि लाखों जमा कर्ताओं की जमा पूंजी ऐसी सरकार के हाथ में आयगी जो सारे उपलब्ध संसाधनों पर अधिकार जमाना चाहती है। इसी मूलभूत कारण से हम इस विधेयक का दूसरी बार भी विरोध करते हैं।

हम मिश्रित अर्थव्यवस्था में विश्वास रखते हैं जहां सरकारी उपक्रमों एवं निजी उपक्रमों में देश के कल्याण के लिए बराबर की होड़ लगेगी। समाजवादी स्वीडन के संबंध में एक्सल एवरोध बताते हैं, "जो लोग यह कहते हैं कि आर्थिक विकास की दर बढ़ाने का उत्तरदायित्व सरकार का होना चाहिए, उन्हें यह समझना चाहिये कि इसका प्रमाण प्रस्तुत करने का भार उन्हीं पर है।" परन्तु इस प्रकार का कोई प्रमाण यहां प्रस्तुत नहीं किया गया है।

मेरे दल का मत यह है कि जब कभी किसी उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाना हो उसके सम्बन्ध में एक जांच आयोग की नियुक्ति की जाय। अगर वह आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि सार्वजनिक हित के लिए राष्ट्रीयकरण अनिवार्य है, तो मैं उसका पूर्ण रूप से स्वागत करूंगा। मगर यहां इस मामले में उक्त जांच नहीं की गई है। प्रत्युत, यहां जो भी प्रमाण मिले हैं वे राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं हैं। वास्तव में, प्रधान मन्त्री ने बंगलौर के अधिवेशन में जो ज्ञापन प्रस्तुत किया था, उसमें केवल यह बताया था कि वे या तो वे प्रमुख चार या पांच बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार कर सकते हैं या सार्वजनिक हित के लिए उनके संसाधनों का उपयोग करने का निदेश दे सकते हैं। उन्होंने जो करना चाहा वह राष्ट्रीयकरण के बिना भी संपन्न हो जाता। परन्तु, प्रधान मन्त्री का मत परिवर्तित हो गया और उन्होने समझा कि राष्ट्रीयकरण ही एक मात्र उपाय है।

इसी सरकार के उप-प्रधान मन्त्री ने कहा था कि राष्ट्रीयकरण अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि "हाल ही के अनुभव से यह सिद्ध नहीं होता कि बड़े बैंकों के द्वारा ऐसा कार्य सम्पन्न करने के लिये उनका राष्ट्रीयकरण करना आवश्यक नहीं है जो कि वे अब नहीं कर रहे हैं। जो स्टेट बैंक राष्ट्र के कल्याण के लिये कहता है। यह कहना गलत होगा कि स्टेट बैंक से

वह कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जो अन्य बैंक नहीं करते। कोई भी बैंक जो सरकारी क्षेत्र का हो या निजी क्षेत्र का, उधार-व्यवहार को त्याग नहीं सकता। कि गत वर्षों का हमारा अनुभव बताता है कि सामाजिक नियंत्रण कार्य फलदायक हो रहा है।" अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण करने का स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं होता।

हम एक प्रकार की अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं। या तो बैंकों को वाणिज्यिक सिद्धांतों के आधार पर एवं राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त चलाया जाना चाहिए जैसा कि फ्रांस में किया गया था। इसके लिये राष्ट्रीयकरण की आवश्यकता ही नहीं है। कर-दाताओं के 87 करोड़ रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में स्वाहा हो गये। अगर राष्ट्रीयकरण का अर्थ एकाधिकार का प्रोत्साहन है और यह राजनैतिक लक्ष्यों से प्रेरित है, तो यह खतरनाक है। यह अनिश्चितता की स्थिति है।

राष्ट्रीयकरण से किसको लाभ होगा? इसमें संदेह नहीं है कि इस विधेयक में क्षतिपूर्ति का जो उपबन्ध किया गया है वह गत विधेयक से अधिक न्यायसंगत एवं उचित है। फिर भी मेरे विचार से यह पूर्ण नहीं है। इन बैंकों के मुख्य कार्यालयों एवं शाखा-कार्यालयों की भूमि एवं मकान के बाजार मूल्य में भारी ह्रास किया गया है। और इन बैंकों ने वर्षों से जो सुनाम बनाये रखा उसकी गणना नहीं की गई। न्याय यह है कि इन बैंकों के भागीदारों को जो गत जुलाई से फरवरी तक के बैंक के लाभ का उचित हिस्सा दिया जाय। सरकार ने छः या आठ महीने तक के अवैध अधिग्रहण काल के लिए किसी क्षतिपूर्ति का प्रबन्ध नहीं किया। क्षतिपूर्ति में 4 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का प्रबन्ध है। परन्तु यहां उधारी में 10 प्रतिशत ब्याज लिया जाता है। अतः क्षतिपूर्ति अपर्याप्त है। भागीदार को राशि नकद प्राप्त नहीं होगी। तीन वर्षों के अन्दर ही उसे प्राप्त होगी। इन तीन वर्षों के अन्दर पर्याप्त मुद्रास्फीति भी होगी। अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि इनके साथ पूर्ण न्याय नहीं किया गया।

राष्ट्रीयकरण से मजदूरों को भी लाभ नहीं होगा। राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को यह बात मालूम हो गयी है कि सामुहिक संपरान एवं हड़ताल करने के उनके अधिकार छीन लिये गये हैं। रिजर्व बैंक कर्मचारी संगठन द्वारा पारित एक प्रस्ताव मैं सदन के समक्ष पढ़कर सुनाता हूं जिसमें लिखा गया है कि "हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं क्योंकि अब तक का हमारा अनुभव यह बताता है कि बैंक राष्ट्रीयकरण कर्मचारियों के हित के अनुकूल नहीं होगा।"

अतः यह कर्मचारियों के हित में भी नहीं होगा।

अब हम जमाकर्त्ताओं के बारे में सोचें। इनकी जमा पूंजी खतरे में है। 1967 में इस देश में 12,400,000 व्यक्तिगत खाते थे और औसत जमा राशि की 150 रुपये। ये सब अधिक आय वाले नहीं हैं। इनकी राशि अब सरकार के अलाभकर उपक्रमों में चली जायेगी। हम जानते हैं कि सरकारी बैंकों एवं भूमि बन्धक बैंकों के संसाधन को सत्तारूढ़ दल के समर्थकों के संरक्षण में लगाया जाता है। अतः यह स्थिति इन 14 बैंकों में भी आ सकती है। ये संसाधन नष्ट हुए तो जमाकर्त्ता को केवल 5000 रुपये की प्रत्याभूति दी जानी है। हमने इस विधेयक में संशोधन प्रस्तुत किया था कि सरकार की प्रत्याभूति बिना शर्त होनी चाहिए और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा नष्ट की जाने वाली कुल राशि जमाकर्त्ता को मिलनी चाहिए।

राष्ट्रीयकरण का एक खतरा है आर्थिक सत्ता का केन्द्रीकरण एवं एकाधिकार । गांधी जी आर्थिक सत्ता के विकेन्द्रीयकरण के पक्ष में थे । लुई फिशर ने अपनी पुस्तक "गांधी जी के साथ एक सप्ताह में गांधी जी द्वारा यह बताया लिखा है, कि "देखिये, अब सारी शक्ति दिल्ली कलकत्ता या बम्बई आदि बड़े-बड़े शहरों में है। मैं चाहता हूँ कि यह भारत के 7 लाख ग्रामों में वितरित हो । मैं चाहता हूं कि इम्पीरियल बैंक में जो 7 लाख डालर की जमा पूंजी है उसे सात लाख गांवों में बांट दिया जाय, ताकि हर गांव को एक-एक डालर प्राप्त हो जो वे नष्ट नहीं होने देंगे ।" मगर ये लोग गांधी जी जो चाहते थे उसके एकदम विपरीत कार्य कर रहे हैं।

यह अच्छी बात है कि वर्तमान कानून ने जमा कर्ताओं पर यह अधिकार छोड़ दिया है जिससे वे स्वेच्छा से किसी भी बैंक में राशि जमा कर सकते हैं । इस सीमा तक पूर्ण रूप से एकाधिकार नहीं है । हम चाहते हैं कि जमाकर्ताओं और ऋण दाताओं की स्वतन्त्रता की हानि न हो । अधिक बैंकों का राष्ट्रीकरण होगा तो यह अनित कार्य अधिक क्षेत्रों में फैल जायेगा ।

कुछ केन्द्रों में यह मत व्यक्त किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय अधिकाधिक भारतीय बैंकों एवं विदेशी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की ओर संकेत करता है । मैंने उसका सूक्ष्म अध्ययन किया है । उक्त निर्णय में ऐसी कोई भी बात नहीं कही गयी है । निर्णय में केवल इतना ही कहा गया है कि "उक्त बैंकों द्वारा बैंकिंग कार्य चलाने पर निरोध लगाकर, सरकार ने द्वेषपूर्ण विवेचन किया है जब कि अन्य बैंकों को उसका अधिकार दिया गया है ।"

अतः सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को अधिकाधिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कारण न बनाइये ।

अतः जैसे हमने 30 जुलाई, 1969 को किया था, वैसे ही अगर किसी और संशोधन को लाया जायेगा हम उसका सख्त विरोध करेंगे ।

हमारा विश्वास है कि एकाधिकार जितना कम होगा देश के नागरिकों के लिए उतना ही अच्छा है । यही कारण है कि हम दुबारा एक भी बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं चाहते हैं ।

इस समय भी, अगर यह सरकार इस विधेयक को वापस लेकर एक जांच आयोग की नियुक्ति करे तो हम पूर्णतया उस को सहयोग देंगे । हमारा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी अनुभव राष्ट्रीयकरण के पक्ष में नहीं है । राष्ट्रीयकरण से हम समृद्ध उपक्रमों को दिवालिया बना देते हैं । हम ऐसा नहीं चाहते हैं । अतः हम इस विधेयक का हर अवस्था पर विरोध करेंगे ।

श्री अमृत नाहाटा (बाडमेर) : सभापति महोदय, सदन में श्री अशोक मेहता ने कहा कि बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम को अवैध घोषित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई पूर्व-मतों में संशोधन किया है । मैं कुछ और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ । सर्वोच्च न्यायालय ने पहले निर्णय किया था कि समवाय का कोई निगमित निकाय नागरिक के समान नहीं माना जा सकता । अतः वे नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की कोटि में नहीं आते हैं । परन्तु इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में इनको संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हकदार घोषित किया । चूंकि इन बैंकों को आगे किसी भी बैंकिंग कार्य

करने से रोका गया है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय को भेदभाव पूर्ण ठहराया है। इसका तात्पर्य यह है कि आगे किसी भी आंशिक राष्ट्रीयकरण को सर्वोच्च न्यायालय भेदभाव पूर्ण घोषित करेगा। परन्तु जब पहले इंपीरियल बैंक, जीवन बीमा निगम आदि का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तब यह दलील नहीं दी गई थी। अतः हम इस न्यायधिक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि आंशिक राष्ट्रीयकरण संभव ही नहीं है। उदाहरण के लिए, सरकार न घोषणा की कि वह वैदेशिक व्यापार का मद-वार राष्ट्रीयकरण करेगी। यदि सरकार आयात या निर्यात व्यापार की किसी विशेष पद का राष्ट्रीयकरण करना चाहती है, तो वह भी अवैध घोषित किया जायेगा। अतः मेरे विचार से भेदभाव की यह दलील खतरनाक है।

श्री राम नारायण रेड्डी (निजामाबाद) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य अपने सारे भाषण में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की आलोचना कर रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यहां चर्चा का विषय नहीं है। सरकार ने इसको मान लिया है और अन्य विधेयक प्रस्तुत भी किया है। उनका कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय यह करे, वह करे। ये बातें न्यायालय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती हैं। इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

सभापति महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री अमृत नाहाटा : मुझे इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य के माग निर्देशन की आवश्यकता नहीं है। मुझे उसे मजबूरन यह कहना पड़ता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण किया है। संविधान का चतुर्थ संशोधन इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से स्पष्ट है। चतुर्थ संशोधन प्रस्तुत करते हुए श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था, "संसद क्षतिपूर्ति या तत्सम्बन्धी नियमों के सम्बन्ध में निर्णय करती है। सिवाय इसके कि उक्त निर्णय को विधि की पूर्ण रूप से अवहेलना पाया जाय या संविधान का खुले आम उल्लंघन पाया जाय, इस पर पुनर्विचार करने का किसी भी न्यायालय को अधिकार नहीं है।" आज तक सर्वोच्च न्यायालय ने इस सिद्धांत का पालन किया था। गुजरात सरकार बनाम शांतिलाल के मामले में तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति ने संविधान के उक्त चौथे संशोधन में अन्तर्निहित सिद्धान्त को न्यायोचित ठहराया था। परन्तु अब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पहले के मत में परिवर्तन किया है।

संविधान सभा में भाषण देते हुए डा० अम्बेडकर ने कहा था, "संविधान में क्षतिपूर्ति के सिद्धान्तों अथवा उसकी मात्रा के बारे में न्यायिक पुनर्विचार की व्यवस्था नहीं है क्योंकि संविधान के निर्माताओं को कानून को भिन्न रूप देने में न्यायालय द्वारा की जाने वाली मनमानी के विषय में आशंका थी।"

अक्सर बताया जाता है कि हमारे संविधान में उपबन्धित संपत्ति अधिकार और अमरीका के संविधान के सम्पत्ति अधिकार समान हैं। मगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अमरीका के संविधान में उक्त प्रसंग में 'न्यायमुक्त क्षतिपूर्ति' लिखा गया है। जबकि हमारे संविधान में केवल 'क्षतिपूर्ति' शब्द का प्रयोग किया गया है। यह अन्तर बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि क्षतिपूर्ति के मामले पर संसद ही निर्णय करेगी। जब विधान-मंडल अपने निर्णयों के जरिये संविधान का उपहास करता है। तो निस्सन्देह सर्वोच्च न्यायालय

उस पर पुनर्विचार कर सकता है। परन्तु उक्त निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं कहा है कि क्षतिपूर्ति के सिद्धांतों द्वारा संविधान का उपहास किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ सिद्धान्तों का निर्धारण किया है। ये सिद्धान्त हैं, बाजार भाव और नकद भुगतान और साथ ही यह भी कि सद्नाम को फी पर्याप्त क्षतिपूर्ति के निर्णय का आधार बनाया जाना चाहिये। इसके परिणाम स्वरूप उन भागीदारों को 87 करोड़ रुपये नकद मिल रहे हैं जबकि उन की भागेदारी केवल 21 करोड़ रुपये कि थी। ये निजी बैंक कहे जाते हैं। ये निजी बैंक नहीं हैं। 21 करोड़ रुपये के जरिये इन्होंने जमाकर्ताओं के लाखों करोड़ों रुपयों का उपयोग किया। इस धनराशि से इन्होंने आर्थिक एकाधिकार को बहुत अधिक बढ़ाया, बड़े उद्योगों की श्रृंखला को उन्होंने बढ़ाया और इस धनराशि का आप जनता के हितों के विरुद्ध उपयोग किया। कुछ इने-गिने शहरों का विकास हुआ, और कुछ इने-गिने परिवारों में औद्योगिक विकास केन्द्रित हो गया। यह था सम्पत्ति हरण और आप जनता के धन का उपयोग। बैंकों के राष्ट्रीयकरण द्वारा इस गलती का सुधार किया गया है।

यदि इन्हीं सिद्धांतों का क्षतिपूर्ति के निर्णय में संसाधनों बाजार भाव एवं सद्नाम को भी आधार बनाया जाय, आगे भी पालन किया जायगा तो मुझे भय है कि सामाजिक न्याय एवं क्षमता और प्रगति के बारे में कई बाधायें पड़ेंगी। मुझे इसीलिए भी भय है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के समक्ष सरकार ने घुटने टेक दिये है। सरकार को सदन में यह घोषणा करनी चाहिए थी कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध क्षतिपूर्ति के लिए निश्चित की गई धनराशि में और कटौती कर रही है। अन्यथा भविष्य में प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होने वाली सरकार को बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ेगा।

मैं पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा की गई एक ऐतिहासिक घोषणा की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा था कि "सर्वोच्च न्यायालय को कभी भी संसद की परम इच्छा पर निर्णय देने का अधिकार नहीं है। अगर हम कहीं न कहीं गलती करते हैं, तो वह संकेत कर सकता है। परन्तु अंतिम रूप से, जहां तक समान के भविष्य का सम्बन्ध है न्यायपालिका उसके मार्ग में नहीं आ सकती है। न्यायपालिका कभी भी तीसरे सदन के रूप में कार्य नहीं कर सकती।"

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में बताया गया है कि "देश की नीति एव लक्ष्यों के अनुरूप आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिये भारत के एवं भारत स्थित विदेशी बैंको के समूचे संसाधन अपर्याप्त हैं।" अब मेरा प्रश्न है कि सदन की नीति निर्धारण-क्षमता के बारे में प्रश्न उठाने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को किस ने दिया? देश की नीति एवं लक्ष्यों की पूर्ति के सम्बन्ध में निर्णय करना सदन का कर्त्तव्य है। सर्वोच्च न्यायालय को इसका तनिक भी अधिकार नहीं है। अमरीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने एक ऐसे ही अवसर पर घोषणा की कि "जब कांग्रेस देश में आर्थिक स्थायित्व लाने का, एवं श्रम की स्थिति को सुधारने का प्रयत्न कर रहा है तो, न्यायालय कांग्रेस की नीति निर्धारण-क्षमता पर निर्णय करने पर उतारू है। अतः हम इस स्थिति में पहुंच गये हैं कि हमें संविधान की, एवं स्वयं न्यायतंत्र की ही रक्षा का प्रयत्न करना चाहिए।" अतः मैं सरकार एवं सदन से प्रार्थना करता हूं कि संविधान एवं स्वयं सर्वोच्च न्यायालय को बचाने का प्रयत्न किया जाए।

Shri Rabi Ray (Puri) : The Government have again brought forth the Bank Nationalisation Bill. This second measure has been necessitated because of the fact that when the previous Bill was being discussed in the House many defects were pointed out, but Government paid no attention to them and did not try to remove those defects.

The Government have not nationalised the Foreign Banks even now. It is a very strange thing that the Government have yielded before the foreign banks. Once the Prime Minister, Indira Gandhi said that the Government was not nationalising the foreign banks because they helped in foreign trade, but on the other hand they say that they would also nationalize foreign trade. Truly speaking, Government have not understood the meaning of nationalisation. The Government contention that by nationalising banks they were teaching the path of socialism was baseless. In the past, Imperial Bank and Life Insurance were nationalized, but did that prove that the Government was going the socialist way ? Socialism could only come by narrowing the gap between the rich and the poor. But instead of that Government is still patronising the capitalists and their influence on our economy is increasing.

[श्री श्रीचन्द गोयल पीठासीन हुए
Shri Shri Chand Goyal *in the Chair*]

Then, why has the amount of compensation been increased to such a great extent particularly when we know that this will go to those very Capitalists. This means that this bill regarding nationalisation of banks is not going to bring about any fundamental change. There is no provision for reducing the salaries and other facilities being enjoyed by the big officials of these banks.

It had been said that the Constitution could not stand in the way of progressive measures. So far as the fundamental right to hold property remains in the constitution no revolutionary steps could be taken. Therefore, there is need to bring fundamental changes in the Constitution. If the ruling congress party actually want to bring about radical changes in the set up of our society, they should take immediate steps to remove Article 31 from the Constitution, otherwise there is no use talking about socialism.

Because of the narrow outlook of the judges of High Courts in respect of individual freedom it has become necessary to frame a new Constitution and for that a new constituent Assembly should be concerned. The present constitution will not allow us to bring about basic changes in our society. All the young men and women above the age of 18 should have a right to vote in the elections to the new Constituent Assembly.

If we want to bring about socialism, a ceiling on personal consumption should be imposed. No citizen should be allowed to spends more than Rs. 1500 or Rs. 2000 a month. Unless and until it is done, socialism cannot come, in this country. But I see that Shrimati Gandhi simply wants to remain Prime Minister. She is not at all bothered about the fact whether socialism comes or not ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यदि मैं ठीक कह रहा हूं तो सरकार द्वारा 14 बैंकों के राष्ट्रीकरण करने, न्यायालय द्वारा उनके राष्ट्रीयकरण को अवैध घोषित करन, राष्ट्रपति द्वारा उनका पुनः राष्ट्रीयकरण करने और संसद् द्वारा राष्ट्रीयकरण के अनुमोदित करने में कुल मिलाकर सात मास का समय लगा। जिन परस्पर विरोधी शक्तियों का विकास गत बीस वर्षों में इस देश में हुआ उनके बीच यह वास्तविक संघर्ष था। जब मैं गत सात महीनों की इन घटनाओं का विश्लेषण करता हूं तो मुझे "रीलस इन वन्डर लैंड" नामक एक पुरानी कहानी याद आ जाती है जिस में कहा गया है कि अगर हमें अपनी वर्तमान स्थिति को बनाये रखना है तो

हमें निरन्तर कार्यरत रहना होगा। गतिरोध की अपेक्षा निरन्तर कार्यरत रहकर हमें जीवन की चुनौती को स्वीकार करना चाहिये। लक्ष्य की पूर्ति के लिए यही सब से अच्छा रास्ता है।

सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भेदभाव के आक्षेप को स्वीकार कर लिया है। इस आक्षेप के अनुसार बैंक के अंशधारियों को अन्य बैंकिग व्यापार से रोकना है। पहले अधिनियम की धारा 15 (2)(c) के वर्तमान अध्यादेश तथा प्रस्तुत विधेयक से निकाल दिया गया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब अंशधारी बैंक से सम्बद्ध या अन्य कारोबार करने के लिए पूर्ण स्वतन्त्र है। स्वतंत्र पार्टी के महा-सचिव ने यह आशंका व्यक्त की है कि राष्ट्रीयकृत बैंककारी कम्पनियों के कर्मचारी जब बैंक-व्यापार आरम्भ करेंगे तो यह कार्य बहुत सकुशलता से होगा और व्यापारी वर्ग को इससे बहुत लाभ होगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रति यह उनकी तीव्र प्रतिक्रिया थी। मैं रिजर्व बैंक की शक्ति और कार्य के विषय में विचार कर रहा था। मन्त्रालय चाहे यह कह दे कि रिजर्व बैंक को इसे रोकने का अधिकार है। मान लीजिये कि कुछ अंशधारी परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए कुछ नई बैंकिंगकारी संस्थायें खोल ले। यदि रिजर्व बैंक उनके रास्ते में आये तो वे पुनः उच्चतम न्यायालय में अपनी समस्या ले जायेंगे। रिजर्व बैंक की शक्ति चाहे कितनी भी हो परंतु मैं नहीं मानता कि वह किसी नये बैंक को जन्म लेने से रोक सकता है। पुराने बैंक को नई बैंकिग कंपनी बनाने से आप किस प्रकार रोक सकते हैं। यह एक विवादास्पद प्रश्न है। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस समस्या पर विचार करेंगे और इस प्रकार की त्रुटियों से बचने के लिए सम्भवः व्यवस्था करेंगे। परन्तु यदि मन्त्री महोदय का तर्क यही है कि अमरीका की कांग्रेस के लगभग 100 अधिनियमों को वहां के उच्चतम न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया है जबकि हमारे यहां तो अभी केवल पांच अधिनियमों को ही अवैध घोषित किया गया है तो इस बात में कोई सार नहीं है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू अपने समय के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे। वह बहुत दूरदर्शी थे और उन्हें पता था कि लोकतंत्र प्रणाली का विकास किस प्रकार होगा। उन्होंने अपनी पुस्तक "विदर इडिया" में कहा है कि हम किस की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे हैं? राष्ट्रवाद में तो बहुत से दोष हैं और अनेक विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। सामन्तवादी भारत रजवाड़ों, छोटे-बड़े जमीदारों, व्यवसायिक वर्ग, बैंकरों, उद्योगपतियों और कृषकों सभी का अपना-अपना स्थान है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण केवल देश तक ही सीमित रहता है। यह वर्ग-विभाजन में परिवर्तन का प्रयास नहीं करता। राष्ट्रवाद मुख्यतः मध्य वर्ग का अन्दोलन होने के कारण वर्ग विशेष के हितों के लिये ही कार्य करता है। प्रायः देखा जाता है कि देश के विभिन्न हितों में भी संघर्ष चलता रहता है। एक कानून या एक नीति जो एक वर्ग के लिये लाभदायक हो सकती है वही दूसरे वर्ग के लिए हानिकारक भी हो सकती है। भारत के रजवाड़ों के लिए जो हितकर है वह उसकी रियासत की सभी प्रजा के अहित में हो सकता है जो जमीदार के हित में हो सकता है वही काश्तकारों के अहित में भी जा सकता है।

इसीलिए हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णय की व्याख्या कुछ दूसरे ढंग से करनी होगी। यह देश के एक अल्प वर्ग और सम्पूर्ण जनता के संघर्ष का प्रश्न है। पहली, दूसरी, तीसरी और फिर चौथी लोक-सभा को ही लीजिये। इनमें कितना बड़ा अन्तर है। लोकतन्त्रीय संस्थाओं का

लाभ उठाते हुए वह सभी सामन्ती और सरमायादार लोग जिनके विरुद्ध आज तक हम लोग संघर्ष करते रहे वे सभी लोकतन्त्रीय संस्थाओं में अपना स्थान बनाने में सफल हो गये। यदि वे इस सदन तक या अन्य बाहरी संस्थाओं तक ही सीमित न रहे तो यह अस्वाभाविक नहीं है। आज तक जितनी भी संस्थाओं का निर्माण किया गया है वे उन सभी में है। मुझे आशा है कि सदन स्थिति पर उसके वास्तविक रूप में विचार करने का प्रयास करेगा। इस देश की एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी में बड़ा अन्तर है। सदन का नया सदस्य पुराने सदस्य से पूर्णतया भिन्न है। यही स्थिति न्यायपालिका के क्षेत्र में भी देखी जा सकती है। मुझे आशा है कि विधि और गृह-मन्त्रालय देश की इस बदलती हुई परिस्थिति की अच्छी तरह ध्यान देंगे।

आपकी सूचना के लिए मैं एक मनोरंजक बात भी बता दूं। अज बीस वर्ष के उपरांत गृह-मन्त्रालय को यह आभास हुआ है कि कृषि के क्षेत्र में जो संघर्ष चल रहा है उसका कारण भूमिहीन लोगों में असन्तोष है। क्या गृह-मन्त्रालय यह बात दो या तीन वर्ष पहले नहीं कह सकता था। हमारे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। अगर आप न्यायपालिका के इतिहास पर दृष्टि डालें तो आपको पता चलेगा कि लोकतन्त्रीय संस्थाओं की निन्दा की जाती है तो उससे एकाधिकार और तानाशाही की वृत्तियों को बढ़ावा मिलता है।

मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूँ कि आज भारत में चारों ओर क्या हो रहा है। एक-एक करके सभी लोकतन्त्रीय संस्थायें तथा संसद, न्यायपालिका और अन्य संस्थायें अपनी प्रतिष्ठा खो रही है। इस का अन्तिम परिणाम सैनिक-तानाशाही होता है। मुझे आशा है कि संसद ने उचित समय पर ही इस विधेयक को पास कर दिया है और अब यह जनता के प्रतिनिधियों का ही कर्तव्य है कि जो कुछ उन्होंने किया है अब वही उस की सुरक्षा करें। यह लज्जा की बात है कि संसद के सदस्य जो लोगों के हितों के लिए उन की सेवा के लिए उन्हीं की आज्ञा के फलस्वरूप निर्वाचित होते हैं वही इस सदन के बहुमत से किये गये निर्णय के विरुद्ध न्यायालयों और अन्य स्थानों में चुनौतियां देते फिरते हैं। यदि यह क्रम जारी रहा तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जायेगा और यह देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात होगी।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि सरकार ने जो कुछ भी किया है उस की मुझे खुशी है। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर के उसने राज्य के नियन्त्रण की बड़ी मंजिल तय कर ली है। विधि मन्त्री ने अभी-अभी कहा है कि ऋण और वित्त का 83 प्रतिशत राज्य नियन्त्रण में है और 17 प्रतिशत निजी क्षेत्र में। यह एक अच्छी उपलब्धि है। परन्तु मैं मन्त्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हुआ।

मुझे सूचना मिली है कि 5,000 रुपये का ऋण लेने के लिए 700 रुपये बैंक के कर्मचारियों को खुश करने में खर्च करने पड़ते हैं। मुझे आशा है कि वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री लोगों की इस समस्या की ओर भी ध्यान देगें। यह खुशी की बात है कि 6 महीनों में कृषकों को इन राष्ट्रीयकृत बैंकों से प्राप्त होने वाली सहायता 25 करोड़ तक बढ़ा दी गई है। इसी प्रकार छोटे उद्योगों को दी जाने वाली ऋण सहायता 21 करोड़ तक बढ़ा दी गई है और व्यापारियों को भी 42 करोड़ तक ऋण सिया जा चुका है। रास्ते में आने वाली विभिन्न कठिनाईयों के बावजूद यह उपलब्धियां कम महत्वपूर्ण नहीं है। यदि लोग बैंकों के अंशधारी हैं

तो क्या उन्हें सरकार ने मुआवजे के सम्बन्ध में प्रश्न पूछने का अधिकार है। श्री मसानी ने प्रमुख रूप से तो मुआवजा बढ़ाने पर ही जोर दिया है। वह 87 करोड़ से संतुष्ट नहीं है और नहीं कभी कोई एकाधिकरण वादी या पूंजीपति कभी संतुष्ट ही हुआ है। अब समय आ गया है जबकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन किया जाये। संसद तथा संविधान सभा दोनों ही पांच वर्ष तक बनी रहें। इस समय हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं और सब कुछ अपनी इच्छानुसार कर सकते हैं। समय आ गया है कि हमें सम्पत्ति वाले वर्ग और आने वाली नई पीढ़ी के मध्य होने वाले संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। संसद द्वारा हम इस कठिनाई को दूर कर सकते हैं।

दक्षिणी वियतनाम के अन्तरिम क्रांतिकारी* सरकार के प्रतिनिधिमण्डल की भारत यात्रा

VISIT BY DELIGATION OF PROVISIONAL** REVOLUTIONARY GOVERNMENT OF SOUTH VIETNAM TO INDIA

श्री ई० के० नायनार (पालघाट) : अमरीकी सामराज्यवाद और उसकी कठपुतलियों के विरुद्ध 14 वर्ष की निरन्तर संघर्ष के बाद दक्षिणी वियतनाम के तीन चौथाई भाग को वहां के लोगों ने मुक्त कराया है। जून 1969 को उन लोगों ने अन्तरिम सरकार बना ली। सरकार की ओर से कामरेड नेगू येन बान तैन की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मण्डल ने 13 दिसम्बर, 1969 से 9 जनवरी 1970 तक भारत की यात्रा की। देश के विभिन्न भागों में प्रतिनिधिमण्डल का भव्य स्वागत किया गया। 1954 में जेनेवा समझौता हुआ और भारत अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष बना। इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के 24 घन्टे के अन्दर ही तत्कालीन अमरीकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने कहा था कि अमरीका का इससे कोई सम्बन्ध नहीं और न ही वह सम्मेलन के निर्णयों को मानने के लिए बाध्य है। समझौते की कई बातें मुझे पसन्द नहीं हैं।

अमरीका ने दक्षिणी वियतनाम को नया उपनिवेश और सैनिक अड्डा बनाने और वियतनाम के स्थाई विभाजन के प्रयत्न में पूरी तरह से इस समझौते का उल्लघंन किया। भारत के अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष होने के नाते समझौते का उल्लघंन करने वाली सेनाओं की निन्दा करनी चाहिये थी परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। इसके विपरीत हमारी सरकार ने 1965 में उत्तरी वियतनाम के साथ व्यापार बन्द कर दिया।

इस का कारण यही है कि भारत सामराज्यवाद के दबाव में आ गया, उसने अपनी प्रभुसता पर आंच आने दी।

वियतनाम में राजनीतिक समझौते के लिए यह आवश्यक है कि अमरीका और आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, फिलीपीन और दक्षिणी कोरिया जैसे मित्र राष्ट्र पूरी तरह से दक्षिणी वियतनाम से बिना शर्त अपनी सेनायें हटा लें। ऐसा करने की अपेक्षा अमरीका ने अपनी सैनिक

*आधे घंटे की चर्चा

**Half-an-Hour Discussion

कार्यवाहियां और तीव्र कर दी। दक्षिणी वियतनाम के अनेक गावों पर हवाई हमले कर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया।

अमरीका, सैगान की कठपुतली सरकार को युद्ध सामग्री देकर जीवित रखने का प्रयत्न कर रहा है। अब भी दक्षिणी वियतनाम में अमरीका के 5,40,000 प्रशिक्षित सैनिक, लगभग 5,000 हैलीकोप्टर और लड़ाकू विमान तथा कई दर्जन युद्धपोत लड़ाई में लगे हुये हैं।

16.5.68 को माई-लोई ग्राम में दिये गये जन संहार से समस्त विश्व-स्तब्ध हो उठा। ग्राम निवासियों को 200, 100 तथा 70 की टोलियों में बाँट कर उन पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। सैंकड़ों बच्चों तथा स्त्रियों की नृशंस हत्याएँ की गयीं।

अमरीका तथा दक्षिण कोरिया की 8000 से अधिक सेना ने 13 जनवरी से 19 फरवरी 1969 के मध्य आनंग नेगी प्रान्त के बालैण्ड क्षेत्र को तहस-नहस कर दिया। 300 व्यक्तियों को मौके पर ही मार दिया गया, 1200 लोगों को समुद्र में डुबो दिया तथा 11,000 व्यक्तियों को फासिस्ट बन्दी गृहों में ले गये।

मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने अमरीका सैनिकों तथा उनके अमानुषिक अपराधों के प्रति कोई विरोध प्रकट नहीं किया।

मैं निवेदन करूंगा कि भारत सरकार को दक्षिण नियतनाम थी अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार को मान्यता देनी चाहिये और वियतनाम गणतंत्र से राजनीतिक सम्बन्धों को राजदूत स्तर तक बढ़ा देना चाहिये साथ ही अमरीकी सरकार तथा उसके सहयोगियों से सेना तथा युद्ध सामग्री हटाने की माँग करनी चाहिये।

श्री ज्योतिमय बसु (डायमंड हारबर) : मन्त्री महोदय ने हनोई में भारतीय दूतावास स्थापित करने का वचन दिया था अब क्यों आना-कानी की जा रही है।

Shri Shiva Chandra Jha (Madhubani) : America is strengthening her imperalitic bases in Asia and Vietnam. I would like to know as to how many times Indian Government have asked America to withdraw her forces and arrangements from Vietnam ?

Even after the cold blood massure in My Lai, would India like to continue as the Chairman of the International Control Commission ? Can India not to resign therefrom ? Would the Government establish trade relations with North Vietnam ? Are they going to give recognisation to the National Liberation Front Government ? Would the Government form a committee to raise funds to help Vietnam revolutions ?

श्री घी० ना० देव : अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार के प्रतिनिधि मंडल को विभिन्न संस्थाओं द्वारा एक लाख से भी अधिक धनराशि दी गई। मंत्री महोदय के कथनानुसार विदेशी मुद्रा विनिमय के अन्तर्गत साधारणतया यह राशि बाहर नहीं ले जायी जा सकती। चूंकि भारत में इस अन्तरिम क्रांतिकारी सरकार का कोई कार्यालय नहीं है तो क्या मुझे यह बताया जायगा कि इस धनराशि का क्या हुआ ?

दूसरे पेरिस शान्ति वार्ता में अन्तरिम क्रान्ति कारी सरकार की प्रतिनिधि मैडम बीन्ह को दिये गये निमंत्रण पर दक्षिण वियतनाम में बड़ी प्रतिक्रिया हुई है। वहां के मंत्री डा० डेन्ह तथा

विदेश मन्त्री आदि ने इस निमंत्रण पर रोक प्रकट किया है। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से ऐसा किया गया ? क्या सरकार ने दक्षिण वियतनाम की प्रतिक्रिया की ओर ध्यान दिया है ? क्या इस प्रकार के नियंत्रण से हमारी तटस्थता की नीति में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ?

Shri Kanwar Lal Gupta : The Government in South Vietnam was lawfully established after Geneva agreement. Indian Government has created a bad precedent by extending an invitation to Madam Binh. Such actions of the Government unnecessarily create confusion amongst the friendly nations. Would the Government assure not to provide any sort of help to such insergent who come over here ?

वैदेशिक कार्य-मन्त्री (श्री दिनेश सिंह) : वियतनाम के लोगों का स्वतंत्रता के लिये संघर्ष एशिया के लोगों तथा उन सभी के संघर्ष का प्रतीक है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया है अथवा कर रहे हैं। यह एक छोटे से देश का ऐतिहासिक संघर्ष है जिसने संसार की एक बहुत बड़ी सैनिक शक्ति को चुनौती दी है।

मेरे विचार से वियतनाम के प्रश्न पर चर्चा करते समय हमको इन लोगों के ऐतिहासिक संघर्ष का आदर करना चाहिये। हमने भी स्वतंत्रता के लिये संघर्ष किया है परन्तु हमारी परिस्थितियां दूसरी थी हमारे उपाय दूसरे थे। परन्तु एक उपनिवेशवादी तथा संसार की सबसे बड़ी सैनिक शक्ति के विरुद्ध दो दशाब्दियों तक संघर्ष वास्तव में एक ऐसा उदाहरण है जिसकी समता संसार के इतिहास में नही है।

हमने बार-बार कहा है कि वियतनाम की समस्या का हल शान्तिपूर्ण उपायों से ही निकल सकता है। वियतनाम के लोगों को बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के स्वयं अपना भविष्य निश्चय करने के लिये छोड़ दिया जाय। वियतनाम के लोगों के संघर्ष ने यह तथ्य स्थापित कर दिया है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्यायें सुलझाने के लिये शक्ति प्रयोग निर्णायात्मक नहीं हो सकता।

यह कहा गया है कि इस समस्या पर हमने अपना मत स्पष्ट नहीं किया है, उचित नहीं है। हमने सदन में इस विषय पर कई बार चर्चा की है तथा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संयुक्त-राष्ट्र संघ में भी अपने मत का स्पष्टीकरण किया है। सर्दी में संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने स्पष्ट रूप में कहा था कि जो हम सोचते हैं वही वियतनाम की समस्या का संभावित समाधान हो सकता हैं। लड़ाई समाप्त होनी चाहिये तथा शत्रुता का अन्त होना चाहिये; वियतनाम में ऐसी सरकार की स्थापना होनी चाहिए जिसे वहां के लोगों का विश्वास प्राप्त हो। यही सरकार विदेशी सैनिकों की वापिसी की देख-भाल कर सकेगी तथा लोगों की इच्छा का निश्चय कर सकेगी।

माननीय सदस्य ने जो कहा है कि उत्तरी वियतनाम पर बम व ़र्ा के विरोध में हमने प्रश्न नहीं उठाया, यह उचित नहीं है। हमने सदन में मी इस पर चर्चा की है तथा भारत सरकार ने भी कहा है कि उत्तरी विमतनाम पर बमवर्षा तुरन्त रोकी जाय, यह अन्याय है। हमें प्रसन्नता है कि अमरीका ने इसे रोकना उचित समझा।

यह भी कहा गया है कि हमने अमरीका तथा उसके सहयोगी राष्ट्र के सैनिकों की वापसी के विषय में कोई माँग नहीं की है, यह भी उचित नहीं है, क्यों कि हमने कई बार ऐसा किया है।

माननीय सदस्य ने वियतनाम की अन्तरिम क्रान्तिकारी सरकार को मान्यता देने का प्रश्न उठाया है। मैं स्पष्टतया बताना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में हमने जो नीति अपनायी है उससे वियतनाम के लोगों के ऐतिहासिक संघर्ष पर कोई आंच नहीं आती। परन्तु हमको कुछ परिस्थितियों तथा सीमा के अन्दर कार्य करना होता है। दक्षिण वियतनाम में हमारा एक विशेष उत्तर-दाईत्व है। अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग के अध्यक्ष होने के नाते दक्षिण वियतनाम में हमें न्यायिक रूप से नई स्थितियों को अपनाने का समय नहीं है। हमने सैगोन सरकार से सम्पर्क बनाये रखने के लिये महावाणिज्य दूतावास की स्थापना की है और इन प्रबन्धों को बदलने का अभी समय नहीं है। हमें आशा है कि वियतमान में शीघ्र ही शान्ति की स्थापना होगी तभी हमें निश्चय करना होगा कि हमें किस सरकार को मान्यता देनी है।

उत्तर वियतनाम सरकार ने भारत के साथ संबन्ध बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। मैंने इसका प्रायुत्तर देते हुए कहा कि हमें इससे प्रसन्नता होगी। हमें देखना यह है किस प्रकार और किस रूप में हम अपने संबंध बढ़ायें। भारत सरकार इस पर विचार कर रही है।

उत्तर वियतनाम से व्यापार के विषय में भी एक प्रश्न उठाया गया है। यह सत्य है कि व्यापार करने में हमारे मार्ग में भी कुछ कठिनाइयां हैं तथा उनके सामने भी ऐसी ही परिस्थिति है। परन्तु यह मामला हमारे ध्यान में है। यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, हमें यह देखना है कि व्यापार किस प्रकार चलाया जा सकता है। माननीय सदस्य ने अन्तर्राष्ट्रीय नियंत्रण आयोग की अध्यक्षता को त्यागने का प्रश्न उठाया है। अध्यक्षता त्यागने का अर्थ होगा अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों से मुह मोड़ना। परिस्थितियां अनुकूल न होने के कारण यह आयोग अपना कर्त्तव्य सफलता से नहीं निभा पा रहा किन्तु इसका यह अर्थ कदाचित नहीं है कि आयोग अपने उद्देश्य की प्राप्ति में असमर्थ है अथवा अपने दायित्वों को निभाने की उसमें क्षमता नहीं है। हमें नियन्त्रण आयोग को शक्तिशाली बनाना है। जेनेवा समझौते को लागू कराना है और शांति की स्थापना के लिए वियतनाम की समस्या का हल ढूंढना है। अतः आयोग को समाप्त करना अथवा उसके अध्यक्ष पद त्याग देना भारत के लिये उचित नहीं है।

माननीय सदस्य श्री कंवर लाल गुप्त ने मैडम बिन्ह को निमन्त्रण देने पर भी प्रश्न उठाया है। वैदेशिक कार्य मन्त्री होने के नाते मुझे उन्हें निमन्त्रण देने का अधिकार है। फिर ये उत्तरदायी लोग हैं। पैरिस की वार्ताओं में इन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया था। हम किसी विद्रोही को तो बुलावा नहीं दे रहे। इन लोगों से मेल-जोल बढ़ाना हमारे हित में है। परस्पर सम्पर्क से हम उनके विचार जान सकते हैं। उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए शांतिपूर्ण उपाय ढूंढने में भी इनकी सहायता कर सकते हैं।

काश्मीर और नागालैंड की परिस्थितियों की तुलना वियतनाम की स्थिति से नहीं की जा सकती। ये दोनों राज्य भारत के अभिन्न अंग हैं उन पर भारत का संविधान लागू होता है किन्तु वहां का संघर्ष सशस्त्र सेना का संघर्ष है, जिसने सम्पूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर केन्द्रित कर रखा है। ऐसी अवस्था में वहां की भीषण स्थिति को देखते हुए क्या यह सम्भव है हम आंख मूंद लें और कह दें हमारा उनसे कोई सम्बन्ध नहीं है। वस्तुतः हमें उन्हें अधिक से अधिक सहयोग देना है।

हम पर किसी विदेशी सरकार का दबाव नहीं हैं। हम जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम अपने कार्यों के लिए उनके प्रति उत्तरदायी हैं और जब तक जनता का विश्वास हममें रहेगा हम प्रशासन के कार्यों की देख रेख करते रहेंगे।

इन परिस्थितियों में पी० आर० जी० को मान्यता नहीं दी जा सकती।

श्री म० ल० सोंधी (नई दिल्ली) : यदि भारत व्यापक रूप से राजनैतिक गतिविधियों में हस्तक्षेप करता है तो उसे वर्तमान सम्पर्कों को बनाए रखने में संकोच क्यों हैं। पेरिस के समान देहली को भी वार्तास्थल क्यों नहीं बनाया जाता ?

माई-ले के हत्याकाण्ड के विषय में भारतीय सरकार का क्या विचार है ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : When the representatives Provisional Revolutionary Government came from South Vietnam they were recieved here very warmly. In view of t will the Government recognise the revolutionary Government and are they going to help those people ?

श्री प० गोपालन (तेल्लीचेरी) : 1954 में हुए जेनेवा समझौते के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम दोनों का एकीकरण दो वर्षों के भीतर हो जाना चाहिए था किन्तु दोनों ही सरकारें इसके लिये राजी न हुईं और भारत भी इस अन्तर्राष्ट्रीय नियन्त्रण आयोग के अध्यक्ष पद पर रहकर दोनों का एकीकरण नहीं करा सका। ऐसी अवस्था में भारत आयोग के अध्यक्ष पद पर क्यों बना हुआ है ?

श्री दिनेश सिंह : हम वियतनाम के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विचार रखने वाले लोगों से भी सम्पर्क बनाए हुए हैं। अभी तक दिल्ली को वार्तास्थल बनाने का अनुरोध नहीं किया गया। यदि ऐसी प्रार्थना की गई तो हम निश्चय ही उस पर विचार करेंगे।

यह कहा गया है कि हम अपने दायित्वों को निभाने में असफल रहे हैं अतः आयोग को समाप्त किया जाए। किन्तु आयोग ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। आयोग ने वियतनाम की सेवा करके समग्र विश्व की सेवा की है। प्रत्येक क्षेत्र में आयोग सफल रहे ऐसा सम्भव नहीं है। सफलता जनता के परस्पर सहयोग द्वारा प्राप्त हो तो वियतनाम के सम्बन्ध में हमें कई जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है। उनसे पीछा छुड़ा लेने या आयोग को समाप्त कर देने से समस्या सुलझ तो नहीं जाएगी। परिस्थितियों को अनुकूल बनाने में समय लगता है। इसमें धैर्य से काम लेना है और आगे बढ़ना है। मैं आशा करता हूँ सभा हमारे कार्य की सराहना करेगी और भविष्य में इस प्रकार के कार्यों के लिए अनुमति देगी।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार 20 मार्च 1970/29 फाल्गुन 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the 20th March 1970/ Phalguna 29, 1891 (Saka).

Printed at Akashdeep Printers, 20 Daryaganj, Delhi-6.